राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 8 | चतुर्थ विधान सभा के अष्टम् सत्र का चौथा दिवस | संख्या 4

बृहस्पतिवार, दिनांक 14 मई, 1970

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.01 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजन नाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(सहकारिता, पशुपालन, स्वायत्त शासन, सार्वजनिक निर्माण, गृह, कृषि, जनस्वास्थ्य, उपनिवेशन विभाग)

अध्यक्ष : प्रश्न

प्रगतिशील ट्रान्सपोर्ट कोआपरेटिव सोसाइटी

66. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले में 'प्रगतिशील ट्रान्सपोर्ट कोआपरेटिव सोसाइटी' के नाम से एक सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन किया गया है? यदि हां तो इस समिति का रजिस्ट्रेशन कब किया गया है? कृपया सोसायटी का रजिस्ट्रेशन आदेश सदन की मेज पर रखें। उक्त सोसाइटी के सदस्यों की सूची भी सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन से पहले अलवर मोटर वर्कर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड अलवर ने एक लिखित शिकायत 17-10-68 को सहायक रजिस्ट्रार महोदय अलवर को की थी जिसमें इस सोसाइटी के बोगस होने का आरोप लगाया गया था? कृपया उक्त सोसाइटी द्वारा की गई शिकायत की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर कोई जांच की गई? यदि हां तो यह जांच किसने और कब की? कृपया जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें। यदि जांच नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई?

(4) क्या यह सही है कि उक्त नई सोसाइटी में कोई भी सदस्य ट्रान्सपोर्ट में कार्य करने वाला मजदूर नहीं है?

(5) क्या सहकारी विभाग ने ट्रान्सपोर्ट कोआपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिये कोई मोडल नियम बनाये हैं? यदि हां तो प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

उप मंत्री सहकारिता (श्री रामदेवसिंह):

(1) जी हां। इस समिति का रजिस्ट्रेशन क्रमांक 1615 दिनांक 19-10-68 को हुआ था। रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि एवं सदस्यों की सूची क्रमशः 'अ' एवं 'ब' पर संलग्न है।

(2) जी हां। शिकायती पत्र की प्रति परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

Page No 2

(श्री रामदेवसिंह)

(3) जी नहीं। सहायक रजिस्ट्रार ने यातायात सहायक निरीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त कर ली थी जिस पर उन्होंने जांच की आवश्यकता नहीं समझी।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां। आदर्श उपनियमों की प्रति परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि आपके नियमों के अनुसार इस कोआपरेटिव सोसाइटी में ट्रान्सपोर्ट का काम करने वाले कन्डक्टर, ड्राईवर या ऐसे ही जो मजदूर हैं उनके बहुमत की यह सोसाइटी होगी ?

श्री रामदेव सिंह : जी हां।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि इस सोसाइटी में जो 24 मेम्बर हैं उनमें से केवल तीन, चार ही ऐसे सदस्य हैं जो ड्राईवर, कन्डक्टर हैं और इस किस्म का काम करने वाला और कोई नहीं है।

श्री रामदेव सिंह : ऐसी बात नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप बताइये। जो लिस्ट आपने दी है उसके अन्दर ये श्री केदारनाथ कौन हैं। इसमें या तो बड़े व्यापारी हैं, या मोटर मालिक हैं, जिनकी कि बसें चल रही हैं या ट्रक चल रहे हैं, ऐसे ट्रक मालिक हैं। क्या यह सही नहीं है ?

श्री रामदेव सिंह : मेरे पास लिस्ट है। इसमें 17 नाम दिये हैं। उनमें एक है कुमारी उमा माथुर, ड्राईवर।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कौन कौन हैं ?

सहकारिता मंत्री (श्री अमृतलाल यादव): इसके लिये जो रूल्स हैं उसमें मोटर चालक सफाई करने वाले, यांत्रिक, अभियांत्रिक और यथा स्थान बैठने वाले आदि हैं। इन उपनियमों में वर्णित व्यक्ति इस सोसाइटी के सदस्य हो सकते हैं। ड्राईवर, कन्डक्टर्स भी इसमें हैं। यह जो परिवर्तित रूल्स हैं इनके माफिक इस समिति का कोई सदस्य नहीं होगा तो जो सूचना है उसके आधार पर तो निश्चित रूप से नहीं कह सकता हूं परन्तु यह आश्वासन दे सकता हूं कि नये रूल्स के माफिक, उसके अनुसार कोई सदस्य नहीं होगा, उसके अनुसार पूरी संख्या नहीं होगी, तो उसके खिलाफ जांच करवा कर उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरे पास में नाम हैं। एक है प्रधान पंचायत समिति जो कि एक बड़े जागीरदार हैं। हो सकता है कि वे ड्राईविंग जानते हों। परन्तु उनका अपना कारोबार है। दूसरी हैं सुश्री उमा माथुर, जो कि पहले एम. एल. ए. थीं। हो सकता है कि वे भी अपनी जीप चला सकती हैं और ड्राइविंग का लाईसेन्स हो। एक उनके भाई हैं जो कि खुद लेक्चरार हैं। एक दशरथ कुमार हैं जिनके कि तीन बसें हैं। इनके तीन लड़के भी सदस्य हैं। एक योगेशपुरी हैं। इनके पांच बसें चलती हैं एक श्री केदारनाथ हैं और इन के दो भाई हैं। एक गोपालसहाय भोंदूमल हैं जो कि लखपति फर्म है। तो इस तरह के सदस्य इस सोसाइटी में हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि

Page No 3

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
माननीय मंत्रीजी यह आश्वासन दें कि जिस तरीके के रूल्स हैं उसके अनुसार इस तरीके से बोगस कोआपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिये था। आप इसकी निष्पक्ष इन्क्वायरी करवाइये। आपकी इन्फार्मेशन गलत है तो आप मेरा सहयोग लेना चाहें तो ले सकते हैं और यह गलत पाई जाये तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाये। इनका मकसद मथुरा अलवर रूट का परमिट लेने का है। इन नेताओं और मोटर मालिकों ने परमिट उठाने के लिये ही इन ड्राईवरों और कन्डक्टरों को शामिल किया है।

श्री अमृतलाल यादव : किसी नेता पूंजीपति या बस मालिक को इसकी सदस्यता से वंचित नहीं किया जा सकता है। लेकिन रूल्स में, माफिक बहुमत ऐसे लोगों का होना चाहिये जो कि सफाई का काम करने वाले हों, यांत्रिक हों, तकनीकी लोग हों, ड्राईवर, कन्डेक्टर हों। मैंने यह आश्वासन दिया है कि रूल्स के माफिक यह सोसाइटी नहीं है तो इसकी जांच करवायेंगे और जांच करवा कर उसके परिणाम से आपको अवगत करवायेंगे। यही आश्वासन मैं दे सकता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह आश्वासन चाहता हूं कि जो रजिस्ट्रेशन हुआ है और जो उसमें सदस्य हैं वे बोगस हैं इसलिये इसका रजिस्ट्रेशन कैन्सिल होना चाहिये। यह क्लीयर आश्वासन मंत्री महोदय दें।

श्री अमृतलाल यादव : बिना जांच के से दे सकता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जांच कराने के बाद।

श्री अमृतलाल यादव : मैंने कहा है जांच के बाद।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि किसी अधिकारी ने नियम के विरुद्ध गलत ढंग से बोगस सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन किया है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री अमृतलाल यादव : जरूर होगी, आपके बिना कहे ही होगी।

श्री अध्यक्ष : श्री रामप्रसाद बोहरा।

घास कुट्टी आदि की खरीद

67. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तारीख 1-2-70 से 31-12-70 तक के लिये विभागीय पशुपालन विभाग संस्थाओं के लिये कुट्टी चना जो खली ज्वार गुड सूखा घास आदि खरीद की गई थी ?

(2) किन किन से टेंडर प्राप्त हुये ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें किससे खरीद की गयी है ? सब से नीचा टेंडर किस का था ?

(3) क्या यह भी सही है कि सब से नीची दरों के टेंडर वालों से सामान न लिए जाकर दूसरे व्यक्ति से सप्लाई ली गई। यदि हां तो क्यों ?

Page No 4

उत्तर

उप, मंत्री पशुपालन विभाग (श्री हरिसिंह) :

(1) जी हां।

(2) जिन जिन फर्मों के टेंडर प्राप्त हुए और जिनके नाम ठेके मंजूर किये गये उनकी सूची संलग्न है। ठेके उन्हीं फर्मों के नाम मंजूर हुए जिनकी निविदायें नियमानुसार प्रस्तुत हुई थीं और जिनकी दरें सब से नीची थीं।

(3) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री रामप्रसाद बोहरा : कम टेंडर वाला ही मंजूर किया जाता तो सरकार को लाभ होता। सरकार को कम रुपये देने पड़ते।

श्री हरिसिंह : इसका एक आधार है। जो सबसे लोएस्ट टेंडर है उसको मंजूर करने का एक आधार है उसको एक सर्टीफिकेट इनकम टेक्स, सेल्स टेक्स का देना पड़ता है और अमानत की धनराशि जमा करानी होती है। इन सब शर्तों का पालन करने पर ही जो टेंडर नियमानुसार है उसके नाम खोला जाता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता का प्रश्न यह है कि किसका कम टेण्डर था ?

श्री हरिसिंह : बाकी को फोर्मेलिटीज भी पूरी करनी पड़ती हैं।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : किस किस फर्म का कम टेण्डर था ?

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : और क्या कम रेट वाली फर्में और अन्य शर्तें पूरी नहीं कर सकती थीं ?

श्री हरिसिंह : आपने सूची देखी है। एक एक का कारण दे रखा है परिशिष्ट (ग) में इसके अलावा किसी का स्पेसिफिक पूछना चाहते हों तो बता दें मुझे मैं जानकारी करा दूंगा।

श्री दौलतराम सारण : व्यक्तियों से हमें मतलब नहीं। हम तो यह चाहते हैं कि लोएस्ट से कितना लाभ होता और ऊंची रेट से कितनी हानि हुई है ?

श्री अध्यक्ष : दूसरों के साथ दूसरे सरकमस्टेंसेज बताते हैं और सूची में यह बताया है।

श्री दौलतराम सारण : लोएस्ट वाले आपकी अन्य शर्तें पूरी नहीं करते थे क्या ?

श्री हरिसिंह : विस्तृत ब्यौरा इस स्टेटमेन्ट में दिया हुआ है।

श्री हरजीराम बुरडक : सूची में यह नहीं है।

श्री हरिसिंह : रिजेक्शन के कारण दिये हुये हैं।

श्री दौलतराम सारण: अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग (दो) में साफ लिखा है कि सबसे ऊंचा टेण्डर कौनसा था और सबसे नीचा कौनसा था। इसमें कहीं अंकित नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

Page No 5

नगर विकास मण्डल, जयपुर का अंकेक्षा प्रतिवेदन

68. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:——

(1) नगर विकास मण्डल जयपुर को 1 अप्रेल सन् 62 से लेकर अब तक मण्डल के किस किस वर्ष के हिसाब का अंकेक्षा प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ?

(2) इन अंकेक्षा प्रतिवेदनों पर अब तक क्या क्या कार्यवाही की गई ? कृपया इसका एक विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उपमन्त्री स्वायत्त शासन (श्री मुल्कराज चिद): अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना अभी मिली नहीं है इसलिये इसे स्थगित करने की कृपा करें।

श्री भैरोंसिंह : इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट का तो आप उत्तर देते ही नहीं क्या ?

श्री मुल्कराज चिद : आपका प्रश्न काफी लम्बा है और इसमें टाइम कम मिला है।

श्री भैरोंसिंह : सवाल सीधा सा था। आप यह बता दीजिये कि अप्रेल 62 से अब तक आप के विभाग को आडिट रिपोर्ट मिली या नहीं ?

श्री मुल्कराज चिद: 64165 से पहले की आडिट रिपोर्ट विधान सभा में पहले पेश हो चुकी है। ओरिजिनल रिपर्ट विधान सभा में आई है। आडिट रिपोर्ट बाकी का भी दो दफे लिखा है।

श्री भैरोंसिंह 65 से बाद की ओरिजिनल रिपोर्ट विधान सभा में आगई और विभाग के पास उपलब्ध नहीं है तो आगे की पहले की ही आप दे दें। बाकी की मैं यहां से ले लूंगा। आप वे ही दे देते। बाकी के यहां से ले लेता।

श्री मुल्कराज चिद : वे मैं पेश कर दूंगा।

सड़कों को चौड़ा करने का कार्य

69. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:——

(1) क्या यह सत्य है कि किसी सडक को चौडाई बढ़ाने का कार्य नये कार्य में शुमार किया जाता है? यदि हां, तो जिला जयपुर में इस वर्ष और गत वर्ष कौन कौन सी सड़कों पर इस प्रकार का कार्य किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सत्य है कि उक्त सडकों की मन्जूरी अलग अलग से सडक वाइज दी गई थी ? यदि हां तो कब कब किस किस अधिकारी द्वारा ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि जयपुर शहर की सडकों की चौडाई का जो कार्य किया गया है उसकी अलग से सरकार की मन्जूरी नहीं ली गई थी यदि हां तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि जयपुर शहर की सडकों की चौडाई का काय

Page No 6

(श्री हरजीराम बुरडक)
मरम्मत के हैड में से खर्च करके किया गया था ? यदि हां तो क्यों ?

(5) अल्पकालिन टेन्डर मांगने के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

(6) जयपुर की उक्त सडकों की चौडाई के कार्य के लिये कब टेण्डर मांगे थे और किस प्रकार से ठेका किसको दिया गया था तथा कितने रुपये इस कार्य में खर्च हुए ?

(7) क्या उक्त कार्य में ठेका देने टेण्डर निकालने व स्वीकृति प्राप्त करने में सक्षम अधिकारियों की पूर्व स्वीकृति ली गई थी ? यदि हां, तो कब कब किस किस से किस किस कार्य की ?

उपमन्त्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग (श्री माधोसिंह भैंसवाडा) : (1) जी नहीं। राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ 2 (16) एफ. डी. खर्चा 3/63 दिनांक 11-6-65 के अनुसार इस कार्य को वार्षिक मरम्मत की धन राशि में से भी कराया जा सकता है ।

(2) प्रश्न नहीं उठता । सडकों को चौडा करने की स्वीकृति अधीक्षक अभियन्ता द्वारा दी गई थी ।

(3) सरकार की मन्जूरी जरूरी नहीं थी ।

(4) जी हां, क्योंकि यह कार्य मरम्मत के अन्तर्गत थे ।

(5) अल्पकालीन टेण्डर के सम्बन्ध में अखबारों में विज्ञापन दे दिया जाता है ।

(6) सूची (क) संलग्न है ।

(7) जी हां, अधिशाषी अभियन्ता को टेण्डर निकालने का पूर्ण अधिकार है ।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री हरजीराम बुरडक : अल्पकालिन निविदाएं किन कारणों से मांगी जाती हैं ?

श्री माधोसिंह : काम जल्दी कराना हो और समय कम हो तब ।

श्री हरजीराम बुरडक : इसमें जल्दी कहां रही, काम दो साल में किया है । जिस वर्ष में टेण्डर मांगा उस साल काम किया नहीं गया । टेण्डर मांगने में समय लगा, स्वीकृति में उससे भी अधिक समय लगा । फिर जल्दी का क्या प्रश्न था ?

श्री अध्यक्ष : उस समय जल्दी थी, बाद में आवश्यकता नहीं रही, क्यों यही न ?

श्री माधोसिंह : जी हां

श्री हरजीराम बुरडक : टेण्डर में सात दिन और पांच दिन का समय दिया । पर बाद में भी 15/20 महिने तक मन्जूर नहीं किया तो आवश्यकता कहां रही ?

श्री माधोसिंह : कई विचार करने पड़ते हैं । ठीक नही जंचा तो फिर सोचते है ।

श्री हरजीराम बुरडक । बहुत से काम कोआपरेटिव सोसायटीयों को अलाट किया

Page No 7

(श्री हरजीराम बुरड़क)
जाता है तो किस रेट पर करते हैं और कितनी कीमत तक का करते हैं ?

श्री माधोसिंह : बीस हजार तक ।

श्री हरजीराम बुरड़क : इनमें बीस हजार का एक भी नहीं है । 40 हजार पचास हजार का इनमें था । फिर कैसे अलाट किया ?

श्री माधोसिंह : कोआपरेटिव मूवमेन्ट का ध्यान रखते हुए उत्साहित करने के लिये अधिक भी मन्जूर कर लिया ।

जयसमन्द झील का विकास

70. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयसमन्द झील के विकास पर सरकार ने करीब एक करोड़ रुपया खर्च करने का निर्णय किया है ?

(2) यदि हां, तो किस किस मद में कितना कितना रुपया किस किस प्रकार से कितने समय में खर्च किया जायेगा ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उपमन्त्री, पशुपालन विभाग (श्री हरीसिंह)

(1) जी नहीं ।

(2) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री देवीदत्त गाडिया : विकास के लिये एक करोड़ खर्च किया जायेगा क्या यह सही नहीं है ?

श्री हरिसिंह : मैंने निवेदन किया कि जी नहीं ।

श्री देवीदत्त गाडिया : अनेकों समाचार पत्रों में समाचार आये थे ऐसे ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न ।

श्री अध्यक्ष ; नेक्स्ट, श्री बालसिंह भाटी ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग का डिवीजन जैसलमेर

71. श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर में सड़क निर्माण के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक डिवीजन है और यह डिवीजन एक वर्ष से कोई भी काम नहीं कर रहा है और अधिकारी गण बिना काम सरकारी मोटरों व मशीनों का उपयोग अपने व्यक्तिगत कामों में कर रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि गत 2 वर्षों में दूसरी प्राथमिकता की एक भी सड़क जैसलमेर में इस विभाग द्वारा प्रारम्भ नहीं की गई ? अगर हां तो इसके क्या कारण हैं ? जब कि जैसलमेर म्याजलार सड़क पर 20 मील तक निर्माण के लिए पर्याप्त मात्रा में सामग्री सड़क पर डाली जा चुकी है, केवल मात्र उसको जमाना ही बाकी है ?

(3) क्या अगर समय रहते उपरोक्त सड़क का निर्माण नहीं हुआ तो यह लाखों

Page No 8

(श्री बालसिंह सोढ़ा)
रुपयों की सामग्री आंधी व वर्षा से व्यर्थ जायेगी और दुबारा लाखों रुपया इसी कार्य पर खर्च होगा ? अगर हां, तो निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि जैसलमेर सीमा सड़क निर्माण विभाग डिवीजन के पास पर्याप्त मात्रा में काम करने के लिए मशीन उपलब्ध है ? और उपरोक्त मशीनों का उपयोग फिल्म निर्माता श्री के. आसफ द्वारा किया जा रहा है ?

(5) क्या सरकार ने सरकारी अधिकारियों व मशीनों का उपयोग करने की सुविधा देने का कोई निर्णय लिया है ? अगर हां, तो कब और निर्णय लेने का क्या आधार हैं ? अगर नहीं तो किस के आदेश से यह उपयोग किया जा रहा है ?

उप मन्त्री सार्वजनिक निर्माण (श्री माधो सिंह) : (1) जी हां, सही हैं। परन्तु यह सही नहीं है कि यह डिवीजन एक वर्ष से कोई कार्य नहीं कर रहा है। और अधिकारीगण बिना काम सरकारी मोटरें व मशीनों का उपयोग अपने व्यक्तिगत कामों में कर रहे हैं।

(2) जी हां, सही हैं। दूसरी (निम्न) प्राथमिकता में आई हुई सड़कों के पुनः प्रारम्भ करने की स्वीकृति अभी तक भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुई है। जैसलमेर मियाजलार सड़क भी निम्न प्राथमिकता में है। इस सड़क को पूरा करने का निर्णय भारत सरकार ने ले लिया है। तखमीना भारत सरकार को भेजा जा चुका है। स्वीकृति आने पर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि सड़क का कार्य निकट भविष्य में भारत सरकार की स्वीकृति आते ही प्रारम्भ किया जायेगा।

(4) जी हां, परियोजना की कुछ मशीनों को फिल्म निर्माता श्री के. आसफ को परियोजना खण्ड जैसलमेर द्वारा किराये पर दी गईं।

(5) जो मशीनें जो परियोजना के कामों के उपयोग में नहीं आ रही हैं, उन्हें निश्चित किराये दरों पर देने के लिए कोई विशेष आदेश की आवश्यकता नहीं हैं।

श्री बालसिंह सोढा : अध्यक्ष महोदय मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर के पहले खण्ड में बताया है, वह बेकार नहीं बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि वह क्या कार्य कर रहे हैं ?

श्री माधोसिंह : वह अधूरा काम पूरा कर रहे हैं। जो पूरे नहीं हुए, उनको पूरा कर रहे हैं। जो सेकेण्ड स्टेज के काम हैं उनके लिये उन को रखा गया है।

श्री बालसिंह सोढा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदयह ने बताया है कि रिपेयर का काम कर रहे हैं। जब सड़कें बनी ही नहीं हैं तब रिपेयर किसकी कर रहे हैं ?

श्री माधोसिंह: कुछ जगह जो काम हुआ है वह ठीक किया जा रहा है। इसके अलावा और नया काम होगा उसके लिए तखमीना बना रहे हैं।

श्री बालसिंह सोढ़ा : क्या यह सही है कि इस डिवीजन का एक्स. ई. एन. कार्यालय जैसलमेर है ?

श्री माधोसिंह : हां।

श्री बालसिंह सोढा : फिर यह जोधपुर क्यों विराजते हैं ?

श्री माधोसिंह : पता नहीं है।

श्री बालसिंह सोढा : क्या यह बतायेंगे कि जो मशीनरी राज्य सरकार को दी गई है वह कौन सी दी गई हैं।

श्री माधोसिंह : उपयोग नहीं हो रहा था। राज्य सरकार को उसका लाभ क्या है। आइडिल पड़ी हुई मशीन को दिया है।

श्री दौलतराम सारण : राज्य सरकार को लाभ पहुंचाया है, यह अच्छी बात है कि लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि इस तरह से लाभ पहुंचाने का प्रावधान है।

श्री माधोसिंह : कोई सवाल नहीं है।

श्री दौलतरम सारण : कोई मशीनरी दे सकते हैं।

श्री माधोसिंह : यूज नहीं हो रही हो, गवर्नमेंट में तो यह प्रावधान है कि उसे दे सकते हैं।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि राज्य सरकार को मशीनरी कब किस प्रकार, किराये पर दी जा सकती है ? यह नियम बने हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्या कोई निर्धारित दरें हैं ?

श्री माधोसिंह : अध्यक्ष महोदय, अलग अलग मशीनरी की अलग अलग दरें निर्धारित हैं जो दी गई हैं, वह निर्धारित दर पर दी गई है।

श्री दौलतराम सारण : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है क्या इस प्रकार के नियम विभाग द्वारा बनाये हुए हैं ? यह इस प्रकार के आदेश हैं कि किस प्रकार की मशीनरी, किस रेट में, किस स्थिति में दी जा सकती है ?

श्री माधोसिंह : जो मशीनरी किराये पर दी गई है वह दर पर दी गई है। अलग अलग रेट बने हुए हैं। अगर निर्धारित नहीं है तो उसको सरकार निर्धारित करेगी। अगर कम किराया लिया गया है तो और वसूल कर लिया जाएगा।

एक माननीय सदस्य : यह क्या मजाक करवाते हैं।

श्री बालसिंह सोढा : अध्यक्ष महोदय, यह बताने का कष्ट करें, कौन कौन मशीनरी किस किस टाइम दी गई हैं ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री बालसिंह सोढा : ट्रक विहिकल्स और मशीनरी का पूरी तौर से दुरुपयोग किया जा रहा है। फिर भी मन्त्री महोदय कहते हैं कि दुरुपयोग नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मशीनरी किराये पर दी गई है, उसके साथ काम करने वाले भी किराये पर दिये गये हैं ?

श्री माधोसिंह : आदमी नहीं दिये गये हैं। लेकिन ट्रक जायेगा तो ट्रक ड्राइवर भी जायेगा। अगर माननीय सदस्य को जानकारी है तो वह कहें, वह जानकारी करा ली जाएगी।

Page No 10

श्री बालसिंह सोढा : बडे बड़े ट्रक करोड़ों रुपये के हैं उनको हेलीकोप्टर पर धूल उड़ाने के काम में लिया जा रहा है। राजस्थान सरकार सीमा की सड़कों का निर्माण न करके उन मशीनों को सिनेमा की फिल्म निर्माण के काम में लिया जा रहा है। सीमा सड़क को महत्व न देकर सिनेमा की फिल्म को महत्व दिया जा रहा है।

श्री माधोसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जानकारी करा ली जायेगी।

श्री दौलतराम सारण : क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि कौन कौन मशीनरी, कहां कहां, कितने कितने किराये पर आज तक दी गई है?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय, इस प्रश्न पर कई प्रश्न उठ गए हैं। प्रश्न अजीब भी मालूम होता है। जहां तक किराये का प्रश्न है, जो माननीय सदस्यों ने कहा, क्या आप सारी जांच कराने के लिए तैयार हैं? ताकि पता लगे कि कितने दिन और कितने समय के लिए दी गई हैं।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, आपने जो सूचना दी है...

श्री अध्यक्ष : जो सूचनाएं आपने दी हैं उनकी जांच करा ली जाएगी।।

(शोरगुल व्यवधान)

श्री विजयसिंह : (अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : (अश्रव्य)

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय फिर क्या मंत्री महोदय XXX?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इसको एक्सपंज कर दिया जाये। यह नया शब्द आया है। पहली बार आया है।

(शोरगुल अश्रव्य)

आर्डर आर्डर, प्लीज। माननीय सदस्य। इसको एक्सपंज किया जाये। यह बार बार नहीं आये। पहली बार ही आया है।

श्री दौलतराम सारण : यह तो श्रम का प्रतीक है।

श्री अध्यक्ष : आयन्दा नहीं आना चाहिए।

श्री केसरीसिंह हाडा (हिण्डोली) : अध्यक्ष महोदय, XXX ठीक है?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, बेकार मशीनों को उपयोग के लिए सरकार ने किराये पर दिया है, क्या वह नियम बेकार मन्त्रियों पर भी लागू हो सकता है?

श्री अध्यक्ष : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जो मशीनरी किराये पर दी हैं, वह भारत सरकार की हैं। क्या वह भारत सरकार को बिना पूछे किराये पर दी हैं?

श्री माधोसिंह : भारत सरकार की मशीनरी है। भारत सरकार ने हमको दी है। उसको किराये पर दी है। वह मशीनरी आईडिल पड़ी हुई थी। उसका उपयोग करके किराया वसूल किया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि यह मशीनरी भारत सरकार को काफी पहले ही सुपुर्द की जा चुकी है?

अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गये।

श्री अध्यक्ष : भारत सरकार के सुपुर्द की जा चुकी है फिर भी मशीनरी को किराये पर दिया है। इसको भी जांच में शामिल करलें।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, जांच किसके द्वारा कराई जाएगी ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रामसिंह कुड़ी।

श्री केसरीसिंह हाडा : माननीय मन्त्री भी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : अब वे नहीं कहेंगे।

प्रश्न सं. 72

श्री रामसिंह कुड़ी।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री नाथूलाल करोल।

थाना लालसोट में कब्जे में लिया गया ट्रेक्टर

73. श्री नाथूलाल करोल (जमवारामगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(1) क्या यह सही है कि थाना लालसोट की पुलिस द्वारा ट्रेक्टर नम्बर आर. एस. एल. 549 रेल्वे स्टेशन सवाई माधोपुर पर तारीख 16–1–69 को अपने कब्जे में किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि ट्रेक्टर के ड्राइवर और क्लीनर को भी थाना लालसोट लाया गया और उनसे ट्रेक्टर के कागजात लेकर उनको थाने से बाहर निकाल दिया और ट्रेक्टर को भी वहीं रख लिया ?

(3) क्या यह सही है कि इस ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन नारायण मीणा व बद्रीनारायण राव के नाम से है ?

(4) क्या यह सही है कि नारायण मीणा के साजेदार बद्रीनारायण के पास से इस ट्रेक्टर को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया और साजेदार बद्रीनारायण के दोनों भाई रामकरण और गोपाल जो ड्राइवर व क्लीनर का कार्य इस ट्रेक्टर पर उस समय कर रहे थे ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा):

(1) जी हां, दिनांक 18–1–69 को यह ट्रेक्टर सवाई माधोपुर में श्री वृद्धिचन्द मीणा के मकान से पुलिस द्वारा जब्त किया गया था।

(2) जी हां। ट्रेक्टर के साथ ट्रेक्टर के ड्राइवर को भी सवाई माधोपुर से थाना लालसोट तक लाया गया था, जहां से उसे फौरन वापिस भेज दिया गया। ट्रेक्टर के क्लीनर को ट्रेक्टर के साथ नहीं लाया गया। ट्रेक्टर के कागजात लिये गये थे।

(3) जी हां, यह सही है।

(4) जी नहीं। ट्रेक्टर श्री वृद्धिचन्द मीणा सवाई माधोपुर के घर से पुलिस ने कब्जा किया था और गोपाल उस समय उस ट्रेक्टर का ड्राइवर भी वहां मौजूद था। यह इल्म नहीं है कि श्री रामकरण इस ट्रेक्टर पर क्लीनर का काम करता था।

श्री नाथूलाल करोल : किस कानून के तहत आपने इस ट्रेक्टर को अपने कब्जे में लिया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : एक एफ. आई. आर. आया था कि यह दूसरे किसी का ट्रेक्टर है और उसका कुछ हिसाब वगैरा बाकी है, उस केस की तफतीश करने के लिये इस ट्रेक्टर को कब्जे में लिया गया।

श्री नाथूलाल करौल : क्या यह सही है कि उस ट्रेक्टर के मालिक दो पार्टनर्स थे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जब मालूम हुआ कि नारायण मीणा और बद्रीनारायण दोनों इस ट्रेक्टर में पार्टनर्स हैं और यह केस क्रिमिनल नेचर का न होकर सिविल नेचर का बनता है, तो केस में एफ. आर. देने का तय किया गया।

श्री नाथूलाल करौल : यह ट्रेक्टर इस वक्त किस व्यक्ति के पास है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, यह ट्रेक्टर किसी तीसरे व्यक्ति की सुपुर्दगी में दिया हुआ है। अदालत में पेश होने के बाद अदालत जैसा चाहेगी वैसे कर दिया जायगा।

श्री नाथूलाल करौल : यह ट्रेक्टर डेढ साल से नारायण मीणा के कब्जे में है और वह बद्रीनारायण रोता फिरता है। मैं आपसे अर्ज करूं ....

श्री अध्यक्ष : आप मुझसे क्या अर्ज कर रहे हैं ?

श्री नाथूलाल करौल : बद्री नारायण का भी उतना ही इस ट्रेक्टर पर हक था जितना कि नारायण मीणा का। तो नारायण मीणा को क्या हक था ट्रेक्टर अपने पास रखने का। इस ट्रेक्टर से जो इन्कम होती वह कौन भरेगा ?

श्री हीरालाल देवपुरा : दोनों की पार्टनरशिप में यह ट्रेक्टर था और पुलिस ने इसको तीसरे आदमी की सुपुर्दगी में दे दिया। अब इस केस में एफ. आर. दी जा रही है।

श्री नाथूलाल करौल : किस व्यक्ति की सुपुर्दगी में दिया गया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : नाम तो मुझे याद नहीं है।

श्री अध्यक्ष : पार्टनर्स को तो सुपुर्द नहीं किया गया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जी नहीं।

श्री नाथूलाल करौल : अदालत में इस केस को कब पेश किया गया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अदालत में चालान पेश नहीं किया गया। एफ. आर. पेश करेंगे क्यों कि यह केस सिविल नेचर का है।

श्री नाथूलाल करौल : अब एफ. आर. कब तक दे देंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री हरिवल्लभ शर्मा।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा सु.): अध्यक्ष महोदय, डेढ साल से यह ट्रेक्टर दूसरे व्यक्ति के पास है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री हरिवल्लभ शर्मा।

ट्रेक्टरों का एलाटमेंट

74. **श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)
कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा कृषकों को ट्रैक्टर्स कृषि करने हेतु सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराये जाते हैं ? यदि हां, तो ये ट्रैक्टर्स काश्तकारों का राज्य-स्तरीय किस एजेन्सी के माध्यम से एलाट किये जाते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि राज्यस्तरीय यह एजेन्सी जिला वाइज ट्रैक्टर्स का कोटा फिक्स करती है ? यदि हां, तो इस संस्था ने 30 अप्रेल सन् 70 तक डिस्ट्रिक्ट वाइज किस किस वर्ष कितने कितने ट्रैक्टर्स का कोटा फिक्स किया और इस कोटे में से किस किस जिले को किस किस कम्पनी के अब तक कितने कितने ट्रैक्टर्स दिये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि इस संस्था में ट्रैक्टर्स खरीदने के इच्छुक काश्तकार अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं और उनको जिले वार क्रमश. प्राथमिकता की दृष्टि से रजिस्टर कर लिया जाता है ? यदि हां, तो इस संस्था में अब तक कितने आवेदन पत्र रजिस्टर किए जा चुके हैं ? जिले वार जिस क्रम से आवेदकों के नाम रजिस्टर में अंकित हैं, सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि इस संस्था ने कुछ जिलों में तो जेटर ट्रैक्टर्स जो कि सस्ती कीमत के हैं एलाट किए जबकि अन्य जिलों में जेटर ट्रैक्टर काश्तकारों की मांग होते हुए भी अलाट नहीं किये ?

(5) क्या यह सही है कि जेटर ट्रैक्टर्स का खुले बाजार में भारी ब्लैक है और इसलिए इनके अलाटमेन्ट में वितरण करने वाली संस्था द्वारा काश्तकारों के साथ भारी पक्षपात बरता जाता है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इन ट्रैक्टर्स का न्यायोचित वितरण के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उप मंत्री, कृषि (श्री हरिसिंह) : अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई, इसलिये इस प्रश्न को स्थगित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मूलचन्द डागा।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : यह छोटी सी लिस्ट तैयार नहीं हो सकती थी ? स्थगित करने के आखिर क्या कारण हैं ?

श्री अध्यक्ष : क्या कारण हैं आप पोस्टपोन करवा रहे हैं ?

श्री हरिवल्लभ शर्मा : इसमें बड़ा घोटाला है।

श्री अध्यक्ष : घोटाला तो दीख रहा है।

श्री हरिसिंह : राजस्थान के 26 जिलों में इसके लिये रजिस्ट्रेशन होता है, उनके यहां से सूची मांगी है, इसमें समय लगेगा।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : हर ट्रैक्टर पर पांच पांच हजार रुपये का ब्लैक है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : यह सारी सूचना जयपुर में आपके पास उपलब्ध थी, कहीं बाहर से नहीं मंगवानी थी।

Page No 14

श्री हरिसिंह : सूचना एकत्रित कर रहे है और उसके बाद उत्तर दिया जायेगा।

श्री आईदानसिंह (भनिमाल) : क्या यह सही है कि पंचायत समितियों से सभी जिलों को वह लिस्ट भेज दी गई है। आपको केवल एक अप टु डेट लिस्ट पेश करनी थी।

श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर) : इन ट्रैक्टर्स पर काफी ब्लैक की गुंजाइश है, इसलिये कई बोगस नामों से एलाटमेंट होता है और बोनाफाइड काश्तकारों को ट्रैक्टर अलाट नहीं होते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री डागा।

श्री बालसिंह सोढा : मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री डागा।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, इसमें····

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री मूलचन्द डागा।

नगर पालिका पाली द्वारा सड़क पर सर्किल का निर्माण

75. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पाली शहर में सूरजपोल चौराहे पर पी. डब्लू. डी. की सड़क पर जनता द्वारा मना करने पर भी भूतपूर्व नगरपालिका पाली ने एक सर्कल बना दिया? यदि हां, तो किस तारीख को?

(2) क्या यह भी सत्य है कि अधिशासी अभियन्ता श्री नारायणलाल माथुर व चीफ इन्जनियर पी डब्लू. डी. ने समय समय पर इस सर्कल को बनने से रोका। यदि हां, तो कब कब उनकी आज्ञाएं निकली आज्ञाओं की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सत्य है कि बावजूद शुरू से मना करने पर भी भूतपूर्व नगरपालिका रात को बनाती रही और इस सर्कल को पूरा कर दिया। यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है?

(4) क्या यह सत्य है कि यह सर्कल किसी प्लान के अनुसार नहीं बना और इससे एक्सीडेंट हुए हैं। क्या अब भी सरकार इस सर्कल को हटाने का विचार रखती है। यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों नहीं?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : (1) जी हां, जनवरी 1968 में कार्य किया गया।

(2) कार्य रोकने का आदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों के क्षेत्र में नहीं आता।

(3) जी हां इस कार्य को कराने की जिम्मेदारी नगरपालिका पाली की है।

(4) सर्किल प्लान इस विभाग द्वारा नहीं बनाया गया।

एक्सीडेन्ट होने की कोई सूचना इस विभाग को नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : आप से पूछा था कि यह रोड म्युनिसिपेलिटी का है या पी. डब्लू. डी. का और आप गलत उत्तर दे रहे हैं।

श्री माधोसिंह : आपने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर दे दिया क्या गलत उत्तर दे दिया ?

श्री मूलचन्द डागा: एग्जीक्युटिव इंजनियर ने नगर पालिका को रोका या नहीं ?

श्री माधोसिंह : अध्यक्ष महोदय, हमने नहीं रोका, हम कलेक्टर को निवेदन करते हैं कि नगरपालिका को रोकें।

श्री मूलचन्द डागा : आपने कलेक्टर को लिखा था कि रोक दें ?

श्री माधोसिंह : लिखा था ।

श्री मूलचन्द डागा : तो कौनसी तारीख को लिखा था और क्या लिखा था, उसकी कापी क्यों नहीं दी है ? क्या पहले तीन ऐक्सीडेन्ट हुए थे या नहीं ?

एक माननीय सदस्य : क्या यह सही है कि जनता इसको नहीं चाहती है फिर भी.........

श्री अध्यक्ष: अभी कुछ भी सही नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : प्रतिलिपि क्यों नहीं दी आपने ?

श्री अध्यक्ष : आप उन्हें घबरा रहे हैं, प्रश्न का उत्तर तो आने दीजिये।

श्री मूलचन्द डागा: गलत उत्तर दे रहे हैं।

श्री माधोसिंह: कलेक्टर को लिखकर दिया था और निवेदन किया था कि म्यूनिसिपेलिटी को सर्कल हटाने के लिये आदेश दें और कलेक्टर ने म्युनिसिपेलिटीज को आदेश भी दे दिया। पी. डब्लू. डी के पास रोकने का कोई अधिकार नहीं है। हम केवल कलेक्टर से निवेदन कर सकते हैं और हमने कलेक्टर को इसलिये लिखा था और उन्होंने म्युनिसिपेलिटीज को भी लिखा, लेकिन उनके रोकते रोकते भी म्युनिसिपेलिटी ने वह सर्किल बना दिया।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमका थाना): आपके रोकने से क्या मतलब है ? क्या आप स्वयं जाते वहां रोकने के लिये ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज प्रश्न कर्ता।

श्री मूलचन्द डागा : सवाल यह है कि आपने कलेक्टर को कौनसी तारीख को लिखा ?

श्री माधोसिंह : 3-8-1968 को लिखा कि सर्कल बनने से रोका जाये क्योंकि वह टाउन प्लानिंग के नक्शे के मुताबिक नहीं है पर फिर भी नगर पालिका ने बना दिया और ..

श्री अध्यक्ष : वह आपने कह दिया, वापिस दुहरा रहे है। दूसरा कोई प्रश्न ?

श्री मूलचन्द डागा: 3-8-68 के बाद भी नगरपालिका ने कोई जवाब दिया कि नहीं ? आज भी इस सर्कल को हटाया जाये।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : कोई उत्तर आ रहा है ?

Page No 16

श्री मागीसिंह : हुकुम, हमने कलेक्टर को वापिस लिखा है और निवेदन किया है कि म्युनिसिपेलिटी ने जो सर्कल बनाया है उसको हटाया जाये। हमारा विभाग कोशिश कर रहा है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या यह सही है कि सर्कल बनने से वहां पर ऐक्सी-डेन्ट्स हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रूपसिंह।

पुलिस विभाग में तबादले

76. राजवी श्री रूपसिंह (सरदार शहर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या पुलिस विभाग में तबादले राजनैतिक आधार पर होते हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या जो तबादले व नियुक्तियां राजनैतिक आधार पर होती हैं उनको रोकने के लिए व शुद्ध प्रशासन देने के लिए सरकार कोई ठोस कदम उठा कर इस बुरी प्रथा को समाप्त करेगी?

राज्य मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्यों नहीं उठता?

राजवी श्री रूपसिंह : क्या यह सही है कि पुलिस विभाग में तबादले राजनैतिक आधार पर हुए हैं?

श्री हीरालाल देवपुरा : तबादले प्रशासनिक आधार पर किए जाते हैं।

राजवी श्री रूपसिंह : क्या यह सही है कि प्रशासनिक आधार पर तबादले नहीं करते और सी. एम. के थ्रू ये तबादले करवाते हैं?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : इसका उत्तर आना चाहिए। वाकई में तबादले राजनैतिक आधार पर होते हैं जिससे हमारे जिले में बहुत ज्यादा गड़बड़ हैं, इससे भ्रष्टा-चार को बढ़ावा मिलता है इसलिए आइन्दा इस प्रकार तबादले नहीं किए जायेंगे, ऐसा आश्वासन दिलाया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल मोदी।

श्री रामचन्द्र आर्य : मंत्री महोदय से कहलवाए। आश्वासन दिलवाईए।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्टस

क्रय-विक्रय संघ नीम का थाना के संचालक

77. श्री मोहनलाल मोदी (नीमका थाना) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्रय विक्रय संघ लिमिटेड नीमका थाना के संचालक आखरी बार किस तारीख को और कौन 2 रिटायर हुए संचालकों की स्थान पूर्ति के लिए निर्वाचन की कौनसी तारीख निश्चित की गई?

(2) क्या संचालकों के निर्वाचन की सूचना सम्बन्धित सदस्यों को दे दी गई थी?

Page No 17

(श्री मोहनलाल मोदी)
यदि हां तो कब और किन किन सदस्यों को व ग्राम सेवा सहकारिता समितियों को दी गई ?

(3) क्या क्रय विक्रय संघ के अंशधारियों को निर्वाचन की सूचना समय पर प्राप्त हो गई थी ? इस विषय से सम्बन्धित सारे कागजात सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि संचालकों ने निर्वाचन की कोई सूचना सदस्यों को नहीं दी एवं अपनी इच्छानुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति की ?

उपमन्त्री सहकारिता (श्री रामदेव सिंह): (1) नीमका थाना क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. के निम्न तीन संचालक आखरी बार उनके आगे लिखित तिथि को संचालक मण्डल से रिटायर हुए हैं :

(1)	श्री मामराज	13–10–69
(2)	श्री मखाराम	13–10–69
(3)	श्री गणेशराम	13–10–69

(2) जी हां। निर्वाचन की सूचना समस्त सदस्यों को 29-12-69 को दी गई थी, जिन सदस्यों एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों को सूचना दी उनकी सूची परिशिष्ट 'अ' पर सलग्न है।

(3) निर्वाचन की सूचना सदस्यों को अन्डर सर्टीफिकेट आफ पोस्टिंग दिनांक 29-10-69 को नियमानुसार दी गई थी, और यह उन्हे सामान्य रूप से मिल जानी चाहिए मतदाता सूची व साधारण सभा के नोटिस की प्रति परिशिष्ट ब व स पर संलग्न है।

(4) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, यह किसी भी सहकारी समिति को सूचना नहीं मिली है खाली कागजों में सूचना दिखाई गई है, वास्तविक रूप से किसी को सूचना नहीं दी गई है। हमेशा इस प्रकार के गलत चुनाव होते हैं, उपस्थिति होती नहीं है कागजों में चुनाव हो जाते हैं।

श्री रामदेव सिंह : सूचना सबको दी गई थी।

श्री मोहनलाल मोदी: इसकी जांच कराने के लिए तैयार हैं कि सूचना नहीं दी गई है और जबरदस्ती दिखाया गया है ?

श्री रामदेव सिंह : अगर आपको चुनाव के बारे में शिकायत है तो इलेक्शन पिटीशन की जा सकती है।

श्री मोहनलाल मोदी : किसी को जानकारी नहीं कि चुनाव कब कराए गए, तो फिर किसी प्रकार चुनाव याचिका की जाय ?

श्री रामदेव सिंह : मैंने तारीख बता दी।

श्री अध्यक्ष : श्री केशरी सिंह।

लाखेरी जल प्रदाय योजना

श्री केसरी सिंह हाडा (हिंडोली) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या लाखेरी (जिला बूंदी) कस्बे के पेय जल संकट के निवारणार्थ नगरपालिका को जल प्रदाय योजना के लिए राज्य सरकार ने चार लाख रुपए का ऋण जीवन बीमा निगम से दिलाया है ? यदि हां, तो कब ?

(2) जल दाय विभाग ने कुआ खोदने का जो कार्य शुरू किया वह नगरपालिका की सीमा में है या उसके बाहर ?

(3) क्या यह सत्य है कि ज्यों ही खुदाई का काम प्रारम्भ किया गया, ए. सी. सी. सीमेंट कम्पनी ने उक्त स्थान को अपना बतलाते हुए कार्य रोकने का नोटिस दे दिया है ?

राज्य मंत्री स्वास्थ्य (श्रीमती सुमित्रा) : (1) जी नहीं अभी तक कुल 2.21 लाख रुपए प्राप्त हुए है ।

0.73 लाख रुपए दि. 24-2-69 को, 1.48 लाख रुपए दि. 11-2-70 को ।

(2) नगरपालिका की सीमा में है ।

(3) जी हां ।

श्री केसरी सिंह हाडा : ए. सी. सी. सीमेंट फैक्ट्री लाखेरी ने किन कारणों से नगरपालिका को नोटिस दिया ?

श्रीमती सुमित्रा : मालूम नहीं लेकिन नोटिस वापस ले लिया है और काम प्रारंभ किया जा चुका है ।

श्री केसरीसिंह : काम चालू है ?

श्रीमती सुमित्रा : जी हां ।

श्री अध्यक्ष : श्री गंगा सहाय ।

अदालत के आदेशानुसार वेतन का भुगतान

79. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि सन् 1966 में कृषि अभियान्त्रिक मंडल के वर्क चार्ज कर्मचारियों की सेवायें समाप्त करदो गई थीं ? यदि हां, तो किसके आदेशों से तथा कितने कर्मचारियों की सेवायें समाप्त की गई ? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(2) क्या यह सही है कि विभाग की सेवायें समाप्त करने के आदेश को लेबर कोर्ट ने गलत माना तथा सन् 1969 में उपरोक्त समस्त निकाले गए कर्मचारियों को वापिस ड्यूटी पर लेना पड़ा ?

(3) क्या यह भी सही है कि इन कर्मचारियों को करीब साढ़े तीन साल की अवधि का पूरा वेतन कोर्ट के आदेशानुसार दिया गया है ? यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ?

(4) क्या इस भुगतान के लिए राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त करली गई थी ? यदि हां, तो स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रखी जाए ।

Page No 19

उत्तर

उप मंत्री कृषि (श्री हरिसिंह) : (1) जी हां। कृषि अभियन्ता एवं सचिव के आदेश से 19 कर्मचारियों की सेवायें समाप्त की गई। सूची सलंग्न है।

(2) सेवायें समाप्त किए गए कर्मचारियों में से एक कर्मचारी के अलावा सबके सेवा समाप्ति आदेश लेबर कोर्ट द्वारा गलत साबित किए गए जिन्हें वापस सन् 1969 में सेवा में ले लिया गया।

(3) जी हां। कुल 68,420.34 पैसे का भुगतान अब तक 15 कर्मचारियों को किया जा चुका है। बाकी तीन को भुगतान करने की कार्यवाही की जा रही है।

(4) लेबर कोर्ट के फैसले पर विधि विभाग ने अपने पत्र संख्या एफ. 39 (6) एल. ए./70 दिनांक 25-4-70 द्वारा इस मामले को अपील करने योग्य नहीं बताया अतः लेबर कोर्ट के फैसले के आदेशानुसार भुगतान किया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री गंगासहाय : क्या जिन अधिकारियों ने ये आदेश निकाले और जिनके कारण 68 हजार का भुगतान कर्मचारियों को करना पड़ा, उनके विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी? उन अधिकारियों ने नियमानुसार आदेश नहीं दिए, सेवा नियमों का अध्ययन नहीं किया और उसके कारण सरकार को इतना नुकसान हुआ, तो इसके लिए जो दोषी है, सरकार उन पर कार्यवाही करके दंड देगी?

श्री हरिसिंह : दोषी का सवाल नहीं है। यह मामला सबसे पहले 1966 में उठा था। मारपीट का इन्सीडेंट हो गया था, रात की शिफ्ट में कर्मचारियों की आपस में मारपीट व झगड़ा होने से विभाग ने निर्णय लिया कि जितने संबंधित कर्मचारी थे वर्क-चार्ज्ड बेसिस पर सबकी सेवायें समाप्त कर दी जायं। उसके बाद में उन्होंने लेबर कोर्ट में अपील की और वहां मेरिट्स के आधार पर उनको रिहा कर दिया गया और 1966 से 1969 तक जो समय था उसका लेबर कोर्ट के फैसले के आधार पर उनको पेमेंट किया गया।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : जब लेबर कोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय लिया मेरिट्स के आधार पर तो राज्य अधिकारियों ने यह ध्यान में पहले क्यों नहीं रखा? उन कारणों से कर्मचारी परेशान हुए सरकार को 68 हजार का भुगतान करना पड़ा, तो क्या सरकार उचित नहीं समझती कि ऐसे अधिकारी जो मेरिट्स को ध्यान में नहीं रखते, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय?

श्री हरिसिंह : मैंने उत्तर दे दिया है, विधि विभाग से पूरी जांच करवाई गई। आया इसमें सरकार ने जो एक्शन लिया उचित है या नहीं, आया इसके अन्दर भुगतान किया जाय या नहीं और विधि विभाग ने अपनी राय दी है कि लेबर कोर्ट ने जो फैसला दिया है वह सही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह बात इस बात को सिद्ध करती है कि जिन्होंने उनकी सेवायें समाप्त कीं, वह सेवा नियमों के खिलाफ कार्यवाही थी, विधि विभाग ने इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया कि लेबर कोर्ट का फैसला सही है,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अपील से फायदा नहीं तो सरकार को जो नुकसान हुआ 68 हजार का बगैर काम कराए उनको वेतन देना पड़ा तो आप उन अधिकारियों के खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लेते ? अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए उनको हटा दिया। अधिकारियों ने आरबीट्रेरिली एक्शन लिया, कानून के खिलाफ, सेवा नियमों के खिलाफ जिससे राज्य को यह हानि हुई, उनके खिलाफ आप क्या कर रहे हैं ?

श्री हरिसिंह : किसी अधिकारी को दोषी ठहराया जा सकता, उस समय जो अधिकारियों ने एक्शन लिया, परिस्थिति व समय के अनुसार उचित था। जो मैंने निवेदन किया मारपीट की उसमें किसने किसको लगाया और बरखास्त जब हुई तो मालूम नहीं पड़ा किसने किसको लगाया। एक कर्मचारी का मालूम हुआ उसका नाम बताया गया, उसकी पहचान हुई उसको पेमेंट नहीं किया गया।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या किसी विभाग में कर्मचारी आपस में लड़ें तो उनको बरखास्त कर दिया जाए सब को किसी विभाग के नियम हैं या वर्कशाप के नियम हैं कि कोई मजदूर या कर्मचारी आपस में लड़ें तो उनको बरखास्त कर दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष : नेक्सट।

शरणार्थियों की सहकारी समिति

80. श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बूंदी जिले में मांगली नदी के ऊपर पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों की एक कृषि सहकारी समिति का गठन हुआ था ? अगर हां, तो कब व उसके कितने व कौन 2 से सदस्य थे प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सहकारी समिति अवसायन में विभाग द्वारा घोषित की जा चुकी है ? अगर हां, तो कब ? कृपया उस आदेश की प्रति सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(3) उक्त अवसायन के पश्चात् उक्त फार्म पर कौन कौन प्रशासक व रिसीवर कब 2 नियुक्त किए गए ? कृपया सूची सदन की पटल पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त कृषि सहकारी समिति को भूमि का आवंटन किया गया था ? अगर हां, तो कब कब कितनी कितनी भूमि दी गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

5) उक्त रिसीवर अथवा प्रशासन ने कब कब कितनी कितनी राशि उक्त भूमि से फसल बेच कर प्राप्त की ? कृपया वर्ष व फसलवार सूची पटल पर रखें।

(6) उक्त रिसीवर अथवा प्रशासक ने कितना कितना कर्जा किस किस को कब कब चुकाया कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

उप मंत्री सहकारिता (श्री रामदेवसिंह): (1) जी हां, पाकिस्तान से आए शर

(श्री रामदेव सिंह)
शार्थियों की एक सहकारी कृषि समिति का पंजीयन दिनांक 10-1-50 को मांगली वेटर फार्मिंग कोआपरेटिव सोसाइटी लि. के नाम से किया गया था। पंजीयन के समय समिति के जो सदस्य थे उनकी सूची परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां, मांगली वेटर फार्मिंग कोआपरेटिव सोसाइटी लि. को उप रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, कोटा, के आदेश क्रमांक एफ. (176) सोसा. (डी. आर. के /58 65169 दिनांक 27-10-58 के द्वारा अवसायन में लाया गया। उपरोक्त अवसायन आदेश की प्रतिलिपि परिशिष्ठ 'ब' पर उपलब्ध है।

(3) इस समिति में अब तक किसी प्रशासक की नियुक्ति नहीं हुई है, हां राज्य सरकार, सहकारी विभाग को आज्ञा क्रमांक एफ. 3 (24) कोपा। 1/70 दिनांक 31-3-70 द्वारा सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, बूंदी को समिति का रिसिवर नियुक्त किया गया था। रिसिवर की नियुक्ति रिवीजन पिटीशन पर को गई थी।

(4) जी हां मांगली वेटर फार्मिंग कोआपरेटिव सोसाइटी लि. को दिनांक 4-2-50 व 17-2-50 को क्रमशः 493 बीघा 6 बिस्वा व 403 बीघा 3 बिस्वा भूमि अलाट हुई थी।

(5) रिसीवर की नियुक्ति दिनांक 31-3-70 को हुई है। रिसीवर ने 2 5-70 को समिति की भूमि अपने अधिकार में ले ली है और इस वर्ष फसल से राशि की प्राप्ति फसल के बेचने के पश्चात् ही संभव है। फसल बेची नहीं गई है।

(6) रिसीवर की नियुक्ति को थोड़ा समय हुआ है अतः रिसीवर द्वारा कोई कर्जा नहीं चुकाया गया।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि इस सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन सन् 1950 में हुआ था और 1958 के अन्दर जिसको राज्य सरकार ने अवसायन के अन्दर लिया है, वह अवसायन में इसलिए लिया गया था कि इसके जितने भी सदस्य थे वह सहकारिता के रूप में खेती नहीं करके निजी रूप से हाली से करवाते थे और सरकार का कर्जा नहीं चुका पाते थे इसलिए अवसायन किया गया ?

श्री रामदेवसिंह : अवसायन में नियम के अनुकूल काम नहीं किया।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अवसायन में लेने के कारण सोसाइटी में जो 24 सदस्य थे वे सहकारिता के आधार पर काम न करके निजी स्तर पर पांति में काश्त करते थे इस तरह से राजस्थान सरकार रिहेबीलिटेशन डिपार्टमेण्ट का कर्जा पड़ा हुआ है ?

श्री रामदेवसिंह : यह बात सही है कि आर्थिक स्थिति बिगड़ी जा रही थी इसलिये इसको अवसायन में लिया गया।

श्री कृष्णकुमार गोयल : 58 से लेकर अब तक कितनी बार लिक्वीडेटर नियुक्त किया गया ?

श्री रामदेवसिंह : चार दफा लिक्विडेटर नियुक्त किया गया।

Page No 22

श्री कृष्णकुमार गोयल : 58 में लिक्विडेशन में लिया रिसीवर 70 में नियुक्त किया, चार चार लिक्विडेटर नियुक्त किये एक तो 58 में को-आपरेटिव एक्सटेन्शन ऑफिसर बून्दी। 13-1-64 को भगवती प्रसाद फिर कन्हैया लाल शर्मा उसके बाद मिसेज चतुर्वेदी ये चार लिक्वीडेटर नियुक्त किये थे क्या यह सही है ?

श्री रामदेवसिंह : इस सोसाइटी के लिये लिक्वीडेटर नियुक्त हुये यह सही है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : किसी लिक्विडेटर ने आपको रिपोर्ट दी क्योंकि इस सोसाइटी का कोई हिसाब किताब नहीं है न किसी ने जमीन को कब्जे में लिया और न किसी ने सरकार के कर्जे को चुकाया ?

श्री रामदेवसिंह : आंकड़े मांगे गये थे लेकिन वे आये नहीं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : चारों लिक्विडेटर ने इस सहकारी समिति के बारे में कोई रिपोर्ट दी थी ?

श्री रामदेवसिंह : मैंने निवेदन किया रिपोर्ट हमने मांगी है अभी तक नहीं आई।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह प्रत्येक लिक्विडेटर के लिये आवश्यक था कि वह अपनी रिपोर्ट दे ?

श्री रामदेवसिंह : जी हां।

श्री कृष्णकुमार गोयल : लिक्विडेटर्स ने रिपोर्ट नहीं दी तो आप उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री रामदेवसिंह : राज्य सरकार के यह अभी थोड़े दिन पहले मामला ध्यान में आया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सन् 58 से 900 बीघा जमीन कोआपरेटिव सोसायटी के नाम पर मिली थी उस पर हजारों रुपयों का कर्जा लिया गया वहां पर कोआपरेटिव फार्मिंग नहीं हो रहा है केवल चार पांच आदमी ही उस जमीन को हड़प कर बैठ गये हैं। जितने भी लिक्विडेटर भेजे गए उन चारों ने किसी प्रकार भी एक पैसे का हिसाब नहीं रखा।

श्री अध्यक्ष : क्या इसको आपको जानकारी है ?

श्री रामदेवसिंह : लिक्विडेटर से रिपोर्ट मांगी है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : 58 से लेकर 70 तक लिक्विडेटर्स की रिपोर्ट नहीं आयी है तो सरकार उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रामदेवसिंह : सरकार द्वारा थोड़े ही दिन पहले लिक्विडेटर्स को नोटिस दिया गया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : 58 में अवसायन की कार्यवाही की गई तो क्या राज्य सरकार के विभाग को कोई ज्ञान नहीं था इस सोसायटी के बारे में ?

सहकारिता मंत्री (श्री अमृतलाल यादव) : रिफ्यूजिज को जो जमीन अलोट होती है उसमें एक सवाल सामने रहता है इनके क्लेम्स होते हैं पाकिस्तान में जो प्रोपर्टी छोड़कर आये या

Page No 23

(श्री अमृतलाल यादव)
जमीन छोड़कर आये उनके जमीन के क्लेम्स के अरेन्जमेन्ट एडजेस्ट करने की बात थी । जो लिक्वीडेटर्स मुकर्रर किये गये उन्होंने अपना काम अन्जाम नहीं दिया । दूसरी जब लिक्वीडेटर के कार्य से सन्तोष नहीं था तभी तो रिसीवर मुकर्रर किया जाना अनिवार्य समझा ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : किसी भी लिक्वीडेटर ने कोई अकाउन्ट नहीं दिया क्या यह सही है ?

श्री अमृतलाल यादव : इसीलिए तो रिसीवर मुकर्रर हुआ है तो इस सारे मामले को देखेगा रिफ्यूजीज के कितने क्लेम्स थे कितने नहीं थे । लिक्वीडेटर को जवाब देना चाहिए । सरकार के कस्टोडियम फण्ड में किसका कितना रुपया जमा है उसके एडजस्टमेण्ट का सवाल आता है लिक्वीडेटर ने अपना काम ठीक प्रकार से अन्जाम नहीं दिया । यह प्रश्न कर्ता की सही बात है यह मैं मानता हूँ इसीलिए इसकी जांच जरूरी हो गई अगर इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी पायी गई तो हम उन से वह जमीन लेकर रेवेन्यू विभाग को सौंप देंगे ताकि वह भूमिहीनों में बांटी जा सके । इतनी बात के लिए जांच होना अवश्यक है इसीलिए रिसीवर नियुक्त किया है उसमें जांच करा लेंगे उसमें किसी प्रकार की भी गड़बड़ी पायी गई तो वह जमीन वापिस लेकर राजस्व विभाग को हस्तान्तर कर देंगे ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अब तक रिसीवर मुकर्रर नहीं करने के क्या कारण थे और अब क्या इतनी जल्दी पड़ गई ?

हम यह जानना चाहते हैं कि 58 से लेकर 70 तक आपने रिसीवर क्यों नहीं मुकर्रर किया ? आज हालत यह हो गई कि 900 बीघा जमीन कमाण्ड एरिया की तीन-चार आदमियों ने हड़प ली है जिनको राजनैतिक संरक्षण मिला हुआ है । 23 रिफ्यूजी परिवार में यह जमीन दी गई थी आज उनमें से एक भी रिफ्यूजी परिवार का कब्जा नहीं है । उस सोसायटी की जायदाद का पता नहीं फसल का पता नहीं ?

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या यह सही है कि सरकारी विभाग के अधिकारी हर वर्ष प्रत्येक सहकारी समिति का निरीक्षण करते हैं क्या यह भी सही है कि प्रत्येक सहकारी समिति का प्रति वर्ष आडिट भी होता है यदि उसमें किसी प्रकार अवैधानिकता पायी गई है तो क्या कोई कानूनी कार्यवाही आपने की है ?

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : इन सारी बातों की जानकारी इनके पास कहां है ।

श्री रामदेव सिंह : नियम इस प्रकार के हैं इसीलिए लिक्वीडेटर मुकर्रर करते गये हैं लेकिन उन्होंने किसी ने समय पर रिपोर्ट नहीं दी ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : हरेक लिक्वीडेटर को 58 से लेकर 68 तक जो नियुक्त किया राज्य सरकार के पास उसने रिपोर्ट नहीं दी उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

श्री रामदेवसिंह : मैंने निवेदन किया सारी जांच होने के बाद जैसी रिपोर्ट आयेगी एक्शन लिया जावेगा ।

Page No 24

श्री कृष्णकुमार गोयल : इसमें पहले तो जांच का सवाल पैदा ही नहीं होता कोआपरेटिव सोसायटी रजिस्टर्ड सोसायटी है और उस पर सरकार ने चार बार दफा लिक्वीडेटर नियुक्त कर दिया वही रिपोर्ट नहीं देते हैं उस जमीन का कब्जा नहीं लेते हैं शेयर होल्डर्स का हिस्सा नहीं लेते। अब 70 में जाकर आपने रिसीवर अपोइण्ट किया है। तो लिक्वीडेटर्स आपने नियुक्त किये थे तो उनसे सारी जानकारी आपको प्राप्त होनी चाहिए इसमें जिन अधिकारियों ने लापरवाही बरती है क्या आप उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री अमृतलाल यादव : मैंने आपसे निवेदन किया सरकार ने समय समय पर लिक्विडेटर नियुक्त किये हैं उसके बाद में भी जब सफलता नहीं मिली हमने रिसीवर मुकर्रर किया हमने लिक्विडेटर्स से भी रिपोर्ट मांगी है रिपोर्ट नहीं आती है तो और कोई चारा नहीं उनके अगेन्स्ट कार्यवाही करें। लेकिन वह भी तो रेकार्ड के बेसिस पर कार्यवाही होगी। इसके बारे में जब जांच रिपोर्ट आ जायगी उनके खिलाफ जो कुछ कानूनी कार्यवाही संभव होगी वह की जायगी।

इसके अलावा अगर जमीन अन-डिजर्विंग लोगों के पास है तो वह उनसे लेकर राजस्व विभाग को भूमिहीनों को देने के लिये दे दी जावेगी।

(12 मध्यान्ह)

श्री कृष्णकुमार गोयल। क्या यह सही है कि 70 में रिसीवर नियुक्त किया गया और उसमें 900 बीघा जमीन है उस जमीन पर अभी तक कब्जा नहीं किया गया हैं और उस पर पैदा हुई फसल पर कब्जा अभी तक नही किया गया है।

श्री रामदेव सिंह: रिसीवर ने पूरी जमीन पर कब्जा ले लिया हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : चम्बल कमाण्ड की जमीन है और फसल थी चावल और गेहूं की उस पर रिसीवर ने कब्जा नहीं लिया है।

श्री रामदेवसिंह : इसकी जानकारी अभी तक मेरे पास में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

इसकी जांच कर लीजिये।

श्री प्रेम सिंह सिंघवी (छबड़ा) : मेरा प्रश्न रह गया।

श्री अध्यक्ष : बहुत, रह गये हैं।

श्री प्रेमसिंह : कभी कभी तो नम्बर आता है।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझार सिंह।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय मैं मनोहरथाना . . .

श्री रामचन्द्र आर्य : हमारे क्वेश्चन बाकी रह जाते हैं और उनका उत्तर तक नहीं दिलवाया जाता है।

श्री अध्यक्ष : याचिका रखने दीजिये। आर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र आर्य : सदन में उत्तर नहीं आता है तो मेहरबानी करके उत्तर तो दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

सहकारी विभाग के निरीक्षक एवं सहायक निरीक्षक

72. **श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) :** क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सहकारी विभाग के निरीक्षकों एवं सहायक निरीक्षकों को उनके स्वयं के जिले में नहीं रखने का विभाग का आदेश है ? यदि हां, तो किस किस जिले में अभी कितने ऐसे अधिकारी काम कर रहे हैं, जो उसी जिले के हैं ?

(2) यदि ऐसे आदेश अभी लागू नहीं है, तो कब से लागू नहीं हैं ?

उत्तर

(1) सहकारी विभाग के केवल निरीक्षकों व उससे ऊपर के अधिकारियों के लिये ही ऐसे आदेश हैं कि वे अपने जिले में नहीं रखे जावें, सहायक निरीक्षक इन आदेशों से मुक्त हैं। ये आदेश विभाग द्वारा नहीं बल्कि राज्य सरकार द्वारा प्रसारित किये गये हैं। इस समय जो अधिकारी अपने जिले में कार्य कर रहे हैं, उनकी सूची संलग्न है।

(2) ये आदेश अभी लागू है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

टोंक जिले की मार्केटिंग सहकारी समितियां

83. **श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) :** क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) टोंक जिले में कितनी मार्केटिंग सहकारी समितियां हैं ? इनका चुनाव कब हुआ था ?

(2) किस किस समिति का काम ठीक चलता है और किस किस में विभाग की दृष्टि से खराब ?

(3) निवाई मार्केटिंग सहकारी समिति के खिलाफ गबन के कितने केस पुलिस में दर्ज हैं व किस किस प्रकार के कब से ? विभाग की ओर से क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(4) क्या निवाई मार्केटिंग सहकारी समिति के खिलाफ विभागीय जांच भी की गई थी ? यदि हां, तो किस के द्वारा कब और इसका क्या परिणाम निकला ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या निवाई मार्केटिंग को गोदाम निर्माण के लिए रुपया दिया गया था ? यदि हां, तो कब व कितना ? क्या गोदाम का निर्माण हो गया है ? यदि हां तो वह रुपया कहां गया ?

(6) क्या निवाई मार्केटिंग सहकारी समिति पर विभाग द्वारा प्रशासक नियुक्त कर दिया है ? यदि हां, तो कब और प्रशासक ने कब से काम चालू किया है?

Page No 26

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(7) क्या निवाई मार्केटिंग सोसाइटी की दुकान व दफ्तर पर सील लगी हुई है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ? जब दुकान बन्द है तो कर्मचारी क्या काम करते हैं, उनको क्या माहवार वेतन कहां से दिया जाता है ?

(8) क्या निवाई मार्केटिंग सहकारी समिति पर सेल्स टेक्स 25 हजार रुपया बकाया है ? यदि हां, तो कब से व उनका भुगतान क्यों नहीं किया गया ?

(9) अब इस समिति पर विभाग का व अन्य विभागों का कितना रुपया किस किस प्रकार का बकाया है व कब से ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(10) क्या यह भी सच है कि समिति पर 100 बोरी ज्वार खाद्य निगम व मूंगफली आदि के कई गबन के मामले हैं ? यदि हां, तो जिनके द्वारा यह किया गया है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

(11) क्या सरकार इस समिति को अवसायन में लेने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) टोंक जिले में निम्न 4 मार्केटिंग सहकारी समितियां है। इनके चुनाव कब हुये, उसकी तिथि उनके आगे अंकित है —

(1) निवाई क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., 3-10-67

(2) देवली क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., 22-1-70

(3) टोंक कोपरेटिव मार्केटिंग सोसा. लि., 14-3-70

(4) मालपुरा क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., 1-3-70

(2) विभाग की दृष्टि में अपेक्षाकृत देवली एवं मालपुरा क्रय-विक्रय सहकारी समिति का कार्य संतोषप्रद है एवं निवाई व टोंक मार्केटिंग सोसायटी का नहीं।

(3) निवाई क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., के खिलाफ कोई गबन का मामला नहीं है, किन्तु निम्न 7 मामले दुरुपयोग के पुलिस में दिये गये हैं, जिनकी तफतीश जारी है :—

क्रम सं. 1	मामले का विवरण 2	राशि जिसका दुरुपयोग हुआ 3
1.	व्यवस्थापक द्वारा टोंक क्रय-विक्रय स. स. लि. से 1100/- एवम् 200/- रु. लाकर समिति की कैश बुक में इन्द्राज नहीं होने के बाबत	1300.00
2.	व्यवस्थापक द्वारा भारतीय खाद्य निगम की धनराशि का दुरुपयोग	12911.04
3.	श्री राजेन्द्र कुमार (भतीजा श्री भगवानदास टोडवाल, व्यवस्थापक) को एडवान्स दी गई राशि	3144.48
4.	श्री भगवानदास टोडवाल व्यवस्थापक द्वारा स्वंय समिति की राशि अपने पास लेकर	2828.60

(सहकारी मंत्री)

1	2	3
5.	वर्ष 60-61 में मिले गोदाम ऋण व अनुदान राशि का व्यवस्थापक द्वारा दुरुपयोग (शेष राशि जो समिति ने राज्य सरकार को नहीं चुकाई है)	12920.00
6.	जयपुर की फर्म आसूदामल हुकुमत राय से समिति को राशि वसूलकर व्यवस्थापक द्वारा अपने पास रखने एवं कुछ अर्से बाद समिति में जमा कराने बाबत	5500.00
7.	जयपुर की फर्म आसूदामल हुकुमत राय से समिति की राशि वसूल कर व्यवस्था द्वारा अपने पास रखने एवं कुछ अर्से बाद समिति में जमा कराने बाबत।	1036.03
		39640.15

विभाग द्वारा उक्त दुरुपयोग के केसों की जानकारी प्राप्त होने पर फरवरी, 69 में सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां टोंक द्वारा एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई। इन केसों पर पुलिस द्वारा तफतीश की जा रही है।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां। गोदाम निर्माण है वर्ष 60–61 में रुपये 18,750/– ऋण व 6,250/– रुपये अनुदान दिया गया था। गोदाम का निर्माण नहीं हुआ है। इस धन-राशि में से समिति ने गोदाम ऋण व अनुदान के पेटे क्रमशः 6,250/- व 5,830/– रुपये वापिस चालानों द्वारा राज्य कोष में जमा करा दिए हैं। शेष रुपये 12,920/– के लिए व्यवस्थापक के विरुद्ध धन के दुरुपयोग के लिए मामला पुलिस में चल रहा है।

(6) जी हां। प्रशासक की नियुक्ति दिनांक 12–9–69 को की गई तथा 29–9–69 को प्रशासक ने अपनी ड्यूटी एज्यूम कर कार्य प्रारम्भ कर दिया।

(7) जी नहीं। सिर्फ पुरानी दुकान में समिति के रिकार्ड की अलमारी पर पुलिस द्वारा 21-9-69 को सील लगाई गई थी। यह सील आडिटर को आडिट हेतु समिति का रिकार्ड व्यवस्थापक द्वारा नहीं दिये जाने पर लगाई गई थी। आडिटर की रिपोर्ट पर सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, टोंक ने सहकारी अधिनियम की धारा 37 (2) (3) के तहत फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से सर्च वारण्ट प्राप्त कर पुलिस द्वारा समिति के रिकार्ड को आलमारी पर सील लगवाई। समिति की पुरानी दुकान जिस पर कार्य होता था, वह बन्द है। प्रशासक द्वारा अन्य दुकान माह जनवरी, 70 से किराये पर लेकर कार्य कराना शुरू कर दिया है। प्रशासक ने एक कर्मचारी को समिति के कार्य को देखने हेतु 95/- रु. प्रति मास पर जनवरी, 70 से नियुक्त किया है। समिति के पुराने कर्मचारी कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। इन्हें कोई वेतन प्रशासक द्वारा नहीं दिया जाता है।

(सहकारी मंत्री)

(8) निवाई क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. पर सेल्स टेक्स विभाग द्वारा 25.000/- के सेल्स टेक्स की डिमाण्ड दी थी। इस डिमाण्ड पर समिति ने अपील की तथा इस बकाया सेल्स टेक्स का दुबारा एसेसमेन्ट करने के आदेश हो गये हैं किन्तु अभी तक दुबारा एसेसमेन्ट नहीं हुआ, जिससे यह स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में कितना सेल्स टेक्स का रुपया बकाया है। इसी कारण अभी तक इस बकाया सेल्स टेक्स का चुकारा नहीं किया गया है।

(9) निवाई क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. पर विभाग व अन्य विभागों की बकाया निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	विभाग जिसका बकाया है
1	2
(1)	राज्य सरकार का गोदाम ऋण का बकाया।
(2)	राज्य सरकार का गोदाम का अनुदान बकाया।
(3)	फूड कोरपोरेशन का बकाया।
(4)	राजस्थान क्रय विक्रय संघ लि. की खाद की बकाया राशि।

वर्ष जब से बकाया है	राशि जो बकाया है
3	4
60–61	12,500/-
60–61	420/-
67–68	12,911/-
वर्ष 64 से	1,56 208/-
	1,82,039/-

(10) जी हां। श्री भगवानदास टोड़वाल के विरुद्ध फूड कोरपोरेशन को 100 बोरी ज्वार, क्वालिटी इन्सपेक्टर, फूड कोरपोरेशन, निवाई द्वारा एफ. आई. आर. पुलिस निवाई में दर्ज कराई है, जिसकी तफ्तीश जारी है। मूंगफली के गबन का कोई मामला नहीं है।

(11) जी नहीं। यदि समिति निकट भविष्य में सुचारू रूप से कार्य करने लगेगी तो इसे अवसायन में लाने की आवश्यकता नहीं होगी।

श्यामसुन्दर एण्ड कम्पनी हनुमानगढ़

84. श्री भैरोंसिंह (किशन पोल, जयपुर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्यामसुन्दर एण्ड कम्पनी हनुमानगढ जिसको दिनांक 2-6-51 को अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के अन्तर्गत गंगानगर जिले के गंगागढ़ ग्राम में 150 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था, उसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ था और उसके सदस्य कौन कौन हैं ?

(2) क्या यह सही है कि भूतपूर्व विधायक चौधरी श्री रामचन्द्र की शिकायत पर तत्कालीन एस. डी. ओ. श्री गांधी ने दिनांक 1-6-56 को जिलाधीश गंगानगर को लिखा कि उपरोक्त सदस्यों में कोई भी काश्तकार नहीं है, अतः यह आवंटन रद्द किया जाना चाहिये ?

(3) क्या यह सही है कि दिनांक 14-5-57 को डाईरेक्टर कोलोनाईजेशन ने संबंधित तहसीलदार को आदेश दिया कि यह भूमि केवल आराजी काश्त के लिये दी गई थी अतः अब इनको बेदखल किया जाय ?

Page No 29

(श्री भैरोंसिंह)

(4) क्या यह सही है कि दिनांक 10.8.60 को तहसील हनुमानगढ द्वारा उपरोक्त कम्पनी को बेदखली तथा 4531)||| का तावान वसूल की कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

(5) क्या यह सही है कि दिनांक 20-9-61 को एस. डी. ओ. ने श्री श्यामसुन्दर जो इस कम्पनी के मुखिया बने हुए थे के दावे को प्रार्थना पत्र मानकर काश्तकारी कानून की धारा 15 के अन्तर्गत खातेदारी हकूक दे दिये ?

(6) एस. डी. ओ. के इस गलत निर्णय की अपील क्यों नहीं की गई ?

(स्थगित किया गया)

अंगूर की खेती के लिए किसानों को ऋण

85. श्री **राम चन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में अंगूरों की खेती कितने बीघा जमीन में होती है और कहां कहां पर कितने बीघा में ?

(2) क्या यह सही है कि अंगूरों की खेती के लिये राज्य सरकार ने किसानों को कर्ज भी दिया है ? यदि हां, तो कुल कितना कर्ज किस किस को कब कब दिया गया है ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

सरदारगढ में भूमि पर नाजायज कब्जे

86. श्री **रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील सूरतगढ के गांव सरदारगढ की भूमि पर काफी तादाद में नाजायज कब्जे हैं ? यदि हां, तो यह कौन से सन् से काबिज है और कितने काश्तकारों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है ? कब्जा भूमि व नाम काश्तकार के वर्णन सहित सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि जिस भूमि पर काश्तकारों का नाजायज कब्जा माना जा रहा है उन काश्तकारों को तहसील सूरतगढ रेवेन्यू से भूमि अलाट की गई थी ? यदि हां, तो कौन से सन् में एक साला अलाट की गई ? नाम वाईज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त काश्तकारों का एक साला अलॉट शुदा रकबा भाकरा उपनिवेशन विभाग द्वारा खारिज किया गया था ? यदि हां, तो कौन से सन् में खारिज किया और कितने काश्तकारों का खारिज किया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित किया गया)

भाखरा क्षेत्र में काश्तकारों द्वारा भूमि का बेचान

87. श्री **रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील नोहर भादरा के भाखरा क्षेत्र में कितने काश्तकारों ने सन् 1968 की 1 जनवरी से 31 जुलाई तक भूमि बेची

(श्री रामचन्द्र आर्य)
है तथा कितनी किस भाव पर बेची है ? ग्रामवाइज सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(2) क्या यह सही है कि उन्हें किश्त की अदायगी न होने की सूरत में भूमि खारिज करने का नोटिस दिया गया था जिससे काश्तकारों ने भयभीत होकर अपनी भूमि को बेचकर सरकारी किश्तें जमा करा दी हैं ?

(3) नोहर भादरा तहसीलों में वर्ष 1968 में कुल कितने रुपये भूमि की किश्तों के रूप में जमा हुए और बाकी कितने हैं ?

(4) क्या यह सही है कि भूमि की किश्त अदा न होने से काश्तकारों की भूमि खारिज कर दी गई है ? यदि हां, तो कितने काश्तकारों की भूमि खारिज हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

उत्तर

(1) तहसील नोहर व भादरा के क्षेत्र में सिर्फ तहसील नोहर में सन् 1968 की 1 जनवरी से 31 जुलाई तक 76 काश्तकारों ने 2998)4 बीघा बेची है जिसकी सूची ग्राम वाईज व कीमत सहित संलग्न है । इस बेचान की रजिस्ट्री औसत नहरी 750) रु. प्रति बीघा व बारानी 450) रु. प्रति बीघा के हिसाब से हुई है । (क)

(2) बाकीदारों को किश्तों की अदायगी के नोटिस दिये गये थे और यह भी कहा गया था कि यदि बाकी रकम नहीं दी गई तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी यह कहना संभव नहीं है कि बाकीदारों ने भयभीत होकर जमीन बेची अथवा नहीं ।

(3) तहसील नोहर में वर्ष 1968 में 24,68,451 रुपये किश्तों के रूप में जमा हुए हैं व 12,97,720 रु. बाकी हैं और तहसील भादरा में 1,14,831 रु. जमा हुए व 77,175 रु. बाकी हैं ।

(4) जी हां । जिन काश्तकारों ने किश्त जमा नहीं कराई थी उनकी भूमि खारिज कर दी गई थी । तहसील नोहर में 16 काश्तकार हैं जिन्होंने भूमि नलामी में ली थी उनकी भूमि 4-12-67 को अतिरिक्त जिलाधीश द्वारा खारिज की गई थी इसके बाद 12 काश्तकारों के बकाया किश्तें जमा कराने पर उनका रकबा बहाल कर दिया गया । बाकी चार काश्तकारों ने अभी तक किश्तें जमा नहीं कराई इसलिये उनका रकबा बहाल नहीं किया गया सूची संलग्न है (ख)

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कर्मचारियों द्वारा मंत्रियों की सलाह से कार्य करना

88. श्री रूपसिंह (सरदारशहर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में रेवेन्यू पुलिस व कैनाल डिपार्टमेंट के आफिसरों के अलावा एस. पी. व कलेक्टर के तबादले भी जिले के मंत्रियों के कहने के मुताबिक किये जाते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि एस. पी. सुपरिन्टेन्डेन्ट इंजीनियर व कलेक्टर से लेकर

(श्री रूपसिंह)

नीचे तक कर्मचारी सरकारी काम उपरोक्त मंत्रियों को पूछ कर व उनकी इच्छा के मुताबिक करते हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि जो सरकारी कर्मचारी उपरोक्त मंत्रियों की इच्छा के मुताबिक काम नहीं करते उनके तबादले फौरन कर दिये जाते हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं, किसी भी विभाग के ऑफिसरों के तबादले इस प्रकार नहीं होते।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

तहसील लाडनूं में राजनैतिक पीड़ितों को सहायता

89. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

तहसील लाडनूं, जिला नागौर के किन किन व्यक्तियों को राजनैतिक पीडित सहायता नियमों के अन्तर्गत पेन्शन दी जाने की स्वीकृति राज्य सरकार ने कब कब दी और उनको पेन्शन का भुगतान कब कब शुरू हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

तहसील लाडनूं जिला नागौर के श्री सांवतसिंह पुत्र श्री सक्तसिंह एवं श्री लादूराम पुत्र श्री हेमाराम को दिनांक 5-12-69 द्वारा प्रत्येक को 50) रु. मासिक पेंशन की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रेषित कर दी गई है। पेंशन का भुगतान अभी आरम्भ नहीं हुआ है क्योंकि दोनों प्रार्थियों ने अभी तक अपने अपने संबंध में वांछित पहचान के प्रमाण-पत्र जिलाधीश, नागौर द्वारा प्रमाणित करा महालेखाकार, राजस्थान को नहीं भेजे हैं। जिलाधीश, नागौर ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या एफ. 40(4)ज्यूडी-68-3259 दिनांक 28-4-70 द्वारा दोनों प्रार्थियों को पहचान प्रमाण-पत्र शीघ्र भेजने हेतु निवेदन भी किया है।

तहसील मांडलगढ में राजनैतिक पीड़ितों को सहायता

90. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मांडलगढ़ तहसील में कुल कितने राजनैतिक पीडित हैं ? नाम बताने की कृपा करें।

(2) किस किस राजनैतिक पीडित को कितने कितने वर्ष की जेल हुई और उन सब की आयु क्या है ?

(3) क्या राजनैतिक पीडितों को मासिक सहायता मिलती है ? यदि हां, तो किस किस को कितने रुपये मासिक मिलते हैं ?

(4) क्या किसी को नकदी की एवज में जमीन भी दी गई है ? यदि हां, तो किन किन को और कहां कहां ?

(5) क्या राजनैतिक पेंशन राजनैतिक व्यक्ति के स्वर्गवास होने के बाद भी उसके

Page No 32

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
परिवार वालों को निरन्तर मिलती रहेगी ? यदि मृत्यु होते ही नकदी सहायता मिलनी बन्द हो जायगी तो क्या इसी आधार पर जिन जिन को जमीन दी गई है उनकी मृत्यु होते ही जमीन वापिस ले ली जायेगी ?

उत्तर

(1) तहसील मांडलगढ़ जिला भीलवाड़ा के राजनैतिक पीड़ितों की सूचना संलग्न सूची में अंकित है ।

(2) संलग्न सूची में उनके जेल जाने तथा आयु की सूचना अंकित है ।

(3) जी हां, संलग्न सूची में मासिक सहायता अंकित है ।

(4) जी हां, श्री गणपतलाल वर्मा को तहसील मांडलगढ़ के दुल्हे सिंह जी का खेडा नामी ग्राम में 25 बीघा सिंचित भूमि दी गई है ।

(5) जी नहीं । परिवार वालों के आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने पर नियमानुसार विचार किया जाता है । राजनैतिक पीड़ित की मृत्यु के पश्चात् जमीन वापिस लेने का कोई नियम नहीं है ।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

हरियाणा में मध्यवर्ती चुनावों में राजस्थान के मंत्रियों द्वारा प्रचार

91. **श्री रूपसिंह** (सरदारशहर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) हरियाणा के मध्यवर्ती चुनावों में राजस्थान से कौन कौन से मंत्री कांग्रेस की तरफ से प्रचार करने के लिये हरियाणा गये और किस तारीख से किस तारीख तक वहां रहे ? इस अर्से का टी. ए., डी. ए. राजस्थान सरकार से लिया था या नहीं ? यदि लिया तो कितना कितना ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) वे वहां निजी जीपों व कारों पर गये या सरकारी जीपों व कारों में गये ? अगर सरकारी वाहन इस्तेमाल किया तो उस पर पैट्रोल, टूटफूट, वाहन व ड्राइवर का कितना खर्चा हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) मुख्य मंत्री व अन्य मंत्री जो हरियाणा गये उनकी रक्षा के लिये पुलिस के कौन कौन मुलाजिमान गये और उन पर कितना खर्चा हुआ ? वे वहां कितने दिनों तक ठहरे और उन्होंने टी. ए., डी.ए. लिया या नहीं ? यदि लिया, तो कितना कितना ?

उत्तर

(1 वांछित सूची सदन की मेज पर रख दी है ।

(2) वे सरकारी जीपों व कारों से नहीं गये । अतः पैट्रोल, टूटफूट आदि का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) मुख्य मंत्री की सुरक्षा हेतु दिनांक 2-5-68 से 12-5-68 तक निम्नलिखित पुलिस के मुलाजिमान हरियाणा गये :—

(1) श्री सोहनलाल, उप निरीक्षक
(2) श्री हनुमानसिंह, मु. आ. 499

Page No 33

(मुख्य मन्त्री)

(3) श्री रामकुमार सिंह, आरक्षी 921

(4) श्री गणेशसिंह, आरक्षी 346

(5) श्री लुइश सेम्विल, मु.आ. 1089 (ड्राइवर)

इनके टी. ए. व डी. ए. पर रुपये 1,420.20 का खर्चा हुआ है।

संलग्न तालिका में वर्णित शेष 12 मंत्रियों में से खाद्य/ सहकारिता मंत्री के अतिरिक्त अन्य 10 मंत्रियों के साथ एक एक अंगरक्षक उनकी सुरक्षा हेतु गया।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)]

विदेश यात्रा पर गये मंत्री व कर्मचारी

92. **श्री रूपसिंह** (सरदार शहर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के कौन कौन सरकारी कर्मचारी व मंत्री आदि सन् 1969 में विदेश यात्रा पर गये? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इनके वहां जाने का खर्चा राज्य सरकार ने अदा किया या विदेशी देशों ने?

उत्तर

(1) वांछित सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(2) वांछित सूचना उक्त तालिका के स्तम्भ 3 पर अंकित कर दी है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

चित्तौड़गढ़ जिले में भारी वर्षा से सड़कों को नुकसान

93. **श्री रामकुमार नन्दवाना** (चित्तौड़गढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1969-70 में चित्तौड़ जिले के 1600 ग्रामों में फेमिन डिक्लेअर हुआ था और वहां पर सड़कें बनाने का कार्य प्रारम्भ किया गया और जो सड़क अधूरी रही तथा वहां पर भारी वर्षा से सड़कों को नुकसान हुआ है उसको ठीक कराने के लिये विभाग ने काम किया है? यदि हां, तो इन पर कितना खर्च किया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सत्य है कि फेमिन में जो फोरेस्ट रोड बनायी गयी हैं वे भी भारी वर्षा से खराब हो गई हैं, उन पर मिट्टी बह गयी है व पत्थर निकल आये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार पुनः उनका जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

(1) जी हां। इस विभाग द्वारा मेन्टेन की जाने वाली सड़कों पर अकाल राहत में किये गये कार्यों पर भारी वर्षा होने पर भी कोई नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन जो सड़कें इस विभाग की मेन्टीनेंस सूची में नहीं हैं तथा जिन पर अकाल राहत में कार्य कराया गया था उन पर भारी वर्षा से होने वाले नुकसान का इस विभाग ने तखमीना नहीं लगाया है। न ही ठीक कराने के लिये कोई काम कराया है।

Page No 34

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) फोरेस्ट रोड का संबंध इस विभाग से नहीं है।

त्रिवेणी संगम बीगोद से जहाजपुर जाने वाली सड़क

94. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि त्रिवेणी संगम बीगोद से जहाजपुर वाया मानपुरा होकर जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य चालू है ?

(2) क्या यह भी सही है कि सड़क से महुवा कस्बा केवल दो-तीन माईल के फासले पर ही है और एक व्यापारिक कस्बा है ?

(3) क्या इस सड़क से महुवा कस्बा को जोड़ने का भी इरादा है ? यदि हां, तो क्या इसी वर्ष ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। महुवा मानपुरा से 3 माईल के फासले पर है।

(3) जी नहीं।

लकड़ी की बल्लियां व लकड़ी के स्लीपर की खरीद

95. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या झालावाड़ डिवीजन, सार्वजनिक निर्माण विभाग में लकड़ी की बल्लियां व लकड़ी के स्लीपर सन् 1968 व 1969 में खरीदे गये ?

(2) किस किस पार्टी ने कब कब और कितने कितने रुपये अग्रिम जमा कराये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट कीजिये ?

(3) खरीदे जाने के लिये किस किस को कब 2 तथा किसके द्वारा सूचना भेजी गई और किस 2 पार्टी ने सिक्योरिटी का रुपया जमा कराया ?

(4) किस 2 पार्टी से कितने 2 का टेण्डर प्राप्त हुआ ? तथा किस पार्टी का टेन्डर सबसे न्यून रकम का था और किस पार्टी को आर्डर सप्लाई दिया गया ?

सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी नहीं। सन् 1968-69 में सार्वजनिक निर्माण विभाग झालावाड़ डिवीजन द्वारा कोई लकड़ी की बल्लियां व स्लीपर नहीं लिये गये थे।

(2) प्रश्न नहीं उठता है।

(3) प्रश्न नहीं उठता है।

(4) प्रश्न नहीं उठता है।

जीप का खर्च

96. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जीप नम्बर आर. एस. एल. 5265 डिवीजन, सार्वजनिक निर्माण विभाग झालावाड़ में है और इस पर पेट्रोल का खर्चा अत्यधिक होता है ? यदि हां, तो क्यों ?

Page No 35

(श्री हुरजीराम बुरडक)

(2) 1 जनवरी, 1969 लगायत 31 दिसम्बर, 1969 जीप द्वारा कितना सफर किया और इसमें कितना पेट्रोल किस कीमत का खर्चा हुआ ?

(3) इसी अवधि में दुरुस्ती जीप व पार्ट आदि की खरीद पर क्या खर्चा हुआ है ?

उत्तर

(1) जी हां इस पर पेट्रोल का खर्चा कार्य को देखते हुए अधिक नहीं है ।

(2) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(3) दुरुस्ती व जीप पार्ट पर 1970 में रु. 7244.98 व्यय हुआ है ।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

सैनी इंजिनियरिंग वर्क्स अलवर

97. श्री पंजाबुद्दीन (कठूमर) : क्या पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सेनी इंजीनियरिंग वर्क्स मोटर स्टेण्ड अलवर जिस भूमि पर बना हुआ है, वह भूमि कब किसको कितनी कीमत में तथा किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु दी गई थी ?

(2) क्या वह उद्देश्य पूरा हो चुका है ?

(स्थगित किया गया)

ग्राम रामपुरा उर्फ ढरकावास को चोनी

98. श्री नथमल चोहला (लक्ष्मणगढ-सु.) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार को विदित है कि सीकर जिले के अन्तर्गत तहसील लक्ष्मणगढ के ग्राम रामपुरा उर्फ ढरकावास की 25 बोरी चीनी अधिकारियों को धोका देकर एक आदमी ले गया था तथा जिलाधीश, सीकर के पास शिकायत आने पर तुरन्त जांच करवाई गई ? जिसकी रिपोर्ट दिनांक 13-10-68 को प्राप्त हुई तथा आने के बाद दिनांक 29-10-68 को केस पुलिस में दिया गया ? यदि हां, तो प्राथमिक जांच रिपोर्ट की दिनांक 13-10-68 की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जांच सी. ओ. फतेहपुर कर रहा था ? इस संबंध में पुलिस द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

1. जी हां । इस मामले की शिकायत ग्राम पंचायत रामपुरा उर्फ ढरकावास की जनता द्वारा दिनांक 5-5-68 को तहसीलदार लक्ष्मणगढ को की गई थी । रसद अधिकारी द्वारा जांच किये जाने के बाद दिनांक 9-10-68 को जांच रिपोर्ट पेश की गई जिस पर अक्टूबर 68 में जिलाधीश द्वारा केस को पुलिस में दे दिया गया । जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखी गई है ।

2. थाना लक्ष्मणगढ में मुकदमा दर्ज किया गया था व अभी जेर तफ्तीश है ।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

हिन्डौन गोली काण्ड की जांच रिपोर्ट

99. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि हिण्डोन गोली काण्ड की जांच रिपोर्ट सरकार के पास आई हुई है ?

Page No 36

(श्री देवीदत्त गाडिया)
यदि हां, तो रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

जी हां । रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(रिपोर्ट विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

पुलिस गार्ड तैनात करने के नियम

100. **श्री दुर्गालाल बाढदार** (हवा महल, जयपुर): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या प्राईवेट व्यक्ति के घर पर पुलिस गार्ड नियुक्त की जा सकती है ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में और किन नियमों के अन्तर्गत ? कृपया नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) ग्राम सांगरिया, तहसील शाहपुरा, जिला झालावाड में किसी व्यक्ति के घर पर पुलिस गार्ड तैनात है ? यदि हां, तो कब से और अब तक इस गार्ड पर क्या व्यय हुआ ?

(3) यह गार्ड किस की आज्ञा से तैनात की गई और कितने व्यक्ति तैनात हैं ?

उत्तर

1. जी हां । प्राईवेट व्यक्ति के घर पर पुलिस गार्ड नियुक्त की जा सकती है । इस संबंध में नियमों की प्रतिलिपि संलग्न है ।

2. जिला झालावाड में किसी स्थान पर किसी व्यक्ति के घर पर पुलिस गार्ड तैनात नहीं है ।

3. प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

चतुर्थ आम चुनाव के पश्चात् राजस्थान में हुए गोली कांड

101. **श्री दौलत राम सारण** (डूंगरगढ) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चतुर्थ आम चुनाव के पश्चात् अप्रेल सन् 70 तक राजस्थान में कहां कब पुलिस द्वारा भीड पर गोलियां चलाई गई ?

(2) ऐसे प्रत्येक गोली काण्ड में कितने व्यक्ति घायल हुए और कितने मारे गये ? प्रत्येक स्थान पर मृतकों व घायलों की सूची सदन की मेज पर रखी जावे ?

(3) चतुर्थ आम चुनाव के बाद राजस्थान में कहां कब लाठी चार्ज किया गया ?

(4) ऐसी लाठी चार्ज से प्रत्येक जगह कितने घायल हुए और कितने मारे गये ?

(5) राज्य सरकार ने क्या किसी स्तर पर लाठी, गोली चलाने की स्थिति पैदा होने के कारणों और उनके निवारण के संबंध में अन्वेषण अनुसंधान अथवा जांच पडताल की ? यदि हां, तो क्या परिणाम आये ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार इसकी आवश्यकता नहीं समझती है ?

उत्तर

(1) चाही गई सूचना तालिका "अ" के कोलम नं. 1 से 3 में अंकित है ।

(गृह मन्त्री)

(2) चाही गई सूचना संलग्न तालिका "अ" के कालम नं. 2 से 5 में अंकित है।

(3) चाही गई सूचना संलग्न तालिका "व" के कालम नं. 1 से 4 में अंकित है।

(4) चाही गई सूचना संलग्न तालिका "ब" के कालम नं. 5 व 6 में अंकित है।

(5) राज्य सरकार ने जयपुर कोतवाली व जोहरी बाजार, हिण्डौन, बीकानेर, बाडमेर, चूरू व भादरा, सांगरिया में हुए पुलिस फायरिंग के कारणों की जांच हेतु जांच आयोग नियुक्त किये हैं जिनमें से जयपुर कोतवाली, हिण्डोन एवं बीकानेर में हुए गोली काण्डों को न्यायोचित बताया है, जबकि जयपुर में ही हुए जोहरी बाजार, फायरिंग को न्याय संगत नहीं माना है। इस संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। कमीशन के सुझाव पर विभाग को आदेश दे दिये गये हैं। चूरू व भादरा, सांगरिया में अभी जांच आयोग द्वारा जांच की जा रही है। जांच आयोग के प्रतिवेदन पर समयानुकूल आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

औद्योगिक मजदूरों के विरुद्ध दर्ज मामले

102. **श्री दौलत राम सारण** (डूंगरगढ): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में औद्योगिक मजदूरों के विरुद्ध कितने मामले पुलिस में गत दो वर्षों से दर्ज किये गये हैं? उनमें से कितने पुलिस की तफ्तीश में हैं? कितने न्यायालयों में चालान कर दिये गये हैं तथा कितने फैसले हो गये हैं? कितने मामलों में जांच हुई व कितने मामले सरकार ने वापिस लिये?

(2) राजस्थान में कितने राजनैतिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध पुलिस में केस गत दो वर्षों में दर्ज किये गये? उनमें से कितने पुलिस तफ्तीश में हैं? कितने अदालतों में चालान कर दिये गये हैं? कितने मामलों के न्यायालयों में फैसले हो गये हैं? व कितने मामलों में सजायें हुई हैं? कितने मामलों में बरी हो गये हैं? कितने सरकार ने वापिस लिये हैं?

(स्थगित किया गया)

बूंदी से चित्तौड़गढ़ की रेल्वे लाइन

103. **श्री केसरी सिंह आडा** (हिण्डोली): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि भारत के स्वतन्त्र होने के पूर्व ब्रिटिश सरकार की बी. बी. एण्ड सी. आई. रेल्वे द्वारा कोटा से नसीराबाद आडगंज का सर्वे होकर 1946 में इस लाईन पर काम जारी करने की स्वीकृति दे दी गई थी?

(2) क्या यह सत्य है कि भूतपूर्व मेवाड़ राज्य और बूंदी राज्य के बीच बूंदी से चित्तौडगढ तक रेल्वे लाईन बिछाने का समझोता हुआ था?

(3) क्या यह सत्य है कि अब तक राज्य सरकार ने इस विषय में भारत सरकार पर जोर नहीं डाला?

(गृह मन्त्री)

उत्तर

(1) जी हां । भारत के स्वतन्त्र होने से पूर्व ब्रिटिश सरकार की बी. बी. एण्ड सी. आई. रेल्वे द्वारा कोटा से नसीराबाद ब्रोडगेज की रेल्वे लाइन बिछाने की सिफारिश राजपुताना पोस्ट-वार रेल्वे डेवलपमेन्ट कान्फ्रेन्स माउन्ट आबू में दिनांक 4-10-45 को की गई थी । इस लाईन का सर्वे भी इसके पश्चात् हो गया था ।

(2) जी हां । मेवाड, बूंदी व कोटा राज्यों द्वारा मनोनीत प्रतिनिधियों की बैठक जो सन् 1948 में उदयपुर में हुई थी, में कोटा से चितौडगढ तक रेल्वे लाईन बिछाने का समझौता हुआ था एवं हिज हाईनेस महाराव राजा साहब बूंदी द्वारा रेल्वे लाईन का सर्वे मेवाड रेल्वे द्वारा किये जाने की अनुमति देदी गई थी । किन्तु इसके उपरान्त वर्तमान राजस्थान राज्य का निर्माण हो जाने से उक्त समझौते पर अमल नहीं हो सका ।

(3) राज्य सरकार ने भारत सरकार से द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में कोटा, बूंदी, चितौड रेल्वे लाईन के निर्माण का प्रस्ताव किया था । किन्तु रेल मंत्रालय ने इस लाईन को आर्थिक दृष्टि से अनुपयोगी मान कर स्वीकार नहीं किया। राज्य सरकार ने कोटा-नसीराबाद रेल लाईन के निर्माण के लिये भारत सरकार को कोई प्रस्ताव नहीं किया ।

पोस्टमार्टम की रिपोर्ट

104. श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सवाई मानसिंह अस्पताल के मेडिकल ज्यूरिस्ट ने दिनांक 3 जनवरी, 1970 को हुए विवेकानन्द छात्रावास काण्ड में स्वर्गीय दिलीपसिंह के लगी चोटों व घावों की परीक्षा की थी ? यदि हां, तो उस रिपोर्ट से क्या सारांश निकलता है ? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) दिनांक 15 जनवरी, 1970 को स्वर्गीय दिलीपसिंह के शव का किन किन डाक्टरों ने पोस्ट-मार्टम किया व उनकी जांच रिपोर्ट से क्या निष्कर्ष निकला ? इस जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

1. सवाई मानसिंह अस्पताल के मेडिकल ज्यूरिस्टों ने दिनांक 3-2-70 को हुए विवेकानन्द छात्रावास काण्ड में स्वर्गीय दिलीपसिंह के चोटों व घावों का परीक्षण किया था । चूंकि इस समय इस मामले में सी. बी. आई. द्वारा तफ्तीश की जारही है व संबंधित रेकार्ड उनके ही पास है अतः रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने से असमर्थता है ।

2. दिनांक 15-2-70 को स्वर्गीय श्री दिलीप सिंह के शव का जिन 2 डाक्टरों ने पोस्ट मार्टम किया था, उनकी रिपोर्ट सी.बी. आई. के ही पास है, क्योंकि इस केस की तफ्तीश उन्हीं द्वारा की जा रही है । अतः रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने से असमर्थता है ।

सांगरिया, भादरा व चूरू गोली काण्ड

105. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सांगरिया,

Page No 39

(श्री रामचन्द्र आर्य)
भादरा व चूरू गोली काण्ड में घायल व्यक्तियों को राज्य सरकार सहायता देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो किस रूप में कितनी सहायता दी जावेगी ? यदि सहायता नहीं दी जावेगी, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि घायल हुए व्यक्तियों को आज तक कोई सहायता नहीं दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त गोली काण्ड में काफी आदमी घायल हुए थे ? यदि हां, तो कुल कितने व्यक्ति घायल हुए थे ? नाम व पता सहित तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) इन स्थानों पर हुए फायरिंग के मामलों के बाबत जूडिशल जांच जारी है अतः यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(3) भादरा, सांगरिया एवं चूरू में पुलिस द्वारा चलाई गई गोली से घायल हुए व्यक्तियों की सूची प्राप्त सूचना के अनुसार सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(कृपया परिशिष्ट 13 देखिये)

हाउस टैक्स की समाप्ति

106. श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उच्च न्यायालय, जोधपुर में मई, 1969 में माननीय न्यायाधीश श्री कानसिंह द्वारा आबू रोड कोटा आदि की रिटयाचिका पर टैक्सेज के बारे में जिसमें हाउस टैक्स आदि सम्मिलित है, जनता के पक्ष में फैसला सुनाया था ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार जोधपुर तथा ब्यावर नगरों के समान राजस्थान के अजमेर, जयपुर, बीकानेर आदि बड़े नगरों में भी हाउस टैक्स समाप्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह समाप्ति कब तक की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

विभाग के अधीनस्थ नल कूप

107. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल बाजार, जयपुर): क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) 1 अप्रेल, सन् 1968 को जन-स्वास्थ्य विभाग के अधीन किस किस जिले में कितने नल कूप थे ? इनमें कितने चालू थे ?

(2) बन्द नल कूप कब कब चालू किये गए ?

(3) प्रत्येक नल कूप की पानी देने की क्या क्या क्षमता है ?

(4) यह नल कूप किस किस माह में कितने कितने दिन बन्द रहे ?

(5) इन नल-कूपों पर प्रति माह बिजली, तेल, आदि पर कितना कितना खर्च आया इस खर्चे के आधार पर यह नल कूप प्रतिमाह कितने कितने घन्टे चल रहे हैं ?

(जन स्वास्थ्य मंत्री)

(उत्तर)

1. विस्तृत सूची संलग्न है।
2. सूची सलग्न है।
3. सूची सलग्न है।
4. विस्तृत सूची संलग्न है।
5. विस्तृत सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य सरकार द्वारा भू खण्डों की स्वीकृत दरें

108. श्री भैरों सिंह शेखावत (किशन पोल, जयपुर):—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1 अप्रेल, सन् 1967 से लेकर अब तक राज्य के किस किस नगर विकास मण्डल द्वारा, राज्य सरकार से स्वीकृत गृह निर्माण योजनाओं में संशोधन कर बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के किन किन व्यक्तियों को भूखण्डों का आवंटन किया है ? कृपया नाम व पते पूरे विवरण सहित तालिका प्रस्तुत करें।

(2) राज्य सरकार द्वारा इन भू-खण्डों की स्वीकृत दरें क्या थीं और किन दरों पर यह भू-खण्ड आवंटित किये गये ? यदि दरें कम हैं तो क्यों ?

(3) इन व्यक्तियों के आवेदन पत्र कब प्राप्त हुए हैं ?

(स्थगित किया गया)

महेश्वरी उच्चतर माध्यमिक स्कूल जयपुर

109. श्री भैरों सिंह शेखावत (किशन पोल, जयपुर):—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि महेश्वरी उच्चतर माध्यमिक स्कूल, जयपुर को चोड़े रास्ते में उनका निजी भवन होते हुए भी तिलक-नगर में प्रथमतः 7 एकड क्षेत्र का भू खण्ड स्कूल भवन के लिये निःशुल्क आवंटित किया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि इस भू खण्ड के क्षेत्र को बाद में कम करके आधा भूखण्ड मुख्य सडक पर लाल बहादुर शास्त्री महा विद्यालय को दिया गया तथा पिछला आधा हिस्सा महेश्वरी स्कूल के पास ही रहने दिया गया ?

(3) क्या यह सही हैं कि माहेश्वरी स्कूल ने जमीन की कमी के सिलसिले में राज्य सरकार से अनुरोध कर लाल बहादुर कालेज को उनकी जमीन में से जमीन न देने की मांग की ?

(4) क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास ने लाल बहादुर कालेज को भू-खण्ड देने की स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त नहीं की ? यदि की है तो कृपया उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि जब नगर विकास न्यास लाल बहादुर कालेज को किये गये आवंटन को रद्द न कर सकी तो न्यास ने तिलक नगर के निकट ही स्थित बहुत पहले ही राजकीय स्कूलों के लिये आवंटित खेल के मैदान पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर उस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

भू-खण्ड को महेश्वरी स्कूल को ग्रावंटित कर दिया ?

(6) क्या यह सही है कि महेश्वरी स्कूल को जब भू-खण्ड ग्रावंटित हुग्रा ग्रौर उस पर कब्जा लेने की दृष्टि से स्कूल की संचालन समिति ने शिलान्यास समारोह ग्रायोजित किया तो नगर विकास न्यास ने भू-खण्ड ग्रावंटन पर ग्रापत्ति की तथा इसी कारण शिलान्यास समारोह के मुख्य ग्रतिथि माननीय श्री राम किशोर व्यास तथा स्वायत्त शासन मन्त्री, श्री भीखा भाई समय पर नहीं पहुँचे और जब माननीय मुख्य मंत्री ने दिल्ली से टेलीफोन पर शिलान्यास समारोह कर लेने तथा ग्रावंटन सम्बन्धी ग्रन्तिम निर्णय बाद में लेने का ग्रादेश दिया तो दोनों मंत्री गये और निश्चित समय के 2-2·30 घंटे बाद समारोह प्रारम्भ हुग्रा ?

(7) क्या यह सही है कि महेश्वरी स्कूल को भू खण्ड ग्रावंटन करने की ग्रापत्ति का निराकरण उस भू-खण्ड में से 6-7 रिहायशी प्लाटस् काट कर किया गया ?

(8) क्या यह भी सही है कि इन 6-7 प्लाटस् के भू-खन्ड का ग्रावंटन भी तत्काल कर दिया गया तथा एक सड़क भी नई निकाली गई और उसका निर्माण भी सर्वोच्च प्राथमिकता देकर कराया गया ?

(9) यदि हां, तो यह प्लाट्स किस किस को ग्रावंटित किये गये तथा इनसे भू-खण्ड की क्या कीमत वसूल की गई है ? तथा उनके पते की सूची कृपया सदन की मेज पर रखें। प्रत्येक को ग्रावंटित भू-खण्ड माप क्या है ?

(10) क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास ने भू-खण्ड ग्रावंटन करने के नियमों के ग्रन्तर्गत सिद्धान्ततः यह स्वीकार किया है कि 250 वर्ग गज क्षेत्र से ग्रधिक भू-खण्ड किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जायगा तथा इसी ग्राधार पर ग्रर्जुनलाल सेठी नगर व ग्रन्य विकास योजनाग्रों के ग्रन्तर्गत ग्रावंटित किये गये प्लाट्स यहां तक कि कार्नर प्लाट्स भी 250 वर्ग गज के ही हैं ?

(11) क्या यह सही है कि महेश्वरी स्कूल का ग्रब ग्रावंटित भू-खण्ड का पट्टा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ग्रादर्श-नगर को दिया गया था तथा जब नगर विकास ने भू-खण्ड पर ग्रतिक्रमण किया तो वहां के प्रधानाध्यापक के राजनैतिक प्रभाव के कारण कोई ग्रापत्ति प्रस्तुत नहीं की ग्रौर न ही कानूनन उक्त खेल का मैदान महेश्वरी स्कूल को आवंटित करने की कोई सूचना नगर विकास न्यास जयपुर की ग्रोर से न तो प्रधानाध्यापक को और न ही राज्य के शिक्षा विभाग को दी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। 7 एकड़ भूमि सुरक्षित दर 5/- की ग्राधी कीमत 2·50 पैसे प्रतिवर्ग गज की दर से देने हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति, राज्य सरकार द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति दिनांक 17-7-61 के द्वारा दी गई है।

(2) महेश्वरी विद्यालय को विधिवत भू-ग्रावटन नहीं किया गया इसी बीच ग्राधी भूमि भारत सेवक समाज को रात्री कालेज चलाने हेतु दी गई है।

(3) महेश्वरी स्कूल को 3½ एकड़ भूमि दिये जाने हेतु दिनांक 13-1-64 को निवेदन किया गया जिस पर राज्य सरकार

Page No 42

(स्वायत्त शासन मंत्री)
को यह बतलाया कि यह भूमि उच्चतर माध्यमिक पाठशाला की आवश्यकता पूर्ण नहीं कर सकती ।

(4) भारत सेवक समाज को रात्रि कालेज हेतु भूखण्ड आवंटन करने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दिनांक 28-10-63 को दी गई व भारत सेवक समाज द्वारा रात्री कालेज का नाम लाल बहादुर शास्त्री कालेज रखा गया । दिनांक 28-10-63 की प्रति सलंग्न है ।

(5) जी नहीं । दिनांक 1-10-66 को महेश्वरी विद्यालय की सम्मति के आवदन पर विजय पद पर स्थित भूमि शिक्षा विभाग में निहित होने से राज्य सरकार को न्यास द्वारा निवदन किया गया जिस पर दिनांक 7-3-69 को महेश्वरी स्कूल को 51/2 एकड़ भूमि निर्धारित रेट (दर) से आवंटन करने की स्वीकृति प्रदान की ।

(6) जी नहीं न्यास द्वारा आपत्ति नहीं की गई है ।

(7) प्रश्नोत्तर 6 को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

(8) जी नहीं । मुख्य नगर नियोजक के पत्र दिनांक 23-7-69 की राय व उसके साथ संलग्न मानचित्र अनुसार 15 आवासीय भूखण्ड काटे गये हैं ।

(9) तालिका संलग्न है ।

(10) जी नहीं । नियमान्तर्गत उपलब्ध भू-खडों में से आय को दृष्टि में रखते हुए साधारण भू-खण्ड आवंटन किये जाने का प्रावधान है ।

(11) जी नहीं ।

(कृपया, परिशिष्ट 14 देखिये)

आरक्षित दरों पर आवास हेतु भू-खण्डों का आवंटन

110. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशन पोल, जयपुर)--क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(क) 1 अप्रेल, सन् 1967 से लेकर अब तक राज्य सरकार के विभिन्न नगर विकास मण्डलों द्वारा ऐसे किन किन व्यक्तियों को जो आय कर देते हैं, आरक्षित दरों पर आवास हेतु भूखंण्डों का आवंटन किया है ? कृपया नाम पतेवार तालिका वार सदन की मेज पर प्रस्तुत करें ।

(ख) इन व्यक्तियों के आवेदन पत्र कब कब प्राप्त हुए और उनका आवंटित भू-खण्ड का क्षेत्रफल कितना कितना है तथा उसका मूल्य क्या क्या है ?

(स्थगित किया गया)

भूतपूर्व जिला बोर्ड के सेवा निवृत कर्मचारियों की पेंशन

111. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर)--क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व रियासतों में जिला स्तर पर जिला बोर्ड नाम की संस्थायें गठित थीं ? यदि हां, तो किन किन भूतपूर्व राज्यों में कितने कितने जिला बोर्ड थे ?

Page No 43

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

(2) क्या यह सही है कि जिला बोर्डों के विलीनीकरण के पश्चात् राजस्थान सरकार ने इसके कर्मचारियों को राज्य सेवा में समकक्ष पदों पर ले लिया ? यदि हां, तो जिला बोर्ड के कुल कितने कर्मचारियों को राज्य सेवा में लिया गया ?

(3) क्या यह सही है कि भूतपूर्व जिला बोर्डों के कर्मचारी राज्य सेवा से 55 वर्ष की आयु पूर्ण होजाने के कारण निवृत्त हुए हैं उनमें से कुछ को पेन्शन दी जाती है और कुछ को नहीं ? यदि हां, तो 55 साला भूतपूर्व किस किस जिला बोर्ड के कितने कितने कर्मचारी सेवा निवृत हुए हैं और उनमें से किन किन को पेन्शन दी जारही है किन किन को नहीं ? जिला बोर्ड के हवाले से सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) जिन कर्मचारियों को पेन्शन नहीं दी जारही है उसके क्या कारण हैं ?

(स्थगित किया गया)

अलवर जिले की नल योजनायें

112. श्री गंगा सहाय (कठूमर): क्या जल प्रदाय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर जिले में गत 10 वर्षों में कितनी नल योजना चालू की गई ? प्रत्येक पर सरकार व जनता का कितना कितना धन लगा ?

(2) क्या यह सभी योजनायें ठीक प्रकार से चल रही हैं ? यदि नहीं चल रही हैं तो कहां कहां की और उसके क्या कारण है ?

(3) क्या ऐसे स्थान भी हैं जहां कि नल योजनायें तो पूर्ण हो चुकी हैं परन्तु बिजली उन स्थानों तक न पहुँचने के कारण वे योजनायें चालू नहीं की जारही हैं ? यदि हां, तो वे स्थान कौन कौन से हैं ? सरकार इनके संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ताकि बिजली मिलकर ये योजनायें चालू हो सकें ?

उत्तर

1. अलवर जिले में गत 10 वर्षों में जो नल योजनायें चालू की गई हैं उन पर सरकार व जनता का जितना 2 धन लगा वह निम्न प्रकार है :—

योजना का नाम 1	सरकार द्वारा खर्च की गई धनराशि 2	जनता द्वारा जन सहयोग 3
राजगढ	5,46,000	..
अजयपुरा	10,20,02,75	..
ततारपुर	50,53,612	..
शाहबाद	97,76,388	..
हरसोली	1,90 46,500	3,80,000
खेरथल	16,68,611	9,20,000

(जल प्रदाय मंत्री)

1	2	3
किशनगढ़	1,04,98,438	..
बहरोड	1,68,20,655	..
रामगढ	2,03,18,209	10,50,000
तिजारा	1,03,66,061	..
मोटप	1,18,21,073	4,25,000
रामपुर	94,10,553	4,75,000
लक्ष्मणगढ़	79,42,45[illegible]	..
मालाखेड़ा	1,59,49,205	11,00,000
बानसूर	1,07,24,250	..
थानागाजी	1,26,10,545	5,000
प्रतापगढ़	1,13,76,754	5,000
टपूकड़ा	95,31,135	3,000
बडोदामेव	1,33,51,210	6,000
गिरडी	35,30,439	..
नीमराना	1,28,38,061	..
बहादुरपुर	1,80,39,968	8,000
मण्डावर	50,63,656	4,250
हरोड	1,57,36,049	8,500
शाहजहांपुर	23,300	..
गढी	97,500	..
नारायणपुर	1,50,000	..
ऊमरेण	55,000	5060

2. निम्न योजनाओं को छोड़कर जो कि घाटे में चल रही हैं और जिसका भुगतान सम्बन्धित पंचायत ने नहीं किया है, अतः बन्द पडी है बाकी की योजनायें ठीक प्रकार चल रही हैं।

(1) लक्ष्मणगढ (2) थानागाजी।

3. जी हां, हमीरपुर, अकबरपुरा व हरसोरा, इन योजनाओं पर विद्युत कनेक्शन के लिये विद्युत विभाग से पत्र व्यवहार जारी है। ज्योंही विद्युत कनेक्शन प्राप्त हो जायेगा, योजनायें चालू कर दी जायगीं।

नगर पालिकाओं के सेवा निवृत्त कर्मचारी

113. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान नगरपालिकाओं के 55 वर्ष की आयु के कितने कर्मचारियों को सेवा-निवृत्त किया गया ?

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(2) क्या नाथद्वारा नगर-परिषद् के कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति को राजस्थान इन्डस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल द्वारा अवैध घोषित किया गया है ? अगर हां तो क्या समस्त पालिकाओं के सेवा-निवृत कर्मचारियों को पुनः काम पर लेने का सरकार आदेश जारी कर रही है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

1. राजस्थान म्यू. सेवा के 21 अधिकारियों को सेवा निवृत किया गया है।

राजस्थान म्युनिसिपल सबोर्डिनेट लिपिक वर्गीय, चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में आने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा निवृत्ति के अधिकार नगरपालिकाओं को हैं, इसलिये इन कर्मचारियों से सम्बधित सूचनाऐं नगरपालिकाओं से प्राप्त कर प्रेषित की जा सकती हैं।

2. जी हां।

जी नहीं।

ट्रिब्यूनल का निर्णय केवल उन्हीं कर्मचारियों पर लागू है, जिनके लिये निर्णय दिया गया है।

नगर विकास न्यास जयपुर, द्वारा भूखण्डों का आवंटन

114. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं)-क्या नगर-विकास न्यास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) चालू वर्ष और पिछले वर्ष में नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा किन किन को कहां कहां पर कितना कितना भू-खण्ड अलाट किया गया ? भूमि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को प्रार्थना-पत्र किस किस तारीख से नगर विकास न्यास के पास विचाराधीन हैं ? सूची व्यक्तियों के पूरे पते सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) नगर विकास न्यास को भू-खण्ड अलाट करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कोई निर्देश जारी किये हुए हों तो उनकी प्रतियां भी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या इस सम्बन्ध में कोई नियम-उप-नियम बनाये हुए है ? यदि हां, तो उनकी प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) इस समय भू-खन्ड अलाट करने के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है ?

उत्तर

(1) चालू वर्ष और पिछले वर्ष में नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा किये गये भूखण्डों के आवन्टन की सूचना तालिका 'अ' में संलग्न है।

(2) नगर विकास न्यास, जयपुर को भूखण्ड आवंटन करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी की गई विज्ञप्तियां दिनांक 17-7-61 एवं 9-5-63 और उनमें समय समय पर किये संशोधनों को दृष्टि म रखते हुये भू-आवंटन किये जाते ह जिनकी प्रतियां संलग्न हैं।

(3) प्रश्नोत्तर 2 में राज्य सरकार द्वारा जारी की गई विज्ञप्तियां पूर्ण संशोधन सहित सदन की मेज पर प्रस्तुत हैं।

Page No 46

(नगर विकास न्यास मंत्री)

(4) इस समय भूखण्ड आवंटन करने के सम्बन्ध में प्राथमिकता की प्रक्रिया नगर न्यास, जयपुर द्वारा अपनाई जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

फौजियों के लिये सुरक्षित भू-खण्ड

115. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या नगर विकास न्यास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि नगर विकास न्यास जयपुर ने कोई ऐसा निश्चय किया था कि फौजियों के लिये कुछ भू-खण्ड सुरक्षित रखे जावेंगे? यदि हां, तो कब और कितने कितने भू-खण्ड सुरक्षित किये गये और उनके वितरण के लिये क्या प्रक्रिया निश्चित की गई?

(2) अब तक कितने फौजियों की दरख्वास्तें प्राप्त हुई हैं? सूची दरख्वास्तें प्राप्त होने की तारीख मय पूरे पते के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) जिन फौजियों को भू-खण्ड एलाट कर दिये गये हैं उनकी सूची मय पूरे पते के और दरख्वास्त देने की तारीख, भू-खण्ड एलाट करने की तारीख तथा भू-खण्ड किस साइज का कितने मूल्य में किस स्कीम में एलाट किया है तथा उनको कब्जा देने की तारीख सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार की विज्ञप्ति संख्या एफ. 4/32। एल. एस.जी। 59 दिनांक 29-10-66 एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 3,100 ।टीपी।63 दिनांक 4-5-65 के अनुसार फौजियों के लिये भू-खण्ड सुरक्षित रखने के आदेश प्राप्त हुये हैं। उक्त आदेश एवं सैनिक कल्याण विभाग द्वारा सैनिकों को भू-आवटन हेतु बनाये नियमानुसार उन्हें भू-आवंटन किये गये।

2. तालिका संलग्न है 'अ'

3. तालिका 'ब' संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अलवर में भवन निर्माण हेतु ऋण

116. श्री गंगासहाय (कठूमर): क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

अलवर में भवन निर्माण (हाउस बिल्डिंग) ऋण के लिये कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए उनमें अनुसूचित जाति के लोगों के कितने प्रार्थना-पत्र थे? गत दो वर्षों में कितने लोगों को भवन निर्माण ऋण दिया गया? उनमें अनुसूचित जाति के कितने लोग थे? प्रत्येक व्यक्ति को कितना कितना ऋण दिया गया? नाम व पद सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

अलवर में भवन निर्माण ऋण के लिये मध्य, अल्प तथा वेतन ऋण योजनाओं के तहत क्रमशः 1,50,894 और 449 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। इन तीनों योजनाओं के अनुसूचित जाति के लोगों के प्रार्थना पत्र क्रमशः शून्य, 32 और 6 थे।

(नगर आयोजना मंत्री)

वर्ष 1968-69 व 1969-70 में मध्य, अल्प व वेतन गृह निर्माण योजनाओं के तहत क्रमश: 14,100,55 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये । उनमें अनुसूचित जाति के क्रमश: शून्य, 14,3 लोगों के थे ।

गत दो वर्षों में दिये गये ऋण के ऋणियों के नाम व पद सहित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य में सरकारी दुग्ध वितरण योजनाएं

117. श्री **जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कहां कहां सरकारी दूध वितरण योजनाएं चलाई जाती हैं ? इनमें कितने घाटे में और कितनी मुनाफे में चलती हैं ? आमद खर्च के आंकड़े सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या इन योजनाओं का आधार नो लोस नो प्रोफिट का है या मुनाफा करने का ?

(3) सरकार के पास इसके विकास के लिये कोई योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

उत्तर

(1) राज्य में केवल जयपुर में दुग्ध वितरण योजना चालू है । हानि लाभ के आंकड़ों की तालिका संलग्न है ।

(2) योजना को शुरू करने का उद्देश्य यह था कि आस पास के क्षेत्र में पशुपालन को प्रोत्साहन मिले और जयपुर शहर के निवासियों को समुचित दामों पर अच्छा दूध उपलब्ध हो सके ।

(3) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इस दुग्ध योजना के विकास के लिये 5,00,000 रुपये की धनराशि का प्रावधान रखा गया है । इस अवधि में बिजली पानी की सप्लाई को सम्पूर्ण करके और इमारत का आवश्यक विस्तार किया जायेगा साथ ही दूध एकत्रित करने का क्षेत्र बढाया जा रहा है । दूध ठंडा करने के संयन्त्र स्थापित किये जायेंगे ।

(कृपया, परिशिष्ट 15 देखिये)

दुग्ध वितरण हेतु केन्द्र द्वारा सहायता

118. श्री रुप सिंह (सरदार शहर) : क्या पशु पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय कृषि पुनर्गठन निगम द्वारा प्रदेश में दुग्ध विकास हेतु डेढ करोड रुपया देना स्वीकृत किया गया है जो अजमेर, बीकानेर, जोधपुर व कोटा जिलों में दुग्ध योजना विकास कार्य-क्रम में विनियोजित किये जावेंगे ?

(2) क्या उपरोक्त राशि में से बीकानेर डेयरी पर भी कोई रकम खर्च होगी ? यदि हां, तो कितनी ?

उत्तर

(1) कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा दुग्ध विकास योजनाओं के लिये इस समय तक कोई धनराशि

(पशुपालन मन्त्री)

स्वीकृत नहीं की गई है। जोधपुर के लिये राजकीय दुग्ध विकास योजना स्वीकृत की जा चुकी है व उस पर कार्य आरम्भ किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार अजमेर, कोटा और बीकानेर के लिये सहकारी आधार पर दुग्ध योजना तैयार करने की चेष्टा कर रही है। इन योजनाओं का आर्थिक दृष्टिकोण से जांचने के पश्चात् यदि वे उपयुक्त पाई गईं तो आर्थिक संस्थाओं द्वारा इनके लिये ऋण उपलब्ध करने की चेष्टा की जावेगी।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मनोहरथाना-बीनागंज मार्ग को पूर्ण कराने संबंधी 5 याचिका कर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं मनोहरथाना-हरनावदा रोड को पक्का बनवाने के संबंध में 5 याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका को उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्ण कुमार गोयल।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं ग्राम ठेकडा जिला सवाई माधोपुर के चरागाह को कायम रखने से संबधित ·35 याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका को उपस्थित करता हूं।

(12.02 मध्यान्ह)

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं :—

(1) डा. गंगासहाय सदस्य विधान सभा ने गत बजट सत्र में शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा अलवर राजर्षि कालेज में एल. एल. बी. की कक्षाएं चालू कर दिये जाने के आश्वासन के बावजूद उक्त कक्षाएं चालू न करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) श्री भगवानदास शास्त्री सदस्य विधान सभा ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर के कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को स्वीकार कराये जाने हेतु सांकेतिक भूख हड़ताल किये जाने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(3) श्री रामानन्द अग्रवाल सदस्य विधान सभा ने गंगानगर जिले में उच्च-स्तरीय कमेटी द्वारा नाजायज एलाटमेंट की जांच में बेनामियों और सरकारी कर्मचारियों द्वारा बाधा डालने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इसी विषय में श्री केदारनाथ, श्री कृष्णकुमार गोयल, व श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य विधान सभा ने भी एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। इस संबंध में राज्य सरकार से भी जानकारी प्राप्त की गई है। राज्य सरकार ने जो उत्तर भेजा है उसमें कहा गया है कि किसी जमींदार और जागीरदार ने कुर्कशुदा फसल को जबरदस्ती से नहीं उठाया है। फसलें वे ही उठाने दी गई हैं जिनके लिए कानूनी आदेश

(श्री अध्यक्ष)
हुए हैं। खेतिहर मजदूरों को अदालत के सामने झूंठे हलफनामे पेश करने के लिये मजबूर करना और जिन व्यक्तियों ने बतौर इनफोरमर के हलफनामे दिये हैं उनको डराये धमकाये जाने की शिकायतें निराधार हैं।

(4) श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य विधान सभा ने तहसील नोहर के कस्बा रावतसर की जनता को जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा वाटर वर्क्स के लिये कनेक्शन न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(5) श्री दौलतराम सारण व श्री हरजी राम बुरड़क, सदस्य विधान सभा ने अकाल के कारण राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा में अकाल राहत कार्य न खोले जाने, खोले गये राहत कार्यों पर जरूरतमन्द सभी लोगों को काम पर लगाये जाने, मजदूरों से काम नाप कर न लेने तथा मजदूरों को निर्धारित मजदूरी में कटौती कर भुगतान करने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(6) एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री चुन्नीलाल इंदलिया सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने बीकानेर जिले के नगरपालिका देशनोक द्वारा लगभग 200 हरिजन परिवारों से गृह कर वसूल करने के लिये नाजायज ढंग से कुड़कियों द्वारा घर का सामान जबरन ले जाने का उल्लेख किया है।

उपरोक्त सभी स्थगन प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित किया जाकर इन पर विचार किया जाये। अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

इनके अतिरिक्त कुछ और भी स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनका उल्लेख नीचे किया जाता है:—

(1) श्री वालसिंह सोढा, श्री विजयसिंह व श्री हरिवल्लभ शर्मा, सदस्य विधान सभा ने 8 वर्षों के अभाव के कारण पूर्ण जैसलमेर जिले में पेयजल की समस्या के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) श्री भैरोंसिंह, श्री विजयसिंह मकराना, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, श्री हरजी राम बुरड़क, श्री रूपसिंह, श्री वालसिंह सोढा, श्री केदारनाथ, श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, श्री श्रवणलाल व श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य विधान सभा ने राज्य सरकार द्वारा नक्सलवादी गतिविधियों की आड़ में वर्तमान विधान सभा के सत्र की समाप्ति पर प्रिवेंटिव डिटेन्शन संबंधी अध्यादेश जारी करने के विचार के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(3) श्री वालसिंह सोढा, श्री विजयसिंह मकराना व श्री ओमदत्त भाटी, सदस्य विधान सभा ने राज्य सरकार द्वारा अकाल से प्रभावित जैसलमेर जिले में नियुक्त डाक्टरों को वहां से हटाने और आज तक वहां एक भी डाक्टर न भेजने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(4) इन्हीं माननीय सदस्यों ने राजस्थान नहर के प्रथम चरण की खुदाई पूर्ण

(श्री अध्यक्ष)
होने पर भी द्वितीय चरण संबंधी निर्णय न लेने तथा राजस्थान नहर के समानान्तर रामगढ तक सड़क निर्माण न कराने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

उपरोक्त चारों स्थगन प्रस्तावों के संबध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है । जानकारी मिलने पर इन पर शीघ्र निर्णय लिया जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र कल ही सूचित कर दूंगा ।

इनके अलावा पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापितों के साथ पक्षपात पूर्ण नीति बरतने के सम्बन्ध में श्री बालसिंह सोढा, श्री पृथ्वीसिंह, श्री केसरीसिंह हाड़ा, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी । इस विषय में राज्य सरकार से जो उत्तर प्राप्त हुआ है उसमें कहा गया है कि यह मामला केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित है तथा राज्य सरकार ने भारत पाक संघर्ष 1965 के दौरान आये विस्थापितों को केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार विभिन्न सुविधाएं जैसे निर्वाह भत्ता झोंपड़े बनाने के लिये सहायता, कृषि ऋण, व्यापारिक ऋण आदि दिये हैं व ताशकन्द घोषणा के बाद आने वाले अल्प सख्यकों को भी इसी प्रकार की सुविधाएं देने के लिये प्रयत्नशील रही है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया, सदस्य विधान सभा ने दैनिक राष्ट्रदूत के सम्पादक एवं अन्य प्रमुख व्यक्तियों को टेलीफोन पर धमकियां दिये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी । राज्य सरकार से जो जानकारी मिली है उसमें यह कहा गया है कि इसकी कोई इत्तला राज्य सरकार के पास नहीं आई है ।

ऊपर दिये गये तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैं इन दोनों स्थगन प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं ।

श्री विजयसिंह (मकराना) : यह सरकार निकम्मी है ।

श्री अध्यक्ष : बार बार इस शब्द को दोहराना प्रभावहीन हो जाता है ।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : बार्डर रोड के सम्बन्ध में मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था । वह बड़ा इम्पोरटेंट है । मैं समझता हूं कि उत्तर आ गया है और सरकार इस पर वक्तव्य देने की स्थिति में है ।

श्री अध्यक्ष : अभी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । उस पर व्यवस्था कल दे दूंगा ।

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : मेरा भी प्रश्न महत्वपूर्ण है । करोड़ों रुपयों का मामला है ।

श्री अध्यक्ष : कल व्यवस्था दे दूंगा ।

श्री भैरोंसिह : कल हाऊस भी होगा ?

श्री अध्यक्ष : होगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : हमने भी एक प्रस्ताव भेजा था जो गंगानगर के लिये उच्चस्तरीय कमेटी बनाई गई है उसने वहां पर जो अनआथोराइज्ड एलाटमेंट, बेनामे की जमीन को पकड़ा है, उस सम्बन्ध में वह प्रस्ताव था । यदि उस पर वक्तव्य हो जाता है तो मालूम हो जाता है कि उच्च स्तरीय कमेटी ने क्या क्या कार्यवाही की है ।

श्री अध्यक्ष : मैंने इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उप निवेशन मंत्रीजी का सारी स्थिति पर प्रकाश डालते हुए वक्तव्य हो जावे तो स्थिति स्पष्ट हो जावे ।

श्री अध्यक्ष : बाद में विचार कर सकते हैं । आज नहीं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : विचार करके कल दिला दें ।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : पानी नहीं मिल रहा है लोगों को । दरखवास्त देते हैं लोग । कनेक्शन नहीं दिये जाते । गरमी के दिनों में प्यासे मर रहे हैं । वाटर वर्क्स मौजूद है । वहां के कर्मचारी 50 रुपया प्रति व्यक्ति रिश्वत का मांगते हैं जब तक यह रिश्वत नहीं दी जाती कनेक्शन नहीं देते । इसलिये इसकी व्यवस्था सरकार करावे++

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य । अंकित न हो । आॅर्डर माननीय सदस्य । सदस्य-महोदय स्थान ग्रहण करें । अब पर्याप्त हो चुका है । स्थान ग्रहण करें ।

श्री रामचन्द्र आर्य : + + + +

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैंने और हरजीरामजी ने अकाल के संबंध में बहस हेतु एक स्थगन प्रस्ताव रखा था । अकाल क्षेत्रों में खास तौर से चूरू, बीकानेर, की तरफ 12।। रुपया प्रति व्यक्ति नहीं दिया जाता । कुछ काम खोल कर कुछ लोगों को काम दिया जाता है । काम भी पूरे नहीं खोले गये हैं, जरूरतमंद लोगों को काम पर लगाया नहीं जाता । संख्या हर काम की निर्धारित हैं यह कह कर अधिक लोगों को टाल दिया जाता है । काम टास्क बेसिस पर कराया जाता है पर किया नहीं जाता है ।

श्री अध्यक्ष : मैंने इसे अस्वीकार किया है ।

श्री दौलतराम सारण : वहां बड़ी भयंकर स्थिति हो रही है । भूखों मर रहे हैं लोग, पानी की और आवास तक की कोई व्यवस्था नहीं है । महीनों तक पेमेन्ट नहीं होता है ।

श्री अध्यक्ष : राजस्थान टीनेन्सी विधेयक ।

श्री दौलतराम सारण : आप इस स्थिति पर विचार करके वक्तव्य तो दिला दें कम से कम कुछ किया नहीं जाता इसलिये आपके माध्यम से सदन के सामने स्थिति रखना चाहता हूं । वह स्थिति गम्भीर है और गम्भीरतम बनती जा रही है ।

श्री अध्यक्ष : अब पर्याप्त हो गया ।

श्री दौलतराम सारण : पर्याप्त क्या हो गया । लोगों के जीवन मरण का प्रश्न है । पशु और जन घास पानी के बिना मर रहे हैं । बिना अनाज के मर रहे हैं लोगों की ऐसी स्थिति बनी हुई है और यह राज्य सरकार कानों में तेल डाल कर बैठी हुई है ।

श्री भैरोंसिंह : एक हस्ताक्षरित याचिका की एक प्रति आपको दी थी और सबने मांग की थी कि इस पर बहस हो । पिछले बजट सत्र में भी हम अकाल के विषय पर कोई चर्चा नहीं कर सके । राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के समय यह कहा गया था सरकार की ओर से कि अकाल पर अलग से चर्चा होगी । फिर बजट सैशन आ गया । उस समय भी

++ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया ।

Page No 52

(श्री भैरोंसिंह)

यह बहस नहीं हो सकी। अकाल की समस्या राजस्थान में कितनी गम्भीर है इस बारे म कहने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं भी इसे अनुभव करते होंगे। इस दृष्टि से निवेदन करूंगा कि शार्ट नोटिस, क्वेश्चन, ध्यानाकर्षण आदि तरीकों के बाद भी कई मामले इसके रह जाते हैं। उन सबका निराकरण आप करना चाहते हैं तो दो दिन का समय अकाल की चर्चा के लिये निर्धारित करके सरकार का ध्यान इसमें व्याप्त कठनाईयों, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, अव्यवस्था आदि के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा सके और इस समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में कुछ व्यवस्था निकल सके तो अच्छा हो।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था।

एक माननीय सदस्य : ध्यान आकर्षित हो गया।

श्री बालसिंह सोढा : बजट सैशन में आश्वासन दिया गया था तो इस सत्र में अकाल पर बहस होनी चाहिये।

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : मुख्य मन्त्री भी उपस्थित हैं। सरकार की क्या इच्छा है। अकाल के सम्बन्ध में बहस की व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य! आपके नेता महोदय ने इस प्रश्न को रख दिया है। भैरोंसिहजी ने अकाल की स्थिति के संबंध में कई माननीय सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर करा कर एक पत्र प्रस्तुत किया है।

श्री भैरोंसिह : मैंने नहीं कराये हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने आप किये हैं।

श्री अध्यक्ष : यानि आप शब्दों के जाल में पड़ना चाहते हैं। मैं बैठ जाऊं। प्रश्न महत्वपूर्ण अवश्य है और अभी जो सदन का समय जिस विषय पर काम में आ रहा है वह भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मैं इस प्रश्न पर विचार कर रहा हूं। और सदन के नेता से भी परामर्श करूंगा इस संबंध में। अभी यह टीनेन्सी बिल ले लिया जावे। यथाशीघ्र वह संपन्न हो। फिर·······

श्री भैरोंसिह : ताकि जाने की फिर सुविधा हो जावे।

श्री अध्यक्ष : इसके साथ ही दूसरा प्रश्न और है। शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट पर विचार। आज यह विधेयक अगर समाप्त हो जाता है तो मुझको उस प्रश्न पर विचार करने में बड़ी सहूलियत होगी।

श्री रामचन्द्र आर्य : आज नहीं होगी इस पर बहस तो कल होगी। दो दिन तक होगी। शिडूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट पर बहस होगी।

श्री अध्यक्ष : आपको अपवाद मान लिया है इसका मतलब यह नहीं कि हर वक्त आसन की अवहेलना करते जावें।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपकी तरफ से भी सदस्यों के साथ कोई सहयोग नहीं है। तो हमारा भी नहीं है।

Page No 53

श्री अध्यक्ष : आपका सहयोग नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : हां, नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नहीं है तो ठीक है। इसलिये मैं इस प्रश्न पर विचार करके कल निर्णय से अवगत करूंगा। मैं आपके सहयोग का आभारी हूं। यह प्रश्न अहमियत भरा है, टीनेन्सी एक्ट को पास करने में सहूलियत दें और आज ही इसे पारित करने में सहयोग दें ताकि आगे का समय विचार करने के उपयोग में लिया जा सके।

श्री भैरोंसिंह : एक स्पष्टीकरण कर दूं। यह बहस शुरू हो, इससे पहले स्पष्ट रूप में बता दिया जाय कि सदन की कार्यवाही कितने *दिन और किस तारीख तक आप चलाना* चाहते हैं। मैं ऐसा समझता हूं और बार बार इस मामले को टालने से इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों के मन में अविश्वास रह रहा है और कई का तो ऐसा ख्याल है कि यह बिल पास होते ही सदन को स्थगित कर दिया जावेगा।

यह सम्भव भी नहीं कि सदन के नेता की इच्छा के विपरीत सदन चल सके। न इसकी सम्भावना है, न परम्परा ही रही है। ऐसी स्थिति में सदन के नेता से इस बारे में जानकारी करना चाहूंगा। जिस प्रकार से व्यवस्था दी थी शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट पर बहस करने के लिये तो क्या इस सत्र में इसके लिये दो दिन का समय देंगे।

साथ ही यह भी बता दीजिये कि अकाल के सम्बन्ध में चर्चा के लिये दो दिन का समय अलग से देंगे? क्योंकि जो बिजनेस एड-वाइजरी कमेटी है उससे भगवान जाने क्या नाराजगी है। सदन की कार्यवाही निर्धारित करने में इसकी राय आज आप नहीं लेना चाहते। इसलिये पूछने की आवश्यकता है कि आप अकाल के सम्बन्ध में और शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट पर बहस करने के लिये समय निर्धारित करने के सम्बन्ध में क्या कहना चाहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का प्रश्न काफी अर्से से चलता आ रहा है चर्चा के समय प्रश्न आया था कि जिस समय यह बिल लिया जावेगा इसके लिये विशेष अधिवेशन की आवश्यकता होगी, उस समय इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर भी चर्चा होगी। इन तीन प्रश्नों के सम्बंध में यह जानकारी नेता महोदय से चाहूंगा। ताकि इन लोगों के दिमाग में यह भ्रम बना हुआ है ज्योंही यह बिल पास होगा, शिड्यूल्ड कास्ट कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा होगी नहीं। मुझे तो लगता है, ज्यों ही यह बिल पास होगा, आप चले जायेंगे।

श्री हीराभाई (कुशलगढ) : माननीय अध्यक्ष महोदय........

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! स्थान ग्रहण करें।

श्री हीरा भाई : जो अकाल के मामले में...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

जो कुछ माननीय भैरोंसिंह जी ने कहा, उसका मुझसे संबंध है। शिड्यूल्ड कास्ट एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन की रिपोर्ट के लिए दो दिन निर्धारित किये गये थे। स्पष्ट रूप से इन दो दिनों का उपयोग ठीक नहीं हुआ है। उससे सभी परिचित हैं। यदि सम्यक् रूप

(श्री अध्यक्ष)
से कार्यवाही चलती तो उपयोग हो पाता तथा यह विश्वास किया गया था कि यह विधेयक दो दिन में पारित किया जाना चाहिये था।

एक माननीय सदस्य : असम्भव।

श्री अध्यक्ष : एक ही दिन में पारित किये जाने की यदि सक्रियता बरती जाती है, तो माननीय सदस्य इस सदन की परम्पराएं 12 बजे रात्रि तक बैठने की रही हैं। अतः यह विधेयक शीघ्र पारित हो जाये तब सवाल होता है शिड्यूल्ड कास्ट एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब्स रिपोर्ट पर विचार करने का। फिर भी मैंने यह कहा है, शिड्यूल्ड कास्ट एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब्स रिपोर्ट पर विचार किया जायेगा। जहां तक समय का प्रश्न है वह विधेयक को पारित करने के ऊपर निर्भर है। कितना समय यह विधेयक लेता है, इस पर आधारित है।

श्री विक्रमसिंह : 365 दिन होते हैं अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : लेकिन जैसा कि मैंने कहा है, यह रिपोर्ट ली जायेगी। अब यह अकाल राहत और पावर के विषय हैं मैंने यह कहा था मैं सदन के नेता महोदय से परामर्श करके जानकारी अन्य को दे देता। यदि मैं परामर्श करके जानकारी देता तो वह उपयुक्त होता। चूंकि माननीय सदस्य ने मेरे माध्यम से सदन के नेता महोदय से जानकारी चाही है, तो मैं बीच में नहीं आता हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य : उनका इशारा होने पर ही काम होता है।

श्री दौलतराम सारण : इससे पहले अध्यक्ष जी........ कि नेता महोदय कुछ बोलें, मैं यह निवेदन करूंगा कि जब भी सदन को स्थगित किया जाता है उस समय बिना पूर्व निर्धारित ही किया जाता जाता है।

श्री अध्यक्ष : यह आपका प्रश्न नहीं है पहले क्या हुआ है।

श्री दौलतराम सारण : मैं बड़ी विचित्र स्थिति में हूं। मैं कोई कार्य-क्रम निर्धारित नहीं कर सकता हूं। जितने मिलने वाले आते हैं, पूछते हैं, सदन कितने समय तक चलेगा? मैं उनको कोई उत्तर नहीं दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब आप क्या चाहते हैं? मुझ से क्या चाहते हैं?

श्री दौलतराम सारण : रोकना नहीं चाहता। यह स्थिति इन माननीय सदस्यों की उपयुक्त नहीं है। न नेता महोदय को न सरकार को और न इस आसन को।

श्री अध्यक्ष : उंगली तो मत बताइये, कम से कम। ऊंगली बताना बन्द करिये।

श्री दौलतराम सारण : समय निर्धारित कर देते हैं........

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सभी माननीय सदस्य...

एक माननीय सदस्य : आवाज नहीं आ रही है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय........

कई माननीय सदस्य : आवाज नहीं आ रही है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो इस सदन को विशेष तौर से सीलिंग के संबंध में ही बुलाया गया था लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट के बारे में पिछले सैशन में मैंने कहा था, अगले समय में दो दिन रखने को मैंने कहा था। फैमिन और पावर के बारे में भी डिस्कशन के लिये यहां पर कहा गया है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य फाइनल प्रोग्राम को ठीक करके चलें तो मुझे एतराज नहीं होगा। प्रोग्राम में थोड़ा एडजस्टमेंट दोनों तरफ से करना होगा जिससे कि जल्दी समाप्त हो सके। आज 14 तारीख है। टैनेन्सी एमेंडमेंट बिल आज पारित किया जाये। 15/16 को फैमिन रखा जाये।

एक माननीय सदस्य : 17 तारीख को इतवार है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इतवार 17 तारीख का है, इसीलिये वर्किंग डे मैंने कहा है। 18/19 तारीख को शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा हो जाय। 20 तारीख को हाउस समाप्त हो जाये।

श्री भैरोंसिंह : यह बिल तो एक दिन में पास नहीं होगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : (अश्रव्य)

एक माननीय सदस्य : आवाज नहीं आ रही है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कमिटेड कराके चलना चाहते हैं, इसमें समय लगेगा तो आगे एडजस्ट कर लेंगे।

श्री भैरोंसिंह : समय तो लगेगा ही। एक ही दिन में पास कर दें यह तो नहीं होगा। समय लगना तो निश्चित है। मैं समझता हूं आगे और एडजस्ट किया जाये। इस चर्चा को सीमित नहीं किया जाये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कल से यह बिल चल रहा है। महत्वपूर्ण विचार और चर्चा आयी है, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है। इसीलिये मैंने कहा कि ज्यादा बैठ सकते हैं। लेकिन 20 तारीख से आगे जाना सम्भव नहीं होगा।

श्री विजयसिंह : क्यों 20 तारीख से आगे क्यों नहीं? इसमें ऐसी क्या बात है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इसमें ऐसी बात है।

श्री दौलतराम सारण : कार्य समिति बुलाकर चर्चा कर ली जाए। वह ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष : यह तो प्रश्न हल होगा नहीं। आप क्या फरमा रहे हैं?

श्री दौलतराम सारण : (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : (श्री लादूराम सुलानिया के खड़े होकर कुछ बोलने पर) आप का क्या प्रश्न रह गया है?

श्री लादूराम सुलानिया : यह रह गया है अध्यक्ष महोदय.....

श्री अध्यक्ष : वह आ रहा है।

श्री लादुराम सुलाणियां : जो बिजनेस रखना चाहते हैं, वह बाद में रख लें।

श्री अध्यक्ष : हां, अब मैं विधायी कार्य लेता हूं।

राजस्थान टिनेन्सी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1970 पर अग्रेतर विचार

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : अध्यक्ष महोदय, यह सीलिंग से संबंधित जो टेनेन्सी (द्वितीय संशोधन) बिल प्रस्तुत किया गया है, राज्य सरकार ने जिस उद्देश्य को लेकर यह संशोधन बिल रखा और उसका मुख्य उद्देश्य यह बताया कि हम भूमिहीन किसानों को भूमि देना चाहते हैं और सीलिंग के तहत जो भूमि की सीमा निर्धारित की है, उस संबंध में मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने जो 30 स्टैन्डर्ड एकड़ रखी है उसका माप दन्ड कैसे करेंगे, किस प्रकार से मूल्यांकन करेंगे ? किसी एक व्यक्ति के पास कोटा जिले में एक क्षेत्र में 30 स्टै. एकड़ भूमि का आवंटन करवा लिया या खरीद ली। जो व्यक्ति चतुर हो गये हैं, जो राजनीति में रहने वाले हैं पूंजीपति हैं, उन्होंने यदि 3 स्टै. एकड़ भूमि कोटा जिले में ले ली और उसी व्यक्ति ने गंगानगर जिले में भी जाकर इतनी ही भूमि आवंटित करवाई या क्रय करके रखी और जयपुर जिले में भी आवंटित करवा रखी है तो आप कैसे अंदाजा लगायेंगे कि इस व्यक्ति के पास 30 स्टै. एकड़ भूमि है ? मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे इलाके में किशनगंज शाहबाद में सरदार स्वर्णसिंह हैं उनके रिश्तेदारों के पास 20 हजार बीघा भूमि है, उनके पास गंगानगर जिले में भी भूमि है और दूसरे जिले में भी है, तो आप किस तरह से पता लगायेंगे कि एक व्यक्ति के पास इतनी जमीन नहीं है ? इस बारे में सरकार के पास न कोई बैरोमीटर है, न व्यवस्था है ....

श्री अध्यक्ष : किस प्रकार का ?

श्री देवीदत्त गाडिया : कोटा जिले में 30 स्टै. एकड़ भूमि ले ली, गंगानगर में भी है, जयपुर में भी उसी व्यक्ति के पास है ....

श्री अध्यक्ष : किसी स्ट्रेंजर का नाम क्यों लेते हैं ?

श्री देवीदत्त गाडिया : उदाहरण के रूप में सरदार स्वर्णसिंह, सरदार रणवीरसिंह किशनगंज शाहबाद इलाके में वह सीलिंग के अन्दर आ गया ? कैसे पता लगेगा ?

(12.35 म. प.)

(श्री उपाध्यक्ष पदासीन)

सरकार यह जो कानून बनाने जा रही है, यदि सरकार की मन्शा है कि भूमिहीन किसानों को जमीन मिले तो आवश्यक तो यह था कि सरकार ने जो "ग्रो मोर फूड" के नाम से जमीन ली और उस लीज के टर्म्स व कन्डीशन्स क्या थे, उस बारे में जो लीज पर ली हुई जमीन जिन बडे बडे उद्योगपतियों व बडे बड़े नेताओं और दूसरे लोगों ने जिनका खेती से संबंध नहीं था, राज्य अधिकारियों ने उस जमीन को बेच दिया, उस बारे में कानून लाना चाहिये था, उन्होंने जो बेच दी उसको कैंसिल किए जाने के लिए सरकार को कानून लाना चाहिए था। इस सम्बन्ध में उदाहरण देना चाहता हूं। छबड़ा तहसील में श्री केशरीसिंह रानावत जो पहिले कमिश्नर थे छबड़ा के अंदर

(श्री देवीदत गाड़िया)

5 बीघा जमीन लीज पर ली और 3–4 साल बाद उन्होंने बेच दी। ठीक उसी प्रकार से श्री राजनारायण शर्मा और उसके परिवार के लोगों ने उसी छबड़ा तहसील में 3 हजार बीघा जमीन लीज के नाम से आवंटित कराई और बेच दी। इसी प्रकार किशनगंज तहसील में इसी राज नारायण शर्मा और दूसरे लोगों ने लीज के नाम जमीन ली और बेच दी। इतना ही नहीं नवलगढ़ के एक बड़े सेठ जो बंबई में हैं, करोड़पति हैं किसी सरकारी अधिकारी और नेता से सांठगांठ करके 1957 में उन्होंने तहसील किशनगंज में ग्राम करवरी उन सेठों के नाम दुर्गाप्रसाद पुत्र परसराम जिनको सारी दुनिया जानती है, बंबई में बड़े कारखाने हैं, नवलगढ़ का निवासी है उन्होंने उस गांव में कई खसरा नम्बर की और कुल 2187 बीघा जमीन सरकार से आवंटित करवाई। उसी प्रकार उसके लड़के श्री दुगनलाल ने उसी गांव के अन्दर 1787 बीघा जमीन आवंटित करवाई 1957 में। उन्होंने भूमि आवंटित कराई 1957 में लेकिन 1953 के अंदर इन्होंने इस भूमि पर कब्जा किया, नाटक रचा, पटवारी ने रिपोर्ट की 1961 में कि इन लोगों ने जिनके पास न कोई पट्टा है, न सरकारी आदेश हैं, जबरदस्ती कब्जा कर रखा है और वह भी पूरी भूमि पर नहीं सिर्फ 500 बीघा जमीन पर काश्त करते हैं लेकिन 3887 बीघा जमीन पर अपना कब्जा बताया। उसको खारिज किया जाय लेकिन तहसीलदार की हिम्मत नहीं।

इतना ही नहीं, इस प्रकार बड़े 2 करोड़पति सेठों ने सरकारी आदेश के नाम पर लीज सिस्टम लिखा हुआ है, मेरे पास नकल है तहसील किशनगंज। 1-3-57। रेवेन्यू सेक्रेटरी राजस्थान सरकार आज्ञा एफ.डी.1583 रेवेन्यू 11-57 दिनांक 27 दिसम्बर, 1957। श्री बेनीप्रसाद ने फरवरी 21-27(4) आराजी बिना किसी कब्जे के स्वीकृत हुई है।

दूसरे की जमीन जिसके लिये राजस्व विभाग ने लिख दिया कि इनको लीज पर दी जाती है मैं पूछना चाहता हूं वह टर्म्स व कन्डीशन्स क्या थीं लीज की? लेकिन राज्य सरकार ने उस लीज पर ली हुई जमीन समाप्त करने के लिये, वास्तव में सरकार की मंशा होती कि भूमिहीनों को भूमि देनी है तो लीज पर दी हुई जमीन के संबंध में संशोधन लाते कि जिस व्यक्ति ने लीज पर ली हुई जमीन बेच दी है तो रद्द मानी जायगी लेकिन सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। पहले सरकार इस बात का ध्यान रखती। उपाध्यक्षजी, आपको भी जानकारी है, सदन में जो माननीय सदस्य किसान हैं या जिस को रेवेन्यू एक्ट की जानकारी है जिस व्यक्ति को सेटिलमेंट का पट्टा मिल जाता है, उसके खातेदारी अधिकार माने जाते हैं और वह भूमि का बेचान कर देता है। इन दोनों सेठों ने 887 बीघा जमीन पर कब्जा किया सेटिलमेंट से साठगांठ करके, रेवेन्यू विभाग की राय लिये बिना बाला बाला पट्टा प्राप्त कर लिया और उन्होंने उस जमीन को बेच दिया। बेचा भी किसे? गरीब किसान को नहीं। भूमि हीन किसान को नहीं। एक बहुत बड़े जागीरदार, भूमिपति श्री सरदार स्वर्णसिंह रघुवीरसिंह जिसके पास पहले ही पन्द्रह हजार बीघा भूमि है, इसमें से उन्होंने चार हजार बीघा भूमि बेच दी। सरकार

(श्री देवीदत्त गाडिया)

इस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट ला रही है कि कोई व्यक्ति अपने लड़के, अपने भाई, अपने रिश्तेदार या जो कृषि से संबंधित जानकारी रखता है उसको भूमि बेच सकता है। यह इस बात का संकेत है कि यह सरकार वास्तविक रूप से भूमिहीन किसानों को, जो हल चलाना चाहते हैं, जो कि कृषि पर निर्भर करते हैं, जिनके बाप दादा हमेशा से खेती करते आ रहे हैं को भूमि नहीं दिलाना चाहती है। इसलिए बड़े बड़े सेठों ने जागीरदारों को, जमींदारों को भूमि बेच दी। अगर सरकार की यह मन्शा होती और वह भूमिहीन किसानों को जमीन दिलाना चाहती तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जमींदारी एबालिशन 1959 के अन्दर हुआ उस समय जो जमीन उनके पास थी, जो उनकी खेती के अलावा जंगल की जमीन थी, क्या सरकार ने कभी जानकारी प्राप्त की है कि उन जमींदारों से वह जमीन सरकार के कब्जे में आई या नहीं? सदन को यह सुन कर ताज्जुब होगा कि कोटा जिले की एक तहसील है किशनगंज जिसमें चालीस जमींदार हैं जिनमें से अधिकांश ने जमीन का मुआवजा ले लिया उसके बाद उस जमीन को, चाहे वह जंगलात की जमीन हो, जो जमीन उनके पास थी उसका मुआवजा लेने के बाद भी सेटलमेंन्टट अधिकारियों से मिल कर उसको अपने खाते में दर्ज करवा लिया है और उस जमीन का आज भी वह लाभ ले रहे हैं। क्या सरकार ने इस ओर ध्यान दिया? सरकार को उस भूमि को सीलिंग के अन्दर लेना चाहिए था। लेकिन सरकार की यह मन्शा नहीं है। अगर सरकार यह चाहती तो सरकार यह घोषणा करती कि जमींदारी एबालिशन के बाद जमींदारों ने जिस जमीन का नाजायज कब्जा से लिया है, जिस जमीन का नाजायज पट्टा बनवा लिया है वह कैंसिल माना जायेगा। लेकिन सरकार उस ओर ध्यान नहीं देती है। आज यह सरकार कहती है कि हम भूमिहीन किसानों को भूमि देना चाहते हैं—यह तो थोथा नाटक है। यदि वास्तव में सरकार शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को और गरीब किसानों को भूमि देना चाहती तो आज राजस्थान के अन्दर राजस्थान के मुख्य मंत्री सुखाड़ियाजी हैं और केन्द्र के अन्दर कांग्रेस की सरकार है वह अपने को प्रगतिशील कहती है और यह कहती है कि हम हरिजनों उत्थान करना चाहते हैं, हम भूमिहीनों को भूमि देना चाहते हैं, तो जो राजस्थान सरकार ने एक कानून बना रखा है कि जो हाली प्रथा है, बीगोड़ी प्रथा है यह कानूनन बन्द है, यह कानूनन अपराध है, लेकिन क्या सरकार ने कभी इस बात की जानकारी करवाई कि आज भी जो गरीब सहरियें हैं, जो आदिवासी भील हैं, जो चमार, बलाई और शिड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं जिनके पास एक बीघा जमीन भी नहीं है वह आज भी बड़े बड़े भूमिपतियों के यहां हाली का काम करते हैं—उनके संबंध में सरकार ने क्या एक्शन लिया है? क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करवाई है? आज भी उनसे बेगार ली जाती है। चाहिए तो यह था, आज यदि प्रगतिशील कानून बनाना चाहते हैं तो कानून इस प्रकार का बनाते कि जिस किसी बड़ेबडे उद्योगपति, पूंजीपति, राजा महाराजा के खेत के ऊपर जो किसान हाली के रूप में

(श्री देवीदत्त गाडिया)
काम करते हैं उनका उस खेत के उत्पादन में हिस्सा होगा, जमीन के वह मालिक माने जायेंगे। तब तो मैं मानता कि यह सरकार वास्तव में प्रगतिशील है और भूमिहीन किसानों को भूमि देना चाहती है। लेकिन आज भी यह हाली प्रथा और बीगोड़ी प्रथा बदस्तूर चल रही है और यह सीलिंग का कानून भी उसी प्रकार रद्दी की टोकरी में जायेगा जिस प्रकार हाली प्रथा और बीगोड़ी प्रथा का कानून रद्दी की टोकरी में चला गया··

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : कोरम नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप लोग सीरियस नहीं हैं सीलिंग कानून को मंजूर करने के लिए।

श्री जुझारसिंह (रामगंजमंडी) : सीरियस कहां है। उधर की बेंच खाली पड़ी है।

(गणाभाव सूचक घंटी)

(कुछ माननीय सदस्यों के सदन में आने से गणपूर्ति हुई)

श्री देवीदत्त गाडिया : तो मैं निवेदन कर रहा था·····

श्री जुझारसिंह : कम से कम इन डिप्टी मिनिस्टर्स की तो बैठने की ड्यूटी लगा दें। इनके पास और काम भी नहीं है। इससे सदन में कोरम भी रहेगा।

श्री रामनन्द अग्रवाल : इनके पास और तो कोई काम नहीं है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : यह ज्यादा खा आते हैं इसलिए इनसे बैठना बनता नहीं है।

श्री देवीदत्त गाडिया : मैं निवेदन कर रहा था इस प्रकार से आज भी भूमिहीन किसान हैं जिनके पास एक बीघा जमीन भी नहीं है, दूसरी ओर बड़े बड़े व्यक्ति हैं जिनके पास किसी के पास तीन सौ, किसी के पास चार सौ, किसी के पास हजार और किसी के पास दो हजार बीघा जमीन है और उनके खेत पर यह भूमिहीन लोग काम करते हैं, वह तीन सौ रुपये साल की नौकरी करते हैं और ज्यादा से ज्यादा उनको पांच सौ रुपये मिल जाते हैं। इससे ज्यादा पैसा उनको नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में आज क्यों नहीं इस प्रकार का कानून बनाया जाता है, अगर वास्तव में कांग्रेस सरकार अपने आपको समाजवादी सरकार कहती है और देश के अन्दर अन्न व्यवस्था को ठीक करना चाहती है, देश की अन्न समस्या को हल करना चाहती है, और देश में से बेरोजगारी, बेकारी और भुखमरी को मिटाना चाहती है, और केन्द्रीय सरकार की प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी हैं, और राजस्थान के मुख्य मंत्री सुखाड़िया हैं—इनकी सरकार है, इन दोनों की मन्शा पवित्र होती और इनकी भूमिहीन किसानों के साथ हमदर्दी होती तो इनको कानून इस प्रकार का बना देना चाहिए था कि जितने बड़े बड़े कारखाने हैं, उनमें जो काम करने वाले मजदूर हैं, और जो बड़े बड़े भूमिपतियों, जमींदारों के खेत हैं, उनमें काम करने वाले मजदूर हैं उनकी उत्पादन में हिस्सेदारी होगी, उसमें जो भी पैदा होगा उसके मुनाफे के यह मजदूर हिस्सेदार होंगे, नुकसान के नहीं होंगे। अगर वास्तव में यह

(श्री देवीदत्त गाडिया)

कानून लाया जाता, यदि हिन्दुस्तान में यह कानून बन जाता तो हिन्दुस्तान की बेकारी, बेरोजगारी और भुखमरी की बहुत बड़ी समस्या हल हो जाती। आज कारखानों में जो मजदूर हड़ताल करते हैं उसमें रूस और चीन के पिछलग्गुओं का, नक्सलपंथियों का हाथ होता है और यह देश की अर्थ व्यवस्था को खराब करना चाहते हैं– इनकी नापाक दाब हड़ताल कराने में नहीं लगता। इसी प्रकार जो गरीब किसान हैं जो भूमिहीन हैं उन भूमिहीन किसानों को उत्पादन की पांति मिल जाती तो वह अधिक अन्न पैदा करते उनमें आत्म विश्वास जाग्रत होता और वह सोचते कि मैं जितनी महनत करूंगा, जितना अधिक अन्न उत्पादन करूंगा उतना ही ज्यादा हिस्सा मिलेगा। लेकिन सरकार इस प्रकार का कानून नहीं बनाना चाहती है। आज मैं निवेदन करूंगा कि कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता हैं मिनिस्टर हैं, इन्होंने जगह जगह पर भूमि ले रखी है चाहे वह गंगानगर जिले का हो, चाहे जयपुर जिले का हो या चाहे दूसरे जिले हो क्या सरकार ने कभी यह पता लगाया है कि गंगानगर में किसके पास में कितनी भूमि है जयपुर जिले में किसके पास कितनी भूमि है ? कोटा जिले में किसके पास कितनी भूमि है ? और सीलिंग में वह किस तरह से आती है ? लेकिन सरकार ने आज तक स्पष्ट नहीं किया है। इसलिये यह कह कर कि कोई भी व्यक्ति अपने बेटे और भाई को जमीन बेच सकता है—यह कानून बनाना चाहें तो मैं कहूंगा कि जो भूमिहीन गरीब किसान हैं, जो वंश परम्परा से, जो वंशानुवंश से खेती करना जानते हैं–– उनके साथ में बहुत बड़ा अन्याय होगा। आज सरकार कहती कि सीलिंग के अन्तर्गत हम भूमि लेकर भूमिहीन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को भूमि देना चाहते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से किशनगंज, शाहबाद तहसील के अन्दर जो बड़े बड़े जमींदार हैं, जिसका नाम मैंने पहले लिया सरदार स्वर्णसिंह रघुवीरसिंह मैं उदहारण के रूप से बता देना चाहता हूं कि किस प्रकार से उन्होंने जमीन के ऊपर कब्जा किया है। आज सरकार ने एक कानून बनाया कि शिडयूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की जमीन दूसरे बड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं ले सकता, लेकिन उन्होंने जमीन लेने के लिये फर्जी कार्यवाही की। उन्होंने जो स्टाम्प खरीदा वह फर्जी तौर पर एक शिड्यूल्ड कास्ट्स के नाम पर खरीदा। एक गरीब सहरिया को जमीन बेचनी थी तो सिरे चमार के नाम से, जो वहां रहता नहीं है, जिसके नाम का पता नहीं है, स्टाम्प लेकर उसको लिखवा लिया और उसको रजिस्टर करवा लिया। उसके खिलाफ हत्या का केस चल रहा है, उस मर्डर के केस के अन्दर एक सहरिया की हत्या की ...

श्री रामकिशोर व्यास : माननीय सदस्य सीलिंग के मुतल्लिक बोलें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री देवीदत्त गाडिया : उदाहरण दे रहा हूं। माननीय मंत्री महोदय सुनिये, पुलिस ने छापा मारा ......

श्री मोहनलाल मोदी: आज पुलिस की मांग नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप संक्षेप में बोलिये।

श्री देवीदत्त गाडिया : मैं संक्षेप में बोल रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : सीलिंग पर बोलिये।

श्री देवीदत्त गाडिया : तो उसके यहां सहरिये के नाम से जमीन का पट्टा निकला और फर्जी............

श्री रामकिशोर व्यास : आप यह कई दफा कह चुके हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : मैं नई बात बता रहा हूं। तो उस सहरिये के नाम से कागज निकला जिसकी जमीन पर उसने कब्जा कर लिया था। इतना ही नहीं, मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि जो सैटलमेन्ट के द्वारा पट्टा दिया जाता है, 1960-61 के अन्दर कोटा जिले के अन्दर सैटलमेन्ट हुआ, उसमें फर्जी तौर पर जो सैटलमेन्ट के रिकार्ड के अन्दर सहरिये की जमीन का पट्टा बताया था उसको इस जमींदार के नाम पर बता दिया। मैं यह एक ज्वलन्त उदाहरण के रूप में सदन को बताना चाहता हूं। आज सरकार कहना चाहती है कि एक व्यक्ति के पास तीस स्टेन्डर्ड एकड़ से अधिक जमीन नहीं होगी। लेकिन लोग इतने चालाक हो गये हैं कि जिस इलाके में कोई व्यक्ति रहता नहीं है, वहां एक व्यक्ति ने पच्चीस आदमियों की फर्जी लिस्ट देकर भूमि आवंटित करा ली। एक छीपोद गांव है, वह घनी आबादी का गांव है, उसके अन्दर एक ही जाति के लोग रामदेव, सीताराम और शंकरलाल ने पच्चीस तीस व्यक्तियों के नाम से, जो कहीं के रहने वाले हों, बीकानेर के रहने वाले हों, जोधपुर के रहने वाले हों, उस छीपोद गांव में वहां के सरपंच रामपालसिंह से मिल कर इन पच्चीस आदमियों के नाम से फर्जी एलाटमेन्ट करा लिया। अब वह सीलिंग के अन्दर कैसे आयेगा? सरकार इस प्रश्न की जांच करेगी वह भूमि एक व्यक्ति के पास में है। मैंने प्रयास करके एक लिस्ट बनायी है। एक तहसील के अन्दर सरदार स्वर्णसिंह और रामपालसिंह के पास तहसील रेकार्ड के अनुसार 700 बीघा जमीन है और किसी का उसमें नाम नहीं यह किस तरह से बन गया? क्या सरकार आश्वासन देगी वह भूमि भूमिहीन किसानों को दिलायेगी। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं यदि सरकार की यह मन्शा है कि भूमिहीन किसानों को जमीन मिले तो सीलिंग कानून के अन्दर यह प्रावधान होना चाहिये कि जिन्होंने गलत ढंग से या सही ढंग से जमीन ली है ग्रोमर फंड के नाम पर उसके बाद सेटलमेन्ट के अन्दर बहुत बड़ा लकुना रहा है पैसा दे देकर लोगों ने भूमि को अपने नाम कराया है।

इसके साथ साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोआपरेटिव फार्मिंग के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं, इसमें कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी को छूट दी जा रही है सीलिंग कानून के अन्तर्गत छूट दी जा रही है यह एक बड़ा धोखा होगा। उदाहरण के तौर पर निवेदन करना चाहता हूं तहसील किशनगंज शाहबाद में 40 कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज है एक एक सोसाइटी के पास पांच हजार बीघा से लेकर 500 और 300 बीघा तक जमीन है। सहरिये उसके मेम्बर अब नहीं रहे फिर भी सहरियों के नाम पर भूमि अलोट

(श्री देवी दत्त गाड़िया)

करवाई गई है, मकान के लिये कर्जा अनुदान लिया गया समाज कल्याण विभाग केन्द्रीय सरकार से अनुदान लेकर बन्ध और नहरें बनवाई गई आज उस कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी पर सरदार स्वर्णसिंह जैसे जमींदार का कब्जा है। इसी तरह से अन्य कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज का यही हाल है नाम को तो कोआपरेटिव सोसाइटी है लेकिन उनकी सारी भूमि पर एक ही व्यक्ति का कब्जा है। सहरियों के नाम भूमि अलोटेड है लेकिन आज उस भूमि पर बड़े बड़े जमीदार और बड़े बड़े लोगों ने वह जमीन अलोट करवाई है। फर्जी नाम से पट्टे बनवा लिये गये जो नाबालिग हैं उनकी उम्र नहीं लिखी इसी तरह से नाबालिग बच्चों के नाम से भूमि अलाट नहीं हो सकती लेकिन कर्मचारियों से मिल कर अलोट करवाली गई। इस तरह से बड़े बड़े पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है और इसके शिकार भूमिहीन किसान हो रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं आपने कानून में जो यह प्रावधान किया है कि 31 दिसम्बर, 69 तक जिन्होंने जमीन बेच दी है चाहे वह जमीन सरकारी हो या लीज पर ली हुई हो और इस तरह से कोआपरेटिव फार्मिंग की जमीन है उसको भी अलोट करवा ली और उसका पट्टा ले लिया इस तरह से 31 दिसम्बर, 69 तक बेची जमीन को आप छूट दे रहे हैं यह तो आपका व्यवहार है वह डिसक्रीमिनेटरी है। दूसरी तरफ ऐसी जमीन के मालिक जिन्होंने एग्जेम्पशन ले रखा है कानून के तहत और उन्होंने नियमों के अन्तर्गत उनको आपको जमीन बेचने की छूट देनी चाहिये। यदि सरकार उनको मौका नहीं देती है तो यह उनके साथ अन्याय और धोखा है। मैं पूछना चाहता हूं आप इसके लिये क्या करने जा रहे हैं? आप किस तरह से पता लगायेंगे, देश में अन्न की समस्या उत्तरोत्तर बढती जा रही है वैसी हालत में दो व्यक्तियों के बीच में टकराव नहीं होने देना चाहिये। इससे होगा क्या कि जिसके पास 300–400 बीघा जमीन है उसके और जिसके पास कुछ नहीं है उनमें आपस मे संघर्ष होगा। इस सीलिंग के अन्तर्गत आपको इस तरह की व्यवस्था रखनी चाहिये कि जिससे खेती करने वाला और खेत में हल चलाने वाला दोनों साझीदार होने चाहिये जो खेत में मजदूरी करता है उसका भी उसमें हक होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको पता है कि जयपुर के आसपास जो खेती के योग्य भूमि थी उस पर आजमिनिस्टरों ने अपने लड़कों के नाम पर और बड़े बड़े लोगों ने फर्जी नाम देकर काश्त की भूमि को अपने अधिकार में ले लिया है। इसी तरह से आपके सरकारी अधिकारियों ने जगह जगह भूमि अपने कब्जे में कर रखी है जिनको मिलाकर 300–400 बीघा हो जाती है उन पर आप किस तरह से सीलिंग लागू करेंगे। एक अधिकारी कोटा में रहा तो उसने पचास बीघा वहां ली उसके बाद बून्दी गया तो वहां पर तीस बीघा ले ली, फिर. झालावाड़ गया तो वहां भी ले ली तो आप क्या इस प्रकार से सभी जगह ली हुई भूमियों का रकबा मिलाकर सीलिंग लागू करेंगे या किस तरह से? फर्जी नाम से दो तीन जगह भूमि अलोट करवाली है वहां आप क्या

(श्री देवीदत्त गाडिया)

करेंगे आज ये लोग मजदूरों से खेती करवाते हैं उनको कुछ नहीं देते वे तो सिर्फ मुनाफा कमाने के लिये खेती करते हैं। सरकारी अधिकारी जयपुर में बैठा हुआ है सेठ बम्बई में बैठा हुआ है, राजनैतिक नेता आपके मंत्री मंडल में लेकिन दूसरी जगह खेती उसके नाम से होती है, वह उस खेत से अपना मुनाफा कमाते ह यह जो समस्या है, आप इसको कैसे हल कर पायेंगे।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं सीलिंग से सम्बंधित यह जो अमेन्डमेन्ट बिल है इस बारे में सरकार जल्द बाजी न करे और जो मैंने सुझाव दिये हैं कि ग्रोमोर फूड के नाम पर या लीज पर जिन्होंने भूमि ले रखी है वह जमीन सरकार किस प्रकार से लगी। जिसने सेटलमेन्ट करते समय फर्जी पट्टे दे दिये थे जिसका उल्लेख सेटलमेन्ट रेकार्ड में नहीं, तहसील रेकार्ड में नहीं वह भूमि उनसे वापिस ली जाय। इसी तरह से कोआपरेटिव फार्मिंग के नाम पर जो हजारों बीघा जमीन पर कब्जा करके बैठे है किस प्रकार से उनसे वह भूमि ली जाय और उसको भूमिहीन सहरियों के अन्दर आदिवासियों के अन्दर बांटी जाय इस बारे में आप क्या व्यवस्था करेंगे। आज सहरियों और आदिवासियों को भूमि आपने दी है लेकिन उसका पट्टा नहीं देते हैं अदालत में जाते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती। आज होता क्या है कि बड़े लोग अदालत में जाकर उन सहरियों और आदिवासियों के नाम अलोट हुई भूमि को अपनी बता कर स्टे ऑर्डर ले आते हैं। वे लोग अदालत में जाकर एफेडेविट देकर वहां से स्टे ऑर्डर ले आते हैं और उस भूमि पर

(1.00 म. प.)

अपना कब्जा बताये रखते हैं और स्टे आर्डर होने पर पांच साल तक फैसला नहीं हो पाता है और गरीब किसान, सहरिया अनुसूचित जाति का आदिवासी पैसे के अभाव में अदालत में जाकर नहीं लड़ सकता है और बड़े आदमी जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं। इसलिये इस सम्बन्ध में कानून लाया जाता कि अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन पर स्टे आर्डर नहीं दिया जायेगा और यदि दिया जाता है तो एक महिने के अन्दर फैसला कर दिया जायेगा। 515 साल तक वे भूलते रहें, राजस्व मंत्री जी मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जिला बांसवाडा में जहां कि आदिवासी गरीब किसान हैं, उनकी 500 बीघा जमीन पर गुजराती लोगों ने जो कि गुजरात के रहने वाले हैं जिनका कि उस जमीन पर कोई अधिकार नहीं था और जिसका कि रेवेन्यू कमिश्नर ने फैसला कर दिया था उस पर आपने स्टे आर्डर कैसे दे दिया। वहां के सहरिया क्या करेंगे। उनकी जमीन पर कब्जा बड़े गुजरातियों का हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष : समय काफी हो गया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : दो मिनिट में समाप्त करता हूं। इसलिये रेवेन्यू अपीलेट आथोरिटी चाहे रेवेन्यू कोर्ट हो, चाहे कलेक्टर हो, एस. डी. एम. हो, इस प्रकार का कानून बनाया जाय कि अनुसूचित जाति के भूमिहीन किसानों की जो जमीन हों, और उस पर बड़े लोग कब्जा कर के बैठ जाते हैं और स्टे ले आते हैं और वहां कार्यवाही उनके पक्ष में हो जाती है और गरीब व्यक्ति परेशान होते हैं

(श्री देवीदत्त गाडिया)

इसलिये ऐसा कानून लाया जाय कि स्टे खतम हो जाये और स्टे मिले ही नहीं । या कानून में ऐसी सख्ती कर दी जाये कि एक महीने के अन्दर अन्दर उसका फैसला हो जाये । आज रेवेन्यू बोर्ड के अन्दर 8-10 साल तक कोई फैसला नहीं होता है। रेवेन्यू मिनिस्टर की अदालत में भी स्टे आर्डर दे दिया जाता है और गरीब व्यक्ति वहां पर अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता । यदि वास्तव में सरकार की मंशा भूमिहीन किसानों को भूमि देने की है, तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि भूमिहीन किसानों में प्राथमिकता अनुसूचित जाति को देकर उनको अच्छी से अच्छी जमीन देनी चाहिये और उनको हर प्रकार की सुविधाएं देनी चाहियें और जिन लोगों के पास पांच पांच हजार बीघा जमीन है उनके बारे में सरकार को जिला स्तरीय जांच कमेटी नियुक्त करना चाहिये । यह कमेटी राजनैतिक नेताओं के पास कितनी जमीन है, उनके रिश्तेदारों के पास कितनी जमीन है, सरकारी अधिकारियों और बड़े भूमिपतियों, जमीन्दारों के पास कितनी जमीन है और किस तारीख से यह जमीन उनके पास है, पुराना खसरा नम्बर क्या है, इसके लिये एक जिला स्तरीय जांच कमेटी बनाई जाये और उससे एक साल के अन्दर रिपोर्ट मांग ली जाये और इस तरह का कानून बन जाये और वह सख्ती का कानून होना चाहिये। हर व्यक्ति के पास कितनी जमीन है, उसकी इत्तिला वह सरकार को तीन महिने के अन्दर अन्दर कर दे और उसके बाद उससे अधिक जमीन पाई गई तो वह जुर्म का भागीदार होगा । इस तरह का कानून बन जाये तो सही दशा जनता के सामने आ जायगी और जितनी अधिक जमीन हो उसका भूमिहीन किसानों में वितरण हो जाये, यही मेरा आपसे निवेदन है ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री महेन्द्रसिंह ।

श्री महेन्द्रसिंह (पीपल्दा): उपाध्यक्ष महोदय, आज यह टिनेन्सी अमेन्डमेन्ट बिल सीलिंग के मसले को लेकर हमारे सामने उपस्थित हुआ है । जहां तक इसका मंशा और भावना का सवाल है मैं इसका विरोध नहीं करता हूं । जिनके पास में जमीन नहीं है निश्चित रूप से उनको जमीन मिलनी चाहिये, मैं इस ख्याल का हूं लेकिन इस कानून को देखने से इस प्रकार की झलक आती है कि सरकार किसी एक वर्ग के साथ कुछ जलन में आकर वहां के वाशिन्दों के ऊपर अत्याचार करना चाहती है, उनसे बदला लेना चाहती है । दूसरी ओर रहम करके उन लोगों को जो नाजायज तरीके से जमीनों पर काबिज हुए बैठे हैं उनको रियायत देना चाहती है । जहां तक इसके अन्दर एक जून, 70 तक जितने भी व्यक्तियों ने, किसी भी परिवार के सदस्य ने चाहे वह पुत्र हो, भाई हो अपने पास सीलिंग से ज्यादा या अधिक जमीन है उस जमीन को उस व्यक्ति को वह दे सकता है, इस प्रकार के कन्सेशन का सवाल है । इसमें ऐसा मालूम होता है कि उस एरिया के अन्दर जहां पर नहर निकली है, कमान्डेड एरिया है जैसे गंगानगर कोटा बूंदी जिला और राजस्थान कैनाल का एरिया है, उस एरिया के अन्दर जहां पर कि कोलोनाईजेशन हो चुका है, वहां के व्यक्तियों को किसी प्रकार की ऐसी सहूलियत का फायदा

(श्री महेन्द्रसिंह)

नहीं मिल सकता है और तब तक नहीं मिल सकता है जब तक कि टिनेन्सी एक्ट की धारा 24-बी में सरकार संशोधन नहीं करती है, सशोधन नहीं लाती है तथा कोलोनाईजेशन एक्ट के अन्दर संशोधन नहीं करेगी तब तक यह सहूलियत जो मौजूदा ट्रान्सफर करने जा रहे हैं उस इलाके के किसान किसी भी रूप में लाभान्वित नहीं हो सकेंगे। इस तरह यह राज्य सरकार उस क्षेत्र के किसानों के ऊपर आघात करना चाहती है। यदि आप समाजवाद की बात करते हैं और आपके समाजवाद के नारे को देखते हुए, समाजवाद के नारे को लगाते हुए आप लोगों के साथ इस प्रकार का इन्साफ करना चाहते हैं, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि इस प्रकार का कार्य आपके द्वारा नहीं होना चाहिये। जिससे कि कुछ इलाके लोगों को यह महसूस हो कि हमारे साथ अन्याय किया गया है।

एक निवेदन उपाध्यक्ष महोदय राज्य सरकार से यह करना चाहूंगा और वह निवेदन यह है कि हम कोई भी कार्य करें तो इस प्रकार का कार्य करें जिससे कि दूसरे देखने वाले लोग, जनता इस बात को महसूस करें कि राज्य सरकार ने जो कुछ भी किया है वह सैद्धांतिक आधार पर ही किया है। किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया है। इसलिये यदि राज्य सरकार सही मायने में इस बात पर विचार करना चाहती है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये सहूलियतें सारे राजस्थान के लोगों को मिलनी चाहिये और इसके लिये यह जरूरी है कि 42-बी में संशोधन प्रस्तुत किया जाये ताकि चम्बल कमाण्ड एरिया, गंगानगर का एरिया और राजस्थान कैनाल एरिया के लोग, किसान भी लाभान्वित हो सकें।

जहां तक कन्सेशन का सवाल है वह नाम मात्र का है। एक जून आपने रखा है। जो भी ट्रान्सफर हो जायेगा वह वेलिड माना जायेगा। राजस्थान के जितने भी किसान वर्ग के लोग हैं क्या उन सब को दिसम्बर, 69 तक के समय का मालूम पड गया है, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। कुछ लोग जो राज्य सरकार के नजदीक हैं, जो मंत्री हैं, पार्टी के सदस्य हैं, उनके साथ जिनका अधिक लगाव है, उन्हीं लोगों को इस बात की जानकारी हो पायी है। इस कारण इससे चन्द लोग ही लाभान्वित हो पायेंगे और साधारण जनता इससे वंचित रह जायेगी। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि इस कानून को इस महीने के बाद जब राज्य सरकार रूल्स बनावे डिक्लेरेशन ले किसानों से और किसानों से डिक्लेरेशन कम्पलीट हो जाय एस. डी. ओ. के पास तो जब यह मालूम हो जाये कि किसानों के पास इतनी बीघा जमीन सीलिंग से ज्यादा है और जिसको राज्य सरकार लेने जा रही है उसको एक महिने में, तीन महिने में जो भी राज्य सरकार मुनासिब समझे उसको यह छूट दे कि तुम्हारे पास इतनी बीघा जमीन ज्यादा है उसको यदि दो महिने में या एक महिने में जो भी सरकार नियत करें अपने भाई, बच्चों के नाम ट्रान्सफर नहीं करते हैं, जो कि बालिग हो तो राज्य सरकार उसको ले लगी और उसको कोई एतराज नहीं माना जायेगा। लेकिन दो महिने के अन्दर उसको बेचान करने, ट्रान्सफर करने का कार्य वह नहीं कर सका तो निश्चित रूप से वह राज्य सरकार की भूमि हो जायेगी। वहभूमि शिड्युल्ड कास्ट और ट्राइब्स के भूमिहीन किसानों को सरकार वितरित करेगी। तो मैं समझता हूं कि उस किसान के दिल में तसल्ली होगी।

(श्री महेन्द्रसिंह)

पर हमें रियायत भी दी है कि अमुक हद तक अमुक परिवार व कास्ट के लोगों को अपनी इच्छा से देंगे। पर अगर सरकार जल्दबाजी करके कम्यूनिस्ट लोगों के कहने के मुताबिक करेगी और कम्यूनिस्टों के समाजवाद को लाने के लिये करेंगे तो एक आदमी आराम से रोटी खाता है तो उसे भी आप सहन नहीं कर सकोगे और उसे भी गरीब बना दोगे। होना तो यह चाहिये कि देश की दौलत बढ़े और जो गरीब हैं वह भी उठकर रोटी खाने योग्य बन जायें। सभी खाते-पीते बनें और इसके लिये परिश्रम करें। पर आज का कम्यूनिस्ट चाहता है कि गरीब मेहनत न करे, सरकार उसके लिये जो मेहनत करके खाते-पीते बने हैं उनसे छीन कर उन मेहनत नहीं करने वाले गरीबों को दे दे ताकि सभी उन जैसे गरीब बन जावें और यह देश, इस तरह से, एक गरीबों का देश बन जावे।

आप सब कुछ करें, लोगों को जमीनें दें, आपत्ति नहीं हमें पर जिसके पास आज अधिक होल्डिंग है और अच्छी पैदावार कर रहा है उसे नष्ट न करें। उसके साथ आप सद्भाव रक्खें। आप उसको छूट दें कि वह अपनी इच्छा से अमुक समय तक किसी भी आदमी को दे सके।

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल की इस बात का विरोध इसलिये करता हूं कि इसमें जो भावना काम कर रही है वह सही समाजवाद की नहीं कर रही है। इसके पीछे केवल यह भावना काम कर रही है कि मेहनत तो की नहीं जावे और जो खाता-पीता आदमी है वह भी गरीब बना दिया जाय। इससे समाज और देश नहीं उठ सकते।

अन्त में मैं सदन से दो बातों की मांग करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(1) चम्बल कमाण्ड एरिया, गंगानगर का कमाण्ड एरिया, राजस्थान कैनाल के कमाण्ड एरिया में किसी प्रकार से यह लागू नहीं होता। वह इससे तब तक लाभान्वित नहीं होगा जब तक टीनेन्सी एक्ट की धारा 42 (सी) में अमेन्डमेन्ट आप नहीं लावें।

(2) यह कन्सेशन नहीं के बराबर है। यह कन्सेशन उस समय देना चाहिये जब कानून पूर्ण रूप से पारित हो जावे और इसे लागू कर दें और एस. डी. ओ. उनसे डिक्लेरेशन फार्म इन्वाइट कर लें जिनके पास ज्यादा है उनसे। इसके बाद उस व्यक्ति को दो महीने चार महीने का समय दिया जाय ताकि वह किसी भी उचित व्यक्ति को जिसे वह उचित समझे, बेच सके या गिफ्ट में दे सके। तब तो समझता हूं कि तसल्ली पैदा होगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल!

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के संबंध में जो प्रवर समिति नियुक्त की गई थी मैं भी उसका एक सदस्य था। मैंने नोट आफ डिसेन्ट दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह सीलिंग का कानून जो 52 में स्वीकार किया गया, बावजूद कई मतभेदों के कम्यूनिस्ट पार्टी ने, सोशलिस्ट, प्रजा सोशलिस्ट और उन तमाम पार्टियों ने जो किसी न किसी रूप में समाजवाद देश में स्थापित करना चाहती हैं, या वे पार्टियां भी जो समाजवाद

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मैं विश्वास नहीं रखती हूं पर देश को डेमोक्रेटिक तरीके से तरक्की करते देखना पसन्द करते हैं, और चाहते है कि समाज में आर्थिक दबाब के साधन किसी भी वर्ग के हाथ में इतने न हों जिसमें दूसरे वर्ग का विकास ही असंभव हो जावे, इस प्रकार के समाज निर्माण की जो कल्पना रखते है उन तमाम पार्टियों ने देश में एक योजनाबद्ध विकास को स्वीकार किया और इसके साथ साथ भूमि के संबंध में जो नीति मतभेद होते हुए भी उन तमाम पार्टियों ने स्वीकार की, वह भी कि भूमि के संबंध में जो भी इस समय लोगों के पास अपने होल्डिंग्स है उन पर एक सीलिंग मुकर्रर कर दिया जावे, जिससे ऊपर की जमीन भूमिहीन किसानों में खेतिहर मजदूरों में या छोटे किसानों में जिनका इकोनोमिक होल्डिंग से कम जमीन है उनमें वितरित हो सके।

देश अभी औद्योगिक प्रगति उतनी नहीं कर पाया है कि जिससे देश के करोडो लोगों को रोजगार दिया जा सके और देश की टैलेन्ट को उसमें लगाया जा सके। यदि हमारे देश में बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल पोटेंशियलिटी होती अगर किसी और तरीके से और विकास किया होता तो शायद भूमि के निर्माण और पुनर्वितरण के बारे में हम और तरह से सोचते। परन्तु जिन परिस्थितियों में हमारा देश हमें अंग्रेजों से मिला उस सूरत में भूमि में अधिक से अधिक लोगों को लगाया जाय इसके अलावा और कोई फौरन, तात्कालिक हल देश के सामने नहीं था। यह बात सही है।

उस समय स्वतन्त्रपार्टी नहीं थी, परन्तु जिस प्रकार की विचारधारा यह पार्टी आज लेकर चलती है, जनसंघ लेकर चलता है उस तरह के लोग उस समय भी योजनाबद्ध विकास और देश की परिवर्तित अर्थ व्यवस्था का रूप जैसा हम चाहते थे उस तरह से करने के विरोधी थे और आज भी वे लोग अपने कन्सेन्ट्रेटेड तरीकों से अपनी उस रीति के अनुसार इस प्रकार के कदमों का विरोध करते चले आ रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इतनी पुरानी एक नीति के बारे में जिसको अमली रूप देने की कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी थी।

इस तरह के कानून को कितने ही रास्तों से गुजरना पडा। मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता। किस तरह से कमेटी बनी कमेटी की रिपोर्ट आई। कितने ही बिल्स आये। आखिर वह 1960 के अन्दर कानून बन गया। उपाध्यक्ष महोदय, आप भलीभांति वाकिफ हैं, राजस्थान की जनता जो जमीन के लिये तड़प रही है, जो चाहती है कि हम हाथ से जोत कर अनाज पैदा करें। वह लोग राष्ट्रीय आन्दोलन के से समय जब कि उनको यह कहा जाता रहा है कि भूमि का बटवारा होगा। वह सोचते थे कि भूमि का सब बटवारा होगा। न केवल जमीन का बल्कि और सम्पति का बटवारा भी, सम्पत्ति का एक सामाजिककरण होगा। लोग लगातार आवाज उठाते रहे हैं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, सन् 60 में कानून पास होने के बावजूद यह पूछना पड़ता था कि कब सीलिंग कानून लागू हो रहा है। कभी किसी वजह से समय निकल गया। इस मामले को लगातार झूला झुलाया गया। उपाध्यक्ष महोदय, अब जब पिछले साल कांग्रेस के अन्दर स्प्लिटमेन्ट हुआ। देश में जगह जगह गांव-गांव में, देहात में जनता में विद्रोह

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हुआ। लोगों को संशय होगया ? यह भूमि बटवारा केवल दिखावा मात्र है। जगह जगह आन्दोलन हुए। सन्त विनोबा जी आये। उन्होंने देश की पद यात्रा की। उन्होंने कहा कि भूमि का बटवारा करो। हम कहते हैं वैसा कर दो वर्ना लोग जबरदस्ती ताकत से वितरण करेंगे। नतीजा क्या हुआ ? भू-वितरण हुआ। लोग परिचित हैं, जो जमीन के मालिक हैं, जो गांधी जी के शब्दों में जमीन को ट्रस्टी के रूप में रखना चाहते हैं, उन्होंने वह भूमि जो किसी काम की नहीं थी या मुकदमों में फंसी थी वह जमीन भूमि दान में देकर भू दान में नाम लिखा लिया। नतीजा यह हुआ, लोग भूमिहीन रहे। देश के अन्दर, तेलंगाना के अन्दर विद्रोह हुआ। किसानों ने इकट्ठे होकर सशस्त्र विद्रोह किया। लोगों के अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह किया। नतीजा क्या हुआ ? यहां की जो सरकार थी उसने किसानों का साथ नहीं दिया। वापिस जमीन छीन कर उन्हीं मालिकों को दे दी। परन्तु इतिहास ने सबक भुलाया नहीं। पिछले साल कांग्रेस के अन्दर आर्थिक नीतियों को लेकर झगड़े शुरू हुए। जब 1967 के अन्दर 9 प्रान्तों के अन्दर कांग्रेस का सर्वस्व समाप्त हो गया। दुबारा मिडटर्म इलेक्शन हुए। कांग्रेस यह उम्मीद करती थी कि संयुक्त मोर्चा नाकामयाब होगा और कांग्रेस वापिस सत्ता में आएगी। मिडटर्म इलेक्शन में दुबारा कांग्रेस ज्यादा से हारी। बंगाल में 127 कांग्रेस के सदस्य थे वह 5 ही रह गये। मोर्चे के 280 सीटों में से 218 विजयी हुए। कांग्रेस ने विचार किया कि आखिर हम क्यों हारे। गांवों में असन्तोष क्यों फैलता जा रहा है। होम मिनिस्टर ने एक नोट तैयार किया कि किसानों में असन्तोष रहा है। जिन आन्दोलनों को नक्सलवादी कह कर बदनाम किया जा रहा है, वह भूमि सुधार सरकार ने सच्चे मानों में नहीं किया है, उसकी वजह से जनता में तीव्र असन्तोष है। इसको अगर गोली, हथियार, पुलिस और फौज के बल से दबाने की कोशिश करोगे तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। यह सामाजिक समस्या है।

इसलिये यह सामाजिक समस्या के रूप में हल की जानी चाहिए। इसीलिये उस होम मिनिस्टरी के नोट में लिखा हुआ है, हम को भूमि सुधारों को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिये। जितने भी भूमि सुधार कानून बनाये गये हैं उनमें चोरी के रास्ते रख दिये गये हैं। नतीजा यह हुआ है कि लोगों ने अपनी जमीन बेच डाली है। यह सीलिंग कानून, भूमि सुधार कानून जनता की आंख में धूल झोंकना मालूम होता है। अब भी समय है। स्थिति से बचा जा सकता है। आज कांग्रेस कहती है कि लाल झण्डे से बचा जा सकता है। लेकिन जहां आप के जाने की दिशा है, जो निर्धारित है, जो रास्ता है, उस रास्ते से कभी रुक नहीं सकते हैं। जिस तरह से इन्सान जिन्दा होकर मरता है, मौत को रोक नहीं सकता है। उसी तरह से पूंजीवाद और सामन्तवाद की मौत निश्चित है। कितने ही पाइन्ट आफ आर्डर उठाइये, कितनी ही दुहाई दीजिये। लेकिन पूंजीवाद, सामन्तवाद की मौत निश्चित है। उसको बचाया नहीं जा सकता। किसी भी आवरण में बचाने की कोशिश कीजिए। आज समाजवाद का बाना पहन कर बचाने की कोशिश कर

Page No 69

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

रहे हैं लेकिन नहीं बचेगा। फर्क नजर नहीं आता है। टोपी पहनने से फर्क नहीं आता है। मैंने सिलेक्ट कमेटी में देखा है। किस तरह से उस समय पार्टी काम करती आ रही है। 20 साल से हाथों में सत्ता को संभालते आ रहे हैं। वह पार्टी गांधीजी और विनोबा जी की पीठ में छुरा भोंकती जा रही है। उसके सन् 60 में कानून की शक्ल दे दी गई है। अमल में लाने के लिये कैसे बहानों से रोड़ा अटकाये जाते रहे हैं। कभी इधर से खड़े हो जाते है, कभी कभी उधर से खड़े हो जाते हैं।

श्री विजयसिंह : कभी आप खड़े हो जाते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: इस तरह से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज गम्भीरता से इस बात पर विचार करना चाहते हैं बहुत से माननीय सदस्य, तो मुझे आश्चर्य होता है, क्योंकि उनकी आल इंडिया पार्टी कमिटेड हैं इस प्रोग्राम को पूरा करने के लिए लेकिन वह आज भी यहां इस बात का विरोध करते है। उत्तर प्रदेश के चौधरी चरण सिंह जी हैं, वह बी. के. डी. के चेअरमैन हैं, आल इन्डिया पार्टी के चेअरमैन है और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री बनने के बाद सीलिंग के बारे में यह घोषणा की कि एक्जिस्टिंग सीलिंग जो है उसको वह और नीचा करेंगे और सीलिंग को नीचा करके जो भूमि प्राप्त होगी उस भूमि को भूमिहीनों मे वितरित करेंगे। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है, उन्हीं की पार्टी के माननीय सदस्य सलेक्ट कमेटी में थे और यहां भी उनकी पार्टी के माननीय सदस्य बोले वह बुनियादी तौर पर सीलिंग के विरुद्ध, सीलिंग की नीति के विरुद्ध बोले तो कहां तक वह पार्टी की नीति का समर्थन करते हैं........

श्री दौलतराम सारण : सीलिंग के विरुद्ध बोलने का सवाल नहीं है, जो व्यवहारिक कठिनाइयां है उनको सुलझाने का प्रश्न है। आप सीलिंग के विरुद्ध बोलने की बात को कह कर लोगों को बरगला नहीं सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ठीक है। मैं चाहूंगा कि आपके माननीय सदस्य, जो सिलेक्ट कमेटी के सदस्य थे, ने जो नोट आफ डीसेन्ट दिया है उसका आप अध्ययन करें कि कहां तक वह आपकी पार्टी की नीति से सहमत है, कहां तक जो चौधरी चरण सिंह ने घोषणा की है, उससे सहमत है कह तक जो दस्तावेज आपकी आल इंडिया पार्टी में भूमि और भूमि नीति के सम्बन्ध में तैयार किया है–उससे सहमत है। इधर बैठने वाले माननीय सदस्य विचार व्यक्त कर रहे हैं और माननीय सदस्य कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके के एक्जेम्प्शन्स को छुड़ा दिया जाय क्योंकि बम्बई अधिवेशन में कांग्रेस ने घोषणा की है कि एक्जेम्प्शन्स को वापिस लिया जायगा, होम मिनिस्टर ने कहा है कि सीलिंग कानून को कड़ाई के साथ में लागू किया जाय, नहीं तो देश में ला एण्ड आर्डर की स्थिति पैदा होगी और कोई आन्दोलन समाप्त नहीं किया जा सकेगा और कांग्रेस की हुकूमत शांति के साथ नहीं रह सकेगी। क्योंकि गरीब जनता आज विद्रोह कर रही है इसलिए इस बात को महसूस किया कि निजलिंगप्पा के सिण्डीकेट ग्रुप के साथ में चला नहीं जा सकता है। मैं उन माननीय

Page No 70

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सदस्यों को ज्यादा आर्नेस्ट समझता, ज्यादा ईमानदार समझता जो कि सीलिंग की नीति से, अखिल भारतीय नीति से असहमत हैं, असंतुष्ट हैं वह निजलिंगप्पा के साथ में चले जाते। उन नेताओं के साथ चले जाते जो जनसंघ के साथ और स्वतंत्र पार्टी के साथ कभी गठबन्धन करते है और कभी उस पर पर्दा डालते हैं। जनसंघ और स्वतन्त्र पार्टी के साथ में जो सिण्डीकेट का गठबन्धन हिन्दुस्तान के अन्दर राजनैतिक स्थिति के अन्दर हुआ यह राजनैतिक बेईमानी है केवल। राजस्थान की कांग्रेस को वास्तव में सिण्डीकेट के साथ में कहें, या इंडीकेट के साथ में कहें– यह एक प्रश्नवाचक स्थिति है, क्योंकि अमली तौर पर यहां के पूरे प्रशासन को सिण्डीकेट के नेताओं की नीतियों को निर्धारित करते हुए देखा है। फिर भी इस सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि जो अखिल भारतीय नीतियां हैं, चाहे वह किसी भी सम्बन्ध में हों, इकॉनामिक होल्डिंग के सम्बन्ध में हों, चाहे भूमि से सम्बन्ध रखती हों, चाहे सम्पत्ति से सम्बन्ध रखती हों, चाहे किन्हीं भी अन्य बातों से सम्बन्ध रखती हों–उन पार्टीज के माननीय सदस्यों से यह उम्मीद की जा सकती है, कि अपनी पार्टी की नीति का अमल कराने के लिए जोरदार तरीके से संघर्ष करें। लेकिन अफसोस की बात नजर यह आती है उपाध्यक्ष महोदय, जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी या बी. के. डी. के कुछ मेम्बर्स इसका विरोध कर रहे हैं। खैर उनके सम्बन्ध में अफसोस क्यों करें उनकी तो अखिल भारतीय नीति हैं, लेकिन जो शासक पार्टी है, जो पर्टीक्यूलर नीति के कारण यहां बैठी है लेकिन पूरी पार्टी नीति के साथ में नजर नहीं आती है, आज सीलिंग के विरुद्ध ज्यादा नजर आते हैं बजाय सीलिंग के पक्ष में। यही वजह है कि आज यह सीलिंग का कानून उस सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के जरिये जिस तरह सदन के सामने आया है, मैंने अपने नोट आफ डिसेन्ट में कहा है कि यह संशोधित बिल दरअसल में सीलिंग कानून की आत्मा में छुरा भौंक कर पेश किया गया है, आपने जो उसकी आत्मा है उसको खत्म कर दिया है, उसके पेट में छुरा भोंक दिया है। लोगों में आशा लगी हुई थी कि इस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से, जो जमीन पड़ी हुई है, उसका हमें बंटवारा होगा, हमें जमीन मिलेगी– उस आशा को आपने धूमिल कर दिया है। जिस तरीके से इस कानून को अमेंड किया है खुद सरकार ने अपने तरीके से, मैंने देखा है इस बात को कि सरकार के काफी माननीय सदस्यों के रुख, स्वतंत्र पार्टी के माननीय सदस्यों के रुख और जनसंघ के माननीय सदस्यों के रुख में मुझे फर्क नजर नहीं आया। एसा लगता था, मिल कर कहीं, एक जगह बैठ कर नीति तय करके आते हैं और यहां हाउस में ड्रामे के रूप म अलग अलग बैंचों पर बैठ कर अलग अलग भाषा बोलने को कोशिश करते हैं, लेकिन नतीजे के रूप में सबका सेस निकाल कर देखें तो बात वही निकलती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो यह संशोधित बिल यहां पर सदन के सम्मुख पेश हुआ है सीलिंग के सम्बन्ध में इस बिल के अन्दर जो अमेंडमेंट प्रस्तुत हुए हैं, जब कि गवर्नमेंट आफ इंडिया प्लानिंग कमीशन, होम मिनिस्ट्री, कांग्रेस की ए. आई. सी. सी. और कांग्रेस का बम्बई

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अधिवेशन हुआ, इन सबकी एक ही राय यह थी सीलिंग के कानून को कड़ाई से लागू करो, किसी तरह का इसमें ऐसा अमेन्डमेण्ट मत करो कि उल्टे ज्यादा से ज्यादा जमीन सीलिंग के अन्दर से निकल जाय, बल्कि उसको कड़ाई से लागू करके जितनी जमीन निकल सके, उसको अधिक से अधिक निकाल कर उसको तुरन्त बटवारा कर दो। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि यह कहते हुए कि खुद कांग्रेस दल की तरफ से इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है, दूसरे तो इस बात का प्रयत्न कर ही रहे हैं, इनका प्रयत्न भी उसी दिशा की तरफ है, उसी दिशा में है। खुद कांग्रेस दल की ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों द्वारा इस सीलिंग बिल के ऊपर बहस करते हुए यह प्रयत्न किया गया, कांग्रेस दल के जो माननीय सदस्य सिलेक्ट कमेटी में थे वहां भी उनके द्वारा यह प्रयत्न किया गया, जैसा कि ओरिजिनल बिल के मुकाबले में जो अमेंडमेंट बिल पेश हुआ उससे जाहिर होता है कि किसी भी बहाने, किसी भी तरीके से सीलिंग के पूल में जितनी जमीन आने वाली है उसमें से अधिक से अधिक जमीन निकाल दी जाय, थोड़ी से थोड़ी रह जाय ताकि सीलिंग का कानून केवल नाम मात्र का कानून रह जाय। इस बात का प्रयत्न करने की कोशिश की गई है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जो हमारे सामने पेश हुआ है ....

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप सीलिंग की पोलिसी पर बोल रहे हैं तो हम जानना चाहेंगे कि राजस्थान की कम्युनिस्ट पार्टी राजस्थान की परिस्थितियों को देखते हुए सीलिंग की दृष्टि से कितनी भूमि सीलिंग में रखना पर्याप्त समझती है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सदस्य ने यह सवाल पहले भी उठाया था, पहले भी मैंने इसका उत्तर दिया था और साफ तौर से जिस समय सीलिंग का प्रश्न बहस तलब था उस समय हमारी पार्टी की तरफ से यह सुझाव दिया गया था कि राजस्थान में सीलिंग बीस स्टेन्डर्ड एकड़ मुकर्रर की जाय। लेकिन वह बात मंजूर नहीं हुई। आज इतने वर्ष के बाद उस सीलिंग को, इस बात को छोड़ कर, नीचा करने की बात कही जाय और वह मन्जूर हो जाय यह दिखाई नहीं देता है, आप तो दस गुना ऊंचा करने की बात कर रहे हैं, तो मेरे दल में, आप महानुभावों में, मैं अकेला हूं, मेरे अकेले से यह हो नहीं सकता है, इसलिए तीस स्टेण्डर्ड एकड़ को नहीं छोड़ें—यह व्यवहारिक नीति है, इसको लागू कर दिया जाय जल्दी से जल्दी। यह हम चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि .....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ! काफी समय हो गया। अधिकतर बातें आपने कह दी हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सीलिंग के सम्बन्ध में एक इस किस्म की दलील जो दी जाती है वह यह दी जाती है कि शहरी सम्पत्ति पर सीलिंग क्यों न हो ? जहां तक शहरी सम्पति पर सीलिंग का सवाल है हमारे दल पूर्णतः सहमत हैं, मैंने खास तौर से

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पिछले अधिवेशन में सदन में सब्सटैन्टिव मोशन इस संबंध में दिया था । लोक सभा में हमारे दल के सदस्यों ने इस सवाल को उठाया । हमारा दल नीति के तौर पर प्रिविलेजिज के खिलाफ है, इस प्रकार की समाजवादी व्यवस्था चाहते हैं । चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, कहीं भी हो भूमि हो, चाहे मकान हो चाहे जेवर हो, चाहे कारखाना हो, हम समाजीकरण चाहते हैं लेकिन एकदम सब नहीं हो सकता । कदम व कदम हम चाहते हैं । भारत की शहरी संपति पर सीलिंग होनी चाहिये इसलिये उसके लिए भी हम संघर्ष कर रहे हैं । मेरे साथी रामचन्द्र आर्य पूछ रहे थे कि बदकिस्मती से आप शहरी संपति पर सीलिंग के लिये क्यों नहीं आवाज उठाते । मैंने कहा हमने हमेशा आवाज उठाई है आज भी उठा रहे हैं लेकिन मैं उनसे कह देना चाहता हूं कि जिस दिन शहरी संपति पर सीलिंग का सवाल उठेगा उस दिन वह यहां से वहां (स्वतन्त्र पार्टी में) जाकर बैठेंगे । मैंने पूछा, आप बी. के. डी. के सदस्य होते हुए सीलिंग का विरोध क्यों कर रहे हैं तो कहने लगे चुनाव तो मैंने स्वतन्त्र पार्टी के टिकट पर लड़ा था इसलिए आखिर उसका भी खयाल करना है । इसलिए यह जो दलील दी जाती है कि शहरी सम्पत्ति पर सीलिंग लागू होनी चाहिये, इस बात से हम सेंट परसेंट सहमत हैं और हम मानते हैं कि क्रांति की आवाज जो देहात में उठेगी वह इतनी प्रबल शक्ति बन जायगी कि वह शहरों के टाटा, बिड़ला और गायत्री देवी, किसी को बख्शने वाली नहीं है । इस पर सीलिंग लागू होकर रहेगी, बच नहीं सकते ।

श्री विजयसिंह : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि शहरी सम्पत्ति पर सीलिंग के लिये वह जोरदार आन्दोलन छेड़ें ताकि हमको भी . . . .

श्री रामानन्द अग्रवाल : दूसरी बात सीलिंग के सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्यों ने कही, ऐसी पिक्चर पेश करने की कोशिश की जैसे कि यह कानून या जो मौजूदा कानून पेश किया जा रहा है, किसानों के खिलाफ बन रहा है । हिन्दुस्तान के किसान आन्दोलन पर यह काला धब्बा लगाना होगा । यह आवाज जागीरदारों और जमींदारों की आवाज है जो अपने आप को किसान कह कर सीलिंग की पीठ में छुरा भोंकने की कोशिश कर रहे हैं । हमारी आल इन्डिया किसान सभा ने, कांग्रेस ने सब ने सीलिंग का पक्ष लिया है और जो लोग उधर बैठ कर सीलिंग को किसान विरोधी कानून बताते हैं, उन्होंने कभी किसान आन्दोलन नहीं किया, वे किसान के बेटे हो सकते हैं और दलीलें जनसंघ व स्वतन्त्र पार्टी की कर रहे हैं । किसान जाति का हो या मजदूर जाति का हो, इस कारण उनका कहना नहीं माना जायगा, जब रिवोल्यूशन आएगा, क्रांति व प्रतिक्रांति की शक्तियां एक दूसरे के सामने आएंगी तो किसान कहलाने वाली क्रांति के मुकाबले में प्रतिक्रान्तिशक्तियों के साथ खड़ी होंगी और मजदूरों व किसानों की गोलियों से वे लोग मारे जायेंगे । (श्री माधोसिंह व श्री विजयसिंह की तरफ इशारा करते हुए) दोनों में एकता नजर आ रही है ।

श्री विजयसिंह : मछली का बच्चा पैदा होते ही तैरना जानता है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : गोली ठीक निशाने पर लगी है ।

श्री विजयसिंह : ये बनिए ही डर जायेंगे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बनिए का बेटा न ठाकुर का बेटा.......

श्री उपाध्यक्ष : इनको गोलियों से डरने की जरुरत नहीं, आप भावावेश में क्यों आ रहे हैं ?

श्री ललितसिंह : कभी कांग्रेस में, तो कभी जनसंघ में घुस गए.....

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : इधर के लोग टोपी पहन कर उधर बैठते हैं । जरा तथ्य को देखें जो सरकार ने आंकड़े पेश किए हैं उसके हिसाब से सीलिंग से ऊपर जमीन वाले परिवार 38,000 हैं और कुछ परिवार जो राजस्थान सरकार ने संख्या दी हैं.....

श्री जुझारसिंह : तीस हजार ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप तो मेरा पोइन्ट और मजबूत कर रहे हैं । अगर एक परिवार में 5 आदमी मानें तो डेढ लाख आदमी परिवार समेत प्रभावित होंगे । राजस्थान की आबादी सवा दो करोड़ हैं उसमें 80 प्रतिशत किसान हैं उनमें से 30 हजार परिवार याने डेढ करोड़ लोगों पर इसका असर होने वाला है...

श्री जुझारसिंह : एग्रीकल्चरल परसेंटेज आफ पोपुलेशन कितना है ?

श्री उपाध्यक्ष : आसन के माध्यम से पूछें, सीधे प्रश्न न पूछें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जो प्रचार किया जाता है, और किसान कह कर यह बात कही जाती है, उस प्रोपेगन्डा को और गलत-फहमी को माननीय सदस्य समझलें । 30 हजार परिवारों में अब सरकार जिस तरह से रियायतें दे रही है, ट्रांसफर्स को मन्जूरी दे रही है, अगर वह बिल पास हो गया तो 30 हजार भी नहीं रहेंगे, वह संख्या घटकर 20 हजार हो जायगी, यह राजस्थान की कुल संख्या की 10 प्रतिशत भी नहीं हुई, 5 प्रतिशत संख्या है तो क्या देश में समाज-वाद की बात है, जब हम कहते हैं कि 5 प्रतिशत लोग सारे समाज के साधनों पर हावी हो रहे हैं, चाहे जमीन पर चाहे कार-खाने पर चाहे व्यापार पर चाहे पेट्रोल पम्प पर, उनसे छीन लिया जाना चाहिए, उनका समाजीकरण होना चाहिए और यदि आप उचित समझते हैं कि रामानंद अग्रवाल से भी छीनना चाहिए तो बड़ी खुशी से होना चाहिए, आप मन्जूर करलें । इस प्रकार 4-5 प्रतिशत लोग प्रभावित होते हैं । इसमें गरीब किसानों के नाम पर बहकाने की कोशिश न करें । भू-स्वामी आंदोलन में जागीरदारों ने अच्छा मजा चखा है । भू-स्वामी आंदोलन में बड़े बड़े जागीरदारों ने अपना उल्लू सीधा कर लिया और गरीबों के कंधे पर बंदूक रखकर उनको जेलों में डलवाकर, अपनी खुदकाश्त की जमीन तय कराली और छोटे आज भी जमीन के लिए तरस रहे हैं । उसी तरीके के टैक्निकस आज अपनाए जा रहे हैं किसानों के नाम पर कि किसानों के बागात खतम हो जायेंगे । कितने किसानों के पास 30 स्टे. एकड़ से ज्यादा जमीन में बागात हैं और वह किसान है, खेतिहर है और हाथ से करने वाला है ?

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उन जागीरदारों का नाम और जमींदारों का नाम, आप किसान नहीं लंगोटीवाला रखें। राजस्थान के लोग बहकावे में आने वाले नहीं हैं इसलिए मुझे आश्चर्य हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : समय काफी हो गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का कुछ लोग बहुत खुले तौर से विरोध कर रहे हैं। मुझे स्वतंत्र पार्टी की बात तो ऐसी लगती है उनकी तो इस बिल के प्रति अरुचि हो सकती है लेकिन जनसंघ के नेताओं का तो नजरिया बहुत ही अजीब सा मालूम देता है। दिखाते तो ऐसा हैं कि वे सीलिंग के पक्ष में हैं, सीलिंग लागू होना चाहिये लेकिन उनके साथ साथ यह भी कहते है कि भूमि को बेचने के लिये मियाद 31 दिसम्बर 70 तक बढवाना चाहते हैं। इस तरह से वे चाहते है कि तमाम जमीन बेच दी जाय फिर रहता क्या है? आप क्यों नहीं यह कहते कि बेईमान ट्रेसपासर्स को वेध करने जा रहे हैं तो ईमानदार व्यक्तियों को मौका क्यों नहीं देते। मैं तो आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप बेईमानी से ट्रेसपास किया है उनके वेधकरण का विरोध क्यों नहीं करते? आप ट्रेसपास होने देना नहीं चाहते इसलिये कि भूमिहीन किसान के साथ अन्याय है और बड़े बड़े लोगों को जो रियायतें दी गई हैं उनको वापिस लेने की बात क्यों नहीं कहते। आप कांग्रेस के सिर पर ही कीचड़ का घड़ा फोडकर आप उन्हीं से ही ज्यादा रियायतें मांगने जा रहे हैं और इसीलिये आप जोर दे रहे हैं कि जमीन बेचने की अवधि 31 दिसम्बर 70 तक बढा दी जाय। इससे आपका नजरिया साफ मालूम हो गया। आप चाहते हैं कि सीलिंग कानून के तहत कुछ भी जमीन नहीं मिले और जो कुछ मिलने वाली है वह भी 70 तक की मियाद बढवाकर बेच दी जाय। आप चाहते हैं कि चाहे किसी को जमीन बेच दे इसी तरह से आपने यह मान लिया कि जमीन का बटवारा हो गया यह कानून के जरिये आप करवाना चाहते हैं यह आपका नजरिया दुरुस्त नहीं है।

जो सीलिग के बिल में ट्रान्सफर के बारे में प्रावधान किया गया वह ओरीजनल बिल जब पेश हुआ और उसके बाद सिलेक्ट कमेटी से अमेण्डमेण्ट हुआ उसमें काफी बड़ा अन्तर कर दिया गया है मैं इसका विरोध करता हूं। पुराने ट्रेसपासर्स का जहां वेध करने की बात है उसको आप किस तरह से वेध करना चाहते हैं? एक बुनियादी तो यह हो सकती है ऐसी भूमि ऐसे आदमियों के पास चली गई हो जिनको हम भूमि बांटना चाहते हैं ऐसे आदमियों के पास चले जाने की बात को लेकर हम यह कह सकते हैं कि सीलिंग का परपज सर्व हो गया एक दलील तो यह दी जाती है। दूसरी यह दी जाती है दलील कि दस वर्ष का समय हो गया करोड़ों रुपयों को ट्रान्सफर हो गई अगर उनका वापिस लिया गया तो प्रशासनिक रूप से कन्ट्रोल नहीं कर सकते इसलिये इनको वेध की जाती है। माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में घोषणा कर दी थी कि जो ट्रेसपासर्स एक्चुअली ऐसे लोगों के पास चले गये हम अलोट जिनको करते यदि उन लोगों के पास वह भूमि ट्रान्सफर हो गयी है तो उस पर विचार किया जाना चाहिये। इस बारे में जैसा कि मैंने शुरू में ही निवेदन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कर दिया था ऐसे भूमिहीन किसान खेतीहर मजदूर गांव के ग्रार्टीजन्स हैं छोटे किसान हैं जिनके पास इकोनोमिक होल्डिंग तक जमीन नही है। इकोनोमिक होल्डिंग जिसके पास दस स्टेण्डर्ड एकड़ से कम जमीन है उस ग्रादमी से दस स्टेण्डर्ड एकड़ से कम जमीन है उस ग्रादमी से दस स्टेण्डर्ड एकड़ तक खरीद ले ग्रौर उससे ग्रधिक है तो वह उसको बेच दे। इस तरह से जिनके पास दस स्टेण्डर्ड एकड़ तक जमीन है या खरीदी हुई जमीन है या खरीदने के बाद उसके पास दस एकड़ तक हो जाती है तो उसको वैध मान लेना चाहिये। मैंने ग्रपने संशोधन में इसके साथ साथ परन्तुक जोड़ा है हमारी हमदर्दी खरीदने वाले के साथ जरूर है लेकिन जो बेचने वाला है जिसने कानून की ग्रवहेलना करके जमीन बेची है उसको क्यों फायदा दिया जाय ? जब यह बिल सिलेक्ट कमेटी में था उस समय भी मैंने इस प्रकार का ग्रमेण्डमेण्ट दिया था उस ग्रादमी को जिसने जमीन खरीदी है उससे ग्रगर ज्यादा कीमत ली गई है तो वह ज्यादा रकम उसको बेचने वाले के द्वारा लौटायी जानी चाहिये। जैसे गंगानगर जिले में सरकार जो जमीन दे रही है एक मुरब्बे को 12 हजार में जब कि उसकी मार्केट वेल्यू 50 हजार रुपया है ग्रगर 50 हजार की जमीन 12 हजार में मिलती है तो उसको 38 हजार वापस मिलने चाहिये। बड़े जागीरदार या जमींदार उस 38 हजार की रकम को हड़प कर जाय यह नहीं होने देना चाहिये।

मै समझता हूं सरकार की नीयत भूमिहीन ग्रौर छोटे किसानों को मदद करने की है लेकिन जनसंघ के मित्र जैसा भाषण करते हैं उसमें वे कहते हैं कि गरीब व भूमिहीन किसान को जमीन दी जाय इसका तो समर्थन करते हैं लेकिन जब कीमत वापिस दिलवाने की बात ग्राती है तो उसका विरोध करते हैं जैसी महेन्द्रसिंहजी ने बात कही इससे उनका ग्रसली चेहरा नजर ग्रा गया। उनका कहना है कि जो जमीन लेने वाला है चाहे वह कितने में ही मिलती हो लेकिन उसने ग्रगर ज्यादा पैसा देकर खरीदो है तो वही भुगते। यह सही रूप उनका है।

(समय समाप्त सूचक घंटी)

ग्रब मैं एग्जेम्शन्स के बारे में निवेदन करना चाहता हूं जो ग्रापने गार्डन्स को एग्जेम्प्ट किया है उसका मैं स्वागत करता हूं यह इम्प्रूवमेण्ट है ग्रोरीजिनल बिल में। साथ ही साथ ग्रोरिजनल बिल में एग्जेम्पशन्स निकाले गये हैं उसमें जमीन को बेचने का प्रावधान नहीं था उसके लिये सिलेक्ट कमेटी ने 1 जून 1970 तक बेचने का प्रावधान कर दिया। इस पर दलील यह दी जा रही है कि जिन्होंने बेईमानी की है उसको तो वैध करने जा रहे हैं तो ग्राप ईमानदार लोगों को भी चोरी करने का मौका दो . . .

एक माननीय सदस्य : प्रोपरटी बेचना चोरी है क्या ?

श्री रामानन्द ग्रग्रवाल : चोरी है। उसने कानून के खिलाफ इतनी प्रोपरटी जमा क्यों की ? ग्रगर हम ग्रौर तारीख बढ़ा देते हैं बेचने की तो इस सीलिंग के कानून को लाने से क्या फायदा ? मैं ग्रापसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिनके पास ग्रधिक जमीन थी उनको इस ग्ररसे में ट्रान्सफर करने में कोई लीगल पाबन्दी नहीं थी। किसी ने ग्रगर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नहीं बेची हो तो यह उसकी मजबूरी है। पाबन्दी तो नहीं लगी हुई थी। पाबन्दी की वजह से न बेची गई तो उसका सरकार कुछ उपाय कर सकती है लेकिन बेचने पर कोई पाबन्दी नहीं थी। आप यह कहते हैं कि उन्होंने सही तरीके से नहीं बेची इसलिये मौका दिया जाय क्योंकि अब सरकार ने कानून बना दिया। इसका साफ मतलब यह है कि सीलिंग के पेट में छूरा घुपाने की आपकी नीयत है इस तरह से आप उनको नाजायज फायदा पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं।

अन्त में सीलिंग का प्रश्न जिस पृष्ठ भूमि में और सीरियसली महसूस किया गया जिस कांग्रेस ने अपने मेनीफेस्टों में इसका जिक्र किया उसका आप पालन पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं। उस मेनीफेस्टों में वर्णित नीति में और इसमें काफी मतभेद है। आपने इस सीलिंग के मसले को और जमीन के बटवारे के सवाल को इस तरह से टेकल किया है कि मैं निवेदन करना चाहता हूं भूमिहीन और खेतीहर मजदूरों के आन्दोलन को आप रोक नहीं सकते। आपकी नीयत से वह साफ जाहिर हो रहा है कि आप जमीन बंटने देना नहीं चाहते। ऐसी हालत में किसान मजदूर, खेतीहर मजदूर संगठित होकर इस प्रकार की जो फालतू या अधिक भूमि पड़ी हुई है उस पर अपनी ताकत से कब्जा करेंगे। चाहे आप कितना ही प्रयास करें यह क्रान्ति अब रुकने वाली नहीं। हम अपनी पूरी ताकत से इस आन्दोलन के लिये किसानों को भूमिहीन किसानों को तैयार करेंगे फिर देखते हैं कि आपकी होम मिनिस्ट्री क्या करती हैं। हम अपनी ताकत से हल चलायेंगे। आप शान्तिपूर्ण तरीके से भूमिहीनों को अपने अधिकार देने वाले नहीं हैं, भूमि का बंटवारा शान्ति के साथ आप करने वाले नहीं इसके सिवाय अब कोई रास्ता नहीं कि हम कम्युनिस्ट पार्टी वाले किसान सभा वाले खेतीहर मजदूर, छोटे किसानों को चाहिए कि वे इस कदम में हमारा पूरा साथ दें। पूंजीपतियों, नेताओं, बड़े-बड़े लोगों, अधिकारियों की जमीन पड़त पड़ी है। वह ली जानी चाहिए वरना लोग अपनी ताकत से उस पर बैठेंगे····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य!

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह रास्ता आप स्वयं किसानों को बता रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बढ़ते हुए आन्दोलन को, क्रांतिकारी शक्तियों को हथियारों के बल पर आप दबाने की कोशिश करेंगे तो····

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, बिल पर नहीं बोल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री पृथ्वीसिंह : जैसलमेर में तो कोई कम्युनिस्ट पार्टी है नहीं, फिर कौन आयेगा?

श्री उपाध्यक्ष : आप ही इस काम को करें।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, टिनेन्सी बिल के द्वितीय संशोधन के सम्बन्ध में प्रवर समिति ने अपना प्रतिवेदन दिया है उसमें मेरा भी एक नोट आफ डिसेन्ट है। उपाध्यक्ष महोदय, इस

(श्री भैरोंसिंह)

सम्बन्ध में कुछ चर्चा करने के पूर्व इस विधेयक में मुख्य रूप से जो मुद्दे उठाये गये हैं उन पर हमें विचार करना पड़ेगा। पहला प्रश्न यह है कि 1959 के बाद जितनी भी भूमि का स्थानान्तरण हुआ है उन सब को रेगुलराईज किया जाये या नहीं? यदि किया जाता है तो किस प्रकार के स्थानान्तरण को रेगुलराईज किया जाये और किस समय तक के इस प्रकार के स्थानान्तरण को रेगुलराईज माना जाये? दूसरा प्रश्न यह आता है कि शुरू के कानून में हमने जो एक्जम्पशंस रखे थे उनको विदड्रा किया जाये? अगर एक्जम्पशन्स विदड्रा होते हैं तो उसके परिणामस्वरूप जिन लोगों के इस प्रकार के फार्म्स थे उनको अपनी भूमि को डिस्पोज आफ करने के राइटस् दिये जायें या नहीं और दिये जायें तो किस सीमा तक और किस प्रकार से? यह दो मुद्दे इस सारे विधेयक में और प्रवर समिति के प्रतिवेदन में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों पर विचार करने के पहले हमें इस सीलिंग कानून की भूमिका के बारे में थोडी जानकारी करनी पड़ेगी। उपाध्यक्ष महोदय, 1953 में राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर भूमि की अधिकतम सीमा कितनी हो, इस सीमा को किस प्रकार से निर्धारित किया जाये, निर्धारित करने के बाद इसका कानून किस प्रकार बने और कानून का पालन किस प्रकार किया जाये, इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए तत्कालीन राजस्व मन्त्री श्री मोहनलाल सुखाडिया की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति ने सन् 57 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। यह प्रतिवेदन सन् 58 में प्रकाशित हुआ। इसके प्रकाशन के बाद राजस्थान सरकार ने सन् 58 में सीलिंग सम्बन्धी कानून प्रस्तुत किया और सन् 60 में यह कानून की शक्ल में आया। सन् 60 में जब यह कानून बना और कानून पर सदन में जिस प्रकार की चर्चा हुई थी वह अपने आप में महत्वपूर्ण है जिसका जिक्र मैं कुछ समय के बाद करूंगा। लेकिन सन् 1960 में कानून बना। हमने इस बात की व्यवस्था की कि 59 के पहले जितने ट्रान्सफर हुए हैं उनमें कुछ कन्डीशन्स इम्पोज करके उनको रेगुलराइज करने की व्यवस्था की थी और 59 के बाद केवल दो स्थिति में ट्रान्सफर हुए। इस प्रकार की व्यवस्था करके एक बाई वे आफ पार्टीशन, दूसरा लैंड लेस टिनैन्ट है उसको जो ट्रान्सफर किया गया वह 1959 के बाद जायज नहीं माना जायेगा। इसके बाद सन् 60 में कानून बना और 1959 के बाद के ट्रान्सफर को हमने इनवेलिड डिक्लेयर कर दिया। तो आवश्यकता इस बात की थी कि हम इस कानून को किस प्रकार से लागू करें। कानून लागू होने के पहले उपाध्यक्ष महोदय यह मान कर चलें कि इसके लिए नियम बनाने की आवश्यकता थी। हमने एक्ट में किस क्षेत्र में कितनी भूमि, अधिकतम सीमा तक याने वह 30 स्टेण्डर्ड एकड़ के अनुकूल हो, उसके बराबर राजस्थान के विभिन्न जिलों, तहसीलों में कितनी भूमि होती है, वह इक्वेलेंट बेसिस ढूंढने की, उसके नियम की आवश्यकता थी। सन् 1963 में नियम बनाये गये। इसके पहले मैं समझता हूं कि राजस्थान में किसी भी बच्चे को यह मालूम नहीं था कि 60 में कानून पास हुआ और 59 के बाद भूमि को ट्रान्सफर करना इनवेलिड हो गया है, भूमि को इनवेलिड करने की व्यवस्था है और कितनी भूमि उसकी इनवेलिड होगी, कौन सी

(श्री भैरोंसिंह)

भूमि की अधिकतम सीमा है और उसको पूरा करने के लिए क्या वह ट्रान्सफर कर सकते हैं, इसकी नालेज लोगों में नहीं थी। सन् 1963 में यह रूल्स बने। उसके बाद उनके ऊपर आब्जेकेशन लिए गए और 1963 के अन्त तक वे फाइनेलाइज हुए और तब जनता को जानकारी मिली कि 1960 में जो कानून बना है, उसके नियम बनाये गये हैं और उन नियमों के अनुसार कितनी भूमि की अधिकतम सीमा होती है, यह 1663 में लोगों की जानकारी में आया सन् 1965 में हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का झगड़ा हुआ। 1963 में राजस्थान सरकार इस कानून के अन्तर्गत सीलिंग लागू करती तो कोई विरोध नहीं था। 63 में लागू नहीं किया, 65 में लागू नहीं किया, 66 में लागू नहीं किया और कहना पड़ेगा 70 तक इन्होंने इस कानून को लागू नहीं किया। इस प्रकार क्यों नहीं लागू किया इसके बारे में कुछ बातें बाद में प्रस्तुत करूंगा।

जिस व्यक्ति के पास 1959 में, 59 के बाद सरप्लस लैण्ड थी, एक व्यक्ति के लिये 30 स्टेन्डर्ड एकड़ भूमि की अधिकतम सीमा है, और 700 एकड़ भूमि उसके पास है तो कानून के अन्तर्गत कितनी भूमि उसके पास सरप्लस है जिसको कानून के अन्तर्गत राज्य सरकार को सरेण्डर करना है, यह प्रश्न आया। सब से पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस जमीन का मालिक एक व्यक्ति है और वह जमीन कोटा क्षेत्र में है, वह मालिक किसी प्रकार से इस जमीन को पड़त रखता तो कोई प्रोडक्शन नहीं बढ़ता। तो इस सरप्लस लैंड पर कोई प्रोडक्शन नहीं होता। यह पहला पाइन्ट था। अब उन्होंने इस जमीन को डिस्पोज आफ किया। यह उन्होंने अपने स्वार्थ साधन के लिये किया लेकिन इसके साथ ही एक और प्रश्न जुड़ा है। जमीन और उस पर प्रोडक्शन का। जो भुखमरी की स्थिति पैदा हो रही थी देश में उसको मिटाने में इन लोगों ने भारी योगदान किया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सरप्लस लैंड थी, वह सरप्लस ही पड़ी रहती तो राजस्थान का लैंड रेवेन्यू कानून बना है, उसमें पड़त जमीन को सरकार काश्त के लिये लेती है। जमीन पड़त नहीं रहने के कारण जमीन का लैंड रेवेन्यू देना पड़ा है और जिसमें लोगों ने काफी इनवेस्टमेंट किया है और लैंड रेवेन्यू दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन जानता है कि इस बढ़े हुए लैंड रेवेन्यू पर हमने सरचार्ज इम्पोज किया है और दूसरी तरफ राजस्थान सरकार ने लैंड यूटिलाइजेशन एक्ट बना रखा है। उसमें यह है कि दो वर्ष से ज्यादा जमीन पड़त रहती है तो राजस्थान सरकार का कोई भी जिलाधीश उन व्यक्तियों को नोटिस दे सकता है कि वह उस जमीन को दो वर्ष के अन्दर अन्दर खाते में लावे, खाते के नीचे लावें नहीं तो यह जमीन सरकार अपने कब्जे में ले लेगी, सरकार के कब्जे में यह जमीन चली जायेगी। मैं यह पूछता हूं कि किसी व्यक्ति के पास में 500 एकड़ जमीन थी, लैंड रेवेन्यू नहीं लग रहा था, बढ़ा हुआ सरचार्ज नहीं लग रहा था, वह जमीन ट्रान्सफर करने के कारण राज्य सरकार को आमदनी हुई अन्न का प्रोडक्शन बढ़ा जब कि दूसरी ओर अनाज का प्रोडक्शन गिर रहा था, उसने योगदान दिया तो इस प्रकार यदि उसने जमीन का ट्रान्सफर कर दिया तो कौनसा पाप कर दिया।

Page No 79

(श्री भैरोंसिंह)

श्री भैरोंसिंह : जमीनों का ट्रान्सफर किया वाजिब किया और इसमें न केवल अपनी सेवा की, बल्कि कन्ट्री की भी सेवा की है। इसको इग्नोर करके नहीं चल सकते।

हमारे एक सदस्य बड़े जोर शोर से भाषण दे रहे थे कि किसानों के हित में और हिन्दुस्तान में केवल कम्यूनिस्ट पार्टी है। मैं यह भी बताता हूं कि यह पार्टी कितनी प्रगतिशील है। इनका बनाया हुआ कानून जो केरल में लागू किया केरल की कम्यूनिस्ट सरकार ने सन् 63 में जिसको 69 में जाकर पास किया वह बता देता हूं थोड़ा। इससे पता लगेगा कि किस प्रकार के ट्रान्सफरों को उसने वेलिड माना है।

63 में यह कानून बना। इसके बाद 67 में आम चुनावों में कम्युनिस्ट पार्टी जीती। बाद में कम्यूनिस्टों ने अपनी हुकूमत बनाई। उन्होंने मिलकर कानून बनाया। इससे वास्तविकता मालूम हो जावेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वहां तो जमानत जब्त हो गई यह कहने से।

श्री भैरोंसिंह : आपकी हो रही है यहां। आपने ...पी प्रचार किया था। वह मुझे मालूम है। पांच के आप एक रह गये। वहां जनमत जागृत होगा तब मालूम पड़ेगा। पर राजस्थान में हम हैं। पहले पांच थे आप, भगवान न करे अबकी बार जो एक रह गये हैं, अगली बार वह भी न रहे।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : इसका मतलब यह नहीं कि इलेक्शन जीतने के लिये कानून बनाया।

श्री भैरोंसिंह : मैं बताता हूं। सेक्शन 84 है। The Kerala Land Reforms Act 1953 आप स्वयं जान लें किन किन ट्रान्सफर्स को वेलिड माना है उन्होंने।

पहला है। (1) By way of partition; or

(2) On account of natural love and affection, or

जो राजस्थान के एक्ट में लिखा है, इसमें भी वही है। माननीय सदस्य यहां इसका भी विरोध कर रहे हैं।

दूसरा है (2) On account of love and affection, or

श्री रामानन्द अग्रवाल। बोगस ट्रान्सफर जो आपने किये है।

श्री भैरोंसिंह। इसका विरोध आप नहीं कर रहे हैं। बडी खुशी की बात है।

(2) बोगस ट्रान्सफर कर दिये। वहां केरल का कानून क्या कहता है, सुनिये।

पहला है By way of Partition, or

On account of natural love and affection; or

दुनियां में आसमान से लेकर धरती तक किसी भी प्रकार का ट्रान्सफर कर दो वेलिड हो जावेगा। इस प्रकार से ये ट्रान्सफर हुए है वहां। तो इन ट्रान्सफरों को लेकर रामानन्दजी, हाऊस में हवा बनाने की कोशिश मत करो। वास्तविकता कम्यूनिस्ट पार्टी की हम भी

(श्री भैरोंसिंह)
जानते हैं। राजनीति में जो भाग लेते हैं वे यह मानकर नहीं चलते कि कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में किसी को जानकारी नहीं है।

तीसरा है (3) In favour of a person who was tenant of the holding before the 27th July, 1960, and continued to be so till the date of transfer; or

श्री उपाध्यक्ष : आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मैं समझता हूं।

श्री जुझारसिंह : सुन लेने दें उपाध्यक्ष महोदय, इन कांग्रेस वालों की आंखें खुलेंगी जो कभी इन चीजों को देखते, समझते और पढ़ते ही नहीं हैं। न कभी यहां कहने की हिम्मत ही करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : अब केवल एक लाइन और बता देता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : थर्ड रीडिंग में बता देना।

श्री भैरोंसिंह : तीसरा है (3) In favour of a person who was a tenant of the holding before the 27th July 1960 and continued to be so till the date of transfer, or

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तो यहां भी करवा दो।

श्री भैरोंसिंह : आप मन्जूर करिये। बाकी के कम्यूनिस्ट पार्टी ने जितने अमेण्डमेन्ट दिये हैं रामानन्दजी मूव कर दो। मैं समर्थन करता हूं उनका। केरल की कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा है मैं उसको आंख बन्द करके स्वीकार करता हूं। मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं होगी इसमें। हिन्दुस्तान में जिस चीज को ढिंढोरा पीट कर ये रिएक्शनरी कहते हैं, जिसे किसानों के हितों के विरोधी कानून की संज्ञा देते हैं कहते हैं कि ये कानून पूंजीपतियों के पक्ष में बने हैं, तो वे कानून केरल की कम्यूनिस्ट पार्टी ने बनाये हैं। इससे ज्यादा तो राजस्थान का कोई भी कानून प्रतिगामी नहीं हो सकता।

अब मैं निवेदन करना चाहता हूं। यह जो कानून बना पार्टीशन के बारे में इसमें प्रश्न विवाद का इतना है कि पार्टीशन जिन लोगों का भी कर दिया था तो उनको रेगुलेराइज किया। इसे हमें भी स्वीकार करने में आपत्ति नहीं है। पार्टीशन आगे बेईमानियों को एनकरेज नहीं करे इसलिये इसको स्वीकार किया जाना चाहिये। पर मैं इस चीज को स्वीकार नहीं करता कि ट्रान्सफर ऐसी को कर दिया जावे जो खेती होबी के रूप में करते हैं। मैं इसके भी पक्ष में नहीं हूं कि बेच कर जमीन से लाभ कमाने की दृष्टि से भूमि मिली हो।

मैं तीन चीजों के पक्ष में हूं। पर इसके बावजूद भी हमें विचार करना पड़ेगा कि हमने जो ट्रान्सफर किये उनके लिये माननीय सदस्य ने भी अमेण्डमेन्ट मन्जूर किया है और चाहा है कि ट्रान्सफर ऐसे हो जाने चाहिये। 59 से 70 तक जो ट्रान्सफर्स हुए हैं उनको स्वीकृति देने की बात कम्यूनिस्ट पार्टी भी स्वीकार करती है। केरल में अपने कानून में यही कहा है। बाकी में अपने अमेण्डमेन्ट दिये हैं शर्त जरूर लगाई है कि खरीदी हैं तो खरीद की कीमत दिलवाई जाने

Page No 81

(श्री भैरूंसिंह)

की व्यवस्था की जानी चाहिये। पर पहली बार सिद्धान्ततः स्वीकार किया है कि ट्रान्सफर होने चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : That is equal to amendment.

श्री भैरोंसिंह : इसकी कोई बाइंडिंग तो होगी नहीं। आप भाषण कुछ भी दें, कुछ भी कहें, लोग तो यही समझेंगे कि कम्यूनिस्ट पार्टी ने सिद्धान्ततः इसको स्वीकार किया है।

अब प्रश्न यह आता है कि अभी माननीय रामानन्दजी बड़े जोर शोर से प्लानिंग कमीशन की बात कह रहे थे। यह सही है उपाध्यक्ष महोदय कि प्रथम योजना में भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित की जावे इसको स्वीकार किया गया था।

दूसरी योजना में भूमि की अधिकतम सीमा किस प्रकार से निर्धारित की जावे और इसके बाद में किन फार्मों को एग्जम्पट किया जावे। सीलिंग के बारे में लैंड रिफार्म्स के बारे में दूसरी योजना के लैण्ड रिफार्म्स के चैप्टर में काफी विस्तार से लिखा है। आज वही आधार है। कोई यह समझकर चले कि एग्जम्पशन की बात रह गई। राजस्थान की सरकार ने जागीरदारों से मिल कर रख ली या पूंजीपतियों से मिल कर रख ली तो ऐसा नहीं है। प्लानिंग कमीशन के प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस तरह के एग्जम्पशन रखने हैं। राजस्थान सरकार इस पर विचार कर सकती है और वे ही इस सरकार ने लिये हैं। और उपाध्यक्ष महोदय, एग्जम्पशन की बात पर ही रामानन्द जी नाराज हैं कि एग्जम्पशन क्यों रखे। पूंजीपतियों के पक्ष में रखे। जनसंघ और स्वतन्त्र पार्टी ने रखे हैं। ये किसानों को शोषण करने वाले हैं इस किताब में केरल की कम्यूनिस्ट पार्टी ने भी इन्हीं सेठों, पूंजीपतियों के फार्म्स को एग्जम्पट किये हैं। वह आपका एग्जम्प्ट का चैप्टर भी आप कहें तो सुना देता हूं। यह है साहब आपका एग्जम्पशन।

The provisions of this Chapter shall not apply to–

अब उपाध्यक्ष महोदय एग्जम्पशन में तो ये तीन चीजें हैं। सुना देता हूं ताकि झगड़ा खतम हो :

(a) Lands owned or held by the Government of Kerala or the Government of any other State in India or the Government of India or a local authority or any other authority which the Government, may in public interest, exempt by notification in the Gazette, from the provisions of this Chapter.

(2.20 म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति पद.सीन)

(b) Lands taken under the management of the court of Wards:

Provided that the Exemption under this Clause shall cease to apply at the end of three years from the commencement of this Act,

(श्री भैरोंसिंह)

(c) Lands comprised in mills, factories or workshops and which are necessary for the use of such mills, factories or workshops:

(d) private forests,

(e) plantations,

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह तो नेशनेलाईजेशन की बात है ।

श्री भैरोंसिंह : वह आयेगा तभी कहूंगा ।

(h) Lands mortgaged to the Government or to a co-operative society (including a co-operative land mortgage bank) registered or deemed to be registered under the Co-operative Societies Act for the time being in force, or to the Kerala Industrial Development Corporation, or to the State Small Industries Corporation, as security for any loan advanced by the Government or by such society or Corporation so Long as the mortgage subsists;

(i) lands purchased by the Kerala Co-operative Central Land Mortgage Bank under sec. 18 of the Kerala Co-operative Land Mortgage Banks Act, 1960 so long as such lands continue in the possession of the Bank;

(k) lands belonging to or held by an industrial or commercial undertaking at the commencement of this Act and set apart for use for the industrial or commercial purposes of the undertaking.

इसका बहुत जोर शोर से विरोध कर रहे थे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : नया नहीं था ।

श्री भैरोंसिंह : Provided that the exemption under this clause shall cease to apply if such land is not actually used for the purposes for which it has been set apart within such time as the District Collector may, by notice to the undertaking specify in that behalf;

इस बात को मंजूर करते हो या नहीं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : सीमेन्ट फैक्ट्री के लिए ही है ।

This is already there.

उस पर सीलिंग लगाया ही नहीं । वह जमीन एग्रीकल्चर लैंड रही ही नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह ; बाकी को

(m) house sites, that is to say sites occupied by dwelling houses, tanks, wells or any other structures, together with the land necessary for the convenient enjoyment of the same;

(o) sites of temples, churches, mosques and cemetries and burial and burning grounds;

(p) sites of buildings including warehouses;

(q) commercial sites;

(श्री भैरोंसिह)

(r) lands occupied by educational institutions including land necessary for the convenient use of the institutions and playgrounds attached to such institutions;

(s) lands vested in the Bhoodan Yagna Committee;

जिसकी बहुत चर्चा कर रहे थे।

(t) lands owned or held by-

(ii) a religious charitable or educational institution of a public nature; or

केरला में तो कम्युनिस्ट, इन्स्टीट्यूशन्स से दबे हुए रहते हैं। चर्च के नीचे जो जमीन है, मन्दिर के नीचे जो जमीन है, वह रहेगी। यहां अगर रखी जाती है तो पूंजीपति और बिरला याद आते है।

आगे उपाध्यक्ष महोदय····

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय।

श्री सभापति : आसन का हैण्डेड ओवर टेकन हो गया है।

श्री भैरोंसिह : जी; क्या ?

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, नहीं, कुछ नहीं।

श्री भैरोंसिह : तो सभापति महोदय, आगे बताता हूं, सुनिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें ग्राऊन्डस कहां है ? डेयरीज कहां हैं ?

श्री भैरोंसिह : बताता हूं, सुनिये। यहां तो उपाध्यक्ष महोदय (सभापति महोदय) पूंजीपति का सवाल है।

एक माननीय सदस्य : सभापति।

श्री भैरोंसिह : आप जाके खेती खड़ी कर लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उनका हो रहा है।

श्री भैरोंसिह : (iii) a public trust (which expression shall include a wakf) :

(iv) land granted to defence personnel for gallantry.

The Government may, if they are satisfied that it is necessary to do in the public interest. (a) on account of any special use to which any land is put; or

(b) on account of any land being bonafied required for the purpose of conversion into plantation or for the extension or preservation of an existing plantation or for any commercial, industrial, educational or charitable purpose, by notification in the Gazette, exempt such land from the provisions of this Chapter, subject to such restrictions and conditions as they may deem fit to impose;

इसका मतलब तो यह है कि जमीन चाहिए। गवर्नमेंट का विश्वास दिला दें कि

(श्री भैरोंसिंह)
हम प्लाण्टेशन करेंगे। दो वर्ष बाद उसे अपना कर लीजिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल: वह तो· · ·

श्री भैरोंसिंह: अब फिर मौके पर कह दूं।

Provided that the land referred to in clause (b) shall be used for the purpose for which it is intended within such time as the Government may specify in that behalf, and where the land is not so used within the time specified, the exemption shall cease to be in force.

अब अध्यक्ष महोदय,

एक माननीय सदस्य: सभापति महोदय।

श्री भैरोंसिंह: अब सभापति महोदय, प्रश्न आता है, जो मैंने एक माननीय सदस्य का भाषण सुना। कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने, जब आप बोल रहे थे तो इण्टरप्ट करके बात पूछी कि कम्युनिस्ट पार्टी राजस्थान में कितनी जमीन देना चाहती है। उनका कहना था, पहले 25 एकड़ बताया, बाद में 20 एकड़ के पक्ष में हैं। अब कम्युनिस्ट पार्टी की वास्तविक नीति क्या है? यह रामानन्द जी से पूछिये तो वह सच्ची बात नहीं बतायेंगे। क्योंकि आज वह वातावरण नहीं बना है कि वे कम्युनिस्ट पार्टी की असली नीति को खोलकर रखें। हम 30 स्टेण्डर्ड एकड़ का स्वामित्व देते हैं। यह उसकी सम्पत्ति है। किसान की मिल्कियत है। मैं समझता हूं कि कोई अस्वीकार नहीं करेगा। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी की साफ नीति है कि जमीन पर किसान की मिल्कियत न हो। सारे देश को डिक्टेटरशिप में चलायें।

श्री रामानन्द अग्रवाल: आप किताब ले लें।

श्री भैरोंसिंह: मैं इतना बता दूं, सभापति महोदय, मैं इतना कह सकता हूं, रामानन्द जी के घर की तलाशी ले ली जाये और मेरे घर की तलाशी ले ली जाये। मैं समझता हूं जितना कम्युनिस्ट लिट्रेचर मेरे पास होगा उतना रामानन्द जी के पास नहीं होगा। कम्युनिस्ट लिट्रेचर मैंने उनसे ज्यादा पढ़ा है। कोई किताब नहीं छोड़ी है। कल केदार जी साथ में आ रहे थे, पूछा यह लेनिन की किताब कैसे पढ़ रहे हो। मैंने कहा बहुत पहले पढ़ी थी। फिर से पढ़ लूं ताकि आज की स्थिति सामने आ जाये। गरीबों की दुहाई देने वाले कामरेड लेनिन ने कहा है, वर्ग संघर्ष पैदा करने वाले राजा महाराजाओं और जागीरदारों को खत्म किया। बड़े किसानों पर सीलिंग लाकर उनको खत्म करने की चेष्टा की है। लेकिन लेनिन महाशय कहते हैं, जब भूमि का किसान मालिक बनेगा तो सबसे बड़ा वर्ग संघर्ष का विरोधी वह किसान बनेगा जिसके पास जमीन की मिल्कियत होगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल: यहां पर लेनिन का क्या प्रश्न है। यहां तो सुखाड़िया की सरकार है।

श्री जुझारसिंह : वह तो चेंज हो गया है।

श्री भैरोंसिंह : आपने जनसंघ के चेहरे से नकाब उतारने की कोशिश की है। तो मैं भी निश्चित रूप से वही करूंगा। पेज 668 पर लिखा है–

It is incomparably more difficult to abolish classes; we still have the division into workers and peasants. If the peasant is settled on his separate plot of land and appropriates superfluous grain, that is, grain that he does not need for himself or for his cattle, while the rest of the people have to go without bread, then the peasant becomes an exploiter. The more grain he clings to, the more profitable he finds it, as for the rest let them starve. He says to himself; "The more they starve the dearer I can sell this grain.

अब इस स्थिति के अन्दर····

श्री रामानन्द अग्रवाल : ये किसने छांट कर दिये हैं?

श्री भैरोंसिंह : छांट कर नहीं दिये हैं, मैंने खुद ने छांटे हैं।

आपकी पार्टी में भी ऐसे बैठे हैं जो सोचते हैं कि कैसे इस पार्टी से निकलें। अब दूसरा पढ़ें–

"There is no doubt, finally, that in Russia also the success of the peasant struggle, i. e., the transfer of the whole of the land to the peasantry will signify a complete democratic revolution and will constitute the social support of the revolution, or socialisation, about which the ideologists of the petty bourgeoisie, the Socialist-Revolutionaries, talk.

अब आगे लिखते हैं––

"The success of the peasant uprising, the victory of the democratic revolution will but clear the way for a genuine and decisive struggle for socialism on the basis of a democratic revolution will but clear the way for a genuine and decisive struggle for socialism on the basis of a democratic republic. In this struggle the peasantry as a landowning class will play the same treacherous, vacillating part as is being played at present by the bourgeoisie in the struggle for democracy. To forget this is to forget Socialism, to decive oneself and others as to the real interest and tasks of the proletariat.'

अब कम्युनिस्ट पार्टी की मान्यता यह है, जब राजाओं महाराजाओं को खत्म कर दिया, उनके नेता कहते हैं कि जार के शासन को खत्म करने में दिक्कत नहीं लगी। उसने बड़े बड़े जमींदारों को खत्म करने में समय नहीं लगाया, लेकिन जिस किसान के पास भूमि की मिल्कियत आयेगी, वह भूमि का स्वामी बन गया तो साम्यवाद रूप में नहीं आ सकता है। इसलिए मैं भूमि की मिल्कियत किसानों से छुड़ा कर कामन एडमिनिस्ट्रेशन में सब लोगों को लेबर के रूप में काम करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति कम्युनिस्ट पार्टी पैदा करना चाहती है।

(श्री भैरोंसिंह)

तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आप में से कई आदमी प्रगतिशील बनने के नाम पर कई बार कुछ कह जाते हैं, जमीन किसानों के पास नहीं रहनी चाहिये, आप में से कई व्यक्ति विधान सभा में भी यह कह दें, लेकिन स्वयं रामानन्द जी किसानों में जाकर यह नहीं कह सकते हैं कि हमारी पार्टी यह चाहती है कि किसानों के पास में भूमि की मिल्कियत नहीं रहनी चाहिए। इनका घोषणा-पत्र मैंने देखा है, आपके लेनिन और मार्क्स की थ्योरी को भी मैंने पढ़ा है--सबमें यह स्पष्ट है कि कोई आदमी सम्पत्ति नाम की चीज का कोई मालिकाना हक नहीं रख सकता···

श्री रामानंद अग्रवाल : यह कलेक्टिव फार्म्स के बारे में कहा है।

श्री भैरोंसिंह : किस के बारे में कहा है, किसके बारे में नहीं—यह मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन जिस रूस की यह मान्यता रही, थोड़े दिनों में जाकर उसी रूस की नीति में परिवर्तन आया और रूस को चीन ने संशोधनवादी कहना शुरू कर दिया। क्यों कहना शुरू कर दिया ? इसलिए कहना शुरू कर दिया कि जब रूस के अन्दर अनाज का प्रोडक्शन गिरता गया और लोगों में कलेक्टिव फार्मिंग के कारण जो अधिक प्रोडक्शन करने का इन्सैंटिव होता है, इनीशियेटिव होता है वह खत्म हो गया और रूस में अनाज का प्रोडक्शन गिर गया तो वहां यह सोचा गया कि अब किस प्रकार से लोगों में इस इन्सेन्टिव और इनीशियेटिव को क्रियेट करना चाहिए और इस इन्सैन्टिव और इनीशियेटिव को क्रियेट करने की गरज से लोगों को वहां काश्त के धन्धे पर लगाया गया, वहां पर जमीन काश्त के नाम से और दूसरे नाम से हर व्यक्ति को एलॉट की गई, उस जमीन पर काश्त आरम्भ हुई और अभी जो लेटेस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ने आंकड़े प्रकाशित किये हैं, उन आंकड़ों को गम्भीरता से देखें तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि जो सारी लैंड एलॉट की गई थी वह तीन पर्सेन्ट जमीन सारी है और उसका तैंतीस पर्सेन्ट प्राईवेट व्यक्तियों को एलॉट की गई है लेकिन उन तैंतीस पर्सेन्ट आदमियों को एलाट की गई जमीन का कुछ तीन पर्सेन्ट जमीन के बराबर प्रोडक्शन होता है। मेरा निवेदन करना यह है कि रूस ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि भूमि का मालिकाना हक तो किसान को चाहिए अगर उनमें प्रोडक्शन अधिक करने का इन्सेन्टिव और इनीशियेटिव उनमें बनाये रखना है। तो इस चीज का एक्सपेरीमेंट करके उन्होंने उस सिद्धान्त से डेविएट किया है लेकिन हमारी सरकार थोथे नारे में आकर इस प्रकार की व्यवस्था करने चल रही है कि जमीन किसी के पास रहे नहीं सभापति महोदय, आपको ध्यान होगा 1959 में जब यह कानून बना था तब एक्जेम्पशन का सवाल आया था। मैं, सभापति महोदय, सदन की जानकारी के लिए दो बातें बताना चाहूंगा, मैंने उस समय इस बात का विरोध किया था कि एक्जेम्पशन नहीं रहने चाहिए, और डट कर विरोध किया था। आप सदन की उस समय की प्रोसीडिंग्स को निकाल कर देख लें। मेरे विरोध के आधार पर उस कांग्रेस पार्टी ने यह कहा था कि एक्जेम्प्शन नहीं

Page No 87

(श्री भैरोंसिंह)

रखेंगे तो हिन्दुस्तान का प्राइवशन गिरेगा, केटल पापूलेशन खत्म हो जायगी। राजस्थान की केटल पापूलेशन का व्यक्ति की आय के नाते और सरकार की आय के नाते बहुत बड़ा कान्ट्रीब्यूशन है—इसको खत्म नहीं करना चाहता राजस्थान में बागात की कमी है इसलिए बागात को लगाने को प्रेरणा देने के कारण उस पर से एक्जेम्पशन रखने पड़ेंगे। इस के साथ ही केटल ब्रीडिंग, शीप ब्रीडिंग और आर्चर्ड्स के नाम से एक्जेम्पशन रखें। इसके बाद आज जब 1970 में अमेंडमेंट लेकर हमारी सरकार आती है तो हमारी सरकार यह कहती है कि हम एक्जेम्पशन को विथड्रा करेंगे। आपने उस समय कहा था, दामोदरलाल जी व्यास उस समय राजस्व मंत्री जी थे, उन्होंने एक बार कहा था—माननीय सदस्य जो जौहरी बाजार से आये हैं उन्होंने बीच में उनसे क्वेश्चन पूछा कि सीलिंग के सम्बन्ध में दुबारा भी कोई कानून आ सकता है क्या ? तो उस समय राजस्व मंत्री जी ने इस सदन को आश्वासन दिया कि सीलिंग एक बार आ गई, वह अन्तिम रूप से आ गई। उस सीलिंग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, बार बार सीलिंग नहीं किया जायगा। यह बात उस समय अखबारों में छपी, और एग्जेम्पशन हो गया तो लोगों के दिमाग में यह चीज बैठ गई कि फार्म्स को एक्जेम्प्ट किया गया है, इसलिए फार्म का इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, फार्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फार्म को डवलप कर सकते हैं। आर्चर्ड्स और बागात लगा सकते हैं, उसमें कुए और ट्यूब वेल्स खुदवा सकते हैं। केवल इस एश्योरेन्स के कारण से कि सरकार ने एक्जेम्पशन रखे हैं और सरकार ने कहा है कि दुबारा सीलिंग कानून नहीं आयेगा। उसके कारण से लोगों के फार्म्स रजिस्टर्ड हुए। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद हमारे अकाल राहत मंत्री को देना चाहता हूं, जिन्होंने राजस्थान के पशु धन का सफाया करवा दिया है। आज राजस्थान में कोई आदमी नहीं कह सकता है कि राजस्थान में पशु धन है, जैसलमेर जिले में पशु धन है। बाडमेर जिले में आज पशु धन नहीं है, जोधपुर और पाली में भी पशु धन नहीं है। जालौर में पशु धन नहीं है। चूरू बीकानेर में पशुधन नहीं है। यह जो राजस्थान के वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट्स हैं इनमें किसी प्रकार की कोई केटल पापूलेशन आज नहीं रही है। क्यों नहीं रही है ? क्योंकि चराई के साधन नहीं हैं। चराई के साधन क्यों नहीं हैं ? तो सभापति महोदय, आप जानते हैं कि 1955 के पहले राजस्थान में जगह जगह ग्रेजिंग ग्राउन्ड्स थे, हिली ट्रेक्स थे, बीड़ थे, उनमें लोग अपने पशुओं को चराया करते थे। आपने उन ग्रेजिंग ग्राउन्ड्स का एलाटमेंट कर दिया, हिली ट्रेक्स का एलाटमेंट कर दिया और बीड़ का एलाटमेंट कर दिया। इसके अलावा फारेस्ट जहां पर पशुओं की चराई के साधन उपलब्ध होते थे वहां पर पशुओं के चरने के ऊपर प्रतिबन्ध लगा दिया। इस सबका परिणाम यह हुआ कि जिसके पास जमीन थी वह तो पशुओं की रक्षा कर सका, पशुओं को रख सका, और जिसके पास जमीन नहीं थी उसके पशु मर गये या उसने उन पशुओं को बेच दिया। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इसी साल कांग्रेस के अध्यक्ष, जगजीवन राम आये थे,

(श्री भैरोंसिंह)
उन्होंने शीप ब्रीडर्स एसोसियेशन में भाषण दिया था, उसमें यह कहा था कि राजस्थान में शीप ब्रीडिंग की आवश्यकता है। इस चीज पर उन्होंने जोर दिया कि राजस्थान में शीप के मामले में दो तीन नस्ल अच्छी हैं, इनको और इम्प्रूव किया जाय और इम्प्रवमेंट के लिए ग्रेजिंग ग्राउन्ड्स को आवश्यकता है–इस बात को उन्होंने स्वीकार किया है। मैं राजस्व मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं और रामानन्द जी से पूछना चाहता हूं कि आप एग्जेम्पशन को विथड्रा कर लीजिये, मैं नहीं कहता कि एग्जेम्पशन के आधार पर जितने भी लोगों ने फार्म्स बना रखे हैं वह सारे के सारे जेनुआइन हैं मैं नहीं कहता कि अधिकांश बेईमान है, और उन्होंने जबर्दस्ती कब्जे कर रखे हैं किन्तु कल एक व्यक्ति मेरे पास आये जिन्होंने कहा कि मैंने रतन गढ़ और सरदार शहर के बीच में जो चोखला की ब्रीड है उसकी एक हजार भेड़ खरीदी हैं, छः महीने पहले खरीदी है और एक फार्म को भी खरीदा है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप इस फार्म की जमीन को ले लेंगे तो वह भेड़ कहां जायेंगी · · ·

श्री रामानंद अग्रवाल: भेड़ बिक जायेगी।

श्री भैरोंसिंह: नहीं बिकेंगी।

श्री रामानंद अग्रवाल : आपसे नहीं बिके तो मैं बिकवा दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : आपकी मानता कौन है ?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : भेड़ जितनी बिक गई वह उधर बैठी हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : भेड़ गाय सब बिक जाती हैं। यह बात नहीं है कि नहीं बिकें।

श्री भैरों सिंह : आपको जानकारी नहीं है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : हम सब जानते हैं।

श्री भैरोंसिंह : अब सवाल आता है, जिन्होंने गाय खरीदीं, जिन्होंने भेड़ खरीदीं और कैटल और शीप ब्रीडिंग फार्म बनाये आप अब उन फार्म्स से एग्जम्पशन वापिस ले रहे हैं, जमीन वापिस ले रहे हैं, तो जब जमीन ले रहे हैं तो उनके फार्म्स खत्म हो गये। सभापति महोदय, आप जानते हैं कि राजस्थान में बागात कितने हैं ? राजस्थान में बागात की आवश्यकता है या नहीं ? मैं समझता हूं, इस सदन का कोई माननीय सदस्य यह नहीं कह सकता कि राजस्थान में बागात की आवश्यकता नहीं है। तो आज किसी के पास में साठ एकड़ का बाग है, मैं आपको उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूं, कि साठ एकड़ का बाग है तो तीस स्टेन्डर्ड से जितनी जमीन ज्यादा है वह उसको ट्रान्सफर करनी पड़ेगी। अब तीस स्टेन्डर्ड एकड में उसने कुआ खोद रखा है, पम्प लगा रखा है वह उसको ट्रान्सफर करनी पड़ेगी। तीस स्टेन्डर्ड से ज्यादा जमीन क्योंकि आपने कानून बना दिया है कि 31 मई 70 के बाद तीस स्टेन्डर्ड एकड़ से ज्यादा जमीन पर कब्जा नहीं रख सकता। इस कारण उसके बाग के पेड़ जलेंगे क्योंकि न तो कुआ खोदा जा सकता है और न पानी दिया जा सकता है। तो यह बागात अगर सीलिंग के दायरे में

(श्री भैरोंसिंह)

आये तो आप निश्चित रूप से यह मान कर चलिये कि आप बागात की दुर्दशा करके छोड़ेंगे। आप बागात को नहीं चाहते हैं, आप कैटल ब्रीडिंग फार्म्स नहीं चाहते हैं, आप शीप ब्रीडिंग फार्म्स नहीं चाहते। लेकिन कोपरेटिव फार्म्स के लिए एक्जेम्पशन चाहते हैं। मैं आपको कोपरेटिव फार्म्स के बारे में जो रियायत दी गई है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हुं कि यह कोपरेटिव फार्म्स रहने चाहिए या इनके रहने की आवश्यकता नहीं है यह मैं नहीं कहता लेकिन मैं सदन की जानकारी के लिये यह बताना चाहता हूं कि राजस्थान में आखिर कोपरेटिव फार्म कितने हैं। सहकारी फार्म्स, कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास किया और उस समय लैंड रिफार्म्स के मामले में एक मेजर पोलिसी डिसीशन लिया गया जिसके मारफत तय हुआ कि भारत में सहकारी फार्मिंग के जरिए हमें भूमि सुधार करने चाहिए। अब वह फैसला हो गया। उसके बाद यह प्रश्न खड़ा हुआ कि सहकारी खेत कैसे बनें? इनको बनाने की दृष्टि से, सरकार ने दुनिया भर का प्रचार किया। उसके साथ इस प्रकार की व्यवस्था की कि राजस्थान में और हिन्दुस्थान में ज्यादा से ज्यादा संख्या में सहकारी फार्म्स बनें। अब उनके बनने के बाद यदि राजस्थान का उत्पादन बढ़ा हो, उस कारण से यदि किसान को संतोष हुआ हो तो मैं समझता हूं बहुत वाजिब फैसला था लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि जितने भी सहकारी खेत बने रामानंदजी भी कह नहीं सकते कि वे ज्यादा अच्छे हैं। 2-4 या 5-7 अच्छे हो सकते हैं लेकिन कोई माननीय सदस्य नहीं कह सकता कि सहकारी खेत ज्यादा रूप में अच्छे हैं वे केवल एक बात के लिए बनाए गए हैं, सरकार से जमीन आवंटन कराना उसके बाद जमीन को बढ़े हुए मूल्य पर बेचना, हिसाब किताब की गड़बड़ी करना, सहकारी समिति के नाम पर ऋण लेना, उसका दुरुपयोग करना—ये सारी चीजें इन सहकारी फार्म्स के नाम पर राजस्थान सरकार ने जो अब तक व्यवस्था की है उस आधार पर इन फार्म्स के द्वारा भूमि सुधार होंगे, ऐसी आशा करना आवश्यक नहीं है।

शीप ब्रीडर्स और कैटिल ब्रीडर्स कौनसे जिले में हैं और कौनसी जमीन एलाटमेंट के लिए आपको मिल सकती है बाड़मेर जिले में, जेसलमेर में। जेसलमेर में सीवण घास है उसको यदि काट दिया खेती के नाम पर तो न केवल जेसलमेर जिला बरबाद होगा, न सिर्फ वहां के लोग बरबाद होंगे बल्कि वहां एक पशु भी खड़ा नहीं हो सकता। वह सीवण घास नहीं काट सकते और जो घास का एरिया है वह किसी को एलॉट नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार बीकानेर में कोलायत तहसील में मगरा में खेती नहीं हो सकती। वहां सलो का घास निकलता है उसको यदि एलाट किया तो वहां के मवेशी जो वहां चरने के लिए आते हैं उनको स्थान नहीं जो एग्जेम्टेड फार्म्स हैं तो वह मगरा है जेसलमेर जिले में तो सीवण घास है। वृद्धिचंद्रजी भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि सिंदरी गांव है

श्री बालसिंह सोढा : और गांवों में भी है। वृद्धिचन्द्र जी को पता नहीं है कि एक बीघा जमीन में कितना बीज बोया जाता है?

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री देवीदत्त गाडिया : रामानन्द जी रूस और चीन के इशारे पर बोलते हैं । इससे तो देश की हत्या होगी, राजस्थान की हत्या होगी...

श्री रामानन्द अग्रवाल : गांधी जी के हत्यारे आप लोग हो ।

श्री देवीदत्त गाडिया : आप लोग हैं ।

श्री भैरोंसिंह : वह तो जो जच गई बोलते हैं ।

श्री सभापति : इनके स्वयं के विचार हैं ।

श्री भैरोंसिंह : यह सही है । कांग्रेस पार्टी का राजस्थान में ऐसे मौलिक विचारों वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है । मैं सहकारी खेतों के बारे में सदन को जानकारी देता हूं। राजस्थान में दो प्रकार की सहकारी समितियां हैं। एक संयुक्त कृषि सहकारी समितियां और दूसरी सामूहिक कृषि सहकारी समितियां । नागपुर अधिवेशन से लेकर अब तक राजस्थान कोआपरेटीवाइजेशन और खासतौर से कोआपरेटिव फार्म्स का कितना विकास हुआ, वह आंकड़ा आपको बता देता हूं। उस से एक पिक्चर आपके सामने आएगी कि राजस्थान का किसान कोआपरेटिव फार्मिंग के पक्ष में है या नहीं। सरकार ने जो रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार दुनिया भर के विभाग खोले हैं, नियम बनाए हैं, भूमि एलाट होगी, यह आकर्षण पैदा किया उसके बाद भी दोनों तरह की समितियों से आप अन्दाज लगावें; संयुक्त कृषि सहकारी समितियां हैं 476— सदस्य संख्या 7538, हिस्सा पूंजी है 17, 13, 510, जमीन जोत में है 19,465 एकड़। सामूहिक कृषि सहकारी समितियां 226— सदस्य संख्या 4765। हिस्सा पूंजी है 7, 38, 986, जमीन जोत में है 11,684 एकड़। इससे पता लग गया राजस्थान में सहकारिता के पक्ष में, बावजूद सरकार के प्रचार के, राजस्थान में सहकारिता के लिए किसानों का विश्वास नहीं है।

अब प्रश्न आता है मेरे पास लगभग 50 प्रतिशत सोसायटीज की आडिट रिपोर्ट्स हैं। मैं चाहूंगा कि इनको एग्जेम्पशन से बाहर रखें, सीलिंग से बाहर दायरा रखना ईमानदारी की बात है। सदन आडिट रिपोर्ट्स पढ़ले तो मेरी बात की ताईद हो जायगी कि सोसाइटीज बोगस हैं। वे कैसे जमीन हड़पती हैं, जमीन का व्यापार करती हैं, उनको एग्जेम्पशन में रखा बाकी केटिल ब्रीडिंग वापस ले लिया शीप ब्रीडिंग वापिस ले लिया । आर्चर्ड्स को वापस लिया । मैं एक उदाहरण सदन में रखना चाहता हूं, बाड़मेर जिले में एक जागीरदार है, सिंदरी में राय साहब हैं। उनको लगभग 3 लाख का मुआवजा मिला। उस दिन से उस व्यक्ति ने फैसला कर लिया, पहले भी वह गऊ भक्त थे 2—2, 3—3 हजार की संख्या में गायें रहती हैं, जिस दिन जागीर रिजम्प्शन एक्ट पास हुआ उस दिन से लाठी लेकर गायों के चराने की, उनको पालने की व्यवस्था की। यह नहीं कि महल में बैठे रहे। घर को छोड़कर बिना जूते पहने, जिस व्यक्ति ने 1956 से पैर में जूता नहीं पहना, गांव में लाठी लेकर घूमते हैं..

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : एक व्यक्ति है।

श्री भैरोंसिंह : है तो सही। पिछली बार वह यहां आये। मैंने मजाक में कह दिया कि राय साहब एक गाय दे दो। उन्होंने कहा प्राण दे दूं पर गाय को बेचता नहीं। यदि कोई गाय पालने की दृष्टि से लेना चाहे तो सब गायें ले लें लेकिन यदि मेरी गाय दुख पायगी तो मैं नहीं दूंगा। सारा मुग्रावजा गायों के लिए खर्च कर दिया, ऐशोआराम गायों के पीछे छोड़ दिया। आज उस व्यक्ति के फार्म को यदि सरकार लेना चाहें तो इसका मतलब राज्य सरकार चाहती है जिन लोगों ने सरकार के भरोसे रहकर हजारों गायें खरीद लीं, लाखों रुपये खर्च किये आज उन गायों को जंगल में वह भेजे और राजस्थान सरकार उनको मरने के लिए मजबूर करे...

श्री रामानन्द अग्रवाल : कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन में अपनी सारी सम्पत्ति बरबाद कर दी। आज भी उनके बाल-बच्चे भूखे मर रहे हैं। आप सिर्फ एक की बात कर रहे हैं।

(शोरगुल)

श्री बालसिंह सोढा : माननीय वृद्धिचन्द्रजी जानते हैं हजारों आदमियों का जीवन निर्वाह पशुओं पर है। ऐसे कई व्यक्ति मिल जायेंगे जिनके 300-300 गायें हैं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : 30 स्टेन्डर्ड एकड़ बाड़मेर जिले में 252 एकड़ आते हैं, इसका मतलब 500 बीघा जमीन। अगर वह फिर भी पूरी तरह से व्यवस्था नहीं कर सकते तो कब करेंगे ?

श्री बालसिंह सोढा : आप बतायें कि बाड़मेर जिले में 500 बीघा में कितना अनाज पैदा होता है ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं सब जानता हूं।

(शोरगुल)

श्री देवीदत्त गाडिया : चीन ने आक्रमण किया। कम्युनिस्ट पार्टी ने कभी उनको आक्रमणकारी नहीं बताया। ये देशद्रोही गद्दार हैं।

(शोरगुल)

भूमि जिसका अन्न खाते हैं.....

श्री रामानन्द अग्रवाल : ब्रिटिश शासन में जूते चाटते थे.......

श्री देवीदत्त गाडिया : रामानन्द जी आपकी हैसियत क्या है जो आप इतनी जोर जोर से इसको कह रहे हो !

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप चाहते हैं मजदूरों का शोषण होता रहे यह अब होने नहीं देंगे।

(शोरगुल, भारी शोरगुल)

श्री दौलतराम सारण : तुम्हारी नीति ही ऐसी है जिससे देश का अहित होता जा रहा है तुम तो सभी बिना नीति के हो।

श्री रामचन्द्र आर्य : इनकी नीति तो भ्रष्टाचार पनपाने की है।

श्री भैरोंसिंह : मैं निवेदन कर रहा था कि उद्योगपतियों को कहां और कितनी जमीन देंगे इस प्रकार की व्यवस्था इसमें की जाय। बाड़मेर और जैसलमेर के लिए जैसा कि आपको मालूम है वहां भूमि की बहुतायत है वहां, अधिकतम भूमि का एकरेज में बाकी क्षेत्रों से ज्यादा है वहां का जलवायु जिस प्रकार का है वर्षा को औसत वहां जिस प्रकार की है, वहां पर प्रति एकड़ पैदावार कैसे होता है, कितना होता है, इस चीज को हम भूल नहीं सकते। आज सीकर के इलाके की जमीन को बारानी जमीन को काश्त की जाय तो गुवार, मोठ, बाजरा पैदा कर लें तो उस भूमि को तीसरो साल पड़त रखना पड़ता है। यही हाल सीकर झुंझुनू और चूरू और बीकानेर का है। आप बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर की मगरा तहसील में जायेंगे तो आपको मालूम होगा वहां एक फसल लेने के बाद तीन साल तक उस भूमि को पड़त रखनी पड़ती है वैसी हालत में· ·

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : पड़त क्यों रखेंगे मवेशी चरेंगे।

श्री भैरोंसिंह : मवेशी रहेंगे तो चरेंगे। मवेशी है कहां। सोवरण घास जो पैदा होती है उसके लिए अलग से जमीन रखनी पड़ती है उस जमीन में बाजरा, मोठ नहीं होगा खेती के लिए जमीन अलग होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमें एग्जेम्प्शन्स के मामले गहराई से विचार करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, एक प्रश्न और आता है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में और राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट में किसानों को एनकरेज किया गया है। वे अपनी जमीन में इम्प्रूवमेंट करें उसमें कुआ खोदें, धोरे बनावें, फरटीलाइजर डालें। इस तरह से उन्होंने इस भूमि को डेवलप किया। परमानेण्ट इम्प्रूवमेंट किया जैसा कि काश्तकारी कानून में व्यवस्था है तो जिनसे इम्प्रूवमेन्ट करवा लिया लेकिन जब उससे आप वह जमीन लेंगे उसको कम्पनसेशन कितना दिया जाना चाहिए। इसके बारे में क्या व्यवस्था की है। उससे सीलिंग लिमिट से अधिक जमीन लेते हैं तो उसका कम्पनसेशन दिया जावेगा वह आपने रखा है बीस से तीस परसेन्ट आफ दी लेण्ड रेवेन्यू। अब मैं सभापति महोदय, आपकी मारफत निवेदन करना चाहता हूं यह जो कम्पनसेशन देने का प्रावधान रखा है उसमें इम्प्रूवमेंट का भी उसी हिसाब से दिया जायगा। उस इम्प्रूवमेंट के पैसे सरकार नहीं देगी तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितने ट्रेसपास हुए हैं उनको जब आप रेगूलराइज करने की व्यवस्था कर रहे हैं और यदि वह नहीं की जाती तो वह सारो सरप्लस लैण्ड गवर्नमेंट में वेस्ट करती इस तरह से इनडाइरेक्टली उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा आप उसको रेगूलराइज करने जा रहे हैं दूसरी तरफ कम्पनसेशन देना नहीं चाहते। कम्पनसेशन की प्रवृत्ति से बचने के लिए जो एग्जेम्प्टेड फार्म्स हैं उनके मालिकों को भी अपनी जमीन का डिस्ट्रिब्यूशन करने का अधिकार दे दिया जाय तो क्या आपत्ति होनी चाहिए?

कम्पनसेशन देने वाली सरकार प्रतिक्रियावादी है, कम्पनसेशन देने की बात करने वाले स्वतन्त्र पार्टी के गुलाम हैं, जनसंघ के साथ उनका मिला जुला षड़यन्त्र है। मैं इस प्रकार की धारणा रखने वाले कम्यूनिस्ट सदस्य से कहना चाहता हूं, कम्पनसेशन आपकी केरल

(श्री भैरोंसिंह)
स्टेट में रखा है वह कितना गुना रखा है आपको पता है वहां 55 प्रतिशत कम्पनसेशन की व्यवस्था की है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह अलग अलग केटेगरीज के लिये अलग अलग है वैसे तो केवल 16 टाइम्स कम्पनसेशन रखा है।

श्री भैरोंसिंह : वहां का बिल मैं लाया हूं आप देख लें गलत है, आपका कहन।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरे पास भी वह बिल है उसमें 16 टाइम्स का ही है।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं वहां जो कानून में व्यवस्था की है वह है 55 परसेन्ट कोस्ट आफ मार्केट वेल्यू कम्पनसेशन का प्रोवीजन किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसलमेर, बाड़मेर जहां चार आना बीघा लगान का है वहां बीस गुना क्या हुआ 80 पैसा दिया जायेगा। अगर किसी ने सोरोल इरोजन रोकने के लिए और कुछ खर्च कर दिया है मेड़-बन्दी कर दी है तो वह तो उसका वेस्ट गया उसके लिए आप कुछ नहीं देना चाहते।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सीलिंग के तहत जो जमीन एक्वायर होगी वह सेक्शन 24 से कवर्ड है अण्डर सेक्शन 19 खातेदारी राइट्स मिले हैं।

श्री भैरोंसिंह : सीलिंग कानून के अन्तर्गत जो लेण्ड ली जायगी उसके लिये अब तक जो कम्पनसेशन देने की बात है वह 20 से 30 टाइम्स देने का है।

अब मैं एग्जेम्प्शन्स के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। जहां तक एग्जेम्प्शन्स को विथड्रा करने का सवाल है उसमें राजस्थान सबसे अग्रणी है। हिन्दुस्तान की किसी भी स्टेट ने एग्जेम्प्शन्स विथड्रा नहीं किये। हिन्दुस्तान के अलग अलग राज्यों में कानून बने हैं वह मैं सरकार को बता देना चाहता हूं।

आन्ध्र में एग्जेम्प्शन्स हैं। जम्मू काश्मीर में एग्जेम्प्शन्स हैं। वेस्ट बंगाल में एग्जेम्प्शन्स हैं। केरल में एग्जेम्प्शन्स हैं। बिहार में एग्जेम्प्शन्स हैं। मध्य प्रदेश में एग्जेम्प्शन्स हैं। मैसूर में एग्जेम्प्शन्स हैं। तामिल नाडू में एग्जेम्प्शन्स हैं। उत्तर प्रदेश में एग्जेम्प्शन्स हैं।

(3 म. प.)

हिमाचल प्रदेश और मणिपुर में एग्जेम्पशन्स हैं। त्रिपुरा में एग्जम्पशन्स हैं। यह एग्जेम्पशन्स अलग अलग हैं। आप चाहें तो बताद्रूं। अब राजस्थान में एग्जेम्पशन्स नाम की कोई चीज नहीं रह सके ऐसी व्यवस्था कर के आप चल रहे हैं—सिवाय कोआपरेटिव सोसाइटी के फार्म्स के।....

श्री सभापति : रीलिजीयस भी हैं।

श्री भैरोंसिंह : रामानंद जी यह भी नहीं चाहते हैं। मैं निवेदन करूं आपने एक व्यवस्था की कि हम एग्जम्पशन्स देना चाहते हैं। जेनुइन फार्म को सीलिंग से मुक्त रखना चाहिये। लोगों ने इन फार्मों पर काफी इन्वेस्टमेंट किया है अब उनसे ये फार्म छीनना उनके साथ में विश्वासघात होगा। इसलिये हम या तो उनको कम्पेनसेशन दें या जो ट्रान्सफर की व्यवस्था की है उसके

(श्री भैरोंसिंह)

लिये कोई एक रीजनेबुल टाइम प्रेसक्राइब करना चाहिये और वे उसके अन्दर अपनी जमीन को ट्रान्सफर कर दें। एक पाबन्दी लगनी चाहिये कि इनका ट्रान्सफर किया जा सकता है। 1970 के एण्ड तक यह रीजनेबुल टाइम हो सकता है।

श्री मूलचन्द डागा : क्या यह प्रोग्रेसिव है?

श्री भैरोंसिंह : मैं तो यहां पर वास्तविक स्थिति को बताना चाहूंगा। यह प्रोग्रेसिव का ढोंग तो आपने खड़ा कर रखा है। यह चीन का च्यांगकाई शेक है।

श्री मूलचन्द डागा : पूंजीपति . . .

श्री भैरोंसिंह : पूंजीपति कौन है और कौन नहीं है, यह तो शकल से ही पता लग जाता है।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आप इस जमीन को लेकर उनको बेचेंगे। मैं निश्चित तौर से कहता हूं कि जैसलमेर में कोई भी सीलिंग की जमीन को लेने को तैयार नहीं होगा, कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। बीकानेर जिले में एक तहसील है मगरा। उस मगरा तहसील में कोई जमीन को एलाट कराने वाला आप को नहीं मिलेगा। आज उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में जो पहाड़ी इलाके है, वहां पर पहाड़ी इलाके में जो जमीन है, कोई भी पूंजीपति एक्जम्प्टेड फार्म नाम पर वहां इस जमीन को लेने को तैयार नहीं होगा इसलिये या तो सरकार ही इस जमीन को डिसपोज आफ करने की व्यवस्था करे और इम्प्रूवमेंट के नाते ही वह इस प्रकार की व्यवस्था करे, या इसके लिये किसी कम्पनी की व्यवस्था करे . .

(3.04 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर जोर शोर से कहा जा रहा है कि सीलिंग से जमीन नहीं ली जायेगी तो राजस्थान तबाह हो जायेगा। कैटिल ब्रीडिंग फार्म नहीं लिये जायेंगे तो किसानों को जमीन नहीं मिल पायेगी, शीप ब्रीडिंग फार्म्स नहीं लिये जायेंगे तो राजस्थान खत्म हो जायेगा। मैं माननीय सदस्यों को यह बता देना चाहता हूं कि जो रजिस्टर्ड फार्म हैं उनमें केवल 17 हजार एकड़ जमीन है यह जमीन बच जायेगी और राजस्थान के हरिजनों को जमीन मिल जायेगी और किसानों और गरीबों को भला हो जायेगा, वे बेहबूद हो जायेंगे, यह बात मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यहां पर यह बता देना चाहता हू कि राजस्थान सरकार के पास में 1 अप्रेल 70 को 17 लाख 11 हजार 691 एकड़ जमीन थी। यदि कांग्रेस के लोगों में दम है वे गरीबों की इतनी हिमायत करना चाहते है तो वे इस सरकार को छाती पर चढ़े हो जायें और सरकार को कहे कि इसका पहले बंटवारा हो। लेकिन वे कोई इस बात पर बोलते नहीं हैं। 17 हजार एकड़ जमीन का प्रश्न लेकर यह दिखाना चाहते हैं कि हम प्रोग्रेसिव है। हम तो लोकतंत्र को मानते हैं, समाजवादी हैं, क्रांतिकारी हैं, खून की नदियां बहा

(श्री भैरोंसिंह)
देंगे और हथियार उठायेंगे। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं कि राजस्थान में हथियार उठाया तो हम उनका कचूमर निकाल देंगे। भाषणों में ही खून की नदियां बहा लो भाषण में तलवार उठाने की बात कह लीजिये और कोरे भाषणों में क्रांति के सपने ले लें। तलवार से मारने की बात राजस्थान की धरती पर नहीं हो सकेगी। क्रांति ही करना है तो अलवर से शुरू कीजिये। अलवर में महाराजा बैठे हैं। कितनी क्रांति आपने वहां पर की है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।
(सदस्यों द्वारा शोरगुल)

श्री भैरोंसिंह : कहते हैं अलवर के महाराजा के पास जमीन है, उसको हम छीनेंगे, परन्तु क्या छीनी है जमीन आपने आज तक ? ऐसी स्थिति में मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि अब एक क्रांतिकारी कानून लाया जा रहा है। मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि वह क्रांतिकारी कानून लाया जा रहा है। मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि वह क्रांतिकारी व्यवस्था क्या है ? जमीन किस को एलॉट हुई है लैंडलेस टिनेन्ट को 1955 में कानून बना और 1970 तक सरकार ने भूमि का एलाटमेंट किया वह लैंडलेस टिनेन्ट के नाम किया। इसकी डेफीनेशन पर विचार किया है ? आज सरकार इस भूमि के बारे में लैंडलेस टिनैन्ट की डेफीनेशन को बदल रही है। अब राज्य सरकार कह रही है कि जमीन एग्रीकलचरिस्ट को एलाट की हुई होनी चाहिये, उसको ट्रान्सफर किया हुवा हो तो उसको ही वेलिड माना जायगा बाकी को नहीं। एग्रीकल्चरिस्ट की परिभाषा क्या होगी ? कल्टीवेटर की परिभाषा क्या होगी ? लैंडलेस की परिभाषा से इसमें थोड़ा अन्तर आ गया है। आज हम इस बात पर स्ट्रेस करते हैं कि जो आदमी एक काम करता है, दूसरा काम नहीं करता है, मतलब यह है कि एग्रीकल्चरिस्ट हो और जिसका होलली और मेनली इन्कम एक्सक्लूसिवली एग्रीकल्चर से हो। ऐसे ही आदमी को भूमि रैगुलराइज की जाये तो बाकी का क्या होगा ? और बाकी को किया तो क्या नहीं होगा ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या इस सरकार के किसी कर्मचारी को उसकी तनख्वाह इसकी आय से कम है और बदकिस्मती से उसको कोई जमीन का ट्रान्सफर हो गया या किसी ने उसको जमीन का ट्रान्सफर कर दिया तो आप उस ट्रान्सफर को वेलिड करेंगे या नहीं ? मैं समझता हूं कि एग्रीकल्चरिस्ट की जो डेफीनेशन है उसके आधार पर कोई भी सरकारी कर्मचारी जमीन ले ले तो वह जमीन रैगुलराइज नहीं होगी। मतलब यह है कि हम मुख्य रूप से इस बात को स्वीकार करते हैं कि एग्रीकल्चरिस्ट वह होगा जिसका कि मेनली और होलली इन्कम एग्रीकल्चर से होगी। तो मैं फिर आपसे यह पूछना चाहूंगा कि यह व्यवस्था आपको करनी है, और आप क्रांतिकारी बनना चाहते हैं, विशेषकर मैं शंकरलालजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसानों के लिये जमीन लेना चाहते हैं, किसानों को भूमिहीनों को जमीन दिलाना चाहते हैं तो फिर लैंडलेस की डेफीनेशन जो सन् 55 के कानून में है उसको ही आप बदलें और जो नान-एग्रीकल्चरिस्ट को जमीन मिल गई है उनसे वह जमीन छीनें और वह जमीन छीन

(श्री भैरोंसिंह)

कर हरिजनों और लैंडलेस टिनेन्ट्स को बाँटें। इस मामले में स्वतंत्र पार्टी आपके साथ है। मैं भी आपका साथ दूंगा। सरकारी जमीन नेताओं ने, उनके भाई, बेटों, मंत्रियों और उनके रिश्तेदारों ने हड़प ली। एग्रीकल्चरिस्ट तो वे नहीं थे। फिर किस परिभाषा में ये आते हैं। यह परिभाषा सन् 1955 से बदली जाये तो इन लोगों को जमीन सरेण्डर करनी पड़ेगी तो इनका बड़ा नुकसान होगा। इसलिये यह प्रगतिशील फौज 1970 से एग्रीकल्चरिस्ट की डेफीनेशन ला रही है, जिसको प्रतिक्रियावादी फौज कहा जाये तो अधिक उचित होगा और जिसको ये प्रगतिशील प्रतिक्रियावादी कहते हैं, वे प्रतिक्रियावादी चाहते हैं कि यह डेफीनेशन सन् 55 से लागू की जाये, इस डेफीनेशन के लिये वे तैयार हैं, जिसको कि ये तथाकथित प्रगतिशील स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यदि क्रांतिकारी बनना है, क्रांति करना है, और आन्दोलन करना है तो आन्दोलन इस बात के लिये करिये कि सन् 55 को जो लैंडलेस की डेफीनेशन है उसको बदला जाये और यह डेफीनेशन नहीं बदली जाये तो मैं पूछना चाहूँगा इस सरकार से उपाध्यक्ष महोदय कि इनमें से कौन कौन काश्तकार हैं। सुखाड़िया जी और उनके परिवार के नाम पर कुल मिलाकर 700 बीघा जमीन है। वे कौन से काश्तकार हैं? रामकिशोरजी व्यास के नाम पर 38 बीघा, शोभारामजी के नाम पर 35 बीघा है। नाम कहीं पत्नी हैं, बच्चे हैं, और कहीं भाई है।

श्री दामोदरलाल जी व्यास के नाम	300 बीघा
श्री हरिदेव जोशी	38 बीघा
श्री रामप्रसाद लड्ढा	14 बीघा
श्री मथुरादास माथुर	12 बीघा, 6 बीघा माउन्ट आबू में और हड़प ली है।
श्री बरकतुल्ला खां	72 बीघा
श्री ब्रजसुन्दर शर्मा	25 बीघा
श्री परसराम मदेरणा	550 बीघा
श्री अमीनुद्दीन अहमद	155 बीघा
श्री अमृतलाल यादव	12 एकड़ (अलाटेड)
श्री भीखाभाई	6 एकड़
श्री हीरालाल देवपुरा	9 बीघा
श्रीमती सुमित्रा देवी	12 एकड़
श्री जयकिशन	63 बीघा
श्री मनफूलसिंह	158 बीघा
श्री बी. एन. जोशी	536 बीघा
श्री खेतसिंह	200 बीघा
श्रीमती प्रभा मिश्रा	10 बीघा
श्री माधोसिंह भैंसवाडा	400 बीघा
श्री कन्हैयालाल पटेल	240 बीघा
श्री बी. पी. गोयल	25 बीघा
श्री राव धीरसिंह	227 बीघा
श्री गंगाराम चौधरी	95 बीघा
श्री भीमसेन	305 बीघा

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : इनकी पत्नियों के नाम किस किस के हैं?

श्री भैरोंसिंह : यह आप सवाल पूछ लेना।

श्री बरकतुल्ला खां : यह अलाटेड है या कैसी है?

श्री भैरोंसिंह : यह तो अलाटेड खरीदी है?

तो मैं कह रहा था हरिसिंह जी के पास 1,008 बीघा

Page No 97

(श्री भैरोंसिंह)

श्री प्रद्युम्नसिंह 245 बीघा

श्री शिवचरणसिंह 112।। बीघा 25 बीघा अनअलाटेड है।

श्री रामचरण 25 बीघा

श्री समर्थलाल 5 बीघा है

जयपुर के पास 20 बीघा और भी है जिसके लिये कलेक्टरेट में मुकद्दमा चल रहा है

श्री मुलकराज 1 मुरबा चक नम्बर 14 बीघा अलाटेड है।

श्री रामदेवसिंह : 72 बीघा जमीन है। यह ब्यौरा बताया है और इसलिये बताया है कि आप यह बतादें रामकिशोर जी साहब व्यास, कि इनकी मेन आमदनी का सोर्स एग्रीकल्चर है क्या ? सुखाड़ियाजी के लिये मान लें कि इनकी सारी आमदनी एग्रीकल्चर से होती है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मंत्रियों के नाम लेकर आप गलत फहमी पैदा करना चाहते हैं। आपने यह जितनी जमीन बताई है इसमें से कोई अलाटेड नहीं है। और कम से कम मेरी जमीन तो पैतृक सम्पत्ति है।

श्री भैरोंसिंह : मैंने यह नहीं कहा। आपकी जमीन में से 250 बीघा के करीब पैतृक सम्पत्ति की है। मैं इसमें इन्कार नहीं करता। मैंने यह कब कहा कि पैतृक सम्पत्ति नहीं है। मेरा क्वेश्चन तो यह है कि एग्रीकल्चरिस्ट की परिभाषा में जो आज आपने रक्खी है, इनमें से कौन कौन आता है जिसका केवल वेज और मीन्स एग्रीकल्चर का होगा उसको जमीन ट्रान्सफर की गई है तो वह वेलिड होगी। अगर यह एग्रीकल्चरिस्ट की परिभाषा इन पर एप्लाई नहीं होती, आप यह कहते हैं तो मैं फिर पूछता हूं कि इसका मतलब फिर यही हुआ कि इस एग्रीकल्चरिस्ट की दो परिभाषाएं आप करते हैं अलग अलग तरह से। आप इसकी दो परिभाषाएं रखकर चल रहे हैं। सरकारी जमीन को खा जावें तो लैंडलेस टीनेन्ट की अलग व्याख्या है, और जो सीलिंग में आवे और अपनी सरप्लस जमीन ट्रान्सफर करदे तो उसकी दूसरी।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं बताना चाहता हूं कि सीलिंग एक्ट के पहले न सीलिंग में आई थी न उससे सीलिंग का कोई सम्बन्ध था जो जमीन हमारे पास थी।

श्री भैरोंसिंह : बरकतुल्ला साहब, आप मेरी बात समझें मैं क्या कह रहा हूं। बरकत साहब, मैं यह कह रहा हूं कि आपके पास जो फार्म हैं, जमीन है, वह आपकी इन्कम का मैन सोर्स नहीं है। इसलिये आप एग्रीकल्चरिस्ट की परिभाषा में नहीं आते। यह मेरे कहने का मतलब है। अगर आप यह कहो कि हम आते हैं तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि आपकी एग्रीकल्चरिस्ट की दो परिभाषाएं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैन सोर्स आफ इन्कम में खर्चा कौन कितना करता है, इस पर डिपेण्ड करता है। हजारों रुपया मिनिस्टर को तनखा मिलती है और अगर उसका खर्चा हजार ही है तो मैन यह हो गई सोर्स आफ इन्कम। यह तो व्यक्तिगत पर्स पर निर्भर

(श्री उपाध्यक्ष)

करता है। किसी का दस हजार माहवार का खर्चा है तो दूसरी आमदनी मेन रह गई। यह एग्रीकल्चर की आमदनी गौण हो गई।

श्री भैरोंसिंह : इसमें कोई ट्रिब्यूनल बैठे और वह जांच करे, इसकी आवश्यकता नहीं है। अपनी अपनी छाती पर हाथ रखकर देख लें हरेक कि क्या एग्रीकल्चर से होने वाली आय हमारी इन्कम का मेन सोर्स है ? यदि नहीं है तो इस परिभाषा के अन्तर्गत आप न तो एग्रीकल्चरिस्ट हैं न एग्रीकल्चरल लैण्ड इस नाते आपको अपने पास रखनी चाहिये। आपको रखने का कोई अधिकार नहीं रह जाता है। इसलिये निवेदन करता हूँ कि 55 के एक्ट में लैंडलेस टीनेन्ट की डेफीनेशन आपने बदली, आज आपने फिर बदली। तो इस तरह से जो लैंड खाली हो वह आप लैंडलेस में बांटे और इस नाते त्याग करने के लिये और त्याग दिखाने की खातिर भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर अपनी भूमि को सरेण्डर करें और भी मिनिस्टर अपनी अपनी भूमि सरेण्डर करें क्योंकि मिनिस्टरों में किसी का भी मेन सोर्स आफ इन्कम यह एग्रीकल्चर नहीं है। आप घोषणा करेंगे तो इससे आपकी तो तारीफ होगी ही एग्जम्पटेड फार्म्स भी सरकार को सरेण्डर होंगे। पर वे तो सरेण्डर करने को तैयार नहीं, अपनी जमीन देना नहीं चाहते। दूसरों की लेना अवश्य चाहते हैं और लेते हैं तो कम्पेन्सेशन भी देना नहीं चाहते और जो गलती करदी उसको भी सुधारना नहीं चाहते। तो यह सारी व्यवस्था इस तरह की चल नहीं सकती।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सीलिंग से ऊपर की तो बाहर आवेगी।

श्री भैरोंसिंह : सीलिंग का सवाल नहीं है। मैं गरीब किसान की बात कर रहा हूँ। लैंडलेस की बात कर रहा हूं। एग्जेम्पशन तो इसलिये ये खत्म कर रहे हैं कि गरीब किसान को भूमि मिल जावे। अब गरीब किसान को भूमि कहां कहां से मिले इसके सभी सोर्स टेप करने चाहिये। एग्जम्पशन की इसी खातिर आप विधेयक कर रहे हैं। आप इस दृष्टि से इन मंत्रियों की भी जमीनें ले लें जिन्होंने नान-एग्रीकल्चरिस्ट होते हुए भी और आमदनी का मेन सोर्स नहीं होते हुए भी जमीनों पर कब्जा लिया है। तो आपको समझ में आ जावेगी कि हम वास्तव में किसान की कृषक की सेवा करना चाहते हैं और नान-एग्रीकल्चरिस्ट को भूमि नहीं देना चाहते।

एक मैं निवेदन करना चाहता हूं। रामानन्दजी ने छोटे जागीरदारों की बात कही। उनके प्रति इनकी सहानुभूति है, इसकी मुझे खुशी है। जिस समय जागीर रिजम्पशन का कानून बना था, राजस्व मन्त्रीजी को याद होगा, कम्पेन्सेशन के इश्यू पर अमेण्डमेन्ट दिया था कि लो ओफ प्रिमोजिनेचर खत्म होना चाहिये। जागीरदार के हाथ से जागीर रिज्यूम की जा रही है भइया बन्ट का कम्पेन्सेशन बराबर मिलना चाहिये। आपने इसे रिजेक्ट किया और कहा जागीर रिज्यूम कर रहे हैं लॉ ओफ प्रिमोजिनेचर की आवश्यकता क्या है। तो फिर सीलिंग के कानून में लॉ आफ प्रीमोजिनेचर क्यों ? इस क्यों इन्ट्रोड्यूस किया ? कैसे किया ? एक बाप के चार लड़के। 60 एकड़ जमीन उसके पास। बड़ा बेटा मेजर हो गया, 18 वर्ष से ऊपर हो गया। पार्टीशन हुआ। तो

(श्री भैरोंसिंह)

30 एकड़ जमीन तो अकेला वह बड़ा लड़का जो मेजर बन गया 18 साल से ऊपर का होगया, बाकी तीस एकड़ में तीन छोटे भाई रह गये जिसे वे आपस में बराबर बराबर डिस्ट्रिब्यूट करेंगे यानि उनमें से हरेक को दस दस एकड़ तो मिला, बड़े का अकेले को तीस एकड़ मिला। तो उस समय भी यह जागीरदार बन गये और छुटभाई हिस्सा लेकर बाहर चले गये। इसका मतलब जो बड़ा हो गया वह तकदीर वाला और जो छोटा हुआ वह खराब तकदीर वाला। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न, सभापति महोदय, माननीय अलवर से आने वाले सदस्य से मैं निवेदन करना चाहता हूं। यह कोई राजपूत का ही प्रश्न नहीं है। राजपूतों की यह सामाजिक व्यवस्था थी। इसके आधार पर राजपूत शासक और जागीरदार दो दो और तीन तीन शादियां करते थे। इसलिए जागीरदारी व्यवस्था में राजपूती समय में यह व्यवस्था चली थी। अब ज्यों ही शादी हुई, शादी के साथ ही महल के नाम पर हाथ खर्च के नाम पर जागीर निकाल दी वह उनके खुद काश्त के रूप में चली गई।

कई ठिकाने ऐसे हैं उपाध्यक्ष महोदय, जिनमें मदर का और लड़के का आपस में मां बेटों का सम्बन्ध अच्छा नहीं है, मांजियां हैं, बुजुर्ग और वृद्धा हैं जिनके कोई आमदनी का सोर्स नहीं है केवल वही जमीन उनके पास है जो हाथ खर्च के नाम पर शादी के समय उनको मिली थी। आज वह जमीन अगर सीलिंग के नाम पर अलग यूनिट में नहीं मानी गई तो जिस लड़के से झगड़ा है उसे जब सीलिंग का नोटिस दिया जावेगा तो वह अपनी जमीन को सरेण्डर नहीं करेगा, सबसे पहले वह इस तरह की जमीन को सरेण्डर करावेगा। मां को करावेगा। ऐसी हालत में उनकी हालत खराब हो जावेगी। ऐसे केस एक दो नहीं होंगे, हजारों की संख्या में हैं। इसमें उलझनें पैदा होंगी। इसलिए विधान सभा इस प्रश्न पर भी गम्भीरता से विचार करे।

अन्त में यह निवेदन करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, यह जो फण्डामेन्टल प्रिन्सिपल एग्रीकल्चरिस्ट और लैंडलेस का तय किया है उनमें सारी चीजों का निवेदन करूंगा कि यह इतना कम्प्लीकेटेड और लीगल प्रश्न बनने वाला है कि एग्रीकल्चरिस्ट अपने को प्रूव करने में जो समाज का प्रभावशाली तबका या वर्ग है वह तो निश्चित रूप से कलेक्टर, एस. डी. ओ. या तहसीलदार के पास जाकर उनको पैसा खिलाकर, रिश्वत देकर कैसे भी अपने आपको एग्रीकल्चरिस्ट डिक्लेअर करा लेगा। उस ट्रान्सफर में भी गरीब बेवसीला रह गया तो वह नहीं करा सकेगा। तो उनकी हत्या न हो इसलिए लैंडलेस और एग्रीकल्चरिस्ट की जो परिभाषा पहले थी उसी को रखें और उस जमीन को किस प्रकार से डिस्ट्रिब्यूट किया जा सकता है या कम्पन्सेशन दिया जा सकता है इसकी व्यवस्था करें।

यही कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बाम्पुर) : उपाध्यक्ष महोदय, दो दिन से इस 'सीलिंग'

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

कानून पर डिबेट चल रही है। मैं शुरू से ही बैठा हुआ हूँ। इस में काफी दिलचस्पी ली है एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से बहस भी गई है और उसका जवाब हमारे जनसंघ के नेता महोदय ने दिया है। उस समय कांग्रेस के नेता महोदय यह सोच रहे थे कि यह जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टी आपस में लड़ रहे हैं। और जब यह बात आयी कि कांग्रेस वालों की इतनी इतनी जमीन है। अगर वह वाकई में लैंडलैस व्यक्ति को जमीन देना चाहते हैं तो फिर वह उनके लिए अपनी जमीन छोड़ें। तो फिर कोई जवाब नहीं दिया। चुप हो गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हम भूमि की समस्या सीलिंग के जरिये से हल कर सकें, यह सम्भव नहीं है। यह आसान नहीं है। 10 साल के बाद अब यह कानून आज आया है। इससे यह मालूम पड़ता है कि कांग्रेस सरकार इस समस्या को हल करने में सफल नहीं हुई है। थोड़े दिनों पहले कांग्रेस के अध्यक्ष श्री जगजीवनराम ने भाषण दिया कि यह जो छोटे बड़े का फर्क है, इसको मिटाने का हल कांग्रेस के पास है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस में ही ऐसे लोग बैठे हैं जो इस व्यवस्था के खिलाफ हैं। इसलिए 10 साल से लगातार यह कानून लागू नहीं हो सकता है। आज जो कानून जिस शक्ल में आया है, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मूल समस्या गांव का आदमी है जो इस देश की आबादी का चौथाई हिस्सा है। हमारे गांवों में आज तेल की घानी नहीं रही हैं। जूते बनाने का धन्धा नहीं रहा है। गांव के उस गरीब आदमी के लिए कोई धन्धा नही रहा है। उसको हम कैसे राहत दे सकते हैं? मूल समस्या यह है। अभी तक इसके लिए कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ लोग शहरवालों को डिफेण्ड करने की बात करते हैं। जब कि 80% गांवों की आबादी है। जिस तीन चौथाई आबादी को भर पेट भोजन नहीं मिलता है उनके लिए अब तक हमारे यहां कोई विचार नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि तीन तरीके हैं हल करने के। एक तरीका कानून का है। प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है, भारत सरकार की रिपोर्ट है। यह समस्या हल नहीं हो सकती है। भारत सरकार के सामने अभी नक्सलवादी समस्या आई है। तो खासतौर से भारत सरकार के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है। हम भूमि की समस्या हल नहीं कर पाये हैं। इस लिए गांवों में असन्तोष बढ़ा है। असन्तोष दो प्रकार का है। एक जो शहरों में रहते हैं, और दूसरे गांवों में रहते हैं उन दोनों में असन्तोष है। मेरे गांव में चौथाई आदमी ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है। बाजार में मण्डी अनाज से भरी हुई है। लेकिन उनके पास पैसा नहीं है कि वह खरीदें। चारे का भाव 10 रु. मन का है। हम सब इस समस्या के बारे में चुप हैं। इसका क्या हाल होगा? बंगाल में नक्सलवादी लोग उभरे हैं उन्होंने 8 प्रान्तों में नक्सलवाद के आधार पर हिन्दुस्तान में तब्दीली करने की कोशिश की है। नौजवान आदमी बेरोजगार हैं उनको वे कहते हैं कि हम समस्या हल करेंगे माओ के सिद्धान्तों के द्वारा वह कहते हैं कि हम

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

हल करेंगे। सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश की जो है वह उसी जगह बनी हुई है। आज कानून बनाया जा रहा है, 15 लाख एकड़ जमीन किसानों में बांटी जाएगी। यह सब मानते हैं कि समाजवाद आएगा। यह असन्तोष देश में फैलेगा तो देश के लिए घातक होगा। अब हमारे जो जनसंघ और स्वतन्त्र पार्टी के साथी जो कम्युनिस्टों के बारे में बताते हैं, वह कुछ और हैं। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी अपनी विचारधारा से उन पर असर डालती है। उस असन्तोष को मिटाना हमारा फर्ज है। मैं, जो उधर बैठने वाले हैं और इधर बैठने वाले हैं, उनसे नम्रता से कहना चाहता हूं कि आप चलिये मेरे साथ। एक बीघा भी जमीन नहीं है मेरे पास। मैं मिनिस्टरी में रहा हूं। मैंने और मेरे खानदान ने कोई प्रापर्टी नहीं बनाई है। अगर इस समस्या का हल हो सके तो मेरा जो शरीर है, वह मैं दे सकता हूं। कोई जमीन नहीं है। मकान पड़ा है, वह मैं देने के लिए तैयार हूँ। इस समस्या को हल करने के लिए जब बाम्बे में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो यह कहा गया कि कांग्रेस समाजवाद का वाहक होने वाली है। तो उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी हुई। यह कहा गया कि पहले कांग्रेस के नेता थे वह प्रतिक्रियावादी थे। अब कांग्रेस क्रान्ति का वाहक होगी। लेकिन मुझे दुःख है, आज सीलिंग कानून देख लीजिये। आज पोलिटीशियन अपनी कुर्सी को बचाये रखने के लिये यह सब करते हैं। सन 72 में चुनाव आ रहे हैं। आपने गरीब हरिजनों को यह कहा है कि हम तुमको जमीन देने वाले हैं। और उनको बहका कर यह 1972 के चुनाव में वोट लेने वाले हैं क्योंकि जिनके पास में जमीन है उनकी गरदन पर यह तलवार लटकी रहने वाली है कि मेरी जमीन यह छीनने वाले हैं इसलिये वह इनको वोट नहीं देगा। इन्होंने देखा कि यह वोट नहीं देंगे तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा इसलिए इन्होंने क्या किया है कि कानूनी गड़बड़ी की है। यह जो कानून बनाने जा रहे हैं इससे मुझे एक बात याद आ गई कि एक आदमी की गाय थी, उसका बछड़ा मर गया तो कहीं गाय दूध देना बन्द न कर दे इसलिये उस बछड़े की खाल के अन्दर फूस भरवा दिया। दोनों दफा उसको दिखा कर वह गाय का दूध निकाल लेता। इसी तरह से यह सरकार भी जो बैकवर्ड आदमी हैं, जो हरिजन हैं उन सबको सीलिंग का कानून दिखा कर वोट लेना चाहती है। ठीक, इनको वोट लेना जरूरी है इसलिये यह कुछ भी कर दें, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इससे न तो भूमिहीनों को जमीन मिलेगी और न किसी को जमीन मिलने वाली है। मैं मिसाल के तौर पर बता सकता हूं। आपने इसमें कहा है कि कोआपरेटिव फार्म को एक्जेम्पशन दिया जायगा मोहम्मदपुरा एक गांव है, उसके बारे में मैं रेवेन्यू मिनिस्टर को कहना चाहता हूं कि वहां पर कोआपरेटिव सोसाइटी को 1967 में जमीन अलाट हुई लेकिन तहसीलदार से मिल कर उस जमीन पर उसका कब्जा नहीं होने दिया। इस प्रकार की बहुत सी शिकायतें हैं। तो जो कानून बनता है उसका फायदा उनको होता है जो जमीन के मालिक हैं, जो पैसे वाले हैं और जो गरीब हैं, हरिजन हैं वह जमीन का इन्तजार ही कर रहे हैं। जिन्होंने जबर्दस्ती जमीन अपने कब्जे में ले ली उसको आप रेगुलराइज कर रहे हैं

(श्री बद्री प्रसाद गुप्ता)

इसके पहले सैटल मेंट ने भी उनको रेगुलेराइज कर दिया। जमीन के मामले में इतने घोटाले हुए हैं कि इसके ऊपर इन्क्वायरी बैठाई जाय तो मालूम होगा कि कितनी गड़बड़ी हुई है। मैं जानता हूँ कि कानून से यह समस्या हल नहीं हो सकती है। लेकिन अगर कांग्रेस दल के लोग चाहें तो यह समस्या हल हो सकती है। जैसा अभी भैरोंसिहजी कह रहे थे, जो कांग्रेस दल के आदमी क्रांति के वाहक बनना चाहते हैं उनको पहले अपने घर में क्रांति करनी चाहिये। मैं निवेदन के तौर पर कहता हूं कि मैं चालीस साल कांग्रेस में रहा हूं, मेरा अनुभव है कि हम भूमि की समस्या को मिटाना चाहते हैं, देश के अन्दर जो नक्सलपंथी प्रवृत्ति बढ़ रही है उसको नष्ट करना चाहते हैं तो उसका केवल एक ही रास्ता है, वह सर्वोदय का। जो सर्वोदय का रास्ता है वही गांधी का रास्ता था और विनोबा का रास्ता यह है। लेकिन मैं जानता हूं कि आज कांग्रेस के व्यक्तियों को सबसे ज्यादा नफरत है तो वह है गांधी के नाम से। उन्हीं के नाम से आप जनता से वोट लेते हैं, जनता आपकी बातों का आदर नहीं करती है। जो लैंड लैस नहीं हैं, एग्रीकल्चर से होलली जिनकी इन्कम नहीं है, उनके आपने बड़े बड़े फार्म्स बना रखे हैं, और उनको आप बचाने में लगे हुए हैं। यह क्रांति का तरीका कैसे हो सकता है? आप क्रांति के वाहक बनना चाहते हैं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस वाले कहें कि हम क्रांति करना चाहते हैं तो क्रांति का तरीका वही है जो गांधी जी ने बताया था जो आपके पास में जमीन है उसको आपको रखने का अधिकार नहीं है, वह उसूल के मुताबिक काश्तकार को मिलनी चाहिये। जो कि खुद की जमीन को काश्त नहीं करता है उसको वह जमीन सरेन्डर करनी चाहिये। मैं भी उसमें शामिल हूं। इसलिये मैं यह प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने आफिस में होते हुए, आफिस का उपयोग करते हुए जमीन प्राप्त की है उनको वह जमीन सरेण्डर कर देनी चाहिये। इसके लिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इसके लिये एक इंडिपेंडेंट कमीशन इन्क्वायरी के लिये बैठाया जाना चाहिये जो ठीक तरह से इन्क्वायरी करे और जिन लोगों के पास ऐसी जमीन है उनसे एक्वायर करके उसको गरीब लोगों को दे देनी चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे पास भी जो भूमि है वह मैं सरेन्डर करने को तैयार हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि कांग्रेस के लोग मेरी बात को नहीं मानेंगे। वह विनोबा के सिद्धान्त को नहीं सुनने वाले हैं, वह नहीं मानेंगे सर्वोदय के सिद्धान्त को, वह गांधी जी के सिद्धान्त को नहीं मानेंगे रामानन्दजी चैलेंज दे रहे हैं लेकिन मैं समझता हूं कि राजस्थान बहुत बैकवर्ड है, यहां पर क्रांति होने में टाइम लगेगा। लेकिन हम यह रियेलाइज करते हैं कि सब प्रान्तों में नक्सल पंथी प्रवृति बढ़ती चली जा रही है, माओ की फौज हिन्दुस्तान में बढ़ती चली जा रही है। करीब दस करोड़ की यह लाल फौज हिन्दुस्तान में फैलती जा रही है, पूर्व और दक्षिण से हिन्दुस्तान में आग लगती आ रही है। यह पूरे प्रान्तों में लग गई तो राजस्थान भी बाकी बचने वाला नहीं है। इसलिये मैं नम्रता से दोनों तरफ के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून से यह समस्या हल नहीं हो

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

सकती है। कानून से यह समस्या-हल हो इसकी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन इस समस्या का हल निकालना जरूरी है वरना देश में असंतोष फैल जायगा और उस असंतोष की आग को रोक नहीं सकेंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि हम सर्वोदय के सिद्धान्त को समझें और इस जमीन की समस्या को हल करें। बस मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह मान लेंगे आपकी बात ?

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त कर दी जाय। (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) आपको आगे अवसर दे देंगे।

श्री हीरा भाई : हम बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : समय काफी हो गया है। आपको अवसर आगे दे देंगे। इसके बाद माननीय मंत्री महोदय।

श्री विजयसिंह : इसको आज थोड़े समाप्त कर दिया जायेगा।

श्री शंकरलाल : समय दिया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : कोशिश की जायगी कि आज ही समाप्त हो इसका प्रथम पारण।

श्री शंकरलाल : अवसर बोलने का हमें मिलना चाहिये।

श्री विजयसिंह : कांग्रेस के सदस्यों को हम सुनना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय अभी उत्तर दे देते हैं, उसके बाद में खण्डश: विचार किया जायगा, उसके बाद में थर्ड रीडिंग पर विचार होगा, उस समय समय दे दिया जायगा।

श्री रामकिशोर व्यास (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के संबंध में दो दिन से माननीय सदस्यों के विचार सुनने का सौभाग्य मिला। इसके अलावा एक दिन पहले इस हाउस में इस पर विचार हुआ था और करीब तीन चार दिन सलेक्ट कमेटी में भी इस बारे में विचार हुआ था। बहुत सारे मुद्दे बहस के दौरान में आये; उनमें से खास खास का मैं जवाब अर्ज करूंगा, बाकी के बारे में जो बहुत सारे ऐसे हैं जिनके संबंध में संशोधन आये हैं और जब संशोधन लिये जायेंगे तब ज्यादा बातचीत करूंगा।

मूल रूप से एक प्रश्न यह आया कि आखिर इस सीलिंग का आधार क्या है ? इसका कन्सेप्ट क्या है ? और किस आधार पर सीलिंग लगाया जा रहा है ? काफी इस पर आग्रह किया गया, क्या गरीब को और गरीब बनाने का है, क्या और भूमिहीन नये बनाने का है। बहुत सारी बातें इस संबंध में कही गईं। मैं इस संबंध में बहुत नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, सीलिंग लॉ जिस आधार पर बेस्ड है वह आप सबको मालूम है। वह बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय मूलाधार है। इसका आधार यह है कि अगर एक परिवार में दो रोटी और पांच खाने वाले हैं, तो या तो यह हो सकता है कि दो रोटी अकेला एक आदमी खा ले, या यह हो सकता है कि पांचों बांट कर खायें। दोनों में से कौनसा रास्ता ठीक होगा, आया

(श्री रामकिशोर व्यास)

एक आदमी दो रोटी खाकर अपना पेट भर ले या दो रोटी परिवार के पांचों व्यक्ति खायेंगे.........

श्री विजयसिंह : पांचों भूखे मरें।

श्री रामकिशोर व्यास : यह डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स आफ स्टेट पालिसी जो कान्स्टीट्यूशन में ले-डाउन है उसमें डाइरेक्टिव दिया गया है जो कण्ट्री के रिसोंसेज हैं, जो कम्युनिटी के रिसोंसेज हैं, उसकी ओनरशिप को इस तरह रेगुलेट किया जाय कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन बढ़ाने वाला हो, सबवर्सिव न हो, बल्कि कम्युनिटी और समाज के लिये लाभदायक हो और धन का वितरण इस प्रकार से न हो, सम्पत्ति का वितरण इस प्रकार से न हो कि चन्द हाथों में रुक जाय और उत्पादन में बाधक बने। यह नीति मूल नीति हमारे कान्स्टीट्यूशन में लेडाउन की गई है। इसी नीति को प्लानिंग कमीशन ने जब फर्स्ट फाइव ईअर प्लान बनाया, सेकिण्ड फाइव ईअर प्लान बनाया तब माना और कहा कि हमारी आर्थिक नीतियां और लेण्ड पालिसी है, उस लेण्ड पालिसी पर अपर लिमिट रखनी होगी, उच्च सीमा रखनी होगी और वह समाज के हित में रखना जरूरी है। अगर इन्डीविजुअल राइट का कन्फ्लिक्ट जहां समाज को बेहतरी के लिए होता है तो इन्डीविजुअल राइट को सर्टेन स्टेन्डर्ड, सर्टेन नार्म्स के माफिक निर्धारित करना पड़ेगा और उस सीमा से जिनके पास अधिक भूमि है वह लेकर जिनके पास नहीं है, उनको देनी पड़ेगी। सीलिंग का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि जिनके पास भूमि अधिक है उनसे लेकर जिनके पास नहीं है या कम है उनको दी जानी चाहिये। यह मन्शा कभी नहीं है कि उनको और अधिक भूमिहीन बनाया जाय। लेकिन यह भी नहीं हो सकता कि किसी के पास हजारों एकड़ जमीन हो, खुदकाश्त नहीं करता हो, नौकरों के जरिये खेती करावे और लाखों आदमी देश में ऐसे बैठे हों जिनके पास दो बीघा या एक बीघा जमीन नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि कुत्ता तो आराम से दूध पीता रहे और दूसरी तरफ बीमार बच्चे को दवाई न मिल सके......

श्री दौलतराम सारण : काश, आप इस भावना को समझ कर आचरण करने की कोशिश करते।

श्री रामकिशोर व्यास : यदि मैं गलत हूं तो करेक्ट कर लूंगा आप बतायें, मैं आपका आभारी रहूंगा।

श्री भैरोंसिंह : यदि आप जमीन का बंटवारा कर रहे हैं तो सारण साहब बिलकुल दुबले पतले हैं आपमें और इनमें कितना अन्तर है, इसको कैसे मिटायेंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास : इनकी भावनाओं को समझते हुए मैंने अपना वजन 20 पाऊंड कम कर दिया लेकिन इनको नहीं दे सकता।

श्री दौलतराम सारण : कुत्ते दूध पीते हैं और मांस खाते हैं और दूसरों के पास रोटी नहीं, रोटी के लिये सिसकते हैं उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : उसको ठीक करना है तो इस सीलिंग का आधार जो हमारी आर्थिक नीति है, भूमि नीति है, वही

Page No 105

(श्री रामकिशोर व्यास)

आधार है। उसी के बिना पर हम यह कानून बना रहे हैं। एक बात जो इसके विरोध मे अक्सर कही गई है वह यह है कि यह कानून लागू करने से उत्पादन कम हो जायगा, वह मेरी समझ में नहीं आया। मेकेनाइज्ड फार्म्स नहीं रहेंगे इस वजह से या दूसरी वजह से, वह समझ में नहीं आया। मेरी फीलिंग यह है कि वह तथ्य पर आधारित है। इससे पैदावार बढ़ेगी और जहां जहां एलाटमेंट्स हुए हैं उत्पादन बढ़ा है। किसी भी राज्य का रेकार्ड देखें, जगह जगह उत्पादन बढ़ा है। उसकी वजह यह है कि अगर बहुत सारी जमीन एक हाथ में रहती है वह नौकरों के जरिये खेती करता है, तो नौकर को इन्सेंटिव नहीं है। लेकिन यदि खुद की भूमि होती है वह काश्त करता है, किसी के पास 20–30 या 50 बीघा जमीन है तो उत्पादन वह बढ़ाता है। इसलिये यह कहना कि उत्पादन कम हो जावेगा, मैं सही नहीं मानता। जैसे जैसे भूमि का वितरण होगा लोग दिलचस्पी लेंगे, उनके जीवन के आधार का सवाल होगा, जीवन मरण का सवाल होगा तो वह निश्चित रूप से आमदनी बढ़ायेंगे और उत्पादन बढ़ेगा।

यह भी कहा गया कि यह जो 30 स्टेन्डर्ड एकड़ की सीमा रखी गई है, वह कम है सरकार यह कानून बना कर काश्तकारों को कमजोर करना चाहती है। यह सब भावनात्मक है, तथ्यों से संबंधित नहीं है। आपके सामने यह मुद्दा नहीं है। 30 स्टेंन्डर्ड एकड़ की बात आप सीलिंग कानून में मान चुके। आज उसके परिवर्तन का प्रश्न नहीं है। फिर भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस वैज्ञानिक युग में जहां इतना ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ है, जहां खाद व अच्छे किस्म के बीज हैं, अच्छे ढंग से खेती की जाये तो 30 स्टैन्डर्ड एकड़ एक परिवार के लिये और जैसे परिवार को डिफाइन किया गया है सीलिंग कानून में, एक पत्नी, एक पति, उसके बच्चे तो मैं समझता हूं उनके लिये इतनी जमीन काफी है। वह अमीर तो नहीं हो सकता, लेकिन वह अपना गुजारा कर सकता है। वह लखपति या करोड़पति बनेगा, वह मेरी मान्यता नहीं, लेकिन परिवार के निर्वाह के लिये काफी है। आजकल आमतौर से 15-20 एकड़ जमीन जिसके पास है तो वह 10-15 हजार साल में पैदा कर सकता है, अगर ठीक ढंग से काम करे। इसलिये यह कहना कि सीलिंग कानून को मंशा यह है कि गरीब काश्तकारों के बच्चे पढ़ें नहीं, चुनाव लड़ नहीं सकें सब दलीलें इस तरह की हैं जो सीलिंग कानून के बेसीकली खिलाफ हैं। वह बहाना ढूंढना चाहते हैं इसलिये ऐसी दलील देते हैं जिसके अन्दर कोई वजन नहीं है।

इसमें एक यह भी छूट मिल गई है कि परिवार में मेजर लड़का है, यदि उसको ट्रांसफर कर दिया 30 स्टेन्डर्ड एकड़ तक तो वह वैलिड है .....

श्री केसरीसिंह हांडा : मेजर को ही माना है।

श्री रामकिशोर व्यास : मेजर लड़का नहीं है? यहां यह भी कहा गया कि सब लोगों को सीलिंग कानून से भूमिहीन बनाया

(श्री रामकिशोर व्यास)

जायगा। कैसे बनाया जायगा? जैसे जैसे सक्सेशन के केसेज होंगे, सीलिंग कानून नहीं होगा भी तो वह हो जायगा, सक्सेशन बन्द नहीं होगा, पार्टीशन्स बन्द नहीं होंगे आइन्दा भी। आबादी बढ़ेगी और जमीन पर दबाव बढ़ेगा तो छोटे छोटे टुकड़े होंगे और इसलिये जो नीति है उसको कन्सोलीडेट करने की नीति रहती है। लेकिन इससे वे भूमिहीन हो जायेंगे, ऐसी बात नहीं है।

मंत्रियों के बारे में कहा गया कि इतनी जमीन है उनके पास, नाम भी बताये। मेरी खुद की तो जमीन नहीं है, परिवार के लोगों के पास थोडी बहुत जमीन है। जो सूची आपके सामने आई है वह सूची, वह सरकार की दी हुई जमीन नहीं है या एलाट करवाई हुई नहीं है....

श्री बालसिंह सोढा: वह सूची पेश करने का मकसद था कि जो आप परिभाषा बदल रहे है....

श्री रामकिशोर व्यास: मकसद मैंने समझा है। मैं समझा समझाया बैठा हूं। वह प्राईवेट खरीदी हुई है। क्रय-विक्रय के द्वारा ली हुई है। इल्लीगल बात नहीं है। आपका एतराज यह है कि अगर एग्रीकल्चरिस्ट की परिभाषा बदल गई, मैं कहता हूं जो कुछ ला होगा उसको एवायड किया जायगा, रहेगी तो रहेगी नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी। जो देश का कानून होगा उसको सम्मानपूर्वक मानना होगा।

डेफीनेशन की बात आपने कही। नया टेनेन्सी बिल आपके सामने आने वाला है उसमें है मेनली या होल्ली इस सोर्स से आमदनी है तो। विलेज लेबर और आर्टीजन भी उसमें शामिल हैं। उसी में यह भी रखा गया है और यही डेफीनेशन माईनर चेंजेज के साथ एडाप्ट किया गया है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत: वह कब आयेगा?

श्री रामकिशोर व्यास: आपको जानकारी नहीं, उसकी रिपोर्ट पेश हो चुकी है।

श्री बालसिंह सोढा: जो ट्रांसफर्स हो चुके हैं उस डेफीनेशन में वह जमीन कैसे आयेगी,

श्री रामकिशोर व्यास: नहीं आयेगी तो नहीं आयेगी।

श्री बालसिंह सोढा: कानून बनाते समय डिस्क्रीमीनेशन कर रहे हैं। 1970 से पहले जो हो गये उनके लिये डेफीनेशन यही है।

श्री रामकिशोर व्यास: वह सीलिंग परपजेज के लिये है। लिखा है फार परपजेज आफ दिस सैक्शन।

इसके अलावा ज्यादा जोर जो आया है, इस बिल के दो मुद्दे और हैं। एक तो जिसमें ट्रांसफर्स को रिकग्नाईज किया है, दूसरे में एग्जेम्प्शन्स को हटाया गया है दो तरह के विचार हैं। एक दृष्टिकोण यह आया कि जितने एग्जेम्प्शन्स हैं सब कायम रहें। दूसरा दृष्टिकोण यह आया कि जो एग्जेम्प्शन्स हैं वे नहीं रहने चाहियें। मुख्य रूप से एग्जेम्प्शन्स तीन चीजों के बारे में हैं एक तो ग्रोव के बारे में जिसको सिलेक्ट कमेटी ने एड किया है वह है।

Page No 107

(श्री रामकिशोर व्यास)
दूसरा यह भी सवाल आया कि कम्पेनसेशन ठीक तरह से कसे मिलेगा टुकडे हो जायेंगे। यह मन्शा गवर्नमेन्ट की नहीं है। 30 स्टेण्डर्ड एकड तक तो वे रख ही सकते हैं। ऐसे मामले तो बहुत थोडे होंगे जिनके पास हजारों बीघा जमीन है। ऐसे बहुत ही माईनर केसेज हो सकते हैं जिन पर इफेक्ट पड सकता है।

कैटल ब्रीडिंग फार्म के लिये एग्जेम्पशन देने की भी बात कही गई इसके साथ साथ सिन्दरी नस्ल की बात भी कही गई डेजर्ट एरियाज में जैसे बाडमेर और जैसलमेर क्षेत्र हैं जहां पर यह ज्यादा काम होता है, वैसे कैटल ब्रीडिंग और भी जगह होता है। जैसा कि वृद्धिचन्द्रजी ने कहा 30 स्टेण्डर्ड एकड जमीन इसके लिये काफी है उतनी तो हमने छूट दे ही दी और इससे ज्यादा कोई मामूली आदमी तो रख भी नहीं सकता। मैं समझता हूं पांचसौ, छः सौ एकड के ब्रीडिंग फार्म तो बडे बडे देशों में भी नहीं हैं तो इस गरीब मुल्क में इतने बडे फार्म कैसे हो सकते हैं? आप सारे देश में या अन्य देशों में देख लीजिए। कहीं भी 100 एकड का ब्रीडिंग फार्म नहीं मिलेगा। तो हम कैसे रख सकते हैं? रहा सिन्दरी नस्ल के बारे में इसके लिये मेरा निवेदन है कि यदि कोई जेनईन डिफीकल्टीज होंगी तो उसको मेरिट पर विचार किया जा सकता है।

तीसरी बात कोऑपरेटिव फार्मिंग के बारे में आई। इस पर दो तरह की राय आयी है। यह तो मैं भी मानता हूं कि कई सोसाइटीज पावर्स का मिसयूज कर रही हैं इसमें भी कई एब्यूजेज हो गये हैं। बहुत सी कोपरेटिव सोसाइटीज ने गवर्नमेन्ट लैण्ड ले रखी है यह सत्य है इस बारे में आपका ध्यान दो तीन बातों की ओर खींचना चाहता हूं एक तो यह है कि को-ओपरेटिव सोसाइटीज के मम्बर जो होंगे उनके पास भूमि सीलिंग लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकती चाहे वह वहां मेम्बर की हैसियत से हों या जातीय हैसीयत से। वह सब मिलाकर सीलिंग लिमिट से ज्यादा नहीं होगी। जो एग्जेम्पशन्स दी हुई हैं उसके अन्दर साफ तोर से लिखा हुआ है कि हरेक मेम्बर की लिमिट भूमि की सीलिंग ला से ज्यादा नहीं होगी। रूल 17 है जिसमें जमीन का एसेसमेन्ट किया गया है सीलिंग से ज्यादा जमीन मेम्बर की हैसियत से वह नहीं रख सकेगा।

तीसरी बात मैं यह सबमिट करना चाहता हूं रामानन्द जी ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है बोनाफाईड शब्द एड करने के लिये कहा गया और उसमें बोनाफाईड को डिफाईन किया गया है। जिस वक्त अमेण्डमेन्ट आयेगा उस समय इस सवाल पर भी विचार करेंगे।

एक बात यह भी कही गई फार्म्सके बारे में जो इन्वेस्टमेन्ट किया गया है उसका उनको मुआवजा तक नहीं मिलेगा। जब ट्रेसपासर्स को मोका दिया गया है तो आप इनको भी मौका दो ताकि ये भी अपनी जमीन बेच सकें। मैं कहना चाहता हूं कि यह बिल 1 अप्रेल को इन्ट्रोड्यूस हुआ था 31 मई तक एक महिने का समय तो वैसे ही मिल गया इसके बाद 30 जून तक समय और दिया है इस तरह से स्पष्ट रूप से दो महीने का तो समय मिल गया। हमने ट्रेसपासर को मोका दिया तो यह बात नहीं कि उन्होंने इस अरसे में अपनी जमीनें

(श्री रामकिशोर व्यास)
बेच दी यह तो उनकी मरजी पर था इस तरह दूसरे भी कर सकते थे। इसके बारे में कम्पनसेशन्स का जहां तक सवाल है उसका जवाब मै हाउस में दे चुका हूं। इम्प्रूवमेन्ठ का मुआवजा मिलेगा उसके लिये रूल्स में कुछ करना होगा तो उसको ठीक करेंगे।

श्री मृगेन्द्रसिंह : एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के के लिये जिन्होंने इम्प्रूवमेन्ट किया है उनके लिये तो है लेकिन कैटल ब्रीडिंग, शीप ब्रीडिंग के लिये इसमें प्रोवीजन है नहीं।

श्री राम किशोर व्यास : वह भी इसमें दिया हुआ है। मियाद काफी दे दी है अब और यदि आप देने के लिये कहते है तो यह तो आप भी मानते है कि आखिर हम जमीन तो कुछ लेना हीं चाहते हैं कुछ तो बरडन आयेगा ही। लेने की बात तो आखिर आती ही है।

एक ताज्जुब की बात तो यह है कि जो लोग एक नीति का प्रतिपादन करते हैं दूसरी नीति की बात करने लगे हैं। मैं जनसंघ की बात कह रहा हूं। एक बात तो यह कहते हैं कि सीलिंग ला में एग्जेम्पशन रहने ही नहीं चाहिये इसको गवर्नमेन्ट ने नहीं माना और कुछ मामलों में एग्जेम्पशन रखे हैं जैसे को-ऑपरेटिव फार्मिंग और रिलिजियस इन्स्टीट्यूशन्स आदि के लिये। अब उनकी समझ में जो यह बात आई वह देर से ही आई हो ठीक है।

श्री देवीदत्त गाडिया : क्या आप इस बारे मे एश्योरेंस दे सकते हैं कि जिन्होंने इम्प्रूवमेन्ट्स किये हैं अपने फार्म में उनके लिये क्या मुआवजे का प्रावधान है? और जो एग्जेम्पशन्स आपने दिये हैं उनमे कुल मिलाकर कितने हजार एकड जमीन आपको मिल जायगी ?

श्री राम किशोर व्यास : कुल मिलाकर एग्जेम्पशन्स के अन्दर 17 हजार एकड जमीन आयेगी इस तरह से छोटी सी जमीन के लिये आप एग्जेम्पशन्स क्यों देते हो यह सवाल आयेगा तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सत्रह हजार एकड जमीन आती है हमको वह भी लेनी चाहिये। इससे दस हजार एकड आती हो तो भी वेलकम है। आखिर जनरल पूल में कुछ न कुछ तो आयेगी ही। जो सूचनायें हमें मिली हैं वह सारे डिस्ट्रिक्टस की तो नहीं मिल पाई है लेकिन राजस्थान के तमाम डिस्ट्रिक्टस में से 20 डिस्ट्रिक्ट्स की सूचनायें आई है उनके हिसाब से जो जमीन अवेलेबल हो सकती है उसका अनुमान यह है कि 69 हजार 160 एकड के करीब जमीन आवेलेबल हो सकती है।

(4 म. प.)

यानि हम जो एग्जेम्पशन्स विथड्रा कर रहे है उनसे सरकार को 69 हजार 160 एकड जमीन प्राप्त होगी। इसलिये एसी बात नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : मैं यह जानना चाहता हूं कि वे कौन से जिले हैं जो आपको सूचना नहीं दे सके हैं ?

श्री राम किशोर व्यास : अभी पूरी सूचना हमारे पास में आई नहीं है। जहां तक एग्जेम्पशन्स का ताल्लुक है हमने तीन पहिले ही दे रखे हैं एक ग्रोवर का और इसमें एड किया है। इन पर हम कायम हैं। दो को हमने छोडा है। कम्पेन्सेशन मिलेगा, ट्रांसफर के राइट उनको दे दिये हैं।

क्लाज 2 के बारे में बात यहां पर कही गई है। यह कहा गया है कि 69 के

(श्री रामकिशोर व्यास)

बजाय ट्रांसफर का टाइम 70 तक बढा दिया जाये। यह मुश्किल है। इस तरह से बढाते रहे तो फिर दो-चार साल और लग जायेंगे और मुश्किलात पैदा होती जायेंगी और इसका जो उद्देश्य है वह निकल जायगा। 69 तक का कर दिया है इससे काफी हद तक इसको ठीक कर दिया है। 59 से 69 तक कर दिया है ट्रांसफर की वेलीडिटी को। इनकी वेलिडिटी को रिकग्नाइज कर दिया है। यह इसलिये किया है कि इसमें कई प्रेक्टिकल दिक्कतें हैं, डिफिकल्टीज हैं। इन ट्रांसफर्स में से जो डिफीकल्टीज आ गई हैं वे कम हो जायें इसलिये 69 तक कर दिया है। आप अब कहते हैं कि इसे और बढा दो तो यह अब एक्सेप्टेबल नहीं है। फरदर लिमिट बढाई जाय यह हमें मन्जूर नहीं है।

एक बात और आती है और वह बडे जोर से कही गई है और वह है ट्रांसफर के बारे में। जो ट्रांसफर है वह डाटर्स, सिस्टर्स, विडोज, वाइफ मतलब यह है कि इनका भी इसमें इन्तकाल किया जाये और इनको जो भी ट्रांसफर किये गये हैं उनको वेलिड माना जाय। काफी जोर से हमारे विरोधी दल के नेता ने यह बात कही है कि हिन्दू ला में ये इसके लिये एन्टाईटल्ड हैं, और इसमें इस ला को यहां पर तोडा जारहा है, इसकी पाबन्दी नहीं की जारही है। मैं इस बारे में अपना सबमीशन देना चाहता हूँ और खिदमत में यह कहना चाहता हूँ कि इनकी जो दलील है वह मुनासिब है। परन्तु हिन्दू ला एक चीज है और एग्रीकल्चर टिनेन्सी का सक्सेशन एक दूसरी चीज है। ये दो डिफरेंट ला हैं। मैं थोडा अर्ज करूं। लार्ड वेबोन वावेल ने एक अच्छी किताब लिखी है इस विषय में कि एग्रीकल्चर लैंड इनहेरिटेंस में लडकी को देने के लिये नहीं है। इन्डिया की और स्टेटस में प्रपोर्शनेटली यह बहुत कम है। पंजाब में यह नहीं है। वहां का टिनेन्सी ला है उसमें नहीं है। किन्तु स्पेशल आर्डर इसके लिये प्रोवाइड किया है और सक्सेशन को वह कवर करता है। ऐसा ही यू. पी. का टिनेन्सी ला है। स्पेशल ला ही सक्सेशन को बताता है। इसी तरह से एम. पी. का है और दूसरी स्टेटस् के हैं। अपने राजस्थान में देखेंगे तो पोजीशन यह है कि जो प्रोमिनेंट पोजीशन राजस्थान की थी वह जोधपुर, उदयपुर में थी। वहां यह ला था। टीनेन्सी में बाई सक्सेशन हिन्दू ला से नहीं आता था बल्कि एक स्पेशल आर्डर था और उससे यह गवर्न होता था और उसमें फेमिली को डिबार किया गया था जैसे सक्सेशन के पाइंट पर उनको नहीं किया गया। सब से पहले 1955 में टिनेन्सी एक्ट बना और उसमें प्रिन्सीपली इसको मंजूर किया गया और जो लडकी है, महिलायें हैं उनको हक मिले। 55 वाला ही बिल है जिसने कि सबसे पहले राजस्थान में महिलाओं को अधिकार दिया इस 55 वाले बिल में हमने यह माना है। परन्तु अमल इस पर बहुत ही कम हुआ है। इसका असली जामा बहुत ही कम हुआ है। इसके बाद 56 के अन्दर लैंड कमीशन और बनाया गया, और यह सुखाडियाजी की चेयरमैन शिप में सितम्बर 56 में हुआ, और उसमें भी इस पर विचार किया गया, और विचार करके कमीशन ने कहा सक्सेशन पर्सनल ला से गवर्न नहीं होगा, स्पेशल टिनेन्सी ला है उससे गवर्न होना चाहिये। क्योंकि इससे फ्रेगमेंटेशन होने की गुंजाईश है और जमीन के टुकडे टुकडे हो जायेंगे। अन्त में मैं यह निवेदन कर देना चहाता हूँ कि

(श्री रामकिशोर व्यास)
हिन्दू लॉ सक्सेशन सन् 56 में पार्लियामेंट में बना और इसी जरिये से डॉटर्स, विडोज और लडकियों के राइटस इन्हेरीटेंस के दिये गये हैं । यह खुद बिल कहता है और हिन्दू ला में अमेन्डमेन्ट हुआ है और वह एग्रीकल्चर टिनेन्सी में लागू नहीं होगा, वह इसी रूप से गवर्न होगा । एक बात और कह देना चाहता हूं । इसमें स्पष्ट कहा है कि हिन्दू लॉ सीलिंग लॉ पर एप्लाई नहीं होगा । यह विशेष रूप से आपके जानने की बात है । यह कोटेशन में आपको सुना देना चाहता हूं जो आप से संबंधित है--

"The Hindu Succession Act, 1956, is an instance of law where personal law of Hindus has been changed in the matter of succession even after the Constitution came into force. The law; however did not affect the existing law of succession of agricultural tenancy."

सीलिंग के बारे में साफ रूप से कहा है कि यह हिन्दू लॉ सक्सेशन का है वह सीलिंग लॉ पर लागू नहीं होगा । यह लीगल पोजीशन है । यहां पर एक बात और कहना चाहता हूं । अगर यह प्रिन्सीपल मान लिया जाय तो लैंड कहां से मिलेगी ? कोई भी अपनी बीबी को जितनी चाहे जायदाद दे दे, लडकी को दे दे, मां को दे दे, बहिन को दे देगा, तो फिर ब्रदर, सिस्टर, मदर, वाईफ और फादर की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जायगी ।

श्री जुझारसिंह : 59 से 69 तक जो ट्रांसफर हुए हैं वे इल्लीगल ट्रांसफर हुए हैं और उनको आप रेग्युलराईज कर रहे हैं । तब फिर आप इसको 59 से ही लगाइये । आप ईमानदार और बेईमान लोगों में कोई डिफरेंस नहीं मान कर चल रहे हैं, दिक्कत तो इसी बात की है ।

श्री पृथ्वीसिंह : सीलिंग 59 तक वेलिड है और आपने इसको 69 तक बढा दिया है तो क्या यह प्रगतिशील है ? अगर आप प्रगतिशील हैं तो इसको 59 से लागू कीजिये।

श्री भैरोंसिंह : इसमें हमारा पूरा समर्थन है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इनका सारा पाप आपके सिर पर डाल रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह : हमारी नियत कुछ भी हो लेकिन हम इस बात के समर्थक हैं कि 59 के बाद के ट्रांसफर को इनवेलिड करदें ।

श्री जुझारसिंह : हमारी नियत का फायदा उठा लीजिये, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा ।

श्री रामकिशोर व्यास : जो लोग यह कहते हैं कि जिन लोगों ने ईमानदार रहकर ट्रांसफर नहीं कराये हैं और उनको मौका नहीं रह गया है उनको मौका दिया जाये । यह जो दलील देते हैं इस मामले में मैं पूछता हूं कि यह कहां तक ठीक है ?

श्री देवीदत्त गाडिया : यह तो इसलिये कर रहे हैं कि 59 से 69 तक जो इनवेलिड हो सकते थे उनको रेग्युलेराइज किया जा रहा है तो ये बेईमानों के एक्शन्स को तो वेलिड कर देंगे, पर ईमानदारों को टाइम नहीं देना चाहते?

श्री रामकिशोर व्यास : इसमें मुश्किल यह है...

श्री देवीदत्त गाडिया : क्या मुश्किल है ?

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री देवीदत्त गाडिया : जवाब नहीं दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें । ये सभी पाईन्ट आगये हैं ।

श्री जुझारसिंह : जवाब नहीं दिया है इसका ।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब दे रहे हैं, समाप्त थोडे ही कर रहे हैं ।

श्री रामकिशोर व्यास : आप सुन लें ।

श्री देवीदत्त गाडिया : एक महीने पहिले सरकारी जमीन ले ली, पट्टा ले लिया, सेटलमेन्ट वालों से मिलकर 38 सौ बीघा जमीन ले ली । फिर उसे बेच दिया ।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री देवीदत्त गाडिया : करोडपति सेठ ने सरकार से मिलकर 38 सौ बीघा सेटलमेन्ट से मिलकर खातेदारी का अधिकार ले लिया.....

श्री उपाध्यक्ष : कह चुके, कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री रामकिशोर व्यास : एक पोइन्ट कहकर खत्म करता हूं ।

श्री देवीदत्त गाडिया : आप बुजुर्ग हो गये हैं । शासन का आपको ज्ञान है कम से कम जिन्होंने बेईमानी की उनको तो वेलिड कर रहे हैं पर ईमानदारों को समय नहीं देना चाहते ।

श्री जुझारसिंह : बाहर तो जब आप होते हैं तो यही समझते हैं, हाउस में आकर गलत क्यों मानने लग गये हैं ? आपकी वाणी पर कौन पाबन्दी लगा देता है ? कौनसे मास्टरजी का दबाव आप पर है ?

श्री भैरोंसिह : (श्री रामकिशोर व्यास के बैठने पर) आप नाराज होकर बैठ गये ?

श्री दौलतराम सारण : जान बची लाखों पाये ।

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो किसकी बचेगी किसकी नहीं आपको मालूम होगा ।

श्री दौलतराम सारण : आपकी तो आज बच गई ।

श्री रामकिशोर व्यास : एक बात और कहना चाहता था, प्रोजेक्ट के बारे में बात आई थी । प्रोजेक्ट एरिया में लागू हो या न हो । इसमें लीगल पोजीशन आज की यह है कि एक स्पेशल ला इसके लिये अलग से बना हुआ है तो यह जो ला है इसको यह ओवरराईट नहीं करता । तो सेक्शन 42 (सी) टिनेन्सी एक्ट के तहत खातेदारी राईट दे नहीं सकते, इसलिये ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो जब ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो वे ट्रांसफर वायड भी मान गये हैं । वे वेलिड नहीं कर सकते । जब तक कि सारा ला चेन्ज नहीं करदें । दूसरे अर्थ में 42 (सी) रिट्रोस्पेक्टिवली अमेन्ड किया जावे तब तो

(श्री रामकिशोर व्यास)
बात जो आप कहते हैं, वह हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती ।

इसके बारे में अमेण्डमेण्ट है ।

श्री जुझारसिंह : आज से इफेक्टिव होंगे।

श्री भैरोंसिंह : मैंने मूव किया था कि इसको प्रवर समिति में भेजा जावे, इसलिए राइट आफ रिप्लाई मुझे है ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव ओरीजिनल आपका नहीं हैं माननीय मंत्री महोदय का है इसलिये राइट आफ रिप्लाई का प्रश्न पैदा नहीं होता । इसको विचारार्थ लिया, इस पर संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं ।

प्रस्ताव ओरीजनल तो आपका है ।

श्री भैरोंसिंह : ओरीजिनल तो एक ही हो पावेगा । मूल प्रस्ताव उनका होता तो···

श्री रामानन्द अग्रवाल : पब्लिक ओपीनियन जानने का सिलेक्ट कमेटी को देने का प्रस्ताव मूव हो गया । रिप्लाई तो इसमें होता नहीं । दोनों प्रस्तावों पर राय ले ली जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : वापिस लेना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं ।

प्रश्न यह है कि जनमत जानने······

श्री भैरोंसिंह : एक बात की जानकारी चाहता हूँ । सिलेक्ट कमेटी में भेजने के सम्बन्ध में प्रस्ताव रखा गया है उसको कन्सीडरेशन के लिये लिया जावे और इसमें अमेन्डमेन्ट मूव किया जावे । ऐसे प्रस्ताव पर राइट आफ रिप्लाई आज से पहले तो एक्सरसाइज करने दिया जाता रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : जी नहीं । आज तक नहीं हुआ है ।

प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य श्री रामचन्द्र आर्य, केशरीसिंह हाडा और महारावल श्री लक्ष्मणसिंहजी ने जो प्रस्ताव रखा है प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान टिनेन्सी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1970 को एक माह, 6 माह, 9 माह, सात दिन के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे···

श्री भैरोंसिंह : अलग अलग मूव किया जावे । मैं छः महीने वाले पर वोट नहीं देना चाहता सात दिन वाले पर देना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : टेक्निकल पोइन्ट है । समय लगेगा केवल ।

एक माननीय सदस्य : समय ही तो लगवाना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र आर्य का प्रस्ताव । प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान टिनेन्सी (द्वितीय संशोधन) विधेयक 1970 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे, को स्वीकार किया जावे ।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया ।

प्रश्न यह है कि माननीय केशरीसिंह हाडा का प्रस्ताव प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान टिनेन्सी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1970 को छः माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे, को स्वीकार किया जावे ।

(श्री उपाध्यक्ष)

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया ।

प्रश्न यह है कि महारावल श्री लक्ष्मण-सिंह का प्रस्ताव कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान टिनेन्सी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1970 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे, को स्वीकार किया जावे ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया ।

दूसरा प्रस्ताव है दुबारा प्रवर समिति को सुपुर्द करने हेतु····

प्रश्न यह है कि राजस्थान टिनेन्सी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1970 क पुन: एक नई प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये जो आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे, को स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान टिनेन्सी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1970 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

विधेयक पर खण्डश: विचार । खण्ड-2 (3) खण्डों पर संशोधन ।

श्री केसरीसिंह हाडा ।

श्री केसरीसिंह हाडा : उपाध्यक्ष महोदय, इस खण्ड पर मेरा संशोधन इस प्रकार है :

प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक द्वारा राजस्थान अधिनियम 3, सन् 1955 की धारा 30-D के पश्चात् जो नवीन धारा 30-DD जोड़ी जानी है:—

(अ) उसके भाग (i) की—

(i) छठी व सातवीं पंक्ति में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "up to the thirty-first day of December, 1969" अभिव्यक्ति "till the bill becomes law" द्वारा प्रतिस्थापित की जाय ;

(ii) आठवीं पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "son" के पश्चात् तथा शब्द "or" से पूर्व अभिव्यक्ति "daughter, widow mother, widow sister, who are entirely dependant upon him" अन्तर्विष्ट की जाय ; तथा

(iii) दसवीं पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "personally" तथा "and" के मध्य, अभिव्यक्ति "and or by skilled labour." जोड़ी जाय ।

(श्री केसरीसिंह हाडा)

(आ) उसके भाग (ii) की नवीं पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "son" तथा "or" के मध्य में अभिव्यक्ति, "daughter, widow mother, widow sister who are entirely dependent on him" जोड़ी जाय।

यह बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार ने अपना संशोधन जो प्रवर समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसके अन्दर हस्तान्तरण को नियमित करने के लिये 31 दिसम्बर, 1969 तक की सीमा रखी है। उपाध्यक्ष महोदय, यह रवैया पक्षपातपूर्ण है। जो कानून बनता है वह सारे प्रदेश के लिये होता है। एक के साथ एक व्यवहार किया जाये और दूसरे के साथ दूसरा यह उचित नहीं है। इस संशोधन के अन्दर कुछ इलाकों में एक कानून घोषित नहीं है। जिस प्रकार चम्बल, भाखरा, गंग कैनाल और राजस्थान कैनाल में जो हस्तान्तरण हुए हैं उनको सरकार मान्यता नहीं देना चाहती है। उपाध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने कानून को माना और कानून को मान कर जिन्होंने कानून के अन्दर रह कर किसी प्रकार का हस्तान्तरण नहीं किया है, वह तो इसके जरिये नुकसान के भागी होंगे लेकिन जो चतुर थे, चालबाज थे, जिनको इसका मालूम था कि किस प्रकार का कानून बनने वाला है

(4.24 म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

या जो राज्य सता से सम्बन्धित थे, उन्हें मालूम था कि यह हस्तान्तरण कर दिये जायेंगे तो नियमित हो जायेंगे वे फायदे में रहे। सभापति महोदय, आप किसी भी तहसील में जाकर देखें, हजारों बीघा जमीन उन लोगों ने हस्तान्तरण कर दी। आप कब्जे के आधार पर उसको नियमित मान लेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि इसको समझें कि इस तरह से करने से कितने लोगों को नुकसान हो सकता है। काश्तकार जो जमीन अपनी जोतता है, और जोतने के उपरान्त भी काश्तकार आज कोई ऐसा खुशहाल नहीं हुआ है जो लखपति बन गया हो। काश्तकार की जमीन उसके लड़के या भाई के नाम करना आप बहुत बड़ी बात समझते हैं। जिस प्रकार आप उस जमीन को मुफ्त में दे रहे हों। जो जमीन वह जोतता है, वह उस की है। उसकी बपौती है, उसकी पुरानी जमीन है; उसकी खातेदारी की है। उस जमीन को आप किस कानून के अन्तर्गत लेना चाहते हैं? और लेकर उस जमीन को आप किसको देंगे और किसको नहीं देंगे? क्या करेंगे? क्योंकि जो जमीनें आप के पास थीं, सरकार की थीं, हजारों बीघा जमीन न जानें कहां तितर-बितर कर दी हैं। उस पर लाखों रुपया कमा लिया है। यहां तक कि एक एक बीघा जमीन पर आठ आठ सौ, नौ नौ सौ रुपये नीलामी में प्राप्त किये हैं। जो कम्पन्सेशन दिया है वह पर्याप्त नहीं है। 31 दिसम्बर, 69 तक आप यह करना चाहते हैं। मेरा इसमें संशोधन है कि :—

'Till The Bill becomes law."

अभी सैल टैक्स का कानून आया। विधान सभा में जैसे आया, उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति भी नहीं हुई और उस पर अमल कर दिया गया। यहां की रोडवेज में संशोधित दरों पर टिकट कटने लग गये। इस पर

(श्री केसरीसिंह हाडा)

विधान सभा में भी शिकायत हुई है। इस प्रकार वित्त मन्त्री ने अगर कहा है तो विधेयक ने कानून का रूप नहीं ले लिया। जब तक कि राष्ट्रपति की स्वीकृति न हो जाय। तब तक कोई भी संशोधित दरों पर पैसेंजर टैक्स नहीं ले सकेगा। इसी तरह से आज जो कानून पास होगा या होने वाला है, उसमें भी मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि 31 दिसम्बर, 69 के स्थान पर जब तक बिल कानून का रूप न ले ले, राष्ट्रपति की स्वीकृति न हो जाये, तब तक इस पर अमल नहीं होना चाहिये। इसलिए मैं चाहूंगा राजस्व मन्त्री इस पर विचार करें कि कानून राजस्थान में एक प्रकार का होना चाहिये और जो तरीका और कानून एक के साथ है, वही तरीका दूसरे के साथ होना चाहिये। जब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति न हो जाए तब तक इसको कानूनी रूप नहीं दिया जाये। 31 दिसम्बर, 69 है, उसके स्थान पर। जब तक कि राष्ट्रपति की स्वीकृति न हो जाये।

एक माननीय सदस्य : क्या, जब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति न हो जाये ?

श्री केसरीसिंह हाडा : जब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं हो जाय, तब तक उसे कानून के रूप में नहीं माना जाये।

श्री सभापति : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह : मैं और गाड़िया जी दोनों ही बोलने वाले हैं। अच्छा हो पहले गाड़िया जी बोल लें।

श्री सभापति : माननीय श्री गाड़िया।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सभापति महोदय, खण्ड 2 पर मेरा संशोधन प्रस्ताव इस प्रकार है:-

खण्ड 2

In section 30-D D, proposed to be added by the Select Committee, after section 30-D of the Rajasthan Tenancy Act, 1955—

(1) in part (i),—

(i) the figures "1969" be substituted by the figures "1970"

(ii) the expression "an agriculturist domiciled in Rajasthan or in favour of his son or brother intending to take to the profession of agriculture and capable of cultivating land personally and who had attained the age of maturity on or before the said date" be substituted by the words "a landless tenant."

(2) in part (ii),—

(a) the expression "the first day of June, 1970" be substituted by the expression "thirty first day of December, 1970' and

(b) the expression 'in favour of an agriculturist domiciled in Rajasthan or in favour of his son or brother fulfilling the conditions mentioned in clause (i) and who attains the age of majority on or before the first of the aforementioned dates' be substituted by the words "in favour of landless tenants."

(श्री वीरदत्त गाड़िया)

यदि सरकार वास्तविक रूप में किसानों को भूमि देना चाहती है तो जिनकी शक्ति और शारीरिक श्रम को बड़े बड़े राज्याधिकारी, राजनैतिक नेता और उद्योगपति हैं, वह उद्योगपति उनकी जो 2 नम्बर की पूंजी है, उसको सफेद करना चाहते हैं। राज्य अधिकारियों ने जो सत्ता में रह कर कानून की अवहेलना करके, पद का दुरुपयोग करके जमीन पर कब्जा करके, एलाटमेंट के द्वारा, ट्रेसपासर के रूप में बन कर खातदारी अधिकार प्राप्त किये हैं, आज इसी प्रकार से राजनैतिक नेताओं ने अपने स्वार्थ की खातिर भूमि का आवंटन करवाया है, ट्रेसपासर बन कर खातेदारी अधिकार प्राप्त करके जो आज खेती कर रहे हैं वह खेती स्वयं नहीं करते हैं, उस खेती को भूमिहीन किसानों से कराते हैं, जो वंश परम्परा से खानदानी रूप से खेती कर रहे हैं आज उन भूमिहीन लोगों का वह लोग शोषण कर रहे हैं। भूमिहीनों का इस ढंग से शोषण कर रहे हैं इस लोकतांत्रिक शासन के अन्दर। जिस समय देश स्वतन्त्र हुआ, राजस्थान का एकीकरण हुआ तो राजस्थान सरकार ने मोनोपोली सिस्टम, जो रियासतों के जमाने में था, चाहे वह व्यापार के क्षेत्र में मोनोपोली थी, चाहे कारखानों के क्षेत्र में मोनोपोली थी, राजस्थान सरकार ने लोकतांत्रिक स्वस्थ परम्परा, जिसका मैं समर्थन करता हूं, को कायम रखने के लिये मोनोपोली सिस्टम को खत्म किया था, एकाधिकार को समाप्त किया था, इसी सरकार के लोकतांत्रिक शासन में, जब आजादी को बाइस साल होने को आये, आज श्रमिक, जिनकी खेती के ऊपर आजीविका चलती है, जिनके पास आजीविका के दूसरे साधन नहीं हैं, हाली के रूप में, मजदूर के रूप में खेतों पर काम करते हैं। क्या यह सरकार उनको जमीन दिलाना चाहती है? मेरा यह संशोधन है, जो भूमिहीन किसान हैं, जो वास्तविक रूप से खेती करते हैं, उनको भूमि मिलनी चाहिये। उनके लिये सरकार यदि आज यह परिभाषा बनाये कि कृषक हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के सामने, आज सत्तारूढ दल के सामने एक धर्मसंकट है। सत्ता के अन्दर रह कर कांग्रेस के नेताओं ने, विधायकों ने नाजायज तरीके से, अनुचित ढंग से सरकारी अधिकारियों पर दबाव डाल कर भूमि पर कब्जा किया है, वह वास्तविक रूप में कृषक नहीं हैं। उन्होंने सरकार पर दबाव डाला है कि आज के दिन जो लैंडलैस पर्सन, जो कृषक हैं, उसको आपने कृषक की परिभाषा में परिवर्तित किया तो बगावत पैदा होगी। तो सरकार को डर लग रहा था और इसलिये इस परिभाषा के अन्दर परिवर्तन नहीं किया गया। इनको यह डर था कि आज देश के अन्दर जो फिजा बन रही है, अनेक प्रान्तों में सरकारें बदल रही हैं, और यह क्रम चलता चला जा रहा है तो सुखाड़िया जी को यह डर लगा कि कहीं परिवर्तन राजस्थान में न आ जाय, कहीं मेरी गद्दी न छिन जाय। इसलिये उन्होंने कृषक की परिभाषा दोषपूर्ण रखी है। मैं चाहता हूं कि वास्तव में यदि यह सरकार आज भूमिहीन किसानों को, जिनमें अधिकांश रूप में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोग हैं जमीन देना चाहती है, और जैसा कि जिस समय आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय कांग्रेस के नेता यह कहते थे

(श्री देवीदत्त गाडिया)
कि हमने राजाशाही को समाप्त किया है, जागीरदार और जमीदारों के जुल्म और अत्याचारों को समाप्त किया–वह समाप्त होने चाहिए थे, मेरी मान्यता है, इस लोकतन्त्र के अन्दर किसी भी गरीब और भूमिहीन के साथ में अन्याय नहीं किया जा सकता, अगर किसी राज्य के अन्दर गरीबी अभिशाप बन जाय और मजदूरों के साथ में अन्याय हो तो मेरी निश्चित मान्यता है कि भारतीयता के आधार पर लोकतंत्र की स्वस्थ परम्पराओं के अन्तर्गत देश के अन्दर क्रांति पैदा होगी। मैं कहना चाहता हूं कि वह क्रांति लाल झण्डे के नीचे नहीं आयेगी, न रूस और चीन के इशारे पर आयेगी, वह भारतीयता के आधार पर इसी धरती पर पैदा होगी और····

श्री मूलचन्द डागा)
) : जरूर!
श्री रामानन्द अग्रवाल)

श्री देवीदत्त गाडिया : इस प्रकार से रूस और चीन के इशारे पर चल कर देश आजाद नहीं हुआ। इसी धरती पर देश को आजाद करने के लिए जीवन बलिदान करने वाले पैदा हुए, इसी धरती पर श्याम प्रसाद मुखर्जी पैदा हुए, इसी धरती पर लाला लाजपतराय पैदा हुए, इसी धरती पर सुभाषचन्द्र बोस पैदा हुए, इसी धरती पर भगतसिंह पैदा हुए। तो रूस और चीन के इशारे पर चलने से इस देश का भला नहीं हो सकता····

श्री रामानन्द अग्रवाल : उनसे क्या लेना देना।

श्री देवीदत्त गाडिया : मैं कहना चाहूंगा, सरकार ने इस प्रकार भूमिहीन किसानों का शोषण किया तो देश की इसी धरती के ऊपर राजस्थान में एक क्रांति की भावना पैदा होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भूमिहीन की परिभाषा राजस्थान सरकार की ओर से ऐसी तैयार हो जिसमे वास्तविक रूप से भूमिहीन किसानों को जमीन मिले। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के अन्दर···

श्री सभापति : आपका संशोधन क्या है, किस प्रकार से इसे संशोधित किया जाय।

श्री शंकरलाल : यह तो आम भाषण दे रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : इनको पता नहीं है कि क्या संशोधन है।

श्री सभापति : आप जो भाषण कर रहे है वह आपके संशोधन में कहां तक सहायक होगा।

श्री मूलचन्द डागा : आप संशोधन पर नहीं बोल रहे हैं, आप तो जनरल भाषण दे रहे हैं।

श्री बालसिंह सोढ़ा : संशोधन पर बोल रहे है।

श्री मूलचन्द डागा : आप तो स्वतन्त्र पार्टी के पोषक हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : डागा साहब, अपने को वकील जरूर कहते हैं, लेकिन उनमें समझ की कमी है।

श्री विजयसिंह : समर्थन किया जा रहा है, उससे आपको दिक्कत जरूर है।

श्री देवीदत्त गाडिया : मेरा निवेदन है कि देश के अन्दर जो भूमि दी जा रही है वह लैंडलैस पसन को दी जानी चाहिए और संशोधन में यह रख देना चाहिए कि भूमिहीन, लैंडलेस पर्सन....

श्री मूलचन्द डागा : आप लैंडलेस पर्सन हैं ?

श्री देवीदत्त गाडिया : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोग हैं, जिनकी संख्या राजस्थान के अन्दर....

श्री मूलचन्द डागा : लैंडलेस की परिभाषा क्या है ? जो आप लैंडलेस पर्सन....

श्री देवीदत्त गाडिया : आप सुनिये।

श्री मूलचन्द डागा : जो लिखी है संशोधन में, वह मैं पूछ रहा हूं कि लैंडलेस की परिभाषा क्या है ?

श्री देवीदत्त गाडिया : आप बैठिये। मुझे मानना पड़ेगा, डागा जी जो कहते हैं कि कांग्रेस का मैं सीनियर मेम्बर हूँ, मुझे केबिनेट में नहीं लेते है तो वह इसलिए नहीं लेते हैं कि इन्हें लैंडलेस की परिभाषा का ज्ञान नही है।

श्री मूलचन्द डागा : आप बताइये न ?

श्री देवीदत्त गाडिया : सुखाडिया जी ने सही सोच समझकर आपको यहां बैठाया है।

श्री जयनारायण सालोदिया : इनका केस कैंसिल कर दिया।

श्री देवीदत्त गाडिया : मैं मान कर चलता हूं कि जो व्यक्ति वकालत करता है, इतने वर्षों से सदन का सदस्य है तो उनको भूमिहीन की परिभाषा का ज्ञान होना चाहिए।

श्री जयनारायण सालोदिया : इन्होंने झकमारी है।

श्री मूलचन्द डागा : क्या परिभाषा है बताइये !

श्री देवीदत्त गाडिया : भूमिहीन वह है जिसके पास पांच बीघा, दस बीघा, 11 बीघा–इस प्रकार से तीस स्टेन्डर्ड एकड़ से कम भूमि हो और राजस्थान के अन्दर अधिकांश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोग हैं....

श्री रामानन्द अग्रवाल : 30 स्टेन्डर्ड एकड़ के बजाय किसी के पास 29 स्टेन्डर्ड एकड़ भूमि हो तो वह भूमिहीन है ?

श्री देवीदत्त गाडिया : राजस्थान के अन्दर अधिकांश व्यक्तियों के पास एक बीघा जमीन भी नहीं है। एक बीघा जमीन किसी के पास है, तो किसी के पास पांच बीघा जमीन है। लेकिन वास्तव में पांच बीघा जमीन के द्वारा आजीविका नहीं चल सकती और इसलिए आज वह लोग बड़े बड़े सेठों के फार्म के ऊपर बड़े बड़े जमीदारों के खेतों पर जाकर श्रम करते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस प्रकार का कानून बनाये कि जितने भी भूमिहीन हैं

(श्री देवीदत्त गाडिया)

और लैंडलेस पर्सन हैं, जो उस इलाके के अन्दर रहने वाले हैं, जो खेती करना जानते हैं, जो भूमि से अपनी आजीविका चलाते हैं—ऐसे व्यक्तियों को भूमि दी जानी चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं, सभापति महोदय उदाहरण के रूप में, आज कोटा जिले के अन्दर चम्बल कमाण्ड एरिया को छोड़ कर बाकी जितना इलाका है, विशेष रूप से कोटा जिले के अन्दर अनुसूचित जाति और अनसूचित जन जाति, जिसका आप उद्धार करना चाहते हैं, जिनके पास में दूसरा कोई आजीविका का धन्धा नहीं होने के कारण आप भूमि देना चाहते हैं, यदि सरकार की यह मन्शा है कि उन लोगों को भूमि मिलनी चाहिए तो यदि स्पष्ट रूप से इस बिल के अन्दर संशोधन नहीं किया गया और सरकार ने यदि उसको स्वीकार नहीं किया तो मेरी मान्यता है मेरे ही नहीं, राजस्थान के तमाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के भूमिहीन किसानों के दिमाग में यह बात रहेगी कि यह कांग्रेस चाहे समाजवाद का नारा लगाती हो आज यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के वोटों के आधार पर सत्ता में बैठी है···

श्री शंकरलाल : अमेंडमेंट पर बोलें।

श्री मूलचन्द डागा : अमेंडमेंट पर बोल नहीं रहे हैं साहब।

श्री देवीदत्त गाडिया : इस प्रकार सरकार ने जो रखा है कि जो व्यक्ति अपने बेटे को और भाई को और रिश्तेदारों को जमीनें बेच सकते हैं। यह जो प्रावधान रखा है उसको निकाल देना चाहिए। उसकी जगह पर यह रहना चाहिए कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति रखा जाय, तो निश्चित रूप से उन लोगों को राहत मिलेगी। उनमें विश्वास पैदा होगा कि हम लोगों को सरकार जमीन देना चाहती है और यह सीलिंग कानून उचित है। लेकिन यदि आपने राजस्व मंत्री जी, जो आप परिभाषा र रहे हैं। एक आदमी अपने बेटे को भाई को जो कृषि से अनुराग रखता है, इस परिभाषा में अनुसूचित है। जो व्यक्ति प्रभावशाली है, जिसका राजनीति से संबंध है, कलक्टर और तहसीलदार या परगना अधिकारी से सर्टीफिकेट लेकर पेश कर देगा लेकिन वह गरीब आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है, गांव से चलकर आएगा, कलेक्टर तक पहुँचना तो दूर रहा, कलेक्टरी की चहारदीवारी तक नहीं जा सकेगा, तहसीलदार तक पहुंचना उसके लिए असंभव है, यह उन लोगों के साथ षडयंत्र है। इसलिए मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि तहसील किशनगंज शाहबाद याने शाहबाद पंचायत समिति जिसके अन्दर आज 51.3 प्रतिशत सहरिया आदिवासी रहते हैं और जो करीब 35 हजार हैं, उनके पास आज जमीन नहीं है और जैसे सरदार स्वर्णसिंह या सरदार रणधीरसिंह हैं और जो पुराने जमींदार हैं या जो सरकारी अधिकारी हैं जिन्होंने जमीन ले रखी है और खुद खेती नहीं कर रहे हैं। उस पर गरीब सहरियों से हल चलवाते हैं, जिनके तन पर लंगोटी है··

श्री मूलचन्द डागा : जो एग्रीकल्चरिस्ट की परिभाषा बिल में दी है उसमें और लैंडलेस पर्सन में क्या फर्क है ?

श्री श्रवणलाल : आपके समझने का फर्क है ।

श्री देवीदत्त गाडिया : आपको समझाने के लिए मैं सदन का अमूल्य समय नहीं लूंगा ।

श्री मूलचन्द डागा : बताइए क्या फर्क है ?

श्री देवीदत्त गाडिया : मैंने पहले बताया और आपने सुना नहीं, तो पुन: समझाकर सदन का अमूल्य समय जाया नहीं करना चाहता और यदि समझना ही है तो मेरे पास बाद में आ जायं, मैं समझा दूंगा । तो शाहबाद पंचायत समिति में 51.3 प्रतिशत आदिवासी रहते हैं सहेरियों की आबादी 35 हजार है । ये सबके सब भूमिहीन हैं । यदि राज्य सरकार ने 5 या 2 बीघा जमीन आवंटित की और यदि उनसे कहे कि वे अब भूमिहीन नहीं रहे तो हमारा दुर्भाग्य होगा । 2–5 या 11 बीघा जमीन वाले सहेरी आज भी भूमिहीन हैं । इसलिए सरकार यदि वास्तविक रूप से चाहती है कि गांवों में रहने वाले अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक हो, जमीन के लिए उनका आपस में इतना बड़ा अन्तर होने के कारण एक दूसरे को बुरी दृष्टि से देखते हैं, तो आपको इस ओर ध्यान देना होगा, आप को देश के हित में भी चिन्तन करना होगा । बड़े किसान और छोटे किसान में इतना बड़ा अन्तर होने से विद्रोह की भावना आयेगी ।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

आज भी सरकार राजा महाराजाओं के पद चिन्हों पर चल रही है । इसलिए इस सरकार को वर्तमान में जो देश में घटनाचक्र चल रहा है, उससे सजग होना चाहिए और समय रहते सरकार नहीं चेती तो पाप की भागी राज्य सरकार होगी । तो मेरा संशोधन है कि इस प्रकार सरकार ने जो परिभाषा रखी है काश्तकार की वह दोषपूर्ण है, उसको मिटाने के लिए है । इस बिल के पास होने पर क्या भयंकर परिणाम होंगे, क्या प्रतिक्रिया होगी, राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से क्या प्रतिक्रिया होगी, इस पर चिन्तन करना होगा और देश के घटनाचक्र को देखते हुए गम्भीरता से विचार करना होगा ।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

तो मेरा संशोधन प्रगतिशील है कि भूमिहीनों को जमीन मिले वह भी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति वालों को दूसरा संशोधन है· ·

श्री रामचन्द्र आर्य : चिन्तन तो किया हुआ है । एम. एल. एज. मोल खरीदने पर मिल जाते हैं तो चिन्तन करने की जरूरत नहीं है ।

श्री देवीदत्त गाडिया : जो छूट दी है । 31–12–69 तक उसमें मेरा संशोधन है कि वह छूट 1970 तक दी जानी चाहिए ।

श्री मूलचन्द डागा : प्रोग्रेसिव व्यू है आपकी ।

श्री देवीदत्त गाडिया : सरकार जो 31-12-69 तक छूट देना चाहती है, उससे यह स्पष्ट नजर आता है कि सरकार चाहती है कि जिन लोगों ने, सत्तारूढ दल के नेताओं ने, विधायकों ने, नाजायज तरीके से चाहे

(श्री देवीदत्त गाडिया)
'ग्रो मोर फूड' के नाम से, चाहे अलॉटमेंट के नाम चाहे ट्रंसफर के रूप में सरकारी अधिकारियों पर दबाव डाल कर खातेदारी के अधिकार प्राप्त कर लिए और उन्होंने खेती नहीं की और जमीन बेच दी उनको छूट दे रहे हैं लेकिन यह सरकार स्वयं जनता के बीच में धारणा पैदा करना चाहती है कि जो कानून की पालना करेगा, जो कानून के अन्तर्गत चलेगा, उनकी तो हत्याएं होगी और जो सरकारी कानून की पालना नहीं करती है और नाजायज फायदा उठाती है उनको छूट मिलती है तो जनता में आपने आज यह भावना दुर्भावना पैदा कर दी। इसके भयंकर परिणाम होंगे। आज जनता में कानून पालन करने की प्रवृत्ति डालें शासन वही स्वस्थ माना जाता है। जनता वही अच्छी मानी जाती है जो कानून का पालन करे लेकिन इसकी जिम्मेदारी सरकार की है लेकिन जो सरकारी नियमों का उल्लंघन करके भूमि खरीदे और फिर बेच दे, आप उनको वेलिड कर रहे हैं और नियमों के अन्तर्गत जिन्होंने बड़े बड़े फार्म्स बनाए हैं चाहे कैटिल ब्रीडिंग फार्म्स चाहे बागात हों आप उन कानून पालन करने वालों को यदि सजा देना चाहें तो यह उनके साथ अन्याय होगा। हमारा नैतिक दायित्व है कि सरकार को समय रहते सजग करें और जब किसी के साथ अन्याय होगा वह देशद्रोही की तरफ आगे बढ़ सकता है। हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं····

श्री रामचन्द्र आर्य : ऐसे जो गलत कानून बनाते हैं उनका विरोध किया जायगा। इस प्रकार के कानून को नहीं माना जायगा।

श्री देवीदत्त गाडिया : कभी भी कोई मंत्री भाषण देने के लिए जनता के बीच में जाता है और कहता है कि सरकार प्रगतिशील है. भूमिहीन किसानों के लिए हम यह कर रहे हैं, गरीबी को मिटाने के लिए यह कर रहे हैं, हम कानून के अन्तर्गत चलते हैं। नियमों का उल्लंघन नहीं करते। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं यह जो आप अमेण्डमेंट बिल ला रहे हैं 69 तक की जमीनों को छूट दी जायगी यह बहुत गलत परम्परा होगी। मैं चाहूंगा कि जिन व्यक्तियों ने कानून का पालन किया है, सरकारी नियमों का पालन किया है चाहे वह एग्रीकलचर फार्म हो, चाहे केटल ब्रीडिंग फार्म हो या शीप ब्रीडिंग फार्म हों उनको आप बेचने के लिए कम से कम पूरे साल तक की अवधि दें तो उनके साथ न्याय होगा।

(4.50 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

दूसरा इस बारे में संशोधन है कि इस प्रकार की भूमि बेचने के लिए सन् 70 तक की छूट देनी चाहिए और जो 1 जून तक का प्रावधान रखा है वह बिलकुल अल्प समय का है 1 जून के अन्दर अन्दर भूमि विक्रय वे नहीं कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष : आप संक्षेप में कहिए।

श्री देवीदत्त गाडिया : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार यह चाहती है कि जो व्यक्ति कानून का पालन करता रहा है जिसने अपनी जमीन बेची नहीं और उसको हर तरह से इम्प्रूव की है उससे आप जमीन ले रहे हैं उसको आप समय नहीं दे रहे हैं कि वह अपनी जमीन बेच सके ऐसा उदाहरण मैं समझता हूं किसी

(श्री देवीदत्त गाडिया)

भी प्रान्त में नहीं मिलेगा। मै सरकार को आगाह करना चाहता हूँ सरकार यदि कानूनों का पालन जनता से करवाना चाहती है तो पहले उसके लिए यह आवश्यक है कि वह खुद अपने कानूनों का पालन करे। आपने यदि कानूनों का उल्लंघन किया तो जनता भी उल्लंघन करेगी। हमारे यहां कहावत है "यथा राजा तथा प्रजा" राजा के रूप में आज सरकार है अगर खुद सरकार ही अपने कानूनों की अवहेलना करती है तो जनता तो करेगी इसमें कोई अनुचित बात नहीं होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि आज जिन लोगों ने सरकारी नियमों और कानूनों की पालना करते हुए भूमि का विक्रय नहीं किया, उनको भूमि का विक्रय करने के लिए उस भूमि का वितरण करने के लिए पूरे साल सन् 70 तक की अवधि दी जानी चाहिए।

कोटा जिला और गंगानगर जिला जो कमाण्डेड एरिया है यहां कि जो भूमि है वहां पर आज तक भूमि का वितरण करने की छूट नहीं थी। इसी तरह चम्बल कमाण्ड एरिया की भूमि जो कोटा डिस्ट्रिक्ट में हैं उनको यदि भूमि का विक्रय करने की या भूमि को वितरण करने की छूट दी जाती है और उसके लिए एक जून तक का समय बहुत थोड़ा है इसमें वे अपनी भूमि का वितरण नहीं कर सकेंगे। इस तरह से उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। गंगानगर और कोटा जिले की भूमि के विक्रय पर प्रतिबन्ध था उसके लिए अगर छूट देने की मंशा सरकार जाहिर करती है तो सरकार उसके लिए लम्बी अवधि तय करे। यदि लम्बी अवधि तय नहीं करती है तो भूमिहीन जनता जबरदस्ती कब्जा करेगी और इस तरह से नागरिकों-नागरिकों के बीच संघर्ष पैदा होगा। इस तरह से शान्तिमय जीवन व्यतीत होना चाहिए वहीं नहीं हो पायेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या आप लोग राजाओं को जमीन पर कब्जा करेंगे यह आपको हिम्मत हो गई क्या ?

श्री देवीदत्त गाडिया : हम तो जनता के हित में काम करेंगे, गरीबों के हित में काम करेंगे ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप जो बात कह रहे हैं ध्यान रखिये रानी साहिबा नाराज न हो जायें।

श्री देवीदत्त गाडिया : जनसंघ के कार्यकर्ताओं के बढ़ते हुए कदम को किस का डर है। डर है तो उसको केवल कम्युनिस्ट पार्टी को। कम्युनिस्ट पार्टी जानती है कि यदि उनके साथ लोहा लेने वाली कोई पार्टी है तो वह केवल जनसंघ ही है। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, स्वतन्त्र पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी केरल में जिसका शासन है उसका मुकाबला नहीं कर सको ये तो जनसंघ वाले ही हैं जिन्होने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। यह हम जानते हैं कि कम्युनिस्टों के साथ किस तरह का बरताव किया जाना चाहिए। हम वह ताकत रखते हैं कि इन नक्सलवादियों का गली गली और चौराये चौराये पर मुकाबला करेंगे और इनको यहां राजस्थान में हरगिज सिर उठाने नहीं देंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जर्मनी का हिटलर भी यही कहा करता था।

श्री मूलचन्द डागा : जनसंघ वालों की नीति से अब सब सावधान हो गये उनके बहकावे में आने वाला कोई नहीं है।

Page No 123

श्री देवीदत्त गाडिया : डागा जी आप नहीं जानते ये लातों के देव बातों से नहीं मानने वाले हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर आॅर्डर समय बढ़ाने के लिए सदन की अनुमति लेना है।

श्री रामचन्द्र आर्य : समय नहीं बढ़ाया जाय।

श्री गिरधारीलाल व्यास : समय बढ़ाकर इस विधेयक को पारित करना है और फिर आगे का कार्यक्रम भी लेना है।

श्री शंकरलाल : समय बढ़ाना बहुत जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि एक घंटा समय और बढ़ा दिया जाय।

(नहीं, नहीं की व हां, हां की आवाजें)

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने पांच बजे के बाद अपना दूसरा कार्यक्रम बना लिया है। यह हमें पता नहीं था कि हमें पांच बजे के बाद भी ठहरना पड़ेगा। मेरा निवेदन है कि यह बिल कल पास हो जायगा आज ही करने से क्या ज्यादा फायदा होने वाला है, यह मैं नहीं समझ सका। सरकारी पक्ष इस पर इतना जोर क्यों दे रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसे अवसर बहुत कम ही आये हैं जिनमें पांच बजे ही सदन की कार्यवाही समाप्त कर दी गई हो अक्सर ज्यादा समय तक बैठना पड़ता है।

श्री भैरोंसिंह : इस सत्र में तो पांच बजे के बाद नहीं चला है।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक पांच बजे मा. गाडिया जी अपना भाषण समाप्त कर दें।

श्री देवीदत्त गाडिया : अन्त में उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार इस अमेण्डमेण्ट के माध्यम से दिसम्बर 69 तक की अवधि दे रही है उसको बढ़ा रही है 1 जून 70 तक इसके लिये मेरा निवेदन यह है कि यह अवधि दिसम्बर, 70 तक के लिये बढ़ा दी जाय।

दूसरा मैंने लैण्डलेस के बारे में कहा है वही मेरा संशोधन है सरकार इसे स्वीकार करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 5 बजे दिनांक 15 मई, 1970 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई)।

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न 67 के भाग (2) में निर्दिष्ट सूची)

परिशिष्ट (क)

फर्मों के नाम जिनसे निविदायें प्राप्त हुई	फर्मों के नाम जिनके नाम ठेके स्वीकृत किये गये
1	2
1. मैसर्स हरीयल दास पो. खानचन्दानी, जयपुर	1. मैसर्स हरीयल दास पो. खानचन्दानी, जयपुर
2. ,, राम गोपाल मुरलीधर, जयपुर	2. ,, राम गोपाल मुरलीधर, जयपुर
3. ,, मांगी लाल भाटी, नागौर	3. ,, मांगी लाल भाटी, नागौर
4. ,, कुशाल चन्द पंवार, नागौर	4. ,, कुशाल चन्द पंवार, नागौर
5. ,, रतन बाई अजमेरी गेट, जयपुर	5. . . . .
6. ,, राम स्वरूप गोयल गंगामन्दिर, भरतपुर	6. . . . .
7. ,, सुखराम इस्माईल, रानीसर, बीकानेर	7. . . . .
8. ,, हंस राज पुत्र श्री कृष्ण, हिसार	8. . . . .
9. ,, के. सी. राठी एण्ड कं., नसीराबाद	9. . . . .
10. ,, नारायण दास घनश्याम दास भाटिया जौहरी बाजार, जयपुर	10. . . . .
11. ,, फीरोजखां अशरफ खान, बीकानेर	11. . . . .
12. ,, सुगनचन्द पुरोहित, बीकानेर	12. मैसर्स सुगन चन्द पुरोहित, बीकानेर
13. ,, वेद प्रकाश सुशील कुमार, बीकानेर	13. ,, वेद प्रकाश सुशील कुमार, बीकानेर
14. ,, उदासर ग्राम सेवा सहकारी समिति, लिमिटेड, उदासर	14. ,, उदासर ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, उदासर
15. मैसर्स दांता राम रमेश कुमार रथखाना, बीकानेर	15. . . . .
16. ,, गोविन्द लाल बिस्सा, बीकानेर	16. . . . .
17. ,, वारिस अली एण्ड ब्रादर्स, झालावाड	17. . . . .
18. ,, दौलतराम बासदेव, चान्दपोल बाजार, जयपुर	18. मैसर्स दौलतराम बासदेव, चान्दपोल बाजार, जयपुर
19. ,, भागीरथ हुसैन खां, कोपरेटिव सोसाइटी बीकानेर	19. . . . .
20. ,, हरीनारायण एण्ड कं. मण्डी-खटीकान, जयपुर	20. . . . .
21. ,, मोजदीन भुटा, बीकानेर	21. . . . .
22. ,, बीनानी जनरल गुड्स स्टोर, बीकानेर	22. . . . .

परिशिष्ट (ख)

फर्मों के नाम जिनकी निविदायें अस्वीकार (रिजेक्ट) की गई—

1. मैसर्स रतन बाई अजमेरी गेट, जयपुर।
2. ,, सुखराम इसमाईल रानीसर बीकानेर
3. ,, हंस राज पुत्र श्री कृष्ण, हिसार
4. ,, नारायण दास घनश्याम दास भाडिया, जोहरी बजार, जयपुर
5. ,, दांता राम रमेश कुमार रथखाना, बीकानेर
6. ,, गोविन्द लाल बिस्सा, बीकानेर
7. ,, वारिस अली एण्ड ब्रदर्स, झालावाड (राज.)
8. ,, भागीरथ हुसैन खां, कोपरेटिव सोसाइटी बीकानेर
9. ,, हरी नारायण एण्ड कम्पनी मण्डी खटीकान, जयपुर
10. ,, मोजद्दीन भुटा, बीकानेर
11. ,, बीनानी जनरल गुड्स स्टोर, बीकानेर

परिशिष्ट (ग)

कारण जिनसे निविदायें रद्द की गई हैं—

	नाम फर्म	आयकर प्रमाण पत्र	बिक्री कर प्रमाण पत्र	अमानती राशि	अन्य
	1	2	3	4	5
1.	मैसर्स रतन बाई अजमेरी गेट, जयपुर	हां	नहीं	नहीं	..
2.	,, सुखराम इस्माईल रानी सर बीकानेर	नहीं	नहीं	नहीं	..
3.	,, हंसराज पुत्र श्री कृष्ण हिसार	नहीं	नहीं	नहीं	..
4.	,, नारायण दास घनश्याम दास भाटिया जौहरी बाजार जयपुर	नहीं	नहीं	..	..
5.	,, दाताराम रमेश कुमार रथखाना, बीकानेर	नहीं	नहीं	अपूर्ण	अकाल के कारण एक चीज की उपलब्धि नहीं होने के कारण स्वीकृत दूसरी चीज सप्लाई करेंगे ।
6.	,, गोविन्द लाल बिस्सा बीकानेर	नहीं	नहीं	..	..
7.	,, वारिस अली एण्ड अदर्स झालावाड	नहीं	नहीं	..	..
8.	,, भागीरथ हुसैन खां, कोपरेटिव सोसाइटी बीकानेर	नहीं	नहीं	सोसाइटी के कारण लागू नहीं बताया	..
9.	,, हरी नारायण एण्ड कं. मन्डी खटीकान जयपुर	नहीं	नहीं	..	..
10.	,, मोजद्दीन भुट, बीकानेर	नहीं	नहीं	..	..
11.	,, बीनानी जनरल गुड्स स्टोर, बीकानेर	..	नहीं	..	सेल्स टैक्स क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट में किसी भी फर्म का नाम नहीं था।

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 69 के भाग (6) में निर्दिष्ट सूची)

S. No.	Name of works	Date of issue of N. I. T.	Date of receipt of tender	Date of acceptance of tender	Name of Agency	Expenditure 1968-69	Expenditure 1969-70
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	S/R to S. M. S. Highway Chaura Rasta	31-1-69	13-2-69	20-2-69	Shri Gyarsi Lal	14052/-	30618/-
2.	S/R to M. I. Road Sanganeri Gate to K. E. M. Building near Ajmeri Gate	30-1-68	4-2-69	18-2-69	M/s Agar Shramik Theka Sahakari Samiti Ltd.	44930/-	4516/-
3.	S/R to M. I. Road from Govt. Hostle to Khasa Kothi	30-1-69	4-2-69	18-2-69	M/s Madhu Shramik Theka Sahakari Samiti.	84017/-	36932/-
4.	(a) S/R to Nirman Marg from Kanti Chandra Road to Ghiya Marg (b) From Ghiya Marg to Water Works crossing	Allotted to M/s. Madhu Shramik Theka Sahakari Samiti			-do-	36962/-	12767/-
5.	S/R to Moti Doongari Road from Minerva Talkies to Adarsh Nagar crossing	14-2-69	17-2-69	20-2-69	Shri Gyarsi Lal Gupta	59698/-	178/-
6.	S/R to Ghora Nikas Road from Ramganj Chopar to Char Darwaza	Work allotted to Sahakari Samiti			M/s Agar Shramik Theka Sahakari Samiti	..	25499/-
7.	S/R to Hawa Sarak Road	Work allotted to Sahakari Samiti			M/s Bajaj Shramik Theka Sahakari Samiti	..	7736/-

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	S/R to Kanti Chandra Road	Work allotted to Sahakari Samiti			M/s. Kaniya Shramik Theka Samiti	34317/-	2707/-
9.	S/R to road from Polo Victory to Kanti Chandra Road		-do-	-do-	M/s Madhu Shramik Theka Samiti	9837/-	2800/-
10.	S/R to Gandhi Nagar Road				Shri Raghunath Lal	..	7828/-
11.	S/R to Ganesh Marg	Allotted to Sahakari Samiti			M/s Bajaj Shramik Theka Samiti	..	14086/-
12.	S/R to Jamna Lal Bajaj Marg from Civil Lines Rly. crossing to Residency	30-1-69	19-2-69	25-3-69	Shri Chooga Lal	..	10845/-
13.	S/R to Chetak Marg	Allotted to Sahakari Samiti			M/s Madhu Shramik Theka Sah. Smt. Ltd.	..	4838/-
14.	S/R to Ashoka Marg, Jaipur	Executed through Depttl. labour			Departmental	..	4137/-
15.	Jaipur—Tonk road mile 3 Rambagh crossing to University Marg	5-2-69	13-2-69	27-2-69	Shri Gyarsi Lal		
16.	Jaipur—Tonk Road University Marg to Gandhinagar crossing	Allotted to Sahakari Samiti			Shri Agar Shramik Theka Sah. Samiti	39654/-	59629/67
17.	Jawahar Lal Nehru Marg from Bajaj Nagar crossing to Gate of Malviya Regional Engr. College	5-2-69	13-2-69	27-2-69	M/s Hind Shramik Theka Samiti	51207/-	4837/63

No tenders need be invited if work is allotted to Sahakari Samiti at schedule rates as per Government Orders No. FD/1448/F. 1 (61)F/AA/59 dated 20-10-59.

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 79 के भाग (1) में निर्दिष्ट सूची)

सेवायें समाप्त किये गये कर्मचारियों की सूची

क. सं.	नाम कर्मचारी	पद	श्रा. स.	दिनांक
1.	श्री लल्लू राम	सहायक सुपरवाइजर	115-19	21-4-66
2.	श्री शिवचरण	ब्लेकस्मिथ	1090-94	21-4-66
3.	श्री मोहन लाल	टरनर	1085-89	21-4-66
4.	श्री सारंगपानी सिंह	इलेक्ट्रिशियन	1100-04	21-4-66
5.	श्री मदन लाल	ग्राइन्डर ग्रोपरेटर	1119-23	21-4-66
6.	श्री विष्णु कुमार	मोहर्रर	1105-09	21-4-66
7.	श्री बृज मोहन	एस. के. हैल्पर	1126-30	21-4-66
8.	श्री प्रभु दयाल	ब्लैक स्मिथ	1110-14	21-4-66
9.	श्री रमेश चन्द्र	मोहर्रर	1095-99	21-4-66
10.	श्री राम किशन	मोहर्रर	1754-57	29-4-66
11.	श्री ग्रोम प्रकाश	एस. के. हैल्पर	1754-57	29-4-66
12.	श्री ग्रब्दुल हमीद	एस. के. हैल्पर	1705-12	20-2-67
13.	श्री ग्रोम प्रकाश	,,	,,	,,
14.	श्री रतन लाल	,,	,,	,,
15.	श्री दामोदर प्रसाद	,,	,,	,,
16.	श्री ग्रब्दुल सलाम	टीम स्मिथ	,,	,,
17.	श्री गोपाल लाल मेहरा	वेल्डर	4268-72	3-6-66
18.	श्री ग्रब्दुल जलील खांन	एस. एस. वर्कर	4273-77	3-6-66
19.	श्री राजेन्द्र कुमार	वेल्डर	4278-82	3-6-66

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 80 के भाग (1) व (2) में निर्दिष्ट सूची)

परिशिष्ट "अ"

क. सं.	नाम सदस्य	पिता का नाम
1.	श्री अमीरचन्द	श्री जैसाराम
2.	श्री भगवान दास	श्री हरिश्चन्द्र
3.	श्री धर्मचन्द	श्री लक्खाराय उर्फ लक्ष्मीदास
4.	श्री रामलाल	श्री जैसाराम
5.	श्री दयाराम	श्री रामचन्द्र
6.	श्री सुखदयाल	श्री रामचन्द्र
7.	श्री आत्माराम	श्री दूनीचन्द
8.	श्री बेलीराम	श्री पोखरदास
9.	श्री जेठानन्द	श्री ठोकरदास
10.	श्री रामलाल	श्री फतेहचन्द
11.	श्री जीवन सिंह	श्री तेला सिंह
12.	श्री नोताराम	श्री लीलाराम
13.	श्री सुक्खुराम	श्री हरिश्चन्द्र
14.	श्री मनोहर लाल	श्री जेठानन्द
15.	श्री खेलन्दाराम	श्री खुट्टाराम
16.	श्री लेखराज	श्री देवीदास
17.	श्री रामजीलाल	श्री धर्मचन्द्र
18.	श्री देवदित्ताराम	श्री गुरुदत्ताराम
19.	श्री नोताराम	श्री माधाराम
20.	श्री टोपनदास	श्री चोखाराम
21.	श्री रामप्रकाश	श्री रामदत्तामल
22.	श्री टोपनदास	श्री रोताराम
23.	श्री रामकृष्ण	श्री जैसाराम
24.	श्री पारुराम	श्री गणेश दास

ANNEXURE (B)

OFFICE OF THE DEPUTY REGISTRAR, CO-OPERATIVE SOCIETIES, KOTA UDAIPUR ZONE, KOTA

ORDER

No. F. (176)*Socy/DRK/*68.

As the Assistant Registrar, Co-operative Societies, Bundi has reported that Mangli joint farming Sahakari Samiti Circle Talera, District Bundi has ceased functioning and there are no hope of its revival, the said society is hereby ordered to be wound up under section 52 of the Rajasthan Co-operative Societies Act and the Inspector (Exe) Co-operative Societies Talera Bundi Block is appointed as its Liquidator. The Liquidator shall have the all powers mentioned in section 56 (Except under sub-section 56 (a) of the Rajasthan Co-operative Societies Act, 1953.

Sd/-

RAJMAL SINGHVI,

Deputy Registrar,
Cooperative Societies, Kota
Udaipur Zone, Kota.

No. F. 176 (Socy) CDR/58 / 6596 Dated 27-10-58

(1) Copy to the Superintendent Govt. Press Rajasthan. Jaipur with the request that the above noted order may kindly be published in the next issue of Govt. Gazettee.

(2) Copy to the Asstt. Registrar, Co-operative Societies, Bundi with reference to his letter No. 5498, dated 10-9-58 together with three spare copies for following.

(i) Inspector (Exe) Co-operative Societies, Bundi for information and necessary action. He will please submit his final report within three months of the receipt of this order.

(ii) The Secretary to the Mangli Joint farming Sahkari Samiti for information and necessary action.

(iii) The Manager (Central Co-operative Bank, Bundi) for information and necessary action.

Sd/-

Deputy Registrar,
Co-operative Societies, Kota
Udaipur Zone, Kota.

परिशिष्ट 5

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

नगरपालिका बालोतरा में अधिशासी अधिकारी

81. श्रीमती मदन कौर (पचपदरा): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगरपालिका बालोतरा में अधिशासी अधिकारी का पद कब से रिक्त है ?

(2) क्या इस अवधि में किसी का स्थापन राज्य सरकार द्वारा किया गया ? यदि हां, तो कब कब ?

(3) इस पद के अब तक नहीं भरे जाने के क्या कारण रहे हैं ?

उत्तर

1. दिनांक 10-12-68 से।

2. जी हां।

दिनांक 10-12-68, 25-3-69 व माह नवम्बर, 1969 में।

3. अधिकारियों की कमी है।

भूमि का आवंटन

82. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गंगानगर जिले में गंग केनाल एरिया के नहरी रकबों को सन् 1967-68 के लिये बदस्तूर साबका अलाटीज के नाम से रखने का आदेश दिया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि जिलाधीश का आदेश नम्बर 4742-53 दिनांक 14-8-67 को जारी किया था ? यदि हां, तो इस आदेश की पालना क्यों नहीं की गई ?

(3) क्या यह सही है कि तहसील अनूपगढ में सन् 1966-67 के लिये चक 16 जी. बी. मुरब्बा नं. 10 व चक नं. 1 जी. बी. मुरब्बा 34 में हनुमान पुत्र रामचन्द्र व जगदीश पुत्र चान्दीराम को रकबा ऊंची बोली पर दिया गया था और उसी दिन इनके नाम को भूमि का इस्तीफा लेकर उसी दिन कम रेट पर रकबा उक्त व्यक्तियों के नाम से अलाट किया गया है ?

(4) क्या यह सही है कि इस मामले में भारी घोटाला हुआ है जिससे सरकार को भारी नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो क्या दोषी अधिकारियों को सजा दी जावेगी ?

(5) यह रकबा पहले किस रेट पर दिया गया था और सन् 1967-68 के लिये किस रेट पर दिया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां। सन् 67-68 के लिये आरजी काश्तकारान जिनके पास पिछले साल रकबा आरजी काश्त पर था उनके पास बदस्तूर रखने के आदेश दिये गये थे।

(2) यह सही नहीं है।

(3) यह सही नहीं है।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

(उपनिवेशन मंत्री)

(5) चक 1 जी. बी. का मु. नं. 34 का 3।।) 4 बीघा महरी वर्ष 2023 में 105) प्रति बीघा पर था व सम्वत् 2024 में इसकी अन्तिम बोली 8) रुपया प्रति बीघा आई चक 16 जी. बी. का मु. नं. 10 का 4।।।) 3 बीघा वर्ष 2023 में 27) रुपया प्रति बीघा पर था व सम्वत् 2024 में 7) रुपया प्रति बीघा पर दिया ।

इकलेरा-छोराबडोद-सालपुरा सड़क की मरम्मत

83. श्री प्रेम सिंह सिंघवी (छबडा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही कि इकलेरा से छोराबडोद-सालपुरा जो सडक जाती है उसकी हालत बहुत ही खराब है ? यदि हां, तो किस वजह से मरम्मत नहीं हो पा रही है ?

(2) क्या यह सही कि इस सडक पर जहां जहां भी गांव हैं वहां वहां सडक के किनारे की जमीन लोगों ने दाब ली है तथा उस पर मकान उसारे व चबूतरे बना रखे हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक को बडी रुकावट आती है ? यदि हां, तो इस विषय में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां । इकलेरा से छोपाबडोद सालपुरा जो सडक जाती है उसकी हालत इस क्षेत्र की सामान्य सडकों की अपेक्षा अच्छी है और इसकी मरम्मत हेतु विशेष रूप से मरम्मत के कार्य सन् 1969-70 में कराये गये हैं ।

(2) जी हां । यह सही है कि इस सडक पर जहां जहां गांव आते हैं वहां सडक के लिये छूटने वाली जमीन पर्याप्त नहीं है । क्योंकि ज्यादातर स्थानों पर गांव वालों में चबूतरे ओसारे आदि वांछित सडक सीमा के अन्दर बहुत पहले से बना रखे हैं । इसके लिये मालूम करने पर यह तथ्य सामने आये हैं कि रियासत के समय से सडक के लिये वास्तव में छोडी हुई जमीन की स्थिति लेण्ड रेकार्ड में स्पष्ट नहीं है । जो भी नये कब्जे के मामले हुए हैं उन पर भूमि अवाप्ति एवं सम्पत्ति अधिकारी कोटा कार्यवाही कर रहे हैं ।

जोधपुर में ताजिए

84. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मार्च, 1969 में जोधपुर शहर में मुस्लिम समाज द्वारा ताजियों (मुहर्रम) का ऐतिहासिक व धार्मिक जुलूस क्यों नहीं निकाला जा सका ?

(2) क्या इस को निकलवाने के लिये सरकार ने कोई कानूनी व्यवस्था की सुरक्षा की थी ? यदि हां, तो क्या और फिर भी यह जुलूस क्यों नहीं निकाला जा सका ?

(3) क्या यह सच है कि इस प्रकार सदियों से निकलने वाले जुलूस के बन्द होने से धार्मिक भावना पर ठेस पहुंची है ? यदि हां, तो अब आगे यह जुलूस निकलता रहे उसके लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(4) क्या यह भी सही है कि इसी मामले को लेकर अगस्त में श्री अख्तर सिद्दीकी मन्त्री स्वतन्त्र पार्टी जोधपुर को गिरफ्तार

(श्री जयनारायण सालोविया)

किया गया ? यदि हां, तो किस जुर्म में ? उस समय कितनी पुलिस फोर्स बुलाई गई ?

उत्तर

(1) मार्च 69 में जोधपुर शहर में मोहर्रम का जुलूस इसलिये नहीं निकल सका कि ताजियेदारान ने कदीमी रास्ते से ताजिये निकालने से इसलिये इन्कार कर दिया कि कदीमी रास्ता उनको उपयुक्त नहीं पडता था व दीगर रास्ते से ताजिये निकालने को वे तैयार नहीं थे।

(2) सरकार ने ताजिये बेखटके निकलने की पूरी कानूनी व दीगर व्यवस्था करदी थी लेकिन 18 में से 4 ताजियेदारान ने इसलिये जुलूस लेजाने से इन्कार कर दिया कि रास्ते में पडने वाली महताजी की पीपली के नीचे से 18 फुट ऊंचे ताजिये लेजाने से पूरी जगह नहीं थी और वे ताजिये की ऊंचाई कम करने को तैयार नहीं थे न दूसरे रास्ते से ही ताजिये लेजाने को तैयार थे। दीगर ताजियेदारान ने भी उनके देखा देखी ताजिये नहीं निकाले।

(3) ताजियों की धार्मिक सिद्धान्तों के अनुसार कोई खास ऊंचाई निर्धारित नहीं है इसलिये रास्ते की भारी रुकावट को देखते हुए ताजिये की ऊंचाई में 4 फुट कमी करने की राय दी गई थी। इस राय को ताजियेदारान ने नहीं माना व खुद अपनी मर्जी से ताजिये नहीं निकाले। इसलिये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने का कोई सवाल नहीं उठता।

मार्च 69 में महताजी की पीपली व सडक के बीच 14-1।2 फुट जमीन थी अतः पीपली की डालों को मशीन की ताकत और मजबूत रस्सों से तीन फुट और ऊंचा उठाया गया और 17-1।2 फुट की क्लीयरेन्स करदी गई ताजियेदारान से यह चाहा गया कि वे अपने ताजियों की ऊंचाई 14 फीट करलें ताकि हाथों में लेकर यह ताजिये बखूबी महताजी की पीपली के मार्ग से निकाले जा सकें। उनको यह भी विकल्प दिया गया था कि अगर ताजियों की ऊंचाई न घटाना चाहें तो पीपली को टालकर नजदीक ही दूसरी सडक से ताजिये निकाल लें किन्तु उन्होंने दोनो बातो में से एक को भी स्वीकार नहीं किया।

इस वर्ष ताजिये निकलवाने की फिर खास कोशिश की गई और सरकार ने कई हजार रुपये के खर्च से पीपली के नीचे पहले से अधिक यानी 20 फुट की क्लीयरेन्स दी, इसके लिये पीपली को बांधा गया और सडक को भी 3 फीट की गहराई तक खोदा गया लेकिन ताजियेदारों ने इस बार भी ताजिये निकालना मंजूर नहीं किया।

सरकार की ओर से ताजिये निकलवाने के लिये हर मुमकिन कार्यवाही की गई है, अतः ताजिये निकालते रहना बिल्कुल ताजियेदारान पर ही निर्भर है।

(4) जी नहीं। श्री असरार सिद्दीकी मन्त्री, स्वतन्त्र पार्टी जोधपुर को दिनांक 23-8-69 को धारा 107।117 जा. फो. के अन्तर्गत बन्दी किया गया था इसका मोहर्रम त्योहार से कोई सम्बन्ध नहीं था ?

जोधपुर में अग्नि दुर्घटना

85. श्री ओमदत्त भाटी (सरदार पुरा, जोधपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह

(श्री ग्रोमदत्त भाटी)

बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या अप्रेल, 1970 में घंटाघर में कबाडी बाजार जोधपुर में आग लगने की घटना हुई ? यदि हां, तो इस घटना का क्या कारण था तथा आग के कारण कितनी दुकानें जली तथा कितनी क्षति हुई ?

(2) आग कब लगी तथा बुझाने के लिये नगरपालिका का फायर ब्रिगेड कब पहुंचा ?

(3) क्या यह सच है कि नगरपालिका का दमकल समय पर नहीं पहुंचा और क्या यह भी सत्य है कि जो प्रथम दमकल आया उसमें पर्याप्त पानी न होने से वह बिल्कुल निरुपयोगी सिद्ध हुआ ? यदि हां, तो इस असावधानी का क्या कारण था ?

(4) आग से जो प्रभावित हुए उनकी क्षतिपूर्ति का क्या हुआ ?

उत्तर

(1) जी हां ।

कारण नगर परिषद् को मालूम नहीं है। 34 दुकानें जली हैं । अनुमानतः 2,73, 100।- रुपयों का नुकशान होना जाना बताया गया है ।

(2) नगरपरिषद् को सूचना 3-10 बजे रात को मिली ।

नगरपरिषद् के दमकल कर्मचारी 3-20 पर पहुंच गये थे ।

परिषद् की दमकल खराब होने से नहीं पहुंची। नगरपरिषद् ने अपने प्रयास से रेल्वे व वायुसेना के दमकल मौके पर बुलवा लिये थे। जिनमें पर्याप्त पानी था।

(3) नगरपरिषद् का दमकल गया ही नहीं इसलिये प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है।

(4) इसका संबंध इस विभाग से नहीं है।

सरकारी समिति में मेनेजर की नियुक्ति

86. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि श्री राम प्रताप शर्मा ए. आई. को दी भिण्डूसी वृहत बहुधन्धी सहकारी समिति लि., शाहबाद को डेपुटेशन पर मेनेजर नियुक्त कर दिया गया और नियुक्ति से पूर्व समिति की कोई सहमति प्राप्त नहीं की गई थी ? कृपया बतायें कि यह नियुक्ति किस अधिकारी ने और कब की थी ? कृपया नियुक्ति आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि समिति ने प्रबल बहुमत से इस नियुक्ति का विरोध किया और इस सिद्धान्त का भी विरोध किया कि समिति की बिना सहमति किसी अधिकारी को उनका मेनेजर नियुक्त किया जावे । कृपया समिति द्वारा इस नियुक्ति के विरोध में पारित किये प्रथम प्रस्ताव की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि समिति की कार्य कारिणी ने अपने एक प्रस्ताव में यह पुष्टि की है कि उनकी ओर से श्री राम प्रताप को डेपुटेशन पर भेजने के लिये कभी सहमति प्रदान नहीं की और श्री नरोत्तम सिंह शर्मा ने कुछ लोगों के झूठे दस्तखत करके विभाग को लिख कर दिया है ?

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(4) क्या यह सही है कि उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राजस्थान ने उक्त तथ्यों की जांच करके एक सप्ताह में रिपोर्ट करने के लिए लिखा था? क्या यह जांच कर ली गई? यदि हां, तो कब और रिपोर्ट कब उप रजिस्ट्रार महोदय को भेजी गई?

(5) क्या यह सही है कि जांच में यह पाया गया कि समिति की कार्यकारणी के सदस्यों ने राम प्रताप शर्मा को डेपुटेशन पर भेजने के लिये कभी अपनी सहमति प्रकट नहीं की थी और कार्यकारणी का प्रबल बहुमत उसकी नियुक्ति के खिलाफ है?

(6) क्या यह सही है कि श्री राम प्रताप शर्मा ने बिना कार्यकारणी की स्वीकृति के कुछ रुपया समिति के सदस्यों से वसूल करके अपनी तनख्वाह लेली जब कि कार्यकारिणी ने उन्हें अपना मैनेजर ही तस्लीम नहीं किया? और ना ही उनके जुम्मे कोई काम सुपुर्द किया?

(7) क्या यह सही है कि अब श्री राम प्रताप शर्मा को वहां से वापस बुलाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं? यदि हां, तो कब? क्या श्री राम प्रताप शर्मा वहां से वापस आ गए हैं? यदि हां, तो कब?

उत्तर

(1) यह सही है कि श्री राम प्रताप शर्मा, सहायक निरीक्षक को दी भिण्डसी वृहत बहुधन्धी सहकारी समिति लि. शाहबाद में समिति से प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रतिनियुक्ति पर रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक-सविरा नि. शा./ स. 68 दिनांक 25-8-69 के द्वारा मैनेजर के पद पर नियुक्त किया गया था। प्रतिनियुक्ति के आदेश की प्रति परिशिष्ट (अ) संलग्न है।

(2) यह सही है कि श्री जगन सिंह की अध्यक्षता में हुई कार्यकारिणी की बैठक में श्री राम प्रताप शर्मा सहायक निरीक्षक (व्यवस्थापक) को समिति में प्रति नियुक्ति पर लगाये जाने के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसकी प्रति परिशिष्ट (ब) संलग्न है।

(3) इस सम्बन्ध में संलग्न प्रस्ताव ब स का अवलोकन करें, इन दोनों प्रस्ताव से स्पष्ट है कि श्री जगन सिंह की अध्यक्षता में हुई प्रबन्धकारिणी बैठक में श्री राम प्रताप शर्मा, सहायक निरीक्षक को प्रतिनियुक्ति पर मैनेजर लगाये जाने का विरोध किया है। और श्री नरोत्तम सिंह की अध्यक्षता में प्रबन्धकारिणी की बैठक में उक्त सहायक निरीक्षक की प्रति नियुक्ति पर लेने की सहमति दी गई है।

(4) यह सही है कि दी भिण्डसी वृहत बहुधन्धी सहकारी समिति लि. के मामले में जांच के आदेश किये गये थे, और सहायक रजिस्ट्रार, अलवर द्वारा जांच की कार्यवाही चालू है।

(5) अभी तक सहायक रजिस्ट्रार अलवर द्वारा जांच पूर्ण नहीं हो पाई है, जांच उपरान्त ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

(6) यह सही है कि श्री राम प्रताप शर्मा सहायक निरीक्षक ने अपने प्रतिनियुक्ति काल का वेतन समिति से उठाया है। कार्यकारिणी ने उक्त वेतन प्राप्त कर लेने के सम्बन्ध में जांच की कार्यवाही सहायक रजिस्ट्रार, अलवर के द्वारा की जा रही है, जांच पूर्ण होने पर ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

(सहकारी मंत्री)

(7) यह सही है कि श्री राम प्रताप शर्मा सहायक निरीक्षक को रजिस्ट्रार महोदय के आदेश क्रमांक सघिरा।नि. शा.। स.।65, दिनांक 5-3-70 के द्वारा प्रतिनियुक्ति से वापिस विभाग में ले लिया गया है एवं समिति के पत्र क्रमांक 194 दिनांक 1-5-70 के अन्तर्गत श्री शर्मा ने सहायक रजिस्ट्रार अलवर के कार्यालय में अपनी उपस्थिति रिपोर्ट दिनांक 2-5-70 को प्रेषित करदी है।

परिशिष्ट "ब"

रजिस्ट्रार महोदय, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक फा. सविरा।नि.। शा.। स। 68 दिनांक 25-8-69 के तहत श्री राम प्रताप शर्मा के दी भिवडसी वृहत बहुधंधी सहकारी समिति में प्रति नियुक्ति आदेश हुये।

प्रतिलिपि आदेश

सहकारी विभाग राजस्थान, जयपुर

आदेश

क्रमांक फा. सविरा।नि.। शा.।स. 68:–श्री राम प्रताप शर्मा, सहायक निरीक्षक, सहकारी समितियां अलवर को उपस्थिति तिथि से व्यवस्थापक के पद पर दी भिवडसी वृहत बहुधंधी सहकारी समिति शाहबाद जिला अलवर में प्रतिनियुक्ति पर निम्न शर्तों पर नियोजित किया जाता है:–

1.	वेतन	राजस्थान सेवा नियमानुसार (20 प्रतिशत भत्ता भी दिया जावेगा) यदि विशेष वेतन हो तो वह भी राज्य सेवा नियमानुसार संस्था देगी।
2.	मेडिकल सुविधायें	राज्य सेवा नियमानुसार संस्था देगी।
3.	अवकाश व पेन्शन विनियोग	राज्य सेवा नियमानुसार संस्था देगी।
4.	दैनिक भत्ता व यात्रा भत्ता	,,
5.	मंहगाई भत्ता	,,
6.	प्रतिनियुक्ति अवधि	1 वर्ष के लिये संस्था में उपस्थिति की तिथि से।
7.	अवकाश	राजस्थान सेवा नियमानुसार।
8.	जोइनिंग समय का वेतन	आने व जाने का समय का व्यय भी समिति देगी।
9.	डिसेबिलिटी अवकाश	समिति को डिसएबिलिटी अवकाश भी देना होगा। यदि डिसएबिलिटी समिति के कार्य के संबंध में हुई।

10. समिति राज्य सेवा नियम भाग 3 के अन्तर्गत प्रावधान अनुच्छेद 5 के अनुसार अवकाश वेतन एवं पेन्शन विनियोग उसी दर से माह समाप्ति के 15 दिन में होगा जिसके आधार पर कर्मचारी ने वेतन उठाया हो।

11. अवकाश वेतन पेन्शन विनियोग की राशि का भुगतान ड्राफ्ट बैंक या डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा दिया जावे।

ह.
रजिस्ट्रार
सहकारी समितियां, राजस्थान
जयपुर।

क्रमांक का. सविरा/नि. शा.।स.।68 दिनांक 25-8-69

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. महा लेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. उपरजिस्ट्रार, भरतपुर/निधम प्रधान कार्यालय।
3. अध्यक्ष, कोपरेटिव सोसायटी शाहबाद जिला अलवर।
4. सहायक रजिस्ट्रार, अलवर।
5. श्री राम प्रताप शर्मा सहायक निरीक्षक द्वारा रजिस्ट्रार अलवर प्रतिलिपि गार्ड पत्रावली/निजी पत्रावली।

हस्ताक्षर रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियां, राजस्थान
जयपुर।

परिशिष्ट (ब)

नकल कार्यवाही कार्यकारणी मिटिंग दिनांक 11-10-69 दी भिण्ड सी वृहत् बहुधंधी सहकारी समिति लि. कार्यवाही रजिस्ट्रार जो कि श्री जगन सिंह के पास है, पृष्ठ नं. 7 पर अंकित है।

प्रस्ताव	निर्णय
(2) श्री राम प्रताप ए. आई. को समिति में मैनेजर पद पर रखने पर विचार।	सर्व सम्मति से निर्णय हुआ कि हम लोगों ने पहिले कोई इस प्रकार श्रीमान् रजिस्ट्रार महोदय, राजस्थान, जयपुर को प्रस्ताव लिख कर नहीं भेजा कि हमारी समिति में श्री राम प्रताप ए. आई. को डेपूटेशन पर लगायें। श्री राम प्रताप मैनेजर को इतना वेतन हमारी समिति नहीं दे सकती जब कि हमारी समिति में आलरेडी मैनेजर श्री शिवलाल लगा हुआ है तथा उससे कम वेतन ले रहे हैं और ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। हमारी समिति में इसलिये श्री शिवलाल मैनेजर ही रहेंगे श्री राम प्रताप ए. आई. को हमारी सर्व सम्मति मैनेजर पद नहीं रखा जाना स्वीकार है, इसकी प्रति प्रस्ताव कोपी श्रीमान रजिस्ट्रार साहब, राजस्थान जयपुर को निवेदन के लिये भेजें तथा सहायक रजिस्ट्रार उत्तरी, अलवर तथा सहकारी प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति तिजारा को निवेदन के लिये प्रति प्रस्ताव की भेजी जानी स्वीकार हो हस्ताक्षर:– 1. श्री शिवलाल मैनेजर, 2-जगनसिंह, 3-प्रभुदयाल, 4. हुमिराम 5-मनीराम, 6-दुलीचन्द 7-अंगूठा बुधाराम 8. गुरबख्स (उर्दू में) 9-सुरेशसिंह (पंजाबी में)

प्रमाणित,

हस्ताक्षर सहकारी प्रसार अधिकारी,
पंचायत समिति, तिजारा (अलवर)

ह. सहायक रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियां, अलवर।

परिशिष्ट 'स'

नकल कार्यवाही कार्यकारणी मीटिंग दिनांक 5-6-69 दी मिण्ड्सी वृहत बहुधंधी सहकारी समिति लि. शाहबाद कार्यवाही रजिस्ट्रार जो श्री नरोत्तम सिंह के पास है, पृष्ठ 8 पर अंकित है।

प्रस्ताव	निर्णय
अध्यक्ष की अनुमति से (स्याही बदली हुई है) (6) श्री राम प्रताप शर्मा सहायक निरीक्षक को समिति में व्यवस्थापक पद पर प्रतिनियुक्ति पर लेने पर विचार।	सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि समिति के कार्य को सुचारु रूप में चलाने के लिये विभागीय कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर लेना आवश्यक है जिसके लिये समिति श्री रामप्रताप शर्मा सहायक निरीक्षक सहकारी समितियां, तिजारा को व्यवस्थापक पद पर लेना चाहती है। इस संबंध में श्रीमान् रजिस्ट्रार महोदय, सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर को पत्र व्यवहार करने का समस्त अधिकार समिति के अध्यक्ष महोदय को दिया जाता है।

हस्ताक्षर:-

1. श्री नरोत्तम सिंह शर्मा
2. श्री मातादीन
3. श्री बदन सिंह
4. श्री सुरेश सिंह
5. श्री जुगलाल
6. श्री प्यारेलाल
7. श्री भूराराम

यातायात दुर्घटनायें

87. श्री भैरोंसिंह (किशन पोल, जयपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) 1 अप्रेल, सन् 1968 से लेकर अब तक किस किस माह में किस किस जिले में कितनी 2 यातायात दुर्घटनायें हुई और उनमें कितने व्यक्ति मर गये कितने घायल हुये ?

(2) कितनी दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा कितने 2 अपराधियों का चालान किया गया और उनका क्या 2 परिणाम रहा ? शेष की क्या स्थिति रही ?

(3) इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या 2 कार्यवाही की गई और उसके क्या परिणाम निकले ?

उत्तर

(1) चाही गई सूचना देते हुए सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) संलग्न तालिका में चाही गई सूचना दी गई है ?

(3) यातायात दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण रखने के लिये यातायात पुलिस को सतर्क रहने के लिये समय समय पर आवश्यक निर्देश दिये जाते हैं । इसके अतिरिक्त दुर्घटना निवारण हेतु जन साधारण को यातायात नियमों से अवगत कराया जाता है। सड़कों पर ट्राफिक सिगनल्स लगाये जाते हैं। समय समय पर मुकामी पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट को साथ लेकर ट्रेफिक चैकिंग किया जाता है एवं यातायात सप्ताह मनाया जाता है आदि ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

होलसेल सहकारी भण्डार

88. श्री दौलत राम सारण (डूंगरगढ): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या चूरू जिले में कोई होलसेल सहकारी भण्डार है ? यदि हां, तो उसके कितने हिस्सेदार कहां कहां से हैं ? कुल हिस्सा पूंजी कितनी है ? और राज्य सरकार ने कितने रुपये के हिस्से खरीदे हैं ?

(2) यह भण्डार कब चालू हुआ ? इसकी आर्थिक स्थिति कैसी है ? लाभ हानि का क्या हाल है ? किस प्रकार ?

(3) क्या यह सही है कि सरदार शहर से काफी हिस्सा पूंजी कुछ व्यक्तियों द्वारा इकट्ठी की गई परन्तु उसमें से कुछ ही जमा कराई गई ? बाकी रही हिस्सा पूंजी अभी तक जमा नहीं कराई गई है ? वहां कुल कितनी हिस्सा पूंजी किन के द्वारा जमा कराई गई और कब ? हिस्से दारों के नाम व पते सहित सूची दी जाय ।

(4) क्या यह सही है कि सरदार शहर के हिस्सेदारों ने अपने हिस्से वापिस लौटाने की मांग कर रखी है ? अपने हिस्से वापिस लौटाने की मांग करने वालों को कब तक उनको हिस्सा राशि वापिस लौटा दी जायगी ?

उत्तर

(1) जी हां ! चूरू होलसेल सहकारी भण्डार में 3235 सदस्य हैं । इसकी कुल 1, 86, 740) रु. हिस्सा पूंजी है, जिसमें राज्य सरकार की हिस्सा राशि 1, 44, 000) रु. है। हिस्सेदार जहां 2 के हैं उनकी सूची परिशिष्ट (क) संलग्न है ।

(सहकारी मंत्री)

(2) भण्डार ने 3-1-67 से व्यापारिक कार्य प्रारम्भ किया था। साधारणतया इसकी आर्थिक स्थिति ठीक है। भण्डार गत वर्ष में हानि में रहा है।

(3) सरदार शहर से निम्न 3 व्यक्तियों द्वारा हिस्सा राशि एकत्रित की गई थी जिस का विवरण निम्न प्रकार है :—

क.	नाम एकत्रित करने वाले व्यक्ति का	हिस्सा राशि भण्डार में जमा कराई गई राशि	दिनांक जमा
(1)	श्री जसराज, व्यवस्थापक, सरदार शहर क्रय विक्रय सहकारी समिति लि0।	5000	16-9-66
(2)	श्री रतन लाल, सरदार शहर	4500	16-9-66
(3)	श्री बजरंग लाल उंगा, सरदार शहर	10000	16-9-66
		19,500	

प्राप्त रकम भंडार में उपरोक्त व्यक्तियों के नाम से उचंत खाते में जमा होने के कारण हिस्सेदारों की सूची नहीं दी जा सकती है।

(4) जी नहीं।

सूची सदस्य संख्या एवं हिस्सा राशि चूरू होलसेल उपभोक्ता सहकारी भंडार लि. चूरू

क्रमांक 1	श्रेणी 2	नाम सदस्य 3	सदस्य संख्या 4	हिस्सा राशि 5
1.	ब	राजस्थान सरकार	1	144000-00
		योग:—	1	144000-00
2.	ब-1.	चूरू यूनिट नं.-3	421	4575.00
	2.	डूंगरपुर	401	4010.00
	3.	रतनगढ	400	4015.00
	4.	छापर	400	4000.00
	5.	बीदासर	400	4000.00
	6.	राजलदेसर	400	4100.00
	7.	राजगढ	402	4020.00
	8.	तारानगर	402	4020.00
		योग:—	3226	32740.00

1	2	3	4	5
3.	स-1.	चूरू सर्वोदय सहकारी उपभोक्ता भंडार लि.	–	1250.00
	2.	चूरू आदर्श सहकारी उपभोक्ता भंडार लि. चूरू।	–	1250.00
	3.	शिव उपभोक्ता सहकारी भंडार लि. चूरू		1250.00
	4.	जनहितकारी उपभोक्ता सहकारी भंडार लि. चूरू ।		1250.00
	5.	वार्ड नं. 3–4 उपभोक्ता सहकारी भंडार लि. चूरू ।		1250.00
	6.	वार्ड नं. 5–6 उपभोक्ता सहकारी भंडार लि. चूरू ।		1250.00
	7.	चूरू उपभोक्ता सहकारी भंडार लि. चूरू		1250.00
	8.	चूरू वार्ड नं. 19–20 उपभोक्ता सहकारी भंडार लि. चूरू ।		1250.00
		योग:–	–	10000.00
		महा योग:–	3235)	186740.00

अधूरी सडकें, जिला जैसलमेर

89. श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले में सीमा सडकों का निर्माण किया जा रहा है और कुछ सडकें प्रारम्भ कर अपूर्ण ही छोड दी गई है ? अगर हां, तो वह कौन 2 सी सडकें हैं जो आज अपूर्ण है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त अपूर्ण सडकों का काम किस वर्ष में प्रारम्भ किया गया था, किस वर्ष में किस ठेकेदार को किस तारीख को ठेका दिया गया था और किस ठेकेदार ने किस सडक पर कितना काम किया और कितना किस ठेकेदार को भुगतान कब कब किया गया ठेके की शर्तों की प्रति लिपि ठेकेदारों की सूची, सडक वार मय भुगतान की सूची, प्रति मील और सडक पर निर्माण का ब्यौरा की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि लाखों रुपये लग जाने के बाद भी आज एक भी सडक काम योग्य नहीं है और ठेकेदारों ने ठेके की शर्तों के अनुसार काम नहीं किया फिर भी भुगतान किया गया है। अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(श्री बालसिंह सोढा)

(4) क्या शर्तों के अनुसार काम करने वाले किसी ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में विचाराधीन मामले

90. श्री रूप सिंह (सरदार शहर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के पास 31-1-70 तक कितने मामले जेर तजवीज थे और इनमें कितने कितने मुकद्दमात किस किस साल के हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। इतने पुराने व ज्यादा तादाद में मुकदमात के जेर तजवीज रहने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) वांछित जानकारी देते हुए, सूची सदन की मेज पर रख दी गई। केसेज की तफतीश में देरी के प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं:—

(क) महालेखाकार से या संबन्धित विभाग से मूल रेकार्ड प्राप्त करने में समय लगना।

(ख) आडिट कराने व रिपोर्ट प्राप्त होने में समय लगना।

(ग) प्रापर्टी के मूल्यांकन कराने में समय लगना।

(घ) हस्तलिपि विशेषज्ञों की राय प्राप्त होने में समय लगना।

(ङ) अकाल के कारण कई स्थानों, विशेष कर पश्चिमी जिलों से गवाहान के अपने गांवों से अन्य स्थानों पर चले जाने से कार्यवाही सपूर्ण न होना।

सूची 'अ'

दिनांक 31-1-70 को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में कुल 287 केस जेर अनुसंधान थे जिनकी सूची नीचे दी जाती है।

क्रमांक	सन्	केस
1	1958	2
2	1960	8
3	1961	3
4	1962	6
5	1963	15
6	1964	15
7	1965	26
8	1966	50
9	1967	40
10	1968	48
11	1969	69
12	1970	5
	कुल केस	287

सूरतगढ केन्द्रीय फार्म की भूमि

91. श्रीमती मदन कौर (पचपदरा): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सूरतगढ़ केन्द्रीय फार्म के अन्तर्गत कितनी भूमि है ? सिंचित और असिंचित का अलग अलग रकबा दें।

Page No 146

(श्रीमती मदन कौर)

(2) यह भूमि केन्द्रीय सरकार को कब और कितनी अवधि के लिये दी गई थी ? क्या उसकी अवधि समाप्त हो रही है ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या अवधि समाप्ति पर राज्य सरकार इस भूमि को राजस्थान के भूमिहीन किसानों को आवंटित करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या अकालग्रस्त क्षेत्र के भूमिहीन और विशेष कर अनुसूचित जाति और जनजाति को यहां बसाने का विचार है ?

उत्तर

(1) सूरतगढ़ केन्द्रीय फार्म के अन्तर्गत कुल बीघा 44385½) 3 बिस्वा भूमि है जिसमें से सिंचित 43623½) है व असिंचित 762½) 3 बिस्वा है।

(2) सूरतगढ़ फार्म की लीज अवधि 15 वर्ष की रखी गई थी, 15-8-71 को समाप्त हो जाती है।

(3) अभी तो मयाद बढाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

खाद के कारखाने से हुई मृत्यु सम्बन्धी मुकदमा

92. श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा में स्थापित खाद के कारखाने की प्रीलिंग टावर के टूटने से कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी ?

(2) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था ? अगर हां, तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में जांच आयोग नियुक्त हुआ था और उसने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है ? अगर हां, तो प्रतिवेदन की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(4) सरकार ने प्रतिवेदन पर आगामी क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। इस घटना की इत्तला अव्वल की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखदी गई है।

(4) कमीशन द्वारा किसी भी व्यक्ति की Crimonal या Wilful negligence नहीं पाई गई है, अतः रिपोर्ट के आधार पर किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रहती।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बूंदी शहर की जल प्रदाय योजना

93. श्री केसरी सिंह हाड़ा (हिन्डोली): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बूंदी शहर की जल प्रदाय योजना कब शुरू हुई थी ?

(2) बूंदी में गृह कार्य में लिये जाने वाले हजार गेलन पानी किस दर से दिया जाता है और कोटा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर व भीलवाड़ा में किस दर से ?

(श्री कस्तूरी सिंह द्वारा)

(3) क्या यह सत्य है कि बूंदी में दो घन्टे सुबह और दो ही घन्टे शाम को पानी दिया जाता और उक्त अन्य शहरों में दिन भर पानी दिया जाता है ?

(4) जहां पर दो दो घन्टा सुबह शाम पानी दिया जाता है और जहां पर चौबीस घन्टों पानी दिया जाता है उनकी दरें क्या जुदा हैं ?

(5) राजस्थान में जल प्रदाय योजना द्वारा कहां कहां पर पानी फिल्टर होकर दिया जाता है और कहां कहां पर बिना फिल्टर किए हुए ?

उत्तर

(1) अप्रेल सन् 1960 से।

(2) बूंदी में गृह कार्य में लिये जाने वाले 1000 लीटर पानी की दर 50 पैसे है। कोटा, उदयपुर 42 पैसे प्रति हजार लीटर है जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा में पानी की दर 50 पैसे प्रति हजार लीटर है।

(3) बून्दी शहर में 2 घन्टे सुबह एवं 2 घन्टे सायंकाल पानी दिया जाता है और उक्त अन्य शहरों में भी पानी दिन भर नहीं दिया जाता है किन्तु निश्चित घन्टों में ही दिया जाता है।

(4) जी नहीं, पानी की दरें स्थानीय खर्च व आमद को देखते हुए तय की जाती हैं।

(5) जिन 2 जगहों पर पानी वितरण करने के साथ नदी, तालाब, कुण्ड होते हैं, वहां 2 पानी फिल्टर करके दिया जाता है।

बेड़च नदी पर पुल

94. श्री मनोहर सिंह महता (मांडलगढ़)– क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि बडल्यास और बरुंदनी के मध्य बेड़च नदी बहती है जिसमें बारह महीने पानी बहता है ?

(2) क्या यह सही है कि इस नदी में होकर सैंकड़ों व्यक्तियों को रोज आना जाना पड़ता है ?

(3) क्या यह सही है कि वर्षा की मौसम में औरतों को भी तैर कर निकलना होता है ?

(4) क्या यह सही है कि पोष की कड़कड़ाती ठंड में भी सबको नदी में होकर निकलना पड़ता है ?

(5) क्या यह सही है कि बस का रूट भी छः महीनों तक बन्द रहता है ?

(6) क्या इस बेड़च नदी पर जल्दी ही पुल या खुर्रा बनाने का सरकार इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब से काम प्रारम्भ होगा ?

उत्तर

(1) यह सही है कि बडल्यास और बरुदनी के मध्य बेड़च नदी बहती है। सारे वर्ष की जानकारी नहीं है।

(2) इस बाबत कोई जानकारी इस विभाग को नहीं है कि कितने लोग आते जाते हैं। अगर रास्ता है तो आवागमन संभव है।

(3) इस विभाग के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(4) हर मौसम में वहां के आने जाने वाले रास्ते का उपयोग करते होंगे इस विभाग को कोई ऐसी जानकारी नहीं है। अगर रास्ता है तो हर मौसम म आवागमन संभव है।

(5) इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(6) उपरोक्त कठिनाइयों को देखते हुये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना बनते समय इसका ध्यान रखा जावेगा।

Page No 148

परिशिष्ट 6

(तारांकित प्रश्न संख्या 72 के भाग (1) में निर्दिष्ट सूची)

सूची उन निरीक्षक (कार्यकारी) की जो होम डिस्ट्रिक्ट में दिनांक 1-8-68 के बाद नियुक्त किये गये हैं:–

क्रम संख्या	निरीक्षक का नाम	जिला जिसमें नियुक्ति की गई है।
1.	श्री वीरेन्द्र प्रसाद माथुर	जयपुर इकाई
2.	श्री विश्वनाथ ओझा	भीलवाडा
3.	श्री प्रभूलाल	भरतपुर
4.	श्री धर्मजीत गूजर	सवाई माधोपुर

सूची उन निरीक्षक (कार्यकारी) की जिनकी प्रतिनियुक्ति 1-8-68 के बाद उनके अपने जिले में की गई:–

क्रम संख्या	निरीक्षक (कार्यकारी) का नाम
1.	श्री वीरुराम, प्रतिनियुक्ति पर— प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लि., हनुमानगढ (श्रीगंगानगर)।
2.	श्री इन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रतिनियुक्ति पर— केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., भरतपुर।

होम डिस्ट्रिक्ट में प्रतिनियुक्ति पर लगाये गये 1-8-68 के पश्चात् के निरीक्षक (आडिट) की सूची—

क्रम सं.	नाम निरीक्षक (आडिट)	पद व संस्था का नाम, जहां प्रतिनियुक्ति की गई	होम डिस्ट्रिक्ट
1	2	3	4
1.	श्री मदन लाल गुप्ता	ऋण निरीक्षक, सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि., टौंक	टौंक
2.	श्री एम. पी. बहल	अधिशासी अधिकारी, होलसेल सहकारी उपभोक्ता भन्डार लि., गंगानगर	गंगानगर

1	2	4	5
3.	श्री रमेशचन्द्र गुप्ता	एकाउन्टेन्ट, होल सेल सहकारी उपभोक्ता-भण्डार लि. भरतपुर।	भरतपुर
4.	श्री किशनलाल यादव	एकाउन्टेन्ट, जयपुर सहकारी उपभोक्ता होल-सेल भन्डार लि., जयपुर।	जयपुर

होम डिस्ट्रिक्ट में दिनांक 1-8-68 के बाद नियुक्त किये गये निरीक्षक (आडिट) की सूची

क्रम संख्या	नाम निरीक्षक (आडिट) व पद		होम डिस्ट्रिक्ट
1.	श्री हरीशचन्द्र कर्दम	भूमि मूल्यांकन अधिकारी, नदबई योजना, भरतपुर।	भरतपुर

सूची विभाग के उन अधिकारियों की जिनकी नियुक्ति उनके अपने जिले में की गई है

क्रम संख्या 1	अधिकारी का नाम व पद 2	
1.	श्री छोटे लाल गुप्ता	सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, बांसवाडा।
2.	श्री नरेन्द्र सिंह चोहान	अतिरिक्त सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समिति जयपुर।
3.	श्री विजय सिंह	सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, माईनर इरीगेशन स्कीम, नदबई (भरतपुर)

सूची विभाग के उन अधिकारियों की जिनकी प्रति नियुक्तियां उनके अपने जिले में की गई हैं

क्रम संख्या 1	अधिकारी का नाम व पद 2
1.	श्री श्यामसुन्दर गुप्ता, सहायक रजिस्ट्रार प्रतिनियुक्ति पर अतिरिक्त अधिशासी अधिकारी सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि. कोटा।
2.	श्री चांदमल पोरवाल, सहायक रजिस्ट्रार प्रतिनियुक्ति पर व्यवस्थापक, क्रय विक्रय सहकारी संघ लि., चित्तोडगढ (निरीक्षक आडिट) के समय से ही प्रतिनियुक्ति पर हैं।

1	2
3.	श्री कृष्ण चन्द्र गोतम, सहायक रजिस्ट्रार, प्रतिनियुक्ति पर अधिशासी अधिकारी, कोटा सेन्ट्रल को आपरेटिव बंक लि. कोटा।
4.	श्री अजीत कुमार सिकदर, सहायक रजिस्ट्रार, प्रतिनियुक्ति पर-अधिशासी अधिकारी, अजमेर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बंक लि. अजमेर।
5.	श्री बाबूलाल ओझा, सहायक रजिस्ट्रार, प्रतिनियुक्ति पर अधिशासी अधिकारी भीलवाड़ा सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार-लि., भीलवाड़ा।
6.	श्री रामपाल पोरवाल, सहायक रजिस्ट्रार, प्रतिनियुक्ति पर भीलवाड़ा सेन्ट्रल कोआपरेटिव बंक, भीलवाड़ा।
7.	श्री केदारनाथ गुप्ता, सहायक रजिस्ट्रार प्रतिनियुक्ति पर-अधिशासी अधिकारी भरतपुर सहकारी उपभोक्ता होल सेल भण्डार लि., भरतपुर।
8.	श्री राधारमण शर्मा, सहायक रजिस्ट्रार, प्रतिनियुक्ति पर व्यवस्थापक क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., कामा (भरतपुर)

Page No 151

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न 90 के भाग (1 व 2) में निर्दिष्ट सूची)

तहसील मांडलगढ़ जिला भीलवाड़ा में निम्नलिखित स्वतन्त्रता सेनानी हैं।

क्र.सं.	नाम	आयु	सजा जो भुगती है	मासिक पेंशन
1.	श्री कन्हैयालाल बोहरा निवासी बिजोलिया पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण।	70 वर्ष	प्रार्थी ने लगभग 9 माह 28 दिन की सजा भुगती है।	50) रु. मासिक पेंशन
2.	श्री हेमराज पुत्र श्री बिरदीचन्द निवासी बिजोलिया	63 वर्ष	प्रार्थी को दिनांक 13-9-42 को जेल में रखा गया था तथा दिनांक 14-2-43 को जेल से मुक्त किया गया था।	100) रु. मासिक पेंशन
3.	श्रीमती जड़ाव बाई निवासी माण्डलगढ़ बेवा श्री ओंकार धाकड़	55 वर्ष	प्रार्थी के पति श्री ओंकार धाकड़ को दिनांक 23-6-32 को जेल में रखा गया था तथा दिनांक 22-9-32 को मुक्त किया गया था।	20) रु. मासिक पेंशन
4.	श्री सीताराम साधु निवासी माण्डलगढ़	83 वर्ष	प्रार्थी ने जेल की सजा अवश्य भुगती है लेकिन सम्बन्धित रेकार्ड नष्ट होने के कारण वास्तविक सूचना उपलब्ध नहीं है।	75) रु. मासिक पेंशन
5.	श्रीमती नारायणी देवी बेवा श्री कन्हैयालाल मुखाड़िया निवासी सलावटिया	45 वर्ष	प्रार्थी के पति श्री कन्हैयालाल मुखाड़िया को दिनांक 22-9-42 को जेल में रखा गया था तथा दिनांक 13-8-43 जेल से मुक्त किया गया था	75) रु. मासिक पेंशन
6.	श्री गणपत लाल वर्मा पुत्र श्री राम सहाय तहसील माण्डलगढ़	,,	प्रार्थी को दिनांक 21-8-42 को जेल में रखा गया था तथा दिनांक 14-2-43 को मुक्त किया गया था।	25 बीघा सिंचित भूमि दुल्हेसिंह जी का खेड़ा ग्राम में।

नोट:—श्रीमती जानकी देवी पथिक बेवा श्री विजयसिंह पथिक को 150) रु. मासिक पेंशन मिलती है। जो वह मथुरा में प्राप्त करती हैं।

Page No 152

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न सं. 91 के भाग (1) में निर्दिष्ट सूची)

हरियाणा मध्यवर्ती चुनाव में गये मंत्रियों की सूची

क्र. सं.	मंत्री का नाम व पद	अवधि	यात्राभत्ते की धन राशि	प्रयोग किया गया वाहन
1	2	3	4	5
1.	श्री मोहनलाल सुखाडिया, मुख्य मंत्री	2 से 5 व 7 से 12-5-68	नहीं	प्राइवेट कार
2.	श्री परसराम मदेरणा, खाद्य मंत्री	4 से 8 व 11 से 14-5-68	,,	पार्टी की जीप
3.	श्री अमीनुद्दीन अहमद निर्माण मंत्री	2 से 12-5-68	,,	निजी कार
4.	श्री शोभाराम, कृषि मंत्री	3 से 13-5-68	,,	पार्टी की जीप
5.	श्री रामप्रसाद लड्ढा, सिंचाई मंत्री	8 से 14-5-68	,,	सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं किया
6.	श्री अमृतलाल यादव, सहकारी मं.	7 से 14-5-68	,,	निजी कार
7.	श्री शिवचरण माथुर, शिक्षा मंत्री	7 से 10-5-68	,,	निजी वाहन
7ए.	श्री मनफूल सिंह राज्य मंत्री	7 से 12-5-68	,,	सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं किया गया
8.	श्रीमती सुमित्रा सिंह, राज्य मंत्री	5 से 9-5-68	,,	निजी जीप
9.	श्री जयकृष्ण शर्मा, राज्य मंत्री	7 व 11 से 15-5-68	,,	सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं किया ।
10.	श्री बी. एन. जोशी, राज्य मंत्री	4 व 9 से 11-5-68	,,	निजी कार
11.	श्री शिवचरण सिंह, उप मंत्री	6 से 10 व 12 से 13-5-68	,,	निजी वाहन
12.	श्री जसराज, उप मंत्री,	10 से 14-5-68	,,	,,
13.	श्री मुल्कराज विंद, उप मंत्री (संसदीय सचिव दि. 17-8-68 तक)	5 से 11-5-68	,,	निजी कार

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न सं. 92 के भाग (1 व 2) में निर्दिष्ट सूची)

जिन जिन मंत्रियों।सरकारी कर्मचारियों द्वारा वर्ष 1969 में विदेश यात्रा की गई, उनकी सूची ।

क. सं.	मंत्री/सरकारी कर्मचारी का नाम व पद	यात्रा का खर्चा राज्य सरकार/विदेशों ने वहन किया ।
1	2	3
	मंत्री गण	
1.	श्री अमीनुद्दीन अहमद, निर्माण मंत्री	केन्द्रीय सरकार
2.	श्री नारायण सिंह मसूदा, वन मंत्री	स्वयं द्वारा वहन किया गया ।
3.	श्री हीरा लाल देवपुरा, राज्य मंत्री	राज्य सरकार द्वारा अदा किया जावेगा ।
	सरकारी कर्मचारी	
	आई. ए. एस. अधिकारी	
1.	श्री अनिल बोर्डिया	कोलम्बो प्लान के अन्तर्गत विदेशी
2.	श्रीमती ज्योतिमा बोर्डिया	सरकार द्वारा वहन किया गया ।
3.	श्री सत्य प्रसन्न सिंह भण्डारी	विदेशी सरकार
4.	श्री जगन्नाथ सिंह मेहता	विदेशी सरकार
5.	श्री आर. रामाकृष्ण	विदेशी सरकार
	सरदार पटेल आयुर्विज्ञान महा विद्यालय, बीकानेर ।	
6.	डा. रतन कुमार शर्मा, प्रवाचक,	कोलम्बो प्लान के अन्तर्गत
7.	डा. बालकृष्ण अग्रवाल, व्याख्याता	स्वयं के व्यय पर
	पशुपालन विभाग	
8.	श्री बी. एस. माथुर, अनुसंधान सहायक	एक तरफ का किराया स्वयं ने तथा दूसरी ओर का किराया विदेशी सरकार (इटली)
	मेडिकल कालेज, जयपुर	
9.	डा. जे. एस. बाफना, लेक्चरार	राज्य सरकार
10.	डा. अरुण बोर्डिया, लेक्चरार	"

Page No 154

1	2	3
11.	डा. डी. पी. माथुर, लेक्चरार	राज्य सरकार
12.	डा. रमेश चन्द्र शर्मा, लेक्चरार	स्वयं के व्यय पर
	राजस्थान लघु उद्योग निगम	
13.	श्री मुन्नालाल गोयल, मुख्य व्यवस्थापक	निगम के व्यय पर
	बहुकला संस्थान, कोटा	
14.	श्री जे. सी. गुप्ता, विभागाध्यक्ष, यांत्रिकी अभियन्ता	विदेशी सरकार
	पर्यटन विभाग	
15.	श्रीमती जनक गोरवानी, सहायक निदेशक	राज्य सरकार
	खनिज विभाग	
16.	श्री राम गोपाल गुप्ता अभियन्ता,	(1) पोर्ट तक वापिसी का व्यय राज्य सरकार।
17.	श्री सुन्दर सिंह	(2) पोर्ट से आगे व वापिसी विदेशी सरकार।
	श्री रवीन्द्र नाथ टैगोर आयुर्विज्ञान महा विद्यालय, उदयपुर	
18.	डा. सन्तोष भाटिया	कोलम्बो प्लान द्वारा वहन किया जावेगा।
19.	डा. एम. एल. गुप्ता, व्याख्याता	स्वयं द्वारा।
	परिवार नियोजन	
20.	श्री सी. बी. बी. राघवन्	(1) जयपुर से दिल्ली व वापिसी राज्य सरकार
21.	श्रीमती (डा.) लक्ष्मी भटनागर	(2) दिल्ली से आगे व वापिसी विदेशी सरकार
	राजस्थान सचिवालय	
22.	श्री मदन लाल शर्मा, निजी सचिव	राज्य सरकार द्वारा वहन किया जावेगा।

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न सं. 96 के भाग (2) में निर्दिष्ट सूची)

Statement showing miles travelled by Jeep RSL 5256 alongwith conjunteared of Pehal with cost.

S. No.	Name of month.	Kilometer travelled	Petrol consumed in Liters.	Cost of Petrol.	Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	January, 1969	2721	560	604.80	
2.	Feb., 1969	2493	508	540.64	
3.	March, 1969	3256	718	832.88	
4.	April, 1969	3250	529	644.80	
5.	May, 1969	2856	647	775.40	
6.	June, 1969	4118	712	854.40	
7.	July, 1969	4075	637	764.40	
8.	August, 1969	4007	773	927.60	
9.	September, 1969	3814	736	883.20	
10.	October, 1969	3141	796	595.20	
11.	November, 1969	4031	786	943.20	
12.	December, 1969	4109	705	845.00	
		41935K. Meters	7807 Litres.	Rs. 9,113.50	

Statement showing the cost of parts utilised in Jeep No. R.S.L. 5256 of this Dn. from 1st January, 1969 to 31st December, 1969.

S. No.	Name of months.	Cost of parts.	Remarks.
1	2	3	4
1.	January, 1969	144.00	
2.	February, 1969	106.15	
3.	March, 1969	289.26	
4.	April, 1969	431.97	
5.	May, 1969	1,695.70	General repairs.
6.	June, 1969	186.15	
7.	July, 1969	818.20	
8.	August, 1969	444.25	
9.	September, 1969	1,343.90	Including Tyres.
10.	October, 1969	1,621.70	General repairs.
11.	November, 1969	49.50	
12.	December, 1969	79.20	
	TOTAL Rs.	7,244.98	

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न 98 के भाग (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट)

क्रमांक दिनांक

ओर से

प्रवर्तन अधिकारी,
फतेहपुर ।

सेवा में,

जिला रसद अधिकारी,
सीकर ।

विषय:–पंचायत क्षेत्र राम पुरा उर्फ ढेर का बास में चीनी की जांच ।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि पंचायत क्षेत्र राम पुरा उर्फ ढेर का बास तहसील लक्ष्मणगढ का चीनी का कोटा किसी फरजी व्यक्ति ने बोदुराम पुत्र गंगाराम जाति जाट साकिन रामपुरा के नाम से डीलर बन कर 2426 किलो चीनी प्राप्त करली और वह चीनी जनता में नहीं बांटी गई। इस विषय की जांच मैंने पंचायत क्षेत्र रामपुरा में जाकर व लक्ष्मणगढ में जाकर की है जिसकी जांच का नतीजा निम्न प्रकार से है :–

(1) पंचायत रामपुरा का कोटा पहले ग्राम सेवा सहकारी समिति देवरा को मिलता था। ग्राम देवरा इसी पंचायत क्षेत्र में पडता है। इस पंचायत क्षेत्र में ग्राम रामपुरा, जैतपुरा, फिरडोलो बडी, फिर डोलो छोटी, झाकड, नांगल व देवरा पडते है। ढाणी नांगल व चारण का बास भी इसी पंचायत में पडते है। बाद में ग्राम सेवा सहकारी समिति का कोटा तहसीलदार साहब लक्ष्मणगढ ने उप जिलाधीश महोदय फतेहपुर की आज्ञा से बन्द कर दिया। ग्राम सेवा सहकारी समिति का कोटा बन्द कर देने के पश्चात् श्री बोदूराम पुत्र गंगाराम जाति जाट साकिन राम पुरा को चीनी का डीलर मुकर्रर कर दिया गया।

(2) बोदूराम के नाम से किसी फरजी व्यक्ति ने चीनी रिटेल डीलर होने के लिए 200) रु. सिक्युरिटी व 5) रु. लाईसेन्स फीस के जमा करवा दिये। जिस व्यक्ति ने बोदुराम के फरजी दस्तखत किये है उसी ने जिला रसद अधिकारी सीकर व तहसीलदार लक्ष्मणगढ से 2426 किलो चीनी के परमिट प्राप्त कर लिये है। परमिट प्राप्त करने के बाद उस व्यक्ति ने सीकर होल सेल सहकारी उपभोक्ता भंडार लि. लक्ष्मण गढ शाखा के तीन बार में क्रमशः संख्या 4-9-68, 18-9-68 व 23-9-68 को 2426 किलो चीनी बोदुराम के हिन्दी में दस्तखत बनाकर चीनी उठाली व लक्ष्मणगढ में ब्लेक में बेच दी। बयानों से जाहिर है।

(3) जिस व्यक्ति ने बोदुराम के नाम से फरजी दस्तखत किये है उसका हुलिया इस प्रकार बताते हैं कि कद 6 फिट के लगभग रंग सावला छोटी 2 मूछें धोती कमीज पहने हुए, बाल रखे हुए, छर हरे बदन का था। इस प्रकार के हुलिये का व्यक्ति लोग बाग राम पुरा निवासी श्री देवाराम पुत्र मोतीराम जाति जाट को करते हैं। देवाराम के लिए की शनाख्त मानी फरजी बनने वाले व्यक्ति को श्री सांवरमल सुपरवाइजर उपभोक्ता भंडार लक्ष्मणगढ़, श्री शमशुद्दीन कनिष्ठ लिपिक, तहसील लक्ष्मणगढ या श्री केशर देव वरिष्ठ लिपिक जिला रसद अधिकारी, सीकर वाले हो कर सकते हैं क्योंकि इसी व्यक्ति ने परमिटों पर दस्तखत किये हैं व चीनी उठाते समय दस्तखत किये हैं। जब 2 परमिट प्राप्त किये है या चीनी प्राप्त की गई है तब तब श्री गणेशाराम पुत्र मोतीराम जाति जाट साकिन झिलमिल वाले साथ में रहे है।

(4) मैंने पंचायत क्षेत्र राम पुरा के ग्रामों में जाकर जांच की है जिससे पता लगा है कि जो चीनी 2426 किलो बोदुराम के नाम से उठाई है वह ग्रामों में जाकर नहीं बांटी गई है बल्कि लक्ष्मणगढ़ में ही ब्लेक से बेची गई है गणेशाराम के बयान लेने जरुरी थे मगर गणेशाराम से सम्पर्क कायम नहीं कर सका।

जांच करने के पश्चात् मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि बोदुराम पढा लिखा नहीं है इसलिए जो दस्तखत बोदुराम के किये गये है वे सारे फरजी है चीनी उठते समय में गणेशाराम व हुलिये दर्शाये हुए व्यक्ति देवाराम का हाथ हो सकता है। अतः वास्ते मुनासिब आदेश को पेश है मेरे हाथ से लिये हुए बयान व तस्दीक पंचायत साथ में पेश है। बयान सांवरमल व शमशुद्दीन काफी महत्वपूर्ण है अतः उन्हीं के आधार पर कार्यवाही की जाये तो उचित होगा।

तारीख 9-10-68

हस्ताक्षर गोरधन राम चौधरी
प्रवर्तन अधिकारी, फतेहपुर।

परिशिष्ट 12

(अतारांकित प्रश्न सं. 100 के भाग (1) में निर्दिष्ट नियमों की प्रतिलिपि)

Copy of Rajasthan police Regulations of 1948 Rule No. 181, 182 & 183

181. (a) When there is a dispute, police shall never be deputed at the cost of either party. If it is necessary in any case to employ police to prevent a breach of the peace, the cost shall be met by Government. The maintenance of order is one of the regular duties of the police. But the necessity for extra force shall first be established and they shall not be deputed if procedings under the preventive sections will produce the desired result.

(b) Additional police shall only be deputed at the cost of private individuals in non-contentions cases, when an individual, acting within his rights, finds himself in a position where the ordinary protection of the police is not sufficient. For example, additional police may be deputed at the request of the proprietor of a mela to keep order amongst the people assembled there. They may also be supplied to any one who has to transport money or other valuable property from one place to another, or for guarding over valuable property.

182. In estimating the strenth of the guard to be supplied to a private person, the Superintendent shall have regard to the question of providing its relief.

183. The following is the scale of charges to be realised on account of cost of police supplied to private bodies.

1. *Pay and Allowances.*

Average pay of the Pay Scales of Head Constable & Constables worked out according to Annexure 'A' to Chapter V of G.F. and A.R. Plus Special Pay attached to these posts plus Dearness and Mess Allowance and other compensatory allowance admissible to them.

2. *Travelling Allawance.*

According to the Rajasthan Travelling Allowance Rules in force during the period of deputation of the guards.

3. *Medical Allowance.*

According to the Rajasthan Government Rules in force during the period of deputation of the guards.

4. *Leave and pension Contributions.*

To be recovered according to the Rajasthan Government Rules in force during the period of deputation of the guards.

5. *Clothing and allied equipment.*

Rs. 150/- per year or part of the year per Head Constable and Constable.

परिशिष्ट 13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 105 के भाग (3) में निर्दिष्ट सूची)

(भादरा जिला गंगानगर) में गोली काण्ड में घायल व्यक्तियों की सूची

क्रम संख्या	नाम	पता
1.	श्री सुभाष पुत्र सत्यानारायण	भादरा
2.	श्री सींगा पुत्र भादर	जोगीवाला
3.	श्री रुघनाथ पुत्र श्री लाल	भादरा
4.	श्री शिशपाल पुत्र मोहन लाल	बांप
5.	श्री कर्मसिंह पुत्र बगडावत	छोटी गान्धी
6.	श्री जयराम पुत्र जीवन राम	अमरपुरा
7.	श्री पूरण राम पुत्र मोती राम	रामसरा हाल छात्र
8.	श्री गिरधारी पुत्र जैसाराम	कलाना
9.	श्री गंगाबिशन पुत्र महीराम	बास भील
10.	श्री ताराचन्द पुत्र दुर्गाराम	भादरा
11.	श्री याजम अली पुत्र गोरु मोहम्मद	भादरा
12.	श्री बिहारी लाल पुत्र आदराम	कनाऊ छात्र
13.	श्री मांगीराम पुत्र टीकुराम	भाडसर छात्र
14.	श्री राम किशन पुत्र राम जीलाल	जनाना छात्र
15.	श्री मेहरचन्द पुत्र लालू राम	निनान
16.	श्री भगत राम पुत्र सरदाराराम	अनूप शहर
17.	श्री राम किशन पुत्र शेरसिंह	छानी बडी
18.	श्री रामकरण पुत्र रुपराम	निनान।
19.	श्री धर्मपाल पुत्र मनफूल	गागोरानी छात्र
20.	श्री मांगीराम पुत्र देई चन्द	कलाना छात्र
21.	श्री मोती पुत्र फरीद खां	भादरा।
22.	श्री महावीर प्रसाद पुत्र हजारी राम	मोघयाना छात्र
23.	श्री रामेश्वर पुत्र मेरजी राना	कलाना

सांगरिया (जिला गंगानगर) में गोली काण्ड से घायल हुए व्यक्तियों की सूची

क्रम संख्या	नाम	पता
1.	श्री राम कुमार पुत्र बहादुर सिंह जाट	नथवाना
2.	श्री मदन लाल पुत्र मन्नी राम जाट	फूलचन्द्र
3.	श्री मीठू सिंह पुत्र बचन सिंह जाट सिख	नोकेरा
4.	श्री रन जीत सिंह पुत्र सरजीत सिंह जाट सिख	प्रताप नगर
5.	श्री धूला राम पुत्र केसरा राम जाट	नथवाना
6.	श्री खेम चन्द पुत्र मीर सिंह राज पूत	सांगरिया
7.	श्री हलवा प्रसाद पुत्र शीतला बारी की	भोली पुरवा बारा बनकी (यू.पी.)
8.	श्री बीरबल पुत्र शंकर नायक	दीनगढ
9.	श्री मोहन लाल पुत्र लादू राम गोदारा	"
10.	कुम्भाराम पुत्र जोरा राम सुथार	नथवाना

चूरू में गोली काण्ड से घायल हुये व्यक्तियों की सूची

1.	श्री केशव देव पुत्र रेवत राम हरिजन	निवासी चूरू

परिशिष्ट 14

(अतारांकित प्रश्न सं. 109 के भाग (4 व 9) में निर्दिष्ट सूची)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

TOWN PLANNING DEPARTMENT

To

The Secretary,
Improvement Trust,
Jaipur.

No. F. 3 (11) TP/63 Dated Jaipur, the 26th October, 1963.

SUB:—Allotment of plot of land to Bharat Sewak Samaj for Evening College at Jaipur.

Sir,

I am directed to convey sanction of the Governor for allotment of Nazul land measuring 31/2 acres out of the land reserved for school in Tilak Nagar, Moti Dungri Scheme, Vidyalaya Marg to the Bharat Sewak Samaj, Jaipur on lease-hold basis free of cost subject to the following conditions:—

1. It shall be on lease for 99 years and on payment of Urban assessment.

2. The land shall be utilised for the purpose for which it is allotted. The plan of the building to be constructed shall be got approved by the Trust and Chief Town Planner, Rajasthan, Jaipur and that the construction shall be completed within a period of 2 years.

3. The land will be utilised for construction of Evening College ana for Head Office of the Samaj only. The building for boys hostel will not be constructed in this area.

4. The lessee shall have no right to transfer the land by sale, mortgage, gift or otherwise or sublet it.

5. The land shall revert to Government without any compensation if otherwise used and in case of infringement of any other conditions.

This issues with the concurrence of the Finance Department (Recovery *vide* their No. ID. 1468/63, dated 22-10-63.

Yours faithfully,
Sd/-
Deputy Secretary to Government.

Copy forwarded to:—

1. Finance Department (Recovery).
2. Accountant General, Rajasthan, Jaipur.
3. Examiner, Local Fund Audit Department, Jaipur.
4. Collector, Jaipur.
5. Secretary, Bharat Sewak Samaj, 4 Museum Marg, Jaipur for information and necessary action.

Sd/-

Assistant Secretary to Government.

क्र.सं.	जगह का नाम	प्रार्थी का नाम	भू. सं. एवं क्षेत्रफल	दर	तारीख	आवंटन
1	2	3	4	5	6	7
1.	मोती डूंगरी	श्रीमती कान्ता खतूरिया	एस–1 867–88	6/-	6-11-69	(तिलक पार्क)
2.	,,	श्री एच. के. व्यास, 51 सुभाष मार्ग 'सी' स्कीम जयपुर	एस–2 666–66	6/-	7-2-70	,,
3.	,,	श्री राजकुमार भाटिया	एस–3 666–66	6/-	,,	,,
4.	,,	श्री करपूरचन्द कुलिश, मोती डूंगरी पार्क के पास	एस–4 824–16	6/-	27-12-69	,,
5.	,,	श्री हरेन्द्रसिंह 52-सवाई मानसिंह रोड	एस–8 1212–38	6/-	3-1-70	,,
6.	,,	श्री नथूलाल गुप्ता द्वारा डा. बृजेन्द्र कुमार गुप्ता सुप्रिन्टेन्डिंग इंजीनियर पी. डब्ल्यू. डी.बी.एण्ड आर.	एस–7 666–66	6/-	16-1-70	,,
7.	मोती डूंगरी वि.	श्री सरदारमल सांघी, ए–73, विजय मार्ग, तिलक नगर	एस.पी.–1 1093–66	6/-	28-8-69	माहेश्वरी स्कूल के पास
8.	,,	श्री मुकुट बिहारीलाल, 337 आदर्श नगर, जयपुर	एस.पी.–2 995–7	6/-	,,	,,
9.	,,	श्री हरिशंकर, कोठी रंगरान घाट दरवाजा	एस.पी.–12 300	3/-		
10.	,,	श्री भूरामल	एस.पी.–3 957–98	6/-	,,	,,
11.	,,	श्रीमती शकुन्तला श्रीवास्तव, 511-चितरन्जन मार्ग, अशोकनगर	एस.पी.–4 977–88	6/-	,,	,,
12.	,,	श्रीमती मानबाई, गोविन्ददेवजी की हवेली, खवासजी का रास्ता	एस.पी.–5 996–88	6/-	29-9-69	,,
13.	,,	श्री तुलसीराम ए–गांधीनगर	एस.पी.–6	6/-	24-12-69	,,
14.	,,	श्री उदयसिंह राठौड	एस.पी.–7 558–40	6/-	28-9-69	,,
15.	,,	श्री गोविन्दनारायण शर्मा, गणेशजी का मन्दिर, मोती डूंगरी	एस.पी.–8 300–00	2.25	27-12-69	,,
16.	,,	श्री गोविन्द शंकर तिवाडी	एसपी.–9 300.00		आवंटित-पत्र जारी नहीं किया	

1	2	3	4		5	6	7
17.	मोती डूंगरी त्रि.	श्री रामजीलाल गुप्ता; 12 गणगोर का रास्ता	एस.पी.–10	300.00	3/-	3-1-70	आवंटित पत्र जारी नहीं किया
18.	”	श्रीमती धन्तावली देवी तिवाडी मोहन का मकान मधु प्रिन्टर्स के सामने, चौडा रास्ता, जयपुर	एस.पी.–11	”	”	5-1-70	”
19.	”	श्री महरचन्द जैन, जोहरी बाजार, भैरूंजी का रास्ता, जयपुर	एस.पी.–15	340.7	4/-	26-2-70	”

परिशिष्ट 15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 117 के भाग (1) में निर्दिष्ट आंकड़ों की सूची)

जयपुर दुग्ध वितरण योजना, जयपुर का हानि लाभ का वर्षानुसार ब्यौरा

वर्ष	कुल खर्चा	कुल आमद	हानि
1963-64	12,52,876	2,03,800	(–) 10,49,076
1964-65	10,45,520	4,39,900	(–) 5,05,620
1965-66	19,00,580	11,19,900	(–) 7,81,580
1966-67	22,35,700	13,88,300	(–) 8,45,400
1967-68	23,07,290	11,08,902	(–) 11,98,388
1968-69	24,76,900	16,15,114	(–) 8,61,706
1969-70 दिसम्बर 70 तक–	13,53,433	8,66,311	(–) 4,87,122

शुद्धि-पत्र

(बृहस्पतिवार, दिनांक 14 मई, 1970)

स्तम्भ सं. 1	पंक्ति संख्या 2		अशुद्ध 3	शुद्ध 4
9	अन्तिम से	3	रिपर्ट	रिपोर्ट
11	शीर्षक		तारांकित प्रश्दोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
14		9	सर्वजनिक	सार्वजनिक
16		14	बैठ	बैठे
19	अन्तिम		अध्यक्षपीट के	XXX अध्यक्षपीठ के
26		7	इंजनियर	इन्जीनियर
31		11	राजीव श्री रूपसिंह	राजवी श्री रूपसिंह
49	शीर्षक		अनुपस्यित	अनुपस्थित
58	अन्तिम से	13	भाकरा	भाखरा
60	शीर्षक		अतारांकत	अतारांकित
91	शीर्ष		(नगर विकास न्यास न्त्री)	(नगर विकास न्यास मंत्री)
97	अन्तिम से	13	मजदूरा	मजदूरी
98	,,	13	सत्त्र	सत्र
99	,,	7	देन क लय	देने के लिये
101		9	श्री रामचन्द्र अर्य	श्री रामचन्द्र आर्य
,,	अन्तिम से	10	क	के
102	,,	8	सबन	सबने
106	,,	2	नहीं नहीं हुआ	नहीं हुआ
108		4	जाता जाता है	जाता है
109	अन्तिम से	11	श्री मोहनलल सुखाडिया	श्री मोहनलाल सुखाडिया
,,	,,	3	श्री मोहनबाल सुखाडिया	,,
115	शीर्ष		(श्री देवोदत्त गडिया)	(श्री देवीदत्त गाडिया)
116		15	हरिजनों उत्थान	हरिजनों का उत्थान
117	अन्तिम से	8	श्री देवेंदत्त गाडिया	श्री देवीदत्त गाडिया
,,	,,	2	श्री रामनन्द अग्रवाल	श्री रामानन्द अग्रवाल
118		4	श्री देवेंदत्त गडिय	श्री देवीदत्त गाडिया

1	2		3	4
120	अन्तिम से	8	श्री रामकिशार व्यास	श्री रामकिशोर व्यास
,,	,,	4	न	ने
122	,,	15	लकुना	लेकुना
126		8	म	में
128		1	दशा	दिशा
137		15	श्री रामानद अग्रवाल	श्री रामानन्द अग्रवाल
146	अन्तिम से	6	टैक्निकस	टैक्निकल्स
148	,,	5	ट्रसेपासर्स	ट्रेसपासर्स
165	,,	6	श्री रामनारायण चौधरी	श्री सभापति
170	,,	11	जोर	ज़ार
223	,,	10	ल	ले
243	,,	13	का	क
269		17	Crimond	crimina
,,	अन्तिम से	10	प्रदय	प्रदा
270	,,	4	नवो	न
278		3	Conjunteared	Consumpt.
,,	,,	4	Pehal	Pot